

Mobile Banking

24/7 Net Banking

Online Account Access

Total business crosses ₹ 5 Lakh crore

Net profit surpasses ₹ 4,000 crore

e-bill Payment

Platinum Debit Card

SMS Alerts

Fund Transfer

New Generation Banking Solutions

Online Share Trading/ASBA

3257 Branches | 2216 ATMs | 3.87 Crore Clientele



वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

विषयवस्तु

1. नोटिस	2
2. प्रगति की एक झलक	14
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2010-2011	15
• प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	16
• केनरा बैंक 2010-2011 में	21
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	55
• निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य	57
• धन्यवाद	58
4. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	59
5. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	82
6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	83
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	84
• तुलन पत्र	87
• लाभ व हानि खाता	88
• तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	89
• लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	97
• लेखा नीतियाँ	99
• लेखा पर नोट	105
• पिलर 3 (बासेल II) प्रकटन	144
• नकद प्रवाह विवरण	177
7. समेकित वित्तीय विवरण	179
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	180
• समेकित तुलन पत्र	182
• समेकित लाभ व हानि खाता	183
• समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	184
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	191
• लेखा नीतियाँ	193
• समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	197
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	207
8. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा शेयरधारकों को सम्बोधन	209
9. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पास	213
10. प्रॉक्सी फार्म	215

ANNUAL REPORT 2010-2011

CONTENTS

1. NOTICE	2
2. PROGRESS AT A GLANCE	14
3. DIRECTORS' REPORT 2010-2011	15
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	16
• CANARA BANK IN 2010-2011	21
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	55
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	57
• ACKNOWLEDGMENT	58
4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	59
5. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	82
6. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	83
• AUDITORS' REPORT	84
• BALANCE SHEET	87
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	88
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	89
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	97
• ACCOUNTING POLICIES	99
• NOTES ON ACCOUNTS	105
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	144
• CASH FLOW STATEMENT	177
7. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	179
• AUDITORS' REPORT	180
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	182
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	183
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	184
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	191
• ACCOUNTING POLICIES	193
• NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	197
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	207
8. CHAIRMAN & MANAGING DIRECTORS' ADDRESS TO SHARE HOLDERS	209
9. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS	213
10. PROXY FORM	215



नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक **सोमवार 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे चौडया मेमोरियल हाल, जी. डी. पार्क एक्स्टेंशन, वैयालिकावल, बंगलूर - 560 003** में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. "यथा 31 मार्च 2011 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा पर, तुलन पत्र व लेखा पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना "।
2. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि " बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("**आर बी आई**"), भारत सरकार ("**जी ओ आई**"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के **निदेशक मंडल** (जिसे यहाँ इसके बाद "**निदेशक मंडल**" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/कों सहित गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है)

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Monday, the 18th July 2011 at 4.00 P.M. at Chowdaiah Memorial Hall, G.D. Park Extension, Vyalikaval, Bangalore - 560 003, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2010-11.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include Chairman and Managing Director or any Executive Director/(s) or any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)



को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए) एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("व्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित, भारत में या विदेश में प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के इक्विटी/अधिमान शेयर (संचयी / गैर-संचयी / प्रतिभूतियां उतनी ही संख्या में प्रस्तावित, जारी और आबंटित करें जो किसी भी हालत में ₹255.70 करोड़ (दो सौ पचपन दशमलव सत्तर करोड़ रुपये मात्र) से ज्यादा न हो और समग्र रूप से ₹2557 करोड़ (रुपये दो हजार पाँच सौ सत्तावन करोड़) से अधिक न होते हो जो ₹443 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ ₹3000 करोड़ होते हों जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम/1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक जो भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार जोड़ी जा सके कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51 % से कम धारित नहीं किया जाए ।

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमांनी इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 ("आई सी डी आर विनियमावली")

to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of ₹10 each and in any case not exceeding ₹255.70 Crores (Two Hundred and Fifty Five Crores and Seventy Lacs Only) and aggregating to not more than ₹2557 Crores (Rupees Two Thousand and Five Hundred Fifty Seven Crores) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹443 Crores amounts to ₹3000 Crores, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations")



एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा जारी किए गये समस्त मार्गनिर्देशों, ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जहाँ आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक, जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।

आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बट्टकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरीयों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि क्यू आई बी (आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII) के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो बशर्ते कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों की किस्त को शामिल करते हुए मूल्य

and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in



आई सी डी आर विनियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्णित मूल्य से कम न हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII ने परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूँजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आवंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आवंटन पूरा कर लिया जाएगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि क्यू आई पी के निर्गमन के मामले में प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारित करने की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।

आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर

accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each



किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/ बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/ प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।

tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees. or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

निदेशक मंडल के आदेशों से



एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 10.06.2011

By Order of the Board of Directors



S RAMAN
Chairman And Managing Director

Place : Bangalore
Date : 10.06.2011



टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

प्रदत्त पूँजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है :-

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2011 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा/ दर्ज किया जाए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2011 को या उस दिन के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

4. पंजीकरण :

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक सोमवार, 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थित रहें।

5. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्वधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक/प्रोक्सिधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन/जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन - मतदाता पहचान कार्ड/नियोक्ता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of paid up capital is annexed below.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 13th July 2011.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 13th July 2011.

4. REGISTRATION :

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 3 p.m. on Monday the 18th July 2011 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license**



बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची - सह - प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी ।

etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें ।

कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : केनरा बैंक

**" कार्वा हाऊस ", नं. 46, अवेन्यू IV स्ट्रीट नं. 1,
बंजारा हिल्स हैदराबाद - 500 034**

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया गया है कि वे अपना ई-मेल पता शेयर अंतरण एजेंट (उपर्युक्त पते पर) को या hosecretarial@canarabank.com में प्रकाशित / पंजीकृत करें ।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें ।

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

**"Karvy House", No.46, Avenue IV Street No.1,
Banjara Hills, HYDERABAD 500 034**

Further, the shareholders are advised to inform/ register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) to the Bank at hosecretarial@canarabank.com

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 08.07.2011 से 18.07.2011 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रखा जाएगा ।

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 08.07.2011 to 18.07.2011 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the election and receive the dividend, if declared by the Bank.

8. लाभांश का भुगतान :

बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए 110% (प्रति ईक्विटी शेयर ₹11/-) लाभांश की सिफारिश की है । उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/यथा गुरुवार, 07 जुलाई 2011 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी हैं और यह लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर भेजा जाएगा ।

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended a dividend of 110% (₹ 11/- per equity share) for the year 2010-11. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Thursday, the 7th July 2011 and the same shall be dispatched / credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

9. फोलियों का समेकन :

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि हमारे मेसर्स कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी होल्डिंग का एक खाते में समेकन किया जा सके । आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे ।

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.



10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन/डूब्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10 बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता।

11. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) में अपलोड किया गया है। शेयर धारकों रिपोर्ट कि पठनयोग्य वर्शन वेबसाइट से डाउनलोड करें।

12. ई-मेल पता पंजीकृत करके प्रलेख प्राप्त करना

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ने अपने परिपत्र 17/2011 दिनांक 21 अप्रैल 2011 और 18/2011 दिनांक 29/04/2011 के जरिए "कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल" का सूत्रपात किया है जिससे निकाय वार्षिक आम बैठक, लेखा परीक्षित वित्त विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदि विद्यमान रूप में ई-मेल पते पर प्रेषित कर सकता है

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डी.पी.खातों में ई-मेल पते पंजीकृत / नवीकरण करें ताकि भौतिक रूप के बजाय वे वार्षिक आम बैठक और वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से प्राप्त कर सकें

तथापि इस वर्ष 9वीं वार्षिक आम बैठक और वित्त वर्ष 2010-11 के वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति के साथ उपर्युक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन समस्त शेयरधारकों को प्रेषित करने का प्रबंध करेगा जिनके ई-मेल पते डी.पी. में उपलब्ध / पंजीकृत किये गये हैं

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Share holders may download the readable version of the same from the website.

12 RECEIVE DOCUMENTS THROUGH E-mail BY REGISTERING YOUR E-mail ADDRESS

The Ministry of Corporate Affairs has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" vide its circular nos. 17/2011 dated April 21, 2011 and 18/2011 dated April 29, 2011 which enables the entity to effect electronic delivery of documents including the Notice of Annual General Meeting, audited financial statements, Directors' Report, Auditors' Report, etc , in electronic form, to the e-mail address.

Shareholders are requested to register / update their e-mail addresses immediately in their respective DP Accounts so as to receive delivery of documents including Notice of AGM and Annual Report by e-mail instead of getting the same in physical mode.

However this year, along with the printed copy of Notice of 9th AGM and Annual Report for the financial year 2010-11, the Bank proposes to make arrangements to send the soft copy of the aforesaid Notice and Annual Report through e-mail to all those shareholders whose e-mail addresses were available/registered with DPs.



प्रलेख / नोटिस विद्युतानी रूप में प्राप्त करने को इच्छुक भौतिक रूप में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते हमारे रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट नामशः मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. हैदराबाद में तत्काल रजिस्ट्रार / अंतरण करें

कृपया नोट करें, जबकि बैंक में पंजीकृत ई-मेल पते पर हर नोटिस / प्रलेख भेजा जायेगा, आप भौतिक रूप में नोटिस / प्रलेख प्राप्त करना चाहते हों तो कृपया उसके बारे में ई-मेल से सूचित करें और उसे बैंक / निक्षेपागार में पंजीकृत आपके पते पर मुफ्त में भेजा जायेगा

Shareholders holding shares in physical form desirous of availing electronic form of delivery of documents/notices are requested to immediately register/update their e-mail addresses with our Registrar and Transfer Agents namely, M/s Karvy CompuShare Private Limited, Hyderabad.

Please note that while every notice / document will be mailed to the email address registered with the Bank, in case you desire to receive any notice/document in physical form, please intimate by e-mail and the same shall be sent free of cost to your address registered with the Bank / Depository.

13. शेयरधारकों का मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, केनरा बैंक विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) के अनुसार प्रत्येक शेयर धारक को, जो वार्षिक सामान्य बैठक के पहले रजिस्ट्रार बंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

13. VOTING RIGHTS OF SHARE HOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Cl. 68(i) of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2000, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

नोटिस की मद सं. 3 के प्रति उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

- मुख्यतया दीर्घकालीन संपदाओं में वृद्धि लाने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात का रखरखाव लगभग 12 प्रतिशत रखने के लिए नवंबर 2002 में बैंक ने अपने आईपीओ को सफलतापूर्वक संपन्न किया और प्रति शेयर ₹ 25/- के प्रीमियम के साथ ₹ 10/- के 11 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी करके ₹ 385 करोड़ जुटाया।
- अपना पूंजी आधार को मजबूत करने और भावी कारोबारी वृद्धि का निधीयन करने के लिए बैंक ने मार्च 2011 के दौरान बैंक ने प्रति शेयर ₹ 594/- प्रीमियम के साथ ₹ 10/- के 33 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी करके क्यू.आई.पी. मार्ग द्वारा ₹ 1993.20 करोड़ कामयाबी से एकत्रित किये।
- उपर्युक्त क्यू.आई.पी. इश्यू से बैंक का ईक्विटी पूंजी ₹ 443/- करोड़ हुई।

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

- In November 2002, the Bank successfully completed its IPO and raised ₹ 385 crores by the issue of 11 crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 25 per share, primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 12 per cent.
- During March, 2011, the Bank successfully raised ₹ 1993.20 Crores through QIP route by the issue of 33 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 594 per share to shore up its capital base and to fund future business growth.
- After the above QIP issue, the Paid up Equity Capital of the Bank stood at ₹ 443 Crore.



4. यथा 31/03/2011 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 15.38 % है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की तुलना में काफी अच्छी ऊँचा है । तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बासेल II मानदंडों कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूँजी प्रभार के आलोक में पूँजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की जरूरत है ।
5. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2बी) (सी) के अनुसार चुकता पूँजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पूर्वानुमान प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्र सरकार हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी ।
6. सूचीकरण करारनामे (बैंक एवं स्टॉक एक्सचेंज के बीच) की धारा 23 की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें, उसे यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए । उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आबंटित करने दिया जाएगा ।
7. यह संकल्प, सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेन्ट द्वारा इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियाँ प्रदान करने, जारी करने एवं आबंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा । इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा ।
8. यह संकल्प, आई सी डी आर विनियमावली में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेन्ट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है । निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है ।
4. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2011 is 15.38 %, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL II/III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
5. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid up equity capital of the Bank.
6. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchange) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
7. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
8. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यू आई पी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन "संबद्ध तिथि" के पूर्ववर्ती दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में कोट किये गये शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न औसत दरों से कम नहीं होने वाली दर पर किया जा सकता है ।

"संबद्ध तिथि" का अर्थ क्यू आई पी निर्गम पर बोर्ड या समिति की बैठक आयोजित तिथि होगा ।

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date"

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

9. अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईपी") के साथ अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूँजी जुटाने के लिए बैंक की 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) के लिए संकल्पों की वैधता एक वर्ष तक सीमित रहेगी। चूँकि बैंक ने यह निर्गम पिछले वर्ष के दौरान जारी किया है, सामान्य बैठक का अनुमोदन दुबारा मांगा जाता है।

10. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

11. चूँकि प्रस्ताव का मूल्यनिर्धारण बाद में कभी भी किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयर का मूल्य बताना संभव नहीं है। किंतु वह, समय-समय पर यथा संशोधित आईसीडीआर विनियमावली, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों / विनियमों/सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जो कि लागू हो अथवा अपेक्षित हो।

12. उक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

13. जारी किये गये ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में कथित अनुसार प्रस्तावों को पारित करने के लिए सिफारिश करता है।

बैंक में उनके शेयरधारण की हद के परे बैंक का कोई भी निदेशक उपर्युक्त संकल्पों में हित या ताल्लुक नहीं रखता।

निदेशक मंडल के आदेशों से



एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बंगलूर
दिनांक : 10.06.2011

9. The approval of the General Body at the 8th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including Qualified Institutional placement (QIPs) with qualified Institutional Buyers (QIBs) was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs. Keeping in view the future requirements (as denoted in Para 4 above), the approval of the General Body is sought once again.

10. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

11. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to determine the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

12. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

13. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By Order of the Board of Directors



S RAMAN
Chairman And Managing Director

Place : Bangalore
Date : 10.06.2011

प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ों में / Amount in ₹ Crore)

	2008-09	2009-10	2010-11
शाखाओं की संख्या / Number of Branches	2733	3046	3257
चुक्ता पूँजी / Paid-up Capital	410	410	443
आरक्षितियाँ / Reserves	11798	14262	19597
कुल जमा / Aggregate Deposits	186893	234651	293973
वृद्धि (%) / Growth (%)	21.30	25.55	25.28
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	14043	13567	12884
विदेश कारोबार पण्यवर्त / Foreign Business Turnover	142301	127614	124094
अग्रिम (निवल) / Advances (Net)	138219	169335	212467
वृद्धि (%) / Growth (%)	28.89	22.51	25.47
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	19798	23902	31572
वृद्धि (%) / Growth (%)	12.07	20.73	32.09
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	48763	59310	70757
वृद्धि (%) / Growth (%)	12.87	21.63	19.30
कृषि / Agriculture	20144	25052	29656
वृद्धि (%) / Growth (%)	11.94	24.36	18.38
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	14704	18130	22374
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises	23823	31074	37684
वृद्धि (%) / Growth (%)	28.08	30.44	21.27
डीआरआई योजना के अधीन अग्रिम / Advances under DRI Scheme	48	50	52
अजा/अजजा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	2863	3905	5087
स्वयं सहायता समूह (सं) / Self Help Group (Nos.)	275100	320000	351000
निर्यात साख / Export Credit	8967	8966	10489
ग्राहकवर्ग (करोड़ों में) / Clientele (In Crore)	3.48	3.73	3.87
कुल कर्मचारी / Total Number of Staff	44090	43380	43397
कुल आय / Total Income	19430	21610	25767
कुल व्यय / Total Expenditure	15467	16549	19660
परिचालन लाभ / Operating Profit	3964	5061	6107
निवल लाभ / Net Profit	2072	3021	4026
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूँजी- पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	14.10	13.43	15.38
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earnings Per Share (₹)	50.55	73.69	97.83
बही मूल्य (₹) / Book Value (₹)	244.87	305.83	405
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) / Business Per Employee (₹ Crore)	7.80	9.83	12.28
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख ₹) / Profit Per Employee (₹ Lakh)	4.97	7.35	9.76
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ / Return on Average Assets	1.06	1.30	1.42
लागत-आय अनुपात / Cost-Income Ratio	43.61	40.73	41.98
सकल एन पी ए अनुपात / Gross NPA Ratio	1.56	1.52	1.45
निवल एन पी ए अनुपात / Net NPA Ratio	1.09	1.06	1.11
साख-निक्षेप अनुपात / Credit - Deposit Ratio	73.96	72.16	72.27
समंजित निवल बैंक साख को प्राथमिकता साख / Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	46.02	43.92	44.08



निदेशकों की रिपोर्ट
2010-2011
DIRECTORS' REPORT



निदेशकों की रिपोर्ट: 2010-11

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 42 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

I. वित्तीय परिवेश

वैश्विक आर्थिक क्रिया-कलाप 2008 में वृद्धि के एकदम मंद हो जाने और 2009 में संकुचित हो जाने के बाद 2010-2011 में वैश्विक आर्थिक क्रिया-कलाप धीरे-धीरे लेकिन स्थिर स्तर से सुधर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था दुहरी रफ्तार से बहाल हो रही है जब कि विकसित अर्थ व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे बढ़ रही हैं और दूसरी ओर विकासशील अर्थ व्यवसाय मजबूत वृद्धि महसूस कर रही हैं।

भारतीय अर्थ व्यवस्था वैश्विक वृद्धि प्रक्रिया में, तेजी से बढ़नेवाली आर्थिक अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है। उसकी जी.डी.पी. वृद्धि, संकट पूर्व वृद्धि पथ पर पुनः प्रविष्ट हुई है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बढ़त तथा बचत और निवेश दरों में सकारात्मक गति में मदद मिली। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित संशोधित अनुभागों के अनुसार गत वित्त वर्ष की 8% वृद्धि की तुलना में 2010-11 में 8.5% बढ़ी।

वृद्धि स्थूल आधार पर रही। विवरण में कृषि क्षेत्र की 6.6% (0.4%) महत्वपूर्ण वृद्धि रही। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र वृद्धि क्रमशः 7.9% (8.0%) और 9.4% (10.1%) रही। 2010-11 के लिए बचत और निवेशों की दर का अनुमान क्रमशः 34% और 37% लगाया गया है।

2010-11 के दौरान मुद्रा स्फीति नीति निर्णायकों के लिए बड़ी चिंता का विषय रही। बहुधा वि.व. 2011 के दौरान मुद्रा स्फीति ऊँच स्तर पर बनी रही। मुद्रा स्फीति खाद्य और ईंधन मदों में रहकर बाद में विनिर्माण उत्पादों को अंतरित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गई। गत वर्ष मार्च की 10.23% की तुलना में मासिक थोक मूल्य मुद्रा स्फीति 8.98% रही।

वि.व. 2011 के प्रथमार्ध में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में उछाल रही। 2010-11 की पहली दो तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 12.7% और 10% ऊँची दरों पर भारी मात्रा में बढत हुई। तदुपरांत औद्योगिक उत्पाद वृद्धि में तीव्रता मंद होने लगी गत वर्ष की 10.5% वृद्धि की तुलना में वि.व. 2010-11 के लिए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक ने 7.8% वृद्धि दर्ज की।

DIRECTORS' REPORT: 2010-11

The Board of Directors have pleasure in presenting the 42nd Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2011 and Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Global economic activity has recovered slowly but steadily in 2010-11 after the sharp deceleration of growth in 2008 and the contraction in 2009. The global economy is now in dual speed recovery process with advanced economies growing slowly/stagnating and the developing economies, on the other hand, experiencing stronger growth.

The Indian economy is one of the fastest growing economies in the global growth process, with the GDP growth back to its pre-crisis growth trajectory, aided by expansion in agriculture, industry and the service sectors and positive momentum in savings and investment rates. As per the revised estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), the Indian economy grew by 8.5% in 2010-11 vis-à-vis a 8% growth in the previous fiscal.

The growth has been broad-based with agriculture sector growing by a significant 6.6% (0.4%) for FY11 and the industrial and the service sectors grew by 7.9% (8.0%) and 9.4% (10.1%) respectively. Savings and investment rates for 2010-11 is likely to be at 34% and 37% respectively.

Inflation was a primary concern among the policy makers during 2010-11. Inflation, which remained at elevated levels for a large part of FY11, was largely driven by food and fuel items and later on transmitted to manufacturing products to become a general phenomenon. The monthly wholesale price inflation stood at 8.98% in March 2011 compared to 10.23% in the corresponding month a year ago.

Growth in the industrial sector was buoyant during the first half of FY11. The manufacturing sector grew at a robust rate of 12.7% and 10% in the first two quarters of 2010-11 respectively. Thereafter, industrial output growth started moderating. Index of industrial production (IIP) registered a 7.8% growth for the financial year 2010-11 as against a growth of 10.5% a year ago.



भारत के निर्यातों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हुए 2010-11 के लिए निर्धारित 220 अरब अमेरिकी डालर के वृद्धि लक्ष्य पार कर दिया। वि.व.11 की निर्यात वृद्धि प्रथमार्ध में दर्शित वृद्धि से कुछ कम रही, लेकिन यह पिछले वर्ष की दरों से बहुत ही अधिक है। वाणिज्यिक सूचना अनुसार, अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान भारत के पण्य पिछले वर्ष दर्ज की गई 4.7% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 37.6% वृद्धि हासिल की। अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान आयातों का संचित मूल्य 21.6% वृद्धि दर्ज करते हुए 351 बिलियन अमेरिकी डालर बड़े निर्यातों के अच्छे कार्यनिष्पादन और कम तैल आयातों की बदौलत अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान भारत की व्यापारिक कमी को 105 बिलियन अमेरिकी डालर प्राकलित किया गया जो अप्रैल-मार्च 2009-10 के दौरान 110 बिलियन अमेरिकी डालर की कमी से कम है।

वैश्विक अनिश्चितताओं, अधिक मुद्रा स्फीति और अधिक चालू खाता कमी के रहने हुए भी भारत के वित्तीय बाजार कमोबेश नियंत्रण में रहे। माँग नकद दर बहुधा एल.ए.एफ. दायरे में रहने के कारण वि.व.11 में नकद बाजार नियंत्रण में रहे। संपत्ति मूल्यों के साथ-साथ आस्तियों के मूल्य साधारणतया सीमा के अंदर ही रहे। घरेलू और वैश्विक परिणामों से प्रतिस्पर्धित होते हुए स्टॉक बाजारों में आवधिक उतार-चढ़ाव दिखाई दिये। विदेश विनिमय बाजार में वि.व. 11 के दौरान प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बराबरी में रुपये में उतार-चढ़ाव रहे।

कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक भारत में सर्वाधिक विकासशील राज्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचना व जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विख्यात यह राज्य विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों, प्रख्यात अनुसंधान व विकासशील संस्थाओं व कुशल मानवशक्ति का केन्द्र है। कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान, अनुमान लगाया गया है कि सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) में वास्तविक वृद्धि करीब 8.2% होगी। केनरा बैंक का उद्गम कर्नाटक राज्य में होने के नाते उसने इस राज्य में अपना मुख्य स्थान बनाये रखा। बैंक, राज्य में अपनी 632 से भी अधिक शाखाओं के जरिए पर्याप्त संख्या में लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करता आ रहा है। राज्य में बैंक का कुल काराबार ₹ 72651 करोड़ बढ़ा जो यथा मार्च 2011 को उसके कुल घरेलू कारोबार का 15% बनता है जिसमें यथा मार्च 2011 को ₹ 41755 करोड़ जमा और ₹ 30896 करोड़ अग्रिम रहे।

India's exports have posted a significant growth and surpassed the growth target of US \$220 billion set for 2010-11. Export growth for FY11 was lower than the growth seen during the first half, but substantially higher than the rates prevalent a year ago. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), during April-March 2010-11, merchandise exports of India increased to US \$246 billion, recording a growth of 37.6% as against a negative growth of 4.7% recorded for the last year. Cumulative value of imports during April-March 2010-11 increased to US\$351 billion, registering a growth of 21.6%. As a result of the good performance by exports and lower oil imports, India's trade deficit for April-March 2010-11 was estimated at US\$105 billion, lower than the deficit of US \$110 billion during April-March 2009-10.

Financial markets in India remained, by and large, orderly in FY11 despite the challenges posed by global uncertainties, high inflation and high current account deficit. Money markets remained orderly in FY11 with call money rate largely remaining within the LAF corridor. Asset prices, including property prices, generally remained range bound. Stock markets showed periodic volatility as a response to domestic and global developments. In the foreign exchange market, the rupee remained volatile against major international currencies during FY 11.

Economic Environment in Karnataka

Karnataka is one of the fastest growing States in India. Widely acclaimed for its internationally reputed Information Technology and Bio-technology companies, the State is home to varied industrial activities, leading research and development institutions and a pool of skilled manpower. As per the Economic Survey of Karnataka 2010-11, the real growth in Gross State Domestic Product (GSDP) is estimated to be around 8.2% during 2010-11 driven by higher growth in primary and tertiary sectors. Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its key position in the State of Karnataka. The Bank has been playing a leading role in extending financial services to large number of people through its 632 branches spread across the State. The total business of the Bank in the State rose to ₹ 72651 crore, with a share of 15% of its total domestic business as at March 2011, which comprised ₹ 41755 crore under deposits and ₹ 30896 crore under advances as at March 2011.



II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2010-11 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश व मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिबिंबित किया है। वि.व.11 में प्रधान मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा स्फीति को रोकना, स्थिर ब्याज दर व्यवस्था बनाये रखना और सक्रिय तरलता प्रबंधन है।

समन्वय जमा में वृद्धि के कम हो जाने और मुद्रा की अधिक माँग से उद्भूत नकद गुणक में कमी के कारण वार्षिक नीति विवरण 2010-11 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित सूचनात्मक स्तर वि.व.11 के दौरान नकद आपूर्ति (एम3) वृद्धि आम तौर पर कम रहा। नकद आपूर्ति (एम3) वृद्धि में कमी मार्च 2010 को रहे 17.1% की तुलना में मार्च 2011 में 16% रही।

वि.व.11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों में वृद्धि ने जमाओं को बहुत बड़े अंतर से पार कर दिया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समन्वय जमा 2009-10 में रिकार्ड किये गये 17.2% की तुलना में 2010-11 के दौरान 15.8% तक बढ़े। पिछले साल के 16.9% की तुलना में बैंक ऋणों की वृद्धि वर्षानुवर्ष 21.4% अधिक रही। क्षेत्रात्मक वृद्धि आँकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये ऋणों में उछाले रही जब कि वि.व.11 में कृषि ऋण (10.6%) और खुदरा ऋण (17%) समग्र ऋणों में कम है। वि.व.11 भर वर्षानुवर्ष खाद्येतर ऋण के जमा वृद्धि के पार हो जाने से ऋण जमा अनुपात यथा मार्च 2011 को सीधे 75.68% बढ़ गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ लचीला, लाभप्रद बना रहा और उसका निष्पादन अच्छा रहा। बाजार हिस्से को अर्जित करने व अधिक लाभ दर्ज करने के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

वर्ष 2010-10 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी :-

- अप्रैल 24, 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से लेकर सी.आर.आर. मे.एन.डी.टी.एल. के 5.75% से 6% - 25 आधार बिंदुओं में बढ़त।
- वि.व. 11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 175 आधार दर की वृद्धि से 6.75% और प्रति रेपो दर को 225 आधार दर की वृद्धि से 5.75% बढ़ाया है।
- दिसंबर 18, 2010 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सांविधिक तरलता अनुपात को उनके एन.डी.टी.एल. के 25% से 24% तक घटा दिया गया।

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2010-11 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment and the monetary policy response. The key monetary policy stance in FY11 was to contain inflation, maintain a consistent interest rate regime and to actively manage liquidity.

The money supply (M3) growth during 2010-11 generally remained below the indicative trajectory set out by the RBI in the Annual Policy Statement for 2010-11 as a result of lower growth in aggregate deposits and reduction in money multiplier emanating from higher currency demand. Money supply (M3) growth decelerated to 16% at March 2011 from 17.1% at March 2010.

In FY11, Scheduled Commercial Banks (SCBs) credit growth outpaced deposit growth by a substantial margin. Aggregate deposits of scheduled commercial banks increased by 15.8% in 2010-11 as against 17.2% recorded in 2009-10. The growth in bank credit was higher at 21.4% y-o-y compared to 16.9% a year ago. The sectoral credit data indicates that while credit to industry and services was buoyant, agricultural credit (10.6%) and retail lending (17%) lagged overall credit growth in FY11. With the y-o-y non-food credit outpacing deposit growth throughout FY11, the credit-deposit (CD) ratio increased sharply to 75.68% as at March 2011.

The banking sector in India remains healthy, resilient, profitable and performed well during 2010-11. Public Sector Banks have performed relatively better than their private sector counterparts in terms of gaining ground in market share and reporting strong bottom-lines.

The year 2010-11 saw the following key policy measures announcements by the RBI.

- Increase in CRR by 25 basis points from 5.75% to 6% of NDTL with effect from the fortnight beginning April 24, 2010.
- During FY11, RBI increased the Repo rate by 175 bps to 6.75% and the Reverse Repo rate by 225 bps to 5.75%.
- The statutory liquidity ratio (SLR) for scheduled commercial banks has been reduced to 24% of their NDTL from 25% with effect from December 18, 2010.

वर्ष के दौरान सी.आर.आर., रेपो रेट और प्रति रेपो दर में परिवर्तन

	रेपो	रिवर्स रेपो	सी.आर.आर.
अप्रैल 20, 2010	5.25 (+0.25)	3.75 (+0.25)	5.75
अप्रैल 24, 2010	5.25	3.75	6.00 (+0.25)
जुलाई 2, 2010	5.50 (+0.25)	4.00 (+0.25)	6.00
जुलाई 27, 2010	5.75 (+0.25)	4.50 (+0.50)	6.00
सितम्बर 16, 2010	6.00 (+0.25)	5.00 (+0.50)	6.00
नवम्बर 2, 2010	6.25 (+0.25)	5.25 (+0.25)	6.00
जनवरी 25, 2011	6.50 (+0.25)	5.50 (+0.25)	6.00
मार्च 17, 2011	6.75 (+0.25)	5.75 (+0.25)	6.00

वर्ष के दौरान घोषित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीति परक उपाय इस प्रकार हैं :-

- आवास ऋणों के मामले में ऋण मूल्य अनुपात 80% से अधिक न हो
- ऋण मूल्य अनुपात का लिहाज किये बिना आर.बी.आई. ने 75 लाख और उससे अधिक के आवासी गृह ऋणों के जोखिमभार को 125% बढ़ा दिया है और ऐसे ऋणों के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा किये जानेवाले मानक आरिस्त प्रावधानीकरण को भी 2% तक बढ़ा दिया है
- सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र की सारी इकाइयों को उपलब्ध कराई जानेवाली 5 लाख की वर्तमान सीमा की तुलना में 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए बैंकों द्वारा जोर नहीं दिए जाने को अनुदेशात्मक बनाना ।
- बैंक के सहूलियत स्तर और उचित तत्परता बरते जाने के अधीन सामान्य सेवा केंद्र चलाने वालों के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति को कारोबार संपर्ककर्ताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई है ।
- पथ चित्र के मुताबिक समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रतिवेदन मानकों के अनुपालन में अपने अतः तुलन पत्र को यथा 01 अप्रैल 2013 को परिवर्तित करेंगे
- बासेल III के साथ-साथ नए वैश्विक विकासों का भी अध्ययन करके अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए तैयार रहने हेतु बैंकों को सूचित किया गया है
- वार्षिक मौद्रिक नीति की अपनी द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने आर.टी.जी.एस. लेनदेनों की आरंभिक सीमा को एक लाख से दो लाख तक बढ़ाया है ।

Changes in CRR, Repo Rate and Reverse Repo Rate during the year

	Repo	Reverse Repo	CRR
April 20, 2010	5.25 (+0.25)	3.75 (+0.25)	5.75
April 24, 2010	5.25	3.75	6.00 (+0.25)
July 2, 2010	5.50 (+0.25)	4.00 (+0.25)	6.00
July 27, 2010	5.75 (+0.25)	4.50 (+0.50)	6.00
September 16, 2010	6.00 (+0.25)	5.00 (+0.50)	6.00
November 2, 2010	6.25 (+0.25)	5.25 (+0.25)	6.00
January 25, 2011	6.50 (+0.25)	5.50 (+0.25)	6.00
March 17, 2011	6.75 (+0.25)	5.75 (+0.25)	6.00

A few other important policy measures announced during the year as under:

- Loan to value (LTV) ratio in respect of housing loans was prescribed not to exceed 80%.
- The RBI increased the risk weight for residential housing loans of ₹75 lakh and above, irrespective of the LTV ratio, to 125% and also increased the standard asset provisioning by commercial banks for all such loans to 2%.
- To mandate banks not to insist on collateral security in case of loans up to ₹10 lakh as against the present limit of ₹5 lakh extended to all units of the micro and small enterprises (MSEs) sector.
- Banks are permitted to engage any individual, including those operating Common Service Centres (CSCs), as Business Correspondents, subject to banks' comfort level and their carrying out suitable due diligence.
- As per the roadmap, all scheduled commercial banks will convert their opening balance sheet as at April 1, 2013 in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) converged IASs.
- Banks are advised to study the new global developments including Basel III and be in preparedness to meet the requirements.
- RBI, in its second quarter review of Annual Monetary Policy, increased the threshold limit for RTGS transactions from ₹1 lakh to ₹2 lakh.



- तरलता संबंधी कठिनाइयों से उभरने से के लिए एल.ए.एफ. के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके एन.डी.टी.एल. के 1% तक अतिरिक्त तरलता समर्थन को 8 अप्रैल 2011 तक बढ़ाया गया इस सुविधा के कारण एस.एल.आर. के अनुरक्षण में होनेवाली किसी प्रकार की कमी के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दंड ब्याज के अधित्याग को मात्र तदर्थ उपाय के रूप में ही मांगें
- भा.रि.बै. ने कॉर्पोरेट बंध पत्रों में रिपो निपटान को वर्तमान टी+1 और टी+2 आधार के अतिरिक्त टी+0 आधार अनुमत किया है।

वर्ष 2011-12 के लिए दृष्टिकोण

वर्ष 2011-12 के सशक्त लेकिन विषम वैश्विक वृद्धि का वर्ष होने की संभावना है। चूँकि वित्तीय बाजार सामान्य होते रहेंगे और परिवार तथा फर्म अपनी ऋण ग्रस्तता कम करते जाएंगे। वर्ष 2011-12 में उभरते हुए और विकसित आर्थिक स्थितियों में वृद्धि के धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने अपने अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण में वैश्विक वृद्धि को वर्ष 2011 को 4.4% और 2012 के लिए 4.5% पर दर्शाया है। लेकिन, तेल और तेल इतर पण्यों की अधिकता, मुद्रा स्फीति के अधिक होने की प्रत्याशा और सार्वजनिक देयता वैश्विक वृद्धि को जोखिम में डाल रहे हैं।

भारतीय अर्थ व्यवस्था से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह वि.व.12 में अपनी स्थूल आधारित वृद्धि गति को बनाए रखेगी जिसे अधिक निवेश और खपत माँग को मदद मिलती है। जी.डी.पी. वृद्धि में घरेलू माँग अहम बनी रहेगी। वित्त वर्ष के अंत तक मुद्रा स्फीति के मंद होने की संभावना है। बचत और निवेशों की मजबूत दर, अनुकूल पूँजी बाजार की परिस्थितियाँ, पूँजी प्रवाह और सकारात्मक कारोबारी दृष्टिकोण भी अर्थ व्यवस्था में वृद्धि दर बनाए रखने में मदद करेंगे। वर्ष 2011-12 में बचत और निवेशों की दरें क्रमशः 34.7% और 37.5% होने का अंदाजा है। सकारात्मक घरेलू दृष्टिकोण में सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान रहेगा और वि.व. 12 में बैंकिंग क्षेत्र निष्पादक क्षेत्रों में बना रहेगा। अधिकाधिक समाहित वृद्धि प्राप्त करने और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर फोकस करने के कारण अर्थ व्यवस्था की वृद्धि में और तेजी आएगी।

ब्याज दरों और घरेलू मुद्रा स्फीति के अधिक होने की चिंता किए बिना भारतीय अर्थ व्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। आर.बी.आई. ने अपने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण 2011 में वर्ष 2011-12 की वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि को 8% दर्शाया है जो कि अधिक मुद्रा स्फीति और अधिक ब्याज दर चक्र के कारण वि.व.11 के लिए प्राक्कलित 8.5% वृद्धि से कम है। वृद्धि और मुद्रा स्फीति के दृष्टिकोण के अनुस्रम नकद आपूर्ति (एम 3) को करीब 16% पर प्राक्कलित किया गया है। 2011-12 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समूचे जमाओं को 17% और समायोजित खाद्येतर ऋण के 19% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वार्षिक नीति का प्रयास भी मार्च 2012 तक मुद्रा स्फीति को 6% पर रोकने का प्रयास करता है।

- In order to manage liquidity constraints, additional liquidity support to scheduled commercial banks under the LAF to the extent of upto 1% of their NDTL, was extended up to April 8, 2011. For any shortfall in maintenance of the SLR arising out of availment of this facility, banks were advised to seek waiver of penal interest purely as an ad hoc measure.
- RBI has permitted the settlement of repo in corporate bonds on a T+0 basis in addition to the existing T+1 and T+2 basis.

OUTLOOK FOR 2011-12

The year 2011-12 is likely to be a year of strong but uneven global growth. As financial markets continue to normalize and households and firms reduce their indebtedness, growth is projected to gradually strengthen in the emerging and developed economies in 2011-12. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook, projected global growth at 4.4% for 2011 and 4.5% for 2012. Emerging economies will continue to lead global growth. However, uncertainties in the form of higher oil and non-oil commodity prices, high inflation expectations and public debt pose risks to global growth.

Indian economy is expected to continue its broad based growth momentum in FY12 backed by strong investment and consumption demand. Domestic demand will continue to hold the key to GDP growth. Inflation is likely to moderate towards the end of the financial year. A strong savings and investment rates, favourable capital market conditions, capital flows and positive business outlook will also help the economy to maintain its growth momentum. Savings and investment rates for 2011-12 is projected at 34.7% and 37.5% respectively. Services sector will be a major contributor in the positive domestic outlook and banking sector will continue to be among the performing sectors in FY12. Efforts to bring in more inclusive growth and focus on the rural economy would propel the growth engine of the economy further.

Notwithstanding the concerns of high interest rates and high domestic inflation, Indian economy will continue to remain one of the fastest growing economies. The RBI in its Annual Monetary Policy Statement for 2011-12 placed real GDP growth for 2011-12 at 8%, lower than the 8.5% growth estimated for FY11, primarily on account of high inflation and higher interest rate cycle. Money supply (M3) is projected at around 16% in consonance with the outlook on growth and inflation. Aggregate deposits of SCBs are projected to grow by 17% and adjusted non-food credit to grow by 19% for 2011-12. The annual policy also endeavors to contain inflation at 6% by March 2012.

III. केनरा बैंक 2010-11 में

भारत में अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते, केनरा बैंक ने वि.व. 11 में कुल कारोबार 5 लाख करोड़ रुपयों का करके एक और उपलब्धि पार करते हुए देश में व्यवस्था पूर्ण महत्वपूर्ण वित्त संस्था की हैसियत प्राप्त की। बैंक ने वि.व.11 में निवल लाभ ₹4000 करोड़ अंक पार किया। 2010-11 के दौरान 200 से अधिक शाखाएं और 199 ए.टी.एम. खोलकर बैंक ने अपने घरेलू परिचालन को विस्तारित किया है।

III. CANARA BANK IN 2010-11


As one of the leading commercial banks in India, Canara Bank in FY11 surpassed yet another milestone of ₹ 5 lakh crore in total business, to attain the Status of the Systemically Important Financial Institution in the country. The Bank's Net Profit crossed ₹4000 crore mark for FY11. The Bank also expanded its domestic operations by opening more than 200 branches and 199 ATMs during 2010-11.

वित्तीय निष्पादन

केनरा बैंक के लिए 2010-11 कारोबार, लाभ और लाभदायकता के क्षेत्रों में अत्यधिक कार्यनिष्पादन का वर्ष रहा।

कुल निवल लाभ ₹4026 करोड़ पार करके वर्षानुवर्ष वृद्धि में 33.2% बढ़त दिखाई है जो पिछले वर्ष के दौरान रिकार्ड किए गए 3021 करोड़ रुपयों से बहुत अधिक है। परिचालनात्मक लाभ ने 20.7% वृद्धि दर्ज करके ₹6107 करोड़ स्तर तक पहुंचा। वर्ष में औसत आस्तियों से 1.42% प्रतिफल प्राप्त हुआ। पिछले वित्त वर्ष में ₹7.35 लाख की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ 9.76 लाख बढ़ा।

Operating and Net Profit (₹. in Crore)



For Canara Bank, 2010-11 was a year of robust performance on the business, profits and profitability fronts.

Net profit reached an all time high of ₹4026 crore, signifying a strong 33.2% growth y-o-y and substantially higher than ₹3021 crore recorded during the preceding year. Operating profit recorded a 20.7% growth to reach a level of ₹6107 crore. Return on average assets (RoAA) for the year improved to 1.42%. Profit per employee, moved up to ₹9.76 lakh compared to ₹7.35 lakh in the previous financial year.


2010-11 के लिए 110% लाभांश

शेयर धारक के मूल्य में वृद्धि :

बैंक ने प्रति शेयर अर्जन और बही मूल्य में स्थिर वृद्धि दर्शाई है। पिछले वित्त वर्ष के 305.83 रुपयों की तुलना में यथा मार्च 2011 को 405 रुपए तक बढ़े, प्रति शेयर अर्जन पिछले वर्ष के 73.69 रुपयों की तुलना में यथा मार्च 2011 को 97.83 रुपयों तक बढ़े। वर्ष दर वर्ष शेयर धारकों के बढ़ते हुए मूल्यों के परिपेक्ष में, वर्ष 2010-11 के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा वर्ष 2009-10 के 100% की तुलना में 110% लाभांश प्रदान करने की सिफारिश की है।

Dividend of 110% for 2010-11

Dividend and Earnings Per Share (in ₹)



Enhancing Shareholder Value:

The Bank showed steady improvement in Earnings Per Share (EPS) and Book Value. While Book Value increased to ₹405 as at March 2011 as compared to ₹305.83 for the previous financial, EPS rose to ₹97.83 as at March 2011 compared to ₹73.69 a year ago. Ensuring increased value for the shareholders year after year, the Bank's Board of Directors recommended a dividend of 110% for 2010-11 compared to 100% last year.

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2010	मार्च 2011
निधि लागत	5.65	5.37
निधि से प्रतिफल	8.10	8.13
जमा राशियों की लागत	6.12	5.80
अग्रिम का प्रतिफल	9.81	9.73
निवेश का प्रतिफल	7.52	7.72
औसत कार्य निधि के लिए स्प्रेड % के रूप में (एडव्युएफ)	2.45	2.76
निवल ब्याज मार्जिन	2.80	3.12
औसत कार्य निधि के लिए परिचालन व्यय	1.50	1.56
औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आर ओओ ए)	1.30	1.42
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	26.76	28.26
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ों में)	9.83	12.28
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में)	7.35	9.76
बही मूल्य (₹)	305.83	405
प्रति शेयर अर्जन (₹)	73.69	97.83

ए डव्युएफ - औसत कार्यशील निधि

Key Financial Ratios (%)	March 2010	March 2011
Cost of Funds	5.65	5.37
Yield on Funds	8.10	8.13
Cost of Deposits	6.12	5.80
Yield on Advances	9.81	9.73
Yield on Investments	7.52	7.72
Spread as a % to AWF	2.45	2.76
Net Interest Margin (NIM)	2.80	3.12
Operating Expenses to AWF	1.50	1.56
Return on Avg. Assets (RoAA)	1.30	1.42
Return on Avg. Networth	26.76	28.26
Business per Employee (₹ in Crore)	9.83	12.28
Profit per Employee (₹ in Lakh)	7.35	9.76
Book Value (₹)	305.83	405
Earnings per Share (₹)	73.69	97.83

AWF - Average Working Funds


आय - व्यय विश्लेषण

बैंक की ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹18752 करोड़ की तुलना में वर्षान्वर्ष 23% वृद्धि करते हुए ₹23064 करोड़ की वृद्धि दर्ज। ब्याजेतर आय बढ़ते हुए ₹2703 करोड़ की हो गई है।

ब्याज दरों में बढ़त के बावजूद भी, बैंक जमा लागत को पिछले वर्ष की 6.12% की तुलना में 5.80% तक 32 आधार बिंदुओं तक कम कर सका जबकि अग्रिमों के प्रतिफल को 9.73% बनाया रखा गया। ब्याज अंतर यथा मार्च 2010 को 2.45% से 2.76% बढ़ा।

16.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ब्याज व्यय ₹15241 करोड़ बढ़ा जबकि बैंक का परिचालनात्मक व्यय 27.1% बढ़कर ₹4419 करोड़ तक बढ़े। उल्लेखनीय है, बैंक की निवल ब्याज आय 37.7% की अच्छी वृद्धि दर्शाकर ₹7823 करोड़ स्मयों तक पहुँची और निवल ब्याज मार्जिन यथा मार्च 2010 की 2.80% की तुलना में 32 बी.पी.एस. से 3.12% बढ़ा।

Composition of Income (2010-11)




Income and Expenditure Analysis

The Bank's interest income recorded a y-o-y growth of 23% to reach ₹23064 crore compared to ₹18752 crore recorded during the previous financial year. Non-interest income increased to ₹2703 crore.

Despite increase in interest rates, the Bank could reduce the cost of deposits by 32 bps to 5.80% compared to 6.12% a year ago, while yield on advances maintained at 9.73%. Interest spread increased to 2.76% from 2.45% as at March 2010.

Composition of Expenditure (2010-11)



While interest expenditure increased to ₹15241 crore with a y-o-y growth of 16.6%, the Bank's operating expenses increased by 27.1% to reach ₹4419 crore. Notably, the net interest income of the Bank registered a good 37.7% growth to reach ₹7823 crore and Net Interest Margin (NIM) improved by 32 bps to 3.12% compared to 2.80% as at March 2010.

पूँजी तथा आरक्षितियाँ

यथा मार्च 2010 की निवल मालियत ₹12539 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2011 की निवल मालियत ₹17941 करोड़ बनी है। प्रदत्त पूँजी पिछले साल के ₹410 करोड़ से ₹443 करोड़ तक बढ़ने के साथ आरक्षितियाँ और अधिशेष ₹19597 करोड़ बढ़े हैं। पूँजी स्रोतों को जुटाने के लिए, बैंक ने उच्च टायर II बॉण्डों के जरिए ₹1000 तथा नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखितों के जरिए वर्ष के दौरान ₹749.3 करोड़ जुटाए। पहली बार बैंक ने योग्यता प्राप्त संस्थागत स्थापन मार्ग द्वारा 1993.2 करोड़ रुपये की ईक्विटी पूँजी जुटाए। उसके बाद बैंक में सरकारी शेयर धारण यथा मार्च 2010 के 73.17% से यथा मार्च 2011 को 67.72% घट गया।

(राशि ₹करोड़ों में)

पूँजी का सम्मिश्रण	मार्च 2010 बेसल II	मार्च 2011 बेसल II
लोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	150623	176136
टायर I पूँजी	12870	19139
सीआरएआर (%) (टायर I)	8.54	10.87
टायर II पूँजी	7362	7956
सी आर ए आर % (टायर II)	4.89	4.51
कुल पूँजी	20232	27095
सीआरएआर (%)	13.43	15.38


यथा मार्च 2011 को बैंक का पूँजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सी आर ए आर) बेसल II के तहत 15.38% रहा, जो कि रेगुलेटरी बेंचमार्क के 10.87% से अधिक रहा। कारोबार में वृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए टायर I और टायर II के जरिए पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास अब भी गुंजाइश है।

कारोबार संवृद्धि

कारोबार मात्रा ₹5 लाख करोड़ के पार

जमाएँ

पिछले वर्ष 234651 करोड़ रुपये की तुलना में यथा मार्च 2011 को बैंक के कुल जमाएँ 25.3% वृद्धि दर्ज करके 293973 करोड़ तक पहुँची। बैंक के कासा जमाएँ 21.8% बढ़कर यथा मार्च 2011 को 83117 करोड़ रुपये तक पहुँचे। बचत जमाएँ वर्षानुवर्ष 17.5% बढ़कर 58617 करोड़ हुए। वि.व. 11 के दौरान बैंक ने 24 लाख बचत बैंक ग्राहकों को जोड़ा। वि.व. 11 के दौरान बचत जमाएँ जुटाने के लिए बैंक ने "सेविंग महोत्सव" आयोजित किया जिससे 16 लाख से अधिक नए बचत बैंक ग्राहक जुड़े।



Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2011 increased to ₹17941 crore compared to ₹12539 crore as at March 2010. While total paid-up capital of the Bank increased to ₹443 crore from ₹410 crore last year, reserves and surplus increased to ₹19597 crore. To augment the capital resources, the Bank raised upper Tier II bonds to the extent of ₹1000 crore and ₹749.3 crore under Innovative Perpetual Debt Instrument. For the first time, the Bank raised equity capital through Qualified Institutional Placement (QIP) route for ₹1993.2 crore. Post QIP, Government Shareholding in the Bank came down from 73.17% at March 2010 to 67.72% as at March 2011.

(Amt. in ₹Crore)

Composition of Capital	March 2010 Basel II	March 2011 Basel II
Risk Weighted Assets	150623	176136
Tier I Capital	12870	19139
CRAR (%) (Tier I)	8.54	10.87
Tier II Capital	7362	7956
CRAR (%) (Tier II)	4.89	4.51
Total Capital	20232	27095
CRAR (%)	13.43	15.38

As at March 2011, Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank under Basel II significantly improved to 15.38%, with a Tier I capital ratio of 10.87%. The Bank has still adequate headroom available under both Tier-I and Tier-II options to raise capital to support business growth momentum.

BUSINESS GROWTH

Business Volumes Cross ₹5 lakh Crore

Deposits

Total Deposits of the Bank registered a growth of 25.3% to reach ₹293973 crore as at March 2011 compared to ₹234651 crore a year ago. The Bank's CASA deposits grew by 21.8% to reach ₹83117 crore as at March 2011. Savings deposits rose by 17.5% y.o.y to ₹58617 crore. The Bank opened over 24 lakhs SB clientele during FY11. During FY11, the Bank had launched a nationwide 'Savings Mahotsav' campaign to


mobilize SB deposits, resulting in fresh addition of over 16 lakhs SB clientele.

प्रति शाखा ₹25.52 करोड़ के कासा के साथ बैंक समकक्ष बैंकों में सर्वोत्तम बना रहा। जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, सभी शाखाओं ने कुल ₹64 लाख जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 3.42 करोड़ तक पहुंच गयी।

With a CASA per branch at ₹25.52 crore, the Bank continues to be one of the best among the peers. Pursuing a strategy of broad basing deposit clientele, all the branches together opened over 64 lakhs deposit accounts, taking the total tally under deposit accounts to 3.42 crore.

अग्रिम (निवल)

बैंक का निवल अग्रिम वर्ष 2010-11 में 25.5% की विशाल वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹ 169335 करोड़ की तुलना में ₹2,12,467 करोड़ पर पहुंचा। मात्रा के संदर्भ में, ऋण में बढ़ोतरी रु 43,000 करोड़ से अधिक की हुई। बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक घटकों जैसे कृषि, सुक्ष्म, मध्यम व लघु उद्यमों, कॉर्पोरेट और संरचना में ऋण को बढ़ाया है। यथा मार्च 2011 तक उधार खातों की संख्या 45 लाख हो गयी।



Advances (Net)


During FY11, the Bank's net advances witnessed a robust 25.5% growth to reach ₹2,12,467 crore compared to ₹1,69,335 crore a year ago. In quantum terms, credit increased by over ₹43,000 crore during the year. The Bank's diversified credit portfolio include all productive segments of the economy like agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), exposure to corporate and infrastructure segments. As at March 2011, the number of borrowal accounts stood at 45 lakhs.

कुल कारोबार में गत तीन वर्षों में 25% वृद्धि

बैंक ने गत तीन वित्त वर्षों में 25% चक्रवृद्धित वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की। 2011 के दौरान बैंक का कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹4,03,986 करोड़ की तुलना में 25.4% अत्यधिक वृद्धि दर्ज करके ₹5,06,440 करोड़ तक पहुंचा। प्रति कर्मचारी कारोबार द्वारा मापी जानेवाली उत्पादकता पिछले वर्ष के ₹9.83 करोड़ की तुलना में ₹12.28 करोड़ तक बढ़ी जिससे बैंक समकक्ष बैंकों में उत्तम बना रहा।

वर्ष के दौरान बैंक का ग्राहक आधार 3.87 करोड़ तक बढ़ा।

25% Growth in Total Business for last 3 Years




The Bank has recorded a Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of 25% for the last 3 financial years. During 2010-11, the total business of the Bank grew by a robust 25.4% to reach ₹5,06,440 crore as against ₹4,03,986 crore during the previous financial. Productivity, as measured by business per employee, increased to ₹12.28 crore from ₹9.83 crore a year ago, continuing to be one of the best among the peers.

During the year, the Bank's clientele base increased to 3.87 crore.

खुदरा उधार परिचालन:

बैंक के खुदरा ऋण परिचालन 32% मजबूत प्रतिशतता दर्ज करके यथा मार्च 2011 को ₹31572 करोड़ तक पहुंचा जो कि घरेलू ऋण का 15.52% है। खुदरा ऋण वितरण ₹13826 करोड़ रहा। बकाया आवास ऋण संविभाग ₹15219 करोड़ बढ़े जो कुल खुदरा ऋण संविभाग का 48% है।



Retail Lending Operations

Retail lending operations of the Bank registered a strong 32% to reach ₹31572 crore as at March 2011, accounting for 15.52% of the domestic credit. The disbursements under the retail lending stood at ₹13826 crore. The outstanding housing loan portfolio increased to ₹15219 crore, constituting 48% of the total retail lending portfolio.

(राशि ₹ करोड़ों में)

खुदरा उधार	मार्च 2010	मार्च 2011	वृद्धि %
खुदरा उधार	23902	31572	32.1
आवास (प्रत्यक्ष)	10116	15219	50.4
खुदरा ट्रेड	5383	6313	17.3
अन्य व्यक्तिगत (शैक्षिक ऋण सहित)	8403	10040	19.5

बैंक ने खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय अपनाये हैं। प्रस्तावों के शीघ्र निपटान एवं ऋण त्वरित गति से प्रदान करने के लिए, कुल 25 केंद्रीय प्रोसेसीकरण ईकाईयां और 16 खुदरा आस्ति केन्द्र देश की बड़े केंद्रों पर गृह व व्यक्तिगत ऋणों के लिए कार्यरत हैं।

कोषीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन:

यथा मार्च 2011 को बैंक का समग्र निवेश ₹83700 करोड़ रहा। पोर्टफोलियो संशोधित अवधि (वर्ष) पिछले वर्ष के 4.95 से यथा मार्च 2011 को 4.75 तक घट गया। अल्प दिनांकित प्रतिभूतियों के छुड़ाने और मध्यम और दीर्घ दिनांकित प्रतिभूतियों में नए सिरों से निवेश करने के कारण बिकवाली के लिए उपलब्ध संशोधित अवधि यथा मार्च 2010 की 1.93 से बढ़ कर यथा मार्च 2011 को 2.23 हुई। वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ 293 करोड़ था। निवेशों पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 7.52% की तुलना में यथा मार्च 2011 को 7.72% तक बढ़ा।

सरकारी प्रतिभूतियों में बड़े व्यापारी के स्तर में बैंक सक्रिय भाग लेता रहा है। वर्ष के लिए हमीदारी वचन बद्धताओं की कुल राशि ₹33216 करोड़ थी। प्रधान व्यापारी के स्तर में वर्ष के दौरान बैंक ने 40% अद्यादेशी प्रतिशतता की तुलना में 55% से अधिक सफलता अनुपात हासिल किया।

यथा 31 मार्च 2011 को बैंक का समग्र विदेशी कारोबार पण्यवर्त ₹1,24,094 करोड़ समूचे रहा जिसमें ₹45,658 करोड़ निर्यात और प्रेषणों के तहत ₹38,820 करोड़ और निर्यातों में 39,616 करोड़ रहे। बैंक का बकाया निर्यात ऋण 17% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹10489 करोड़ रहा।

यथा मार्च 2011 को विदेशों में बैंक का अस्तित्व लंदन, होंग कोंग, लिसैस्टर (यू.के.) और शैंगहाई में एक-एक शाखा के साथ कुल चार शाखाओं में रहा। लीसेस्टर शाखा 12 अप्रैल 2010 को और शारजाह में प्रतिनिधि कार्यालय 20 जून 2010 को खोला गया। मास्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (एल.एल.सी.) के नाम से संयुक्त वेंचर बैंक के अलावा भारतीय स्टेट बैंक के साथ परिचालन कर रहा है।

वर्ष के दौरान समस्त विदेशी शाखाओं ने संवर्धित कारोबार कार्यानिष्पादन दर्ज किया। वि. व. मार्च 2011 के अंत तक, विदेशों में कार्यरत 4 साखों का कुल कारोबार 4376 मिलियन अमेरिकन डालर रहा।

(Amt. in ₹Crore)

Retail Lending	March 2010	March 2011	Growth (%)
Retail Lending	23902	31572	32.1
Housing Loans	10116	15219	50.4
Retail Trade	5383	6313	17.3
Other Personal (Incl. Education Loan)	8403	10040	19.5

The Bank took several measures during the year to expand retail credit. To facilitate speedy disposal of proposals and credit flow, a total of 25 Centralized Processing Units (CPU) and 16 Retail Assets Hubs (RAH) for housing and other retail loans are functioning at major centres across the country.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

Aggregate investments of the Bank, as at March 2011, were of the order of ₹83700 crore. Portfolio modified duration (years) came down to 4.75 as at March 2011 from 4.95 a year ago. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has increased from 1.93 as at March 2010 to 2.23 as at March 2011 due to redemption of short dated securities and fresh investments made in medium and long dated securities. The trading profit for the year was ₹293 crore. The yield on investments improved to 7.72% as at March 2011 as compared to 7.52% a year ago.

The Bank continues to be an active player in government securities as a primary dealer. The total amount of underwriting commitments for the year was ₹33216 crore. During the year, the Bank achieved over 55% success ratio as against mandatory 40% of its obligation as a Primary Dealer.

Foreign Business Turnover of the Bank, as at 31st March 2011, aggregated to ₹1,24,094 crore, comprising ₹45,658 crore under exports, ₹39,616 crore under imports and ₹38,820 crore under remittances. Outstanding export credit of the Bank was ₹10489 crore, with a y-o-y growth of 17%.

The Bank's overseas presence covered four branches one each at London, Hong Kong, Leicester (UK) and Shanghai as at March 2011. Leicester branch was opened on 12th April 2010 and the Representative Office at Sharjah was opened on 20th June 2010. Besides, a joint venture bank, namely, Commercial Bank of India LLC in Moscow is also operational in association with State Bank of India.

All overseas branches recorded improved business performance during the year. Total business of these 4 overseas branches aggregated to US \$ 4376 million for the financial year ending March 2011.



विदेशी आस्ति विस्तारण को निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अप्रतिभूत बंध पत्र जारी करके बैंक ने लंदन शाखा के जरिए 350 मिलियन अमेरिकी डोलर मुद्रा निधियाँ एकत्रित किए। ये बंध पत्र मध्यम अवधि नोट कार्यक्रम के तहत सिंगपुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

मनामा(बहरेन), कतर, जोहनेजबर्ग(दक्षिण आफ्रिका), फ्रांक फुर्ट (जर्मनी), न्यू यॉर्क(यू.एस.ए.), सावो पौलो(ब्राजील), दार-ई-सलाम (तानजानिया) और टोकियो(जापान) में 8 अन्य अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों में विस्तारण के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया। बैंक ने श्रीलंका, केनिया और नैजीरिया में शाखाएं खोलने के प्रयास में उन देशों में सर्वेक्षण आयोजित किया।

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को 382 संपर्ककर्ता बैंकों के विस्तृत तंत्र का अच्छा समर्थन मिल रहा है जो 80 देशों में फैले हुए हैं। इस बैंक ने अस्थाई अनिवासियों के सहज धनप्रेषण हेतु मध्य पूर्व के 22 विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों सहित 17 मध्य पूर्वी बैंकों से रुपये आहरण की व्यवस्था की है। यह बैंक क्रमशः अन्यत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति एवं प्रबंधन करार के अधीन दो विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों, यानि अल रजौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज कम्पनी, दुबई और ईस्टर्न एक्सचेंज इस्टैबलिशमेंट, कतर का प्रबंधन कर रहा है। बैंक ने वर्ष के दौरान मुद्रा विप्रेषण के अधीन वेब आधारित उत्पाद का विस्तार 18 एक्सचेंज कम्पनियों / बैंकों तथा 4 विदेश शाखाओं जैसे लंदन, लीसेस्टर, शांगहाई और होंग कोंग में किया है। वर्ष के दौरान यू.ए.ई. में पाँच और एक्सचेंज गृहों के साथ प्रेषण प्रबंध के लिए आर.बी.आई. का अनुमोदन प्राप्त किया। अमेरिका में बैंकों पर अनिवासी भारतीयों द्वारा आहरित चेकों की शीघ्र वसूली के लिए उसने लॉक बॉक्स सेवा भी आरंभ की। अमेरिका में अनिवासी भारतीयों के लिए रेमिट वर्ल्ड वाइड नामक एक और प्रेषण उत्पाद तैयार हो रहा है और शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

अन्य सेवाएं

2010-11 के दौरान बैंक के व्यापार बैंकिंग विभाग ने प्रबंध कर्ताओं के स्तर में भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पूँजीगत लाभ, बंध पत्रों के जारी किए जाने का काम संभाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकार और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पूँजीगत लाभ, बंध पत्र जारी करने से व्यापार बैंकिंग विभागों द्वारा एकत्रित की गई राशि ₹120 करोड़ थी। सेबी मार्गनिर्देशों के मुताबिक ₹500 करोड़ स्तरों के टायर। बाण्ड और ₹1000 करोड़ स्तरों के अपर टायर। श्रृंखला जारी करने के मामले में प्रकटन प्रलेख तैयार / संकलित करने के काम को भी विभाग द्वारा संभाला गया। अवधि के दौरान इसने ईक्विटी के उचित मूल्यांकन के 5 विशेषीकृत समानुदेशनों और एस्करो बैंकर / वसूलीकर्ता बैंकरों के स्तर में इश्यूकर्ता बैंकर के स्तर में काम किया जिसमें ₹3034 करोड़ स्तरों की अस्थाई निधियाँ हैं। विभाग ने अवरुद्ध राशि समर्थित आवेदन के कार्यान्वयन को आरंभ किया जो सेबी मार्गनिर्देशों के मुताबिक 01 सितंबर 2010 से सार्वजनिक / राइट इश्यू आवेदित करने की आपूर्क प्रक्रिया है। आज तक देश भर में ए.एस.बी.ए. सुविधा के लिए 152 शाखाओं को नामोद्दिष्ट किया गया है।

To fund overseas assets expansion, the Bank raised foreign currency funds of USD 350 million through London branch by issuing senior unsecured bonds listed in Singapore Stock Exchange under Medium Term Notes Programme.

The Bank has approval from RBI for expansion in 8 other international centres viz., Manama (Bahrain), Qatar, Johannesburg (South Africa), Frankfurt (Germany), New York (USA), Sao Paulo (Brazil), Dar-es-Salaam (Tanzania) and Tokyo (Japan). The Bank has conducted survey in Sri Lanka, Kenya and Nigeria to explore opening of branches in these countries.

The Bank's international operations are well supported by a wide network of 382 Correspondent Banks, spread across 80 countries. The Bank has rupee drawing arrangements with 22 exchange houses and 17 banks in the Middle East for channelising the remittances of expatriates. The Bank has been managing two exchange houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar, under secondment and management agreement respectively. The Bank, during the year, expanded its arrangement under 'Remit Money', a web based product by extending to 18 Exchange Companies/Banks and 4 branches abroad viz., London, Leicester, Shanghai and Hong Kong. During the year, the Bank obtained approval from RBI for remittance arrangements with 5 more Exchange Houses in UAE. It also introduced 'Lock Box' Service for quick collection of cheques drawn by NRIs on Banks in the USA. One more Remittance Product 'Remit Worldwide' for NRIs in the USA is on the cards and will be introduced shortly.

OTHER SERVICES

During 2010-11, **Merchant Banking Division** of the Bank handled Private Placement of Capital Gain Bond Issues in respect of National Highways Authority of India (NHAI) and Rural Electrification Corporation Ltd., (REC) as Arrangers. Amount mobilized by Merchant Banking Division in respect of Capital Gain Bonds Issue of NHAI and REC was ₹120 crore. The Bank's Tier I Bonds Issue (IPDI) amounting to ₹500 crore and Upper Tier II series III bonds issue amounting to ₹1000 crore was also dealt by the Division in preparing/compiling the Disclosure Documents in terms of SEBI guidelines. During the period, it handled 5 specialized assignments of 'Fair Valuation of Equity' and 8 'Bankers to an Issue' assignments as Escrow Bankers/ Collecting Bankers with total float funds, amounting to ₹3034 crore. The Division facilitated implementation of Application Supported by Blocked Amount (ASBA), a supplementary process of applying for Public/Rights issues with effect from 1st September 2010 as per SEBI guidelines. As on date, 152 branches across the country have been designated for ASBA facility.



वर्ष के दौरान **सिंडिकेशन ग्रुप** ने ₹9604 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजनाओं को संभाला जिनमें ₹5240 करोड़ कुल बकाया है। ग्रुप ने सिंडिकेशन परिचालनों से बड़े पैमाने पर शुल्क आधारित आय प्रजनित की और इस्पात, बिजली, होटल, सड़क, बस अड्डे और चीनी जैसे विभिन्न विभागों में परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रबंधन किया।

बैंक एश्युरेंस विभाग के अंतर्गत बैंक का जीवन और जीवनेतर बीमा दोनों विभागों से गठ-जोड़ प्रबंध है। केनरा -एच.एस.बी.सी. ऑरिएंटल बैंक ऑफ कोमर्स जीवन बीमा कंपनी से कमीशन आय ₹51 करोड़ अर्जित की है। प्रति विक्रय उत्पादों के लिए मेसर्स केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के साथ बैंक का गठ-जोड़ है और बैंक ने 3.4 करोड़ रूपयों का निवल दलाली अर्जित की।

बैंक ने मे. युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कम्पनी लि. से सामान्य बीमा व्यवसाय हेतु गठजोड़ किया है और परिणामस्वरूप इस वर्ष ₹11 करोड़ कमीशन आय कमायी। बैंक ने पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से निर्यात नीतियों के विपणन हेतु मे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से कारपोरेट एजेंसी करार किया है।

बैंक के **कारपोरेट नकद प्रबंधन सेवा (सीसीएमएस) का विस्तार** 94 प्रचालन केंद्रों तथा 595 एकत्रीकरण शाखाओं के नेट वर्क से बैंक, जो स्थानीय तथा सुदूर के चेकों का संग्रहण, अधिक संख्या के चेकों का संग्रहण तथा निश्शेष खाता की सुविधा से संबंधित सेवा देता है। इस सेवा से इस वर्ष सकल पण्यवर्त ₹979 करोड़ रहा।

इस बैंक ने **कार्ड कारोबार** के अधीन क्रेडिट और डेबिट-कम-एटीएम कार्ड का आधार बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है। यथा मार्च 2011 को बैंक का कुल डेबिट कार्ड संख्या ₹59.69 लाख बढ़ी और वर्ष के दौरान कार्ड कारोबार में ₹21.4 करोड़ रूपयों का लाभ हुआ।

बैंक **54 निक्षेपागार सेवा केंद्रों** के साथ देश के 36 केन्द्रों में निक्षेपागार सेवाएँ दे रहा है। बैंक मे केनरा बैंक सिक्युरिटीज लिमिटेड, मुंबई नाम के दलाली अनुषंगी के जरिए डी.पी. ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

निष्पादक, न्यासी और कराधान जैसी बैंक की इकाइयाँ डिबेंचर / प्रतिभूति न्यासिता, वसीयतनामा एवं निष्पादक, न्यासिता, व्यक्तिगत कर सहायक तथा मुख्तारनामा सेवाएँ दे रही हैं। इस समीक्षा वर्ष में इसने ₹3286 करोड़ के 7 नए डिबेंचर / प्रतिभूति न्यासिता इशु प्राप्त कर ₹2.3 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की।

सरकारी कारोबार के अधीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, विभिन्न विभागों को पेंशन का भुगतान, मंत्रालय के खाताओं का संचालन, डाक लेन-देन तथा ट्रेजरी, वरिष्ठ नागरिकों का जमा संग्रहण, लोक भविष्य निधि योजना तथा भारि बैंक एवं सरकारी बॉन्ड की बिक्री से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹55 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

The **Syndication Group** handled projects involving cost of ₹9604 crore during the year, with a total debt size of ₹5240 crore. The Group has generated substantial fee based income from syndication operations and arranged funds for projects in diverse segments like Steel, Power, Hotel, Road, Bus Terminal and Sugar.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its '**bancassurance**' arm. The Bank earned a commission income of ₹51 crore from Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. The Bank has tie up with M/s Canara Robeco Mutual Fund for cross selling of mutual fund products business and earned net brokerage of ₹3.4 crore.

The Bank's tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL) for general insurance business has resulted in a commission income of around ₹11 crore during the year. The Bank has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing export policies through its branches across India.

Corporate Cash Management Services (CCMS) network of the Bank, covering 94 Operating Centres and 595 Pooling Branches, provides services related to local and upcountry cheque collection, bulk cheques collection and zero balance account facility. The aggregate turnover under CCMS amounted to ₹979 crore during the year.

Under **Card Business**, the Bank took several initiatives to expand credit and debit-cum-ATM card base. The total debit card base of the Bank increased to 59.69 lakhs as at March 2011. Profit under card business during the year was at ₹21.4 crore.

The Bank offers its depository services from **54 DP Service Centres** spread across 36 centres in the country. The Bank is extending Online Trading Facility to DP clients through its own broking subsidiary M/s. Canara Bank Securities Limited, Mumbai.

Executor, Trustee and Taxation Services outfit of the Bank provides services like Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. It secured 7 new debenture/security trusteeship issues, amounting to ₹3286 crore and generated fee-based income of ₹2.3 crore during the year.

Under **Government Business**, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions to various departments, handling Ministry Accounts, Postal Transactions and Treasury, collection of Senior Citizen's Deposit, Public Provident Fund Scheme and issue of relief/savings bonds of RBI and Government of India, the Bank earned income to the extent of ₹55 crore during the year.



बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है जिसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग कार्यरत है। बैंक ने मानव संसाधन विकास विभाग के लिए वेब-पोर्टल विकसित किया है जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान योजना की निधियों का ई-ट्रैकिंग किया जा रहा है। जम्मू -कश्मीर, उत्तर प्रदेश और छत्तीस गढ़ राज्यों को छोड़कर बैंक ने सारे राज्यों में वेब पोर्टल को अमल किया। उन राज्यों में शीघ्र ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक ने महाराष्ट्र, तमिल नाडु और कर्नाटक राज्यों में विक्रय / वाणिज्य करों का ई-भुगतान अमल किया।

यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए अधिग्रहण बैंकरों के रूप में बैंक को प्राधिकृत किया गया। बैंक को भारत में बहु प्रयोजनकारी राष्ट्रीय पहचान पत्र (यू.आई.डी.) अमल करने के लिए बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। फरवरी 2010 में यू.आई.डी.ए. स्थापित किया गया। अब यह परियोजना 8 केन्द्रों में अमल की गई है और उन केन्द्रों में बैंक की शाखाएं यू.आई.डी.ए. खातों को संभालने के लिए कार्यान्वयन शाखाओं के रूप में नामोद्दिष्ट की गई हैं।

बैंक ने बेंगलूर नगर की 5 शाखाओं तथा कर्नाटक राज्य के 26 जिला मुख्यालय स्थित शाखाओं में **ई-स्टाम्पिंग** परियोजना शुरू की है और यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

कृषि परामर्शी सेवाएँ (एसीएस) इस बैंक की वह इकाई है जिसने इस समीक्षा वर्ष में करीब 1363 करोड़ रूपए के 138 परियोजनाओं को अपनी सेवाएँ दीं। नियमित परियोजनाओं के अलावा उसने विशेष परियोजनाओं को भी संभाला है, इनमें कृषि और खाद्य जड़ी-बूटियों का निर्यात, औषधीय पौधों की खेती-बाड़ी और जड़ी-बूटियों का उत्पादन, धान के मिल, फलों और साख सब्जियों की सेंद्रीय खेती-बाड़ी, केले का टिप्पू कल्चर, डेरी और पिंड अंतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से सिल्वी कल्चर, चंदन, खाद्य प्रोसेसीकरण, पनीर बनाना और झींका प्रोसेसीकरण और निर्यात शामिल है।

वर्ष के दौरान विशेष अध्ययन भी आयोजित किए गए जिनमें वित्त पोषण के लिए कृषि और संबंधित क्रियाकलापों में समूहों को शिनाख्त करना, धर्मपुरी में तमिलनाडु मेगा फुड पार्क के मौके का रिपोर्ट और उच्च तकनीकी कृषि परियोजना मूल्यांकन पर कृषि विस्तार अधिआरियों का प्रशिक्षण आदि शामिल है।

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), handling Department of School Education and Literacy, Department of Higher education, Department of Arts – Archeological Survey of India, Ministry of Culture and Ministry of Youth Affairs and Sports. The Bank has developed a Web-Portal for Ministry of HRD for e-tracking of funds under the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Scheme. The Bank has implemented the web portal in all the States except Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Chattisgarh, wherein the facilities will be implemented shortly. The Bank has implemented the e-payment of sales tax/ commercial tax in the states of Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka.

The Bank is authorized as the accredited Bankers for **Unique Identification Authority of India (UIDAI)**, New Delhi. The UIDAI was established in February 2010, as an agency of Government of India responsible for implementing the Multipurpose National Identity Card or Unique Identification Card (UID Card) project in India. The project is implemented in 8 centres at present and the Bank's branches at these centres have been designated as the deal branches for handling the UIDAI accounts.

The Bank introduced **e-stamping** project in 5 branches in Bangalore and at other 26 branches situated in the District Head Quarters in the State of Karnataka, the project is under implementation.

Agricultural Consultancy Services (ACS) outfit of the Bank handled 138 assignments during the year under review with the total outlay of the assignments at over ₹1363 crore. Apart from the regular assignments, the outfit handled special projects. These projects include cultivation and export of culinary herbs, cultivation of medicinal plants and manufacturing herbal products, rice mill project, organic farming of fruits and vegetables, tissue culture of banana, dairy farming and development through embryo transfer technology, silvi culture – sandalwood cultivation, food processing, cheese manufacturing and prawn processing and exports.

Special studies and trainings were also conducted during the year, which includes, study on identification of clusters in agriculture and allied activities for finance, report on scope of Tamil Nadu mega foodpark at Dharmapuri and Agriculture Extension Officers' training on project appraisal of hi-tech agriculture.

आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन

**₹2032 करोड़ - अब तक की
सर्वाधिक नकद वसूली //**

आस्ति गुणवत्ता

उद्योग और आर्थिक स्थिति के अनुरूप बैंक का सकल एन पी ए ₹3089 करोड़ पहुँच गया। इसके बावजूद, बैंक ने गत वर्ष के अपने सकल एन पी ए अनुपात 1.52% को इस वर्ष 1.45% पर रोका। बैंक का सकल एन पी ए अनुपात अन्य महत्वपूर्ण बैंकों से कम रहा। ₹2347 करोड़ निवल एन पी ए स्तर के साथ यथा मार्च 2011 में इसका अनुपात 1.11% रहा यथा मार्च 2011 को प्रावधान प्रावरण अनुपात 72.99 % रहा जो आर.बी.आई द्वारा अनुबद्ध 70% से अधिक है।

गत वर्ष के ₹1575 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक ₹2032 करोड़ की नकद वसूली हुई।

निपटान और वसूली के क्षेत्रों में बैंक का कार्यनिष्पादन उल्लेखनीय है वर्ष के दौरान सरफेसी अधिनियम के तहत ₹830 करोड़ राशि वसूल की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 9969 वसूली बैठकें आयोजित की जिसके परिणाम स्वरूप ₹351 करोड़ वसूल किए गए। इसके अलावा फिसलन रोककर अतिदेय ऋण खातों से वसूली में तेजी लाने के लिए कई पहल की। इनमें पुनर्संरचना/ पुनर्निर्धारण के लिए तनावी खातों को कर्मचारियों द्वारा शिनाख्त किया जाना, एक सामयिक निपटान के लिए शाखा स्तर पर केन अदालत और अंचल स्तर पर महा अदालत अक्सर आयोजित करना, कॉल सेंटर और ई-नीलामी के जरिए ऋण खातों में अतिदेयों का नियमित अनुवर्तन शामिल है

जोखिम प्रबंधन

**बासेल II मानदंड ; वर्तमान स्थिति
और भावि सामरिकियाँ**

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने बेसल II संरचना और भा रि बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये विश्वस्तरीय सर्वोत्तम व्यवहार प्राप्त करने के लिये एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। निदेशक मण्डल बैंक के जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रेरित करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति गठित है और वह परिचालनरत है। साख जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम प्रबंधन की शीर्ष कार्यपालक समितियाँ संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का पर्यवेक्षण करती हैं और उन पर निगरानी रखती हैं। बैंक में प्रभावी और अग्रलक्षी आ दे प्र हेतु आस्ति देयता समिति आवधिक अंतरालों में बैठक करती है।

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

**All Time High Cash Recovery
at ₹2032 crore**

Asset Quality

In tune with the industry and economic conditions, the gross NPA level of the Bank rose to ₹3089 crore during the year. Notwithstanding the above, the Bank could contain its gross NPA ratio at 1.45% compared to 1.52% in the previous year. The Bank's gross NPA ratio continues to be one of the lowest among the peers. With a net NPA level of ₹2347 crore, net NPA ratio stood at 1.11% as at March 2011. The Provision Coverage Ratio stood at 72.99% as at March 2011 which is well above the RBI stipulated 70%.

Cash recovery during the year aggregated to an all time high of ₹2032 crore, well exceeding the preceding year's cash recovery of ₹1575 crore.

The performance under settlements and recovery was quite noteworthy. During the year, recovery amounting to ₹830 crore was made under SARFAESI Act. The Bank conducted 9969 recovery meets during the year which resulted in a recovery of ₹351 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include identification of stressed accounts for restructuring/ rephasing in time, frequent conduct of Canadalats at branch level and mega adalats at Circle level for one time settlements, regular follow-up of overdues in loan accounts through call centre and e-auctions.

Risk Management

**Basel II norms: Status and
Future Strategies**

Risk Management Initiatives

The Bank has put in place a unified risk management architecture to attain global best practices for effective implementation of risk management initiatives in consistence with the Basel II framework and RBI guidelines. The Board of Directors drives the Risk Management initiatives in the Bank. The Risk Management Committee of the Board is constituted and operational. Top Executive Committees for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk Management oversee and monitor the respective risk management processes and procedures. Asset Liability Committee (ALCO) meets periodically for effective and pro-active ALM in the Bank.



प्रधान कार्यालय स्तर पर नितांत स्तर से एक विशेष जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समूचे कार्यान्वयन के लिये एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्यरत है।

निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय कार्यकलापों में बाजार जोखिम पर प्रभावी और स्वतंत्र पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु देशी और विदेशी दोनों विनिमय खजानों के एकीकृत मध्य कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। कार्पोरेट कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के विस्तृत सहायक अंग के रूप में बैंक के 34 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं।

बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियाँ लागू की हैं जिन में साख जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, आस्ति देयता, तरलत जोखिम, देश विशेष जोखिम, प्रति पक्षीय बैंक जोखिम, कार्पोरेट प्रशासन, प्रकटीकरण, समर्थक प्रबंधन, दबाव परीक्षण, अनुपालन क्रियाकलाप, घोर आपत्ति उद्धार और कारोबार निरंतरता आयोजना, कारोबार प्रकार, आउटसोर्सिंग, समूह जोखिम, विधिक जोखिम आदि संबंधी प्रबंधन नीति शामिल हैं बैंक ने अपनी समुद्र पारीय शाखाओं के लिये भी जोखिम प्रबंधन नीतियाँ स्थापित की हैं इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और उन में अपेक्षित सुधार भी लाया जाता है।

बासेल II मानदंडों में अंतरण

बैंक ने यथा 31.03.2008 बासेल II मानदण्डों को अपना लिया है। भा रि बैंक द्वारा निर्धारित नयी पूंजी पर्याप्तता के संरचनात्मक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुये बासेल II मानदण्डों की स्तम्भ। अपेक्षा के अनुसार पूंजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात का परिकलन किया जाता रहा है।

बासेल II मानदण्डों के स्तम्भ II के अंतर्गत भा रि बैंक दिशानिर्देशों के अनुस्तर बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की अपनी नीति स्थापित की है बैंक की पूंजी अपेक्षा का आंकन करने, पूंजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात के उपयुक्त स्तर बनाये रखे जाने को सुनिश्चित करने और पूंजी एकत्रित करने के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिये कार्पोरेट कार्यालय में पूंजी आयोजना समिति कार्यरत है जो आवधिक अंतरालों में बैठक करती है

बैंक बासेल II मानदण्डों के स्तम्भ 3 के अंतर्गत भा रि बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण मानदण्डों का अनुपालन करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गयी है। नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु शीर्ष कार्यपालकों की सदस्यतावाली एक प्रकटीकरण समिति भी कार्यरत है। बासेल II ढाँचे में विकसित ऋण जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम उपगम को अंतरित करने की तैयारी की दिशा में बैंक ने कदम भी उठाए हैं।

Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Integrated Mid Office of both domestic and forex treasury are functioning under the Risk Management Wing for effective and independent supervision and monitoring of Market Risk in investment and forex functions. Risk Management Sections are in place in all the 34 Zonal/Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing at the Corporate Office.

The Bank has in place various risk management policies, which include policy for management of Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Asset Liability, Liquidity Risk, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing, Group Risk, Legal Risk etc. The Bank also framed risk management policies for its overseas branches, taking into account the requirements of the respective regulators. These policies are reviewed and fine tuned annually.

Migration to Basel II Norms

The Bank transitioned to Basel II Norms as on 31.03.2008. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar 1 requirement of Basel II Norms, adhering to the New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines stipulated by the RBI.

The Bank has framed its Policy on ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in consistent with the RBI guidelines under Pillar 2 of Basel II Norms. A Capital Planning Committee is in place at the Corporate Office which meets periodically to assess capital requirement of the Bank, ensure maintenance of appropriate level of CRAR and evaluate various options for raising Capital.

The Bank adheres to the Disclosure norms as per the RBI guidelines under Pillar 3 of Basel II Norms. A Board approved Disclosure Policy is in place. A Disclosure Committee, comprising of Top Executives has been constituted to ensure adherence to the policy guidelines. The Bank also initiated steps in preparation to migrate to the advanced credit risk and operational risk approaches under the Basel II framework.



साख जोखिम प्रबंधन

नयी पूँजी पर्याप्तता संरचना के अंतर्गत अपेक्षित वर्ष 2007-08 से पूँजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात के परिकलन हेतु साख जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान हेतु बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है।

साख जोखिम प्रबंधन हेतु बैंक की प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली है बैंक द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम निम्नांकित हैं :-

- नियंत्रक मार्गनिर्देशों के अनुसार उद्योग में उत्तम आचरण के अनुसूच व्यापक साख जोखिम प्रबंधन नीति
- श्रेणीकरँ व्यवस्था के अंदर वर्गों को जोखिम आपादित करने के लिए बैंक में विनिर्दिष्ट श्रेणीकरण परिभाषाएँ, प्रक्रियाएँ और मानदंड है जिसके परिणाम स्वसूच जोखिमों में अर्थवान विभेदीकरण किया जा सकता है
- जोखिम सीमाओं के आधार पर उधार खाताओं का रेटिंग करने के लिए बैंक में ही विकसित किए गए चार साख जोखिम रेटिंग पद्धतियाँ हैं। मंजूरी पूर्व कार्य के रूप में अर्ह खातों के रेटिंग किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है। रेट किए गए खातों का आवधिक तौर पर अंतरण, विश्लेषण किया जाता है।
- बैंक मानकीकृत उपगम के तहत पूँजी को इष्टतम बनाने के लिए संबंधित उधार कर्ताओं के जोखिमों को मान्यता प्राप्त बाहरी साख रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग को इस्तेमाल कर रहा है।
- साख जोखिम रेटिंग के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है प्रवेष्ट प्रतिबंध जोखिम रेटिंग के आधार पर नियत किए जाते हैं
- उधारकर्ताओं के आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों को साख मंजूरी अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं
- जोखिम के संकेन्द्रित होने से बचने के लिए विभिन्न निवेश जोखिम हदबंदियों/ विवेकशील मानदंड जैसे इकहरा और सामूहिक उधारकर्ता, अधिक निवेश जोखिम, सावधि ऋण, अप्रतिभूत अग्रिम, विभिन्न उद्योग, बैंकिंगेतर वित्त कंपनियाँ, स्थावर संपदा क्षेत्र और पूँजी बाजार में निवेश जोखिम आदि के लिए जोखिम नियतन प्रचलन में है।
- ऋण समीक्षा और अनुप्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साख अनुप्रवर्तन और साख प्रशासन विभाग गठित किए गए।
- एकांतिक साख अनुप्रवर्तन नीति बनाई गई है। साख अनुप्रवर्तन नीति में स्थायित ऋण समीक्षा तंत्र ऋण बही का लगातार जायजा लेने के लिए कारगर उपाय बनने के लिए समीक्षा और अनुप्रवर्तन

Credit Risk Management

The Bank has adopted 'Standardized Approach' to estimate Credit Risk Weighted Assets (RWA) for computing CRAR from the year 2007-08 onwards as required under the NCAF.

The Bank has various risk management systems for managing credit risk. The various initiatives taken by the Bank are as under:

- A comprehensive Credit Risk Management Policy in tune with the regulatory guidelines and best practices in the industry.
- The Bank has in place specific rating definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades within a rating system, which results in a meaningful differentiation of risk.
- Four credit risk rating models are in place, developed internally, for rating borrowal accounts based on the exposure limits. Rating of eligible account has been made mandatory as a pre-sanction exercise. Migration analysis of rated accounts is done periodically.
- The Bank is using/ mapping the ratings assigned by recognized external credit rating agencies to the exposures of the concerned borrowers to optimize capital under a standardized approach.
- Pricing based on credit risk rating has been introduced.
- Entry barriers are fixed based on risk rating.
- Credit sanctioning powers are delegated to various authorities based on internal risk rating of the borrowers.
- To avert concentration of risk, fixation of various exposure ceiling/ prudential norms, such as, single and group borrowers, substantial exposures, term loans, unsecured advances, exposures to various industries, NBFCs, real estate sector and capital market are in vogue.
- For strengthening loan review and monitoring mechanism, Credit Monitoring and Credit Administration Wings were formed.
- An exclusive credit monitoring policy has been put in place. The loan review mechanism articulated in the credit monitoring policy covers the entire gamut of



की पूरी व्यवस्था को प्रावृरर करती है और साख लेखा परीक्षा के साथ - साथ साख प्रशासन में भी गुणवत्तात्मक सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है।

- एक करोड रुपए और उससे अधिक के सारे उधार खातों की बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षाओं द्वारा साख लेखा परीक्षा पद्धति अपनाई जाती है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारिबै द्वारा अनुबध्द "बेसिक इंडिकेटर एप्रोच" को अपनाते हुए परिचालन जोखिम हेतु पूँजी प्रभार की गणना की है।

बैंक की परिचालन जोखिम पहल के मार्गदर्शन एवं निगरानी हेतु एक उचित संगठनात्मक संरचना मौजूद है। आधुनिक पहुँच की दिशा में आगे बढ़ते हुए परिचालन जोखिम माप के लिए बैंक के निम्नलिखित पहलू अपनाई गई हैं :-

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति परिचालनात्मक जोखिम हानि घटनाओं को पहचानना, मूल्यांकन, निगरानी एवं परिचालन जोखिम घटनाओं को नियंत्रित करती है।
- कर्मचारियों में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधित जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- बैंक ने एक व्यापक सर्वोत्तम आचार संहिता (अनुदेश पुस्तिका) एवं शाखाओं द्वारा की जानेवाली सभी गतिविधियों पर उनके मार्गदर्शन के लिए डेस्क कार्ड तैयार किया है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन

‘मानकीकृत मानक पद्धति’ अपनाकर बैंक ने निवेश के तहत ‘बिक्री हेतु मौजूद’ एवं ‘व्यापार हेतु धारित’ संविभाग के अंतर्गत बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करता आ रहा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग में एकीकृत मध्य कार्यालय बाज़ार जोखिम का अनुप्रवर्तन करता है। ऋण सीमा जैसे ट्रेडिंग बहियों में स्टॉप लॉस सीमा, व्यापारीवार सीमाएं, नकदी बाज़ार परिचालन, एएफएस वर्ग के लिए मध्यावधि सीमाएं, अंतर सीमा, विभिन्न मुद्रा स्थान के समग्र अंतः दिवस एवं एक दिन से अधिक की सीमा जोखिम सीमा को कम करने की कार्रवाई एवं निगरानी करने हेतु तय किया गया है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन को प्रभावी करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत किया गया है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए आंतरिक मॉडल आधारित पहुँच की कार्यान्वयन की दिशा में बैंक ने सामान्य बाज़ार जोखिम के आकलन के लिए वीएआर आधारित मॉडल को प्रस्तुत किया है। मॉडल द्वारा दिए गये परिणाम की जाँच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दिशानिर्देशानुसार तनाव जाँचने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है।

review and monitoring to be an effective tool for evaluating the loan book continuously and intends to bring out qualitative improvements in credit administration including credit audit.

- Credit Audit system by external / internal auditors of all borrowal accounts of ₹ 1 crore and above has been put in place.

Operational Risk Management

The Bank computed capital charge for operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' as stipulated by the RBI.

A proper organizational structure is in place to oversee and guide the operational risk initiatives of the Bank. To move towards advanced approaches for operational risk, the following initiatives have been taken-

- Formulation of Operational Risk Management Policy, which covers the objectives, identification, assessment, monitoring and control of operational risk loss incidents.
- Training imparted to staff to create awareness on operational risk management system.
- The Bank has compiled a comprehensive Best Practices Codes (Manual of Instructions) and Desk Cards on all the activities carried out at branches for their guidance.

Market Risk Management

The Bank has been computing capital charge for market risk on 'Available For Sale' (AFS) and 'Held For Trading' portfolio under investments, by adopting Standardized Measurement Method.

Integrated Mid Office at Risk Management Wing monitors market risk exposure. Exposure limits, such as, Stop Loss limits on trading books, Dealer-wise limits, limits on Money Market Operations, M-duration limits for AFS category, VaR limits, Aggregate Gap limit, Intra day and overnight limit for various currency positions are fixed to act as risk mitigants and are monitored. Reporting system has been strengthened for effective market risk management.

Towards implementation of Internal Models Based Approach for calculation of capital charge for market risk, the Bank has put in place a VaR based model for estimating General Market Risk. The process of back testing of the results given by the model has been completed. Stress testing exercise as per the guidelines is envisaged.



आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक ने प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है जो तरलता एवं ब्याज दर जोखिम संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। बैंक के निदेशक मंडल ने एएलएम कार्य, आस्ति एवं देयता, इसकी संरचना, परिपक्वता एवं अवधि के विभिन्न घटकों पर ब्याज दर नियत करने के साथ-साथ अन्य कार्य को देखने के लिए आस्ति देयता समिति (अलको) का गठन किया है। आस्ति एवं देयता की ब्याज दर अंतर की अवधि एवं संवेदना, परिपक्वता अंतर के आकलन एवं जोखिम के निर्धारित करने के लिए एक व्यापक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है।

बैंक की नकदी स्थिति को दैनंदिन आधार पर आस्तियों व देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता के द्वारा लाया जाता है। विस्तृत आधार पर नकदी का पता लगाने के लिए आस्तियों व देयताओं के विभिन्न घटकों के व्यावहारिक प्रतिमानों के विश्लेषण के लिए आवधिक अध्ययन किये जाते हैं। बैंक की नकदी नीति ने अपनी संरचनात्मक नकदी स्थितियों के लिए छूट सीमाएँ निर्धारित की हैं। विदेश व्यापार शाखाओं की नकदी स्थितियाँ घरेलू व मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं। ऐसी स्थितियों की समीक्षा घरेलू स्थितियों के साथ बैंक के परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति द्वारा की जाती है।

बैंक आय पर ब्याज दर में परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दैनंदिन आधार पर जोखिम पर आय और निवल ब्याज आय पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। आस्तियों व देयताओं के घटकों और अवशिष्ट परिपक्वता में परिवर्तन का मूल्यांकन परंपरागत अंतराल प्रक्रिया और अवधि अंतराल प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है। दबाव लागत के साथ ईक्विटी के आर्थिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए नकदी ब्याज दरों के परिप्रेक्ष्यों का अनुकरण के द्वारा दबाव परिक्षण क्रियाकलाप किये जाते हैं।

बैंक के व्यवसाय कार्य पर इन सभी तथ्यों के असर पर ध्यान देना एवं बैंकिंग उद्योग पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भार जिसमें वित्तीय मापदण्ड एवं आर्थिकव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए चर्चा करना, सक्रिय ब्याज परिप्रेक्ष्य स्टॉक को लेना, विभिन्न आस्ति एवं देयता के अवशिष्ट परिपक्वता कार्य पर विचार करने के लिए एवं नकदी स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से अलको बैठक में चर्चा की जाती है।

बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति पहले से ही मौजूद है जो बैंक के जोखिम प्रबंधन पहलू को लागू करने के लिए नियमित रूप से मार्गदर्शन एवं निर्देश देती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 जुलाई 2010 से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज आकलन की नई आधार दर पद्धति अमल की है।

Asset Liability Management

An effective Asset Liability Management (ALM) system, addressing issues related to liquidity and interest rate risks is in place. The Board of Directors of the Bank has constituted an Asset Liability Committee (ALCO) to oversee ALM functions, including fixation of interest rates for various components of assets and liabilities, its composition, maturity and duration. A comprehensive software solution has been installed for quantifying risks and to analyze Maturity Gap, Duration and Sensitivity of Assets and Liabilities to interest rate variations.

The liquidity position of the Bank is tracked on a daily basis by means of residual maturity of assets and liabilities. Periodical studies are undertaken to analyze the behavioral patterns of various components of assets and liabilities to estimate the liquidity on a dynamic basis. The Bank's liquidity policy sets the tolerance limit for its structural liquidity positions. The liquidity positions of overseas branches are managed in line with home and host country regulatory guidelines. Such positions are reviewed by the Bank's ALCO along with domestic positions.

To evaluate the impact of changes in interest rate on Bank's earnings, an analysis of Earnings at Risk (EAR) and its impact on Net Interest Income (NII) are done on an ongoing basis. The change in the composition and residual maturity of assets and liabilities is evaluated by the Traditional Gap Method as also by the Duration Gap Method. Stress testing exercises by simulating scenarios of liquidity and interest rates are undertaken to estimate the stress cost as also the Economic Value of Equity (EVE).

The ALCO meets regularly to discuss various issues pertaining to the liquidity position by considering the residual maturity profile of various assets and liabilities, takes stock of the dynamic interest rate scenario, discusses at length the changes evolving in economic and financial parameters, which have a direct or indirect bearing on the banking industry and focuses on the impact of all these factors on the business profile of the Bank.

Risk Management Committee of the Board:

The Board level Risk Management Committee is already in place in the Bank, which meets regularly to provide guidance and direction in implementing the risk management initiatives of the Bank.

In conformity with the RBI guidelines, the Bank has implemented the New Base Rate system of interest application on loans and advances with effect from 1st July 2010.

राष्ट्रीय प्राथमिकतायें

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणियों में से एक होने के नाते बैंक कृषि, छोटे उद्यम, शिक्षा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्ग, अजा/अजजा और अल्प संख्यक समुदायों को शामिल करके राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता आ रहा है

पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक ने कुल प्राथमिकता, कुल कृषि और कृषि (प्रत्यक्ष) कमजोर वर्गों के तहत अनुबद्ध अनिवार्य लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम वर्षानुवर्ष 19.3% वृद्धि दर्ज करते हुए यथा मार्च 2011 को रुपये 11447 की वृद्धि करके ₹ 70757 करोड़ पर पहुंच गये हैं, 40 लाख उधारकर्ताओं को प्रावरित किया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम बैंक के समायोजित कुल बैंक साख का 44.08% हो गया जो कि अनुबद्ध मानदंड 40% से अधिक है

[राशि ₹ करोड़ में]

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	मार्च		वृद्धि	
	2010	2011	राशि	%
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	59310	70757	11447	19.3
कृषि	25052	29656	4604	18.4
सूक्ष्म व लघु उद्यम	24180	29558	5378	22.2

कृषि को साख प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि के अधीन बैंक का अग्रिम 31 लाख किसानों को प्रावरित करते हुए ₹4604 करोड़ बढ़कर ₹ 29656 करोड़ पर पहुंच गया है। ए एन बी सी के भाग स्वरूप में कृषि साख 18.48% हो गया जोकि 18% के अधिदेशी लक्ष्य के स्तर को पार कर गया है कृषि (प्रत्यक्ष) अग्रिम वृद्धि के साथ ₹22669 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया और ए एन बी सी का अद्यादेशी मानक 13.5% को पार करके 14.12% परिकलित किया है।

कि सान क्रेडिट कार्ड योजना के अधीन बैंक ने ₹3082 करोड़ का साख प्रावरित करते हुए वर्ष के दौरान 3.68 लाख कार्ड जारी किये यथा मार्च 2011 को ₹17589 करोड़ के साख प्रावरण को अन्तर्निहित करते हुए किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी संख्या 33 लाख हो गयी है।

NATIONAL PRIORITIES

Priority Sector Advances

As one of the leaders in the domestic banking arena, the Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, small enterprises, education, micro-credit, weaker sections, SC/STs and minorities.

During the last 3 years, the Bank has achieved stipulated mandatory targets under Total Priority, Total Agriculture, Agriculture (Direct) and Weaker Sections.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2011 increased by ₹11447 crore to reach ₹70757 crore, recording a y-o-y growth of 19.3%, covering over 40 lakhs borrowers. Priority sector advances formed 44.08% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit (ANBC), well above the 40% stipulated norm.

[Amt. in ₹ Crore]

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2010	2011	Amount	%
Total Priority Sector	59310	70757	11447	19.3
Agriculture	25052	29656	4604	18.4
Micro & Small Enterprises	24180	29558	5378	22.2

With a focus on credit delivery to agriculture, the Bank's advances under agriculture rose by ₹4604 crore to reach ₹29656 crore, covering over 31 lakh farmers. Agriculture credit as a proportion of ANBC crossed the mandatory targeted level of 18% to reach 18.48%. Advances to agriculture (direct) reached a level of ₹22669 crore, with an 18.9% growth and accounting for 14.12% of ANBC as against the mandatory 13.5% norm.

Under Kisan Credit Card Scheme, the Bank issued 3.68 lakh cards during the year, with credit coverage of ₹3082 crore. As at March 2011, the cumulative number of Kisan Credit Cards reached over 33 lakhs, involving credit coverage of ₹17589 crore.

भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित किया है। बैंक ने अपने शिक्षा ऋण संविभाग को और बढ़ाकर वि. व. 11 में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने प्रधान स्थान को बनाए रखा। शिक्षा ऋण योजना में बैंक के अग्रिमों ने 21% वृद्धि दर्ज करके ₹3503 करोड़ तक पहुँचे।

यथा मार्च 2011 तक बैंक ने 1.92 लाख से अधिक छात्रों को वित्त पोषित किया शिक्षा ऋणों पर ब्याज उपदान के लिए केन्द्र क्षेत्रीय योजना के तहत उपदान अनुप्रयुक्त करने के लिए बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया। बैंक ने खुदरे व्यापारी, आवास और सूक्ष्म ऋण जैसे अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में भी वित्त सहायता उपलब्ध कराई।

वर्ष के दौरान बैंक ने सरकार द्वारा प्रयोजित विभिन्न योजनाओं जैसे पी एम आर वाई, एसजी एस वाई, एस एल आर एस और डी आर आई में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। यथा मार्च 2011 को 1.46 लाख लाभार्थियों को प्रावरित करते हुए इन योजनाओं के अधीन कुल बकाया अग्रिम ₹ 610 करोड़ हो गया।


Over the years, the Bank has supported lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad.

The Bank has further increased its education loan portfolio and sustained its premier position among nationalized banks in India for FY11. The Bank's advances under Education Loan Scheme recorded a growth of 21% to reach ₹3503 crore.

The Bank has financed more than 1.92 lakhs students as at March 2011. The Bank is designated as the nodal bank for administering subsidy under the Central Sector Scheme for Interest Subsidy on

educational loans. The Bank also extended financial assistance to other priority sectors, such as, retail traders, housing and micro credit.

During the year, the Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, PMRY, SGSY, SJSRY, SLRS and DRI. As at March 2011, the outstanding advances under these schemes aggregated to ₹610 crore, involving over 1.46 lakhs beneficiaries.



सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन निष्पादन

योजना का नाम	खातों की संख्या	राशि रु करोड़ में
पी एम आर वाई	49167	252.63
एस जी एस वाई	48189	234.39
एस जे एस आर वाई	16005	69.40
एस एल आर एस	691	1.38
डी आर आई	32057	51.91
कुल	146109	609.71

Performance under various Government sponsored schemes

Name of the Scheme	No. of Accounts	Amt. in ₹ Crore
PMRY	49167	252.63
SGSY	48189	234.39
SJSRY	16005	69.40
SLRS	691	1.38
DRI	32057	51.91
Total	146109	609.71

- समाज के शोषित वर्गों की मदद में यथा मार्च 2011 को एस सी / एस टी लाभार्थियों को बैंक का अग्रिम ₹ 5087 करोड़ पहुंच गया। एस सी / एस टी का अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम का 7.19% के स्तर पर पहुंच गया जो वर्षानुवर्ष 30% वृद्धि है।
- वर्षानुवर्ष 21.8% वृद्धि के साथ कमजोर वर्गों को समूचे अग्रिम ₹ 17823 करोड़ रहा। दुर्बल वर्गों को अग्रिम 10% की तुलना में ए एन बी सी (ANBC) का 11.10% हो गया।
- यथा मार्च 2011 को विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक द्वारा समूचे अग्रिम ₹ 11718 करोड़ रहा और 16.56% पर पहुंचकर कुल प्राथमिकता का 15% के निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया।

- In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SC/ST beneficiaries reached ₹5087 crore as at March 2011, with a y-o-y growth of 30%. The advances to SC/ST comprised 7.19% of total priority sector advances.
- Advances to weaker sections aggregated to ₹17823 crore, with a y-o-y growth of 21.8%. Advances to weaker sections formed 11.10% of ANBC against the norm of 10%.
- As at March 2011, advances to specified minority communities aggregated to ₹11718 crore and accounted for 16.56% of the total priority sector advances as against the norm of 15%.

20% की अधिदेशी वर्षानुवर्ष वृद्धि की तुलना में 21.3% से अधिक वर्षानुवर्ष दर वृद्धि के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को अग्रिम ₹37684 करोड़ पर पहुंच गया है।

Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reached ₹37684 crore, with a y-o-y growth of 21.3% vis-à-vis mandatory y-o-y growth of 20%.


बैंक ने सूक्ष्म व लघु उद्यम के लिए साख गारंटी निधी की साख गारंटी योजना में यथा मार्च 2011 को ₹1471 करोड़ जोखिम के साथ 49260 खाते प्रावर्तित किए।

सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण दान देने के समूह आधारित उपगम से जोड़े गए महत्व को दृष्टि में रखकर बैंक ने देश भर में चुनिंदा औद्योगिक समूहों को अपनाने पर ध्यान देकर समूह आधारित उपगम के तहत ऋण उपलब्ध कराया।

वर्ष के दौरान बैंक ने एम.एस.एम.ई. के लिए स्वतंत्र केन्द्रीकृत ऋण प्रोसेसीकरण केन्द्र, यानी एस.एम.ई. सुलभ 25 केन्द्रों तक विस्तारित किए। 2011-12 के दौरान ऐसे केन्द्रों को 34 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस मॉडल के माध्यम से देश के प्रधान केन्द्रों में एम.एस.एम.ई. के विस्तृत क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बैंक ने प्रयास किया है।

ऋणबद्ध पूँजी उपदान योजना के तहत लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन की नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष के दौरान बैंक ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से ₹16.9 करोड़ की राशि प्राप्त की और वर्ष के दौरान ₹13.3 करोड़ की राशि खर्च की।

Micro, Small & Medium Enterprises
(₹. in crore)



The Bank has covered 49,260 accounts with an exposure of ₹1471 crore as at March 2011 under the Credit Guarantee Scheme of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

Considering the importance of cluster based approach of lending to MSME sector, the Bank has focused on adoption of select industrial clusters across the country and expanded lending under cluster based approach.

During the year, the Bank has increased the number of

independent centralized loan processing centres for MSMEs, viz., "SME SULABH" to 25 centers. It is proposed to increase the number of such centres to 34 during 2011-12. The Bank has embarked upon reaching out to large section of MSMEs at major centres in the country through this model.

The Bank received an amount of ₹16.9 crore from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, during the year as a Nodal Agency for Technology Upgradation of SSI units under Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) and amount utilized during the year stood at ₹13.3 crore.



वित्तीय समावेशन

केनरा नई दिशा - वित्तीय समावेशन का संपूर्ण समाधान

वित्तीय सुविधाओं से वंचितों से मात्र सादा खाते अधिग्रहण करना ही नहीं बल्कि बैंक सामान्य क्रेडिट कार्ड, स्वसहायक समूहों को ऋण आबद्ध करना, छोटी बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराना, कारोबार संपर्ककर्ता और प्रौद्योगिकी उत्पाद - स्मार्ट कार्ड और बयोमेट्रिक ए.टी.एम. के द्वारा पहुँच बढ़ाने के जरिए बैंक वित्तीय समावेशन के लिए संपूर्ण समाधान उपलब्ध करा रहा है।

बैंक ने पाँच राज्यों, यानी कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश के सारे 26 अग्रणी जिलों में संपूर्ण वित्तीय समावेशन हासिल किया। 2010-11 के दौरान 6.05 लाख सादा खाते (केन सरल) संग्रहीत करके आरंभ से लेकर 27.84 लाख संचित स्तर तक पहुँचा। भारत सरकार के प्रति वर्ष 250 लक्ष्य की तुलना में बैंक ने प्रति ग्रामीण और अर्ध नगरीय शाखा के लिए 913 नए खाते खोले। सादे खातों में कुल बचत ₹520 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने 31121 एस.एच.जी. गठित किए, जिससे यथा मार्च 2011 को गठित एस.एच.जी.ओं की संचित संख्या 3.51 लाख हुई। वर्ष के दौरान ऋणबद्ध 45977 एस.एच.जी. के साथ ऋण आबद्धन के तहत संचित संख्या आरंभ से लेकर 3.21 लाख हुई। एस.एच.जी. वित्तीयन के तहत बैंक का कुल जोखिम 90172 खातों में ₹1064 करोड़ बढ़ा।

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ने बहु भाषी बयोमेट्रिक ए.टी.एम. शब्द सहित मोबाइल बयोमेट्रिक ए.टी.एम. और स्मार्ट कार्ड जैसी कई प्रौद्योगिकी पहल की। यथा मार्च 2011 तक बैंक ने 23 ग्रामीण / अर्ध नगरीय केन्द्रों में बयोमेट्रिक शब्द सहित ए.टी.एम. / बयोमेट्रिक मोबाइल ए.टी.एम. स्थापित करके लगभग 84000 स्मार्ट कार्ड जारी किए। आरंभ से लेकर बैंक ने 3.02 लाख सामान्य क्रेडिट कार्ड भी जारी किए और इनके तहत कुल जोखिम 1.75 खातों में ₹359 करोड़ तक बढ़ा। बैंक ने 19 नवंबर 2010 को अपने संस्थापक दिवस को भारत भर में एक लाख जी.सी.सी. 50000 स्मार्ट कार्ड वितरित करके 9 वित्तीय साक्षरता और साख परामर्श दात्री केन्द्र खोले।

‘अमूल्य’ कहलानेवाले बैंक के वित्तीय साक्षरता और साख परामर्श दात्री केन्द्र दस जिलों, यानी कर्नाटक में कोलार, चित्रदुर्गा, चिकबलापुर, तमिलनाडु में मदुरै, ईरोड और दिंडिगल, केरल में मलप्पुरम, वयनाड और त्रिशूर में और बिहार में शेखपुर में कार्यरत है। बैंक ने केनरा वित्तीय परामर्शदात्री न्यास नाम से नया न्यास पंजीकृत किया जो वित्तीय साक्षरता और साख परामर्शदात्री केन्द्रों का प्रबंधन करेगा।

Financial Inclusion

Canara Nayee Disha- A Complete Solution for Financial Inclusion

Not just mobilizing no-frill accounts from the financially excluded, the Bank is providing total solution for the Financial Inclusion by extending credit facility under General Credit Cards, Credit linking Self-Help Groups (SHGs), making provision of small insurance facilities, enhancing outreach through Business Correspondents and using of technology-Smart Cards and Bio-Metric ATMs.

The Bank achieved total Financial Inclusion in all the 26 Lead Districts spread over five States, namely, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Bihar and Uttar Pradesh. During 2010-11, the Bank mobilized 6.05 lakhs no-frill accounts (CanSaral) and reached a cumulative level of 27.84 lakhs since inception. The Bank has opened 913 new accounts per Rural and Semi urban branches as against the Government of India target of 250 per annum. The total savings in the no-frill accounts reached a level of ₹520 crore.

During the year, the Bank has formed 31121 SHGs, taking the cumulative number of SHGs formed to 3.51 lakhs as at March 2011. With 45977 SHGs credit linked during the year, the cumulative tally under credit linking reached 3.21 lakhs since inception. The total exposure of the Bank under SHG finance rose to ₹1064 crore, spreading over 90172 SHGs accounts.

The Bank undertook several technology initiatives to further financial inclusion process like multi-lingual bio-metric ATMs, voice-enabled mobile bio-metric ATM and Smart Cards. The Bank has installed Bio Metric Voice Enabled ATMs/ Biometric Mobile ATMs in 23 Rural/Semi urban locations and has issued around 84000 Smart Cards as at March 2011. The Bank also issued 3.02 lakhs General Credit Cards (GCC) since inception and the total exposure under GCCs as at March 2011 increased to ₹359 crore, spread over 1.75 GCC accounts. The Bank on its founder's day on 19th November 2010, distributed 1 lakh GCCs, 50,000 Smart Cards and opened 9 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) across India.

The Bank's FLCCs called 'Amulya' are in operational in 10 districts, viz., Kolar, Chitradurga and Chikkaballapur in Karnataka, Madurai, Erode and Dindigul in Tamil Nadu, Malappuram, Waynad and Trissur in Kerala and Sheithpura in Bihar. The Bank has registered a new Trust, viz., 'Canara Financial Advisory Trust' to manage the Financial Literacy and Credit Counseling Centres.



ग्रामीण परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं और बैंक उत्पादों के बारे में जागरूकता जगाने के लिए बैंक ने देश भर में 35 जिलों में ग्रामीण विकास वाहिनियाँ (गाडियाँ) नियोजित की। बैंकिंग उत्पादों और विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में ग्रामीण जनता में जानकारी पहुँचाने के लिए बैंक ने 127 किसान क्लब गठित किए जिससे देश भर इनकी कुल संख्या 1360 हुई।

नगरी निर्धनों और नगरी वित्तीय समावेशन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंक ने मदुरै, हैदराबाद, मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, कोयंबटूर, बेंगलूर, चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, पटना, पुणे, शिमोगा, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टणम में 19 एकांतिक सूक्ष्म वित्त शाखाएं खोली।

बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक को देश भर में 2000 से अधिक आबादी वाले 1573 गाँव आवंटित किए गए। यथा मार्च 2011 तक बैंक 626 गाँव प्रावरित कर चुके और 31.03.2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले आवंटित सारे 1573 गाँवों को आई.सी.टी. मॉडल या ईट और गारा शाखा के जरिए प्रावरित करेगा।

बैंक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए रजिस्ट्रार है और उसने मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड नामक सूचीबद्ध एजेंसी को नियुक्त करके यू.आई.डी. संख्याएं जारी करने के लिए सूचीबद्धन कार्य अपनाया है। सूचीबद्धन कार्य शुरू करके बैंक ने पार्लिमेंट स्ट्रीट शाखा, नई दिल्ली में 29.03.2011 को वर्क स्टेशन स्थापित किया।

अग्रणी बैंक योजना

देश भर में केनरा बैंक 26 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभा रहा है, जिनमें से आठ कर्नाटक में, सात तमिलनाडू में, पाँच केरल में, पाँच उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में है। बैंक केरल राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजन कार्य भी कर रहा है।

महिलाओं में उद्यम विकास

प्रधान कार्यालय बेंगलूर और 34 अंचल कार्यालयों में महिला उद्यम विकास केन्द्र स्थापित हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन सभी केन्द्रों ने वर्ष 2010-11 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सामान्य उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उद्यम जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, रोजगार मार्गदर्शी कार्यक्रम, विभिन्न उद्यमों में कौशल विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं, तथा महिला उद्यमियों को विपणन सहायता प्रदान करने हेतु केनउत्सव / केनबाजार आदि का आयोजन किया गया। महिला उद्यम विकास केन्द्रों ने स्वयं सहायता समूह के गठन में और उन्हें ऋण सुविधाएँ प्रदान करवाने में भी सहयोग दिया। बेंगलूर और चेन्नई में विशिष्ट महिला शाखाएँ कार्य कर रही हैं जो विशेष रूप से महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। 19 सूक्ष्म वित्त शाखाएँ भी महिला एस.एच.जी. की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करती हैं।

To create awareness about banking facilities and the Bank's products among the rural households, the Bank has deployed 'Gramin Vikas Vahini' (vehicles) in 35 districts across the country. To disseminate information to the rural people about the banking products and advanced technology, the Bank formed 127 Farmers' clubs during the year, taking the total to 1360 across the country.

For catering to the needs of the urban poor and urban financial inclusion, the Bank opened 19 Exclusive Microfinance branches in urban centres viz., Madurai, Hyderabad, Mumbai, Amritsar, Chandigarh, Lucknow, Coimbatore, Bangalore, Chennai, Bhopal, Bhubaneswar, Delhi, Jaipur, Kolkata, Patna, Pune, Shimoga, Trivandrum and Visakapatnam.

The Bank is allotted 1573 villages with population more than 2000, across the country for provision of banking facilities. The Bank has already covered 626 villages as at March 2011 and will cover all the 1573 allotted villages with population of more than 2000, through ICT model or through 'Brick and Mortar' branch by 31.03.2012.

The Bank is the registrar for Unique Identification Authority of India and it has taken up enrollment for issue of UID numbers by engaging an enrollment agency, namely, M/s. Smart Chip Ltd. The Bank has started the enrollment and set up a work station at Parliament Street branch, New Delhi, on 29.03.2011.

Lead Bank Scheme

Canara Bank has lead bank responsibilities in 26 districts in the country, viz., eight in Karnataka, seven in Tamil Nadu, five in Kerala, five in Uttar Pradesh and one in Bihar. The Bank works as the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the State of Kerala.

Entrepreneurship Development among Women

Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at Head Office, Bangalore and Centres at 34 Zonal/Circle Offices are working towards economic empowerment of women. These Centres have conducted several training programmes during the year, including general Entrepreneurship Development Programmes (EDP), Entrepreneurship Awareness programmes, Seminars, Career Guidance programmes, Skills and provided marketing support to women entrepreneurs by organizing Canutsav /Canbazar. CEDW cells have also assisted in formation of SHGs and credit linkages. Two exclusive Mahila Banking Branches at Bangalore and Chennai are also operating specifically to cater to women clientele. 19 micro finance branches also cater to the financial needs of women SHGs.



- भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड अनुसार एएनबीसी का 5% महिला लाभार्थियों को दिया जाना है बैंक ने यथा मार्च 2011 को 16.84% प्राप्त किया लगभग 12.78 लाख महिला लाभार्थियों को ₹ 27022 करोड़ की सहायता दी गई।
- वर्ष के दौरान महिला लाभार्थियों को नए सिरे से ₹ 9298 करोड़ वितरित किए गए।
- बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में महिला लाभार्थियों को ₹18549 करोड़ का वित्त दिया।
- उद्यमी क्रियाकलाप अपनाने के लिए अधिकाधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में महिला लाभार्थियों को ₹5 लाख तक के कतिपय विशेष लाभ उपलब्ध कराए।

- As at March 2011, the Bank has extended credit to women to the tune of ₹27022 crore, accounting for 16.84% of ANBC against the RBI norm of 5%. The Bank has covered nearly 12.78 lakhs women beneficiaries.
- During the year, fresh disbursement of ₹9298 crore was made to women beneficiaries.
- The Bank has financed ₹18549 crore to women beneficiaries under priority sector.
- The Bank has provided certain special benefits to women entrepreneurs in MSME sector for loans up to ₹5 lakh to encourage more and more women to undertake entrepreneurial activities.

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में आदर्श बनना

शताधिक वर्षों की परंपरा और स्थापना सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए बैंक कई विभिन्न कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप अपना रहा है। बैंक के सी.एस.आर. पहल बहु आयामी है जिनमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेय जल, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण और अन्य क्रियाकलाप शामिल होते हैं।

ग्रामीण विकास

बैंक ने अपने "केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास" द्वारा ग्रामीण युवाओं में उद्यमी विकास प्रोत्साहित करके उन्हें स्वरोजगार कार्य अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एकांतिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की। वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में काशीराम नगर और हाथरस और तमिल नाडु के तिरुपुर में तीन नई प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई जिससे ऐसी प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या 29 हुई। वर्ष 2010-11 में सी.बी.सी.आर.डी. प्रशिक्षण संस्थाओं ने 26753 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। इससे इनके आरंभ किए जाने से लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या 125049 हुई। प्रशिक्षितों में 68% महिलाएं और 31% अ.जा./अ.ज.जा. हैं, जिनमें से 67% ने अपनी जीविका बसाई है।

बैंक 24 ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आर. यू. डी. एस.ई.टी.आई) के सह प्रयोजक है जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने में वचनबद्ध है। वर्ष 2010-11 के दौरान आर.यू.डी.एस.ई.टी. 21459 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। 24 आर.यू.डी.एस.ई.टी. मिलकर अब तक 2,59,036 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है जिनमें से 71% ने अपनी जीविका बसाई है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Setting Examples in CSR Activities

Following the century old tradition and founding principles, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other initiatives.

Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT), has established exclusive training institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. During the year, 3 new training institutes were opened at Kanshiram Nagar and Hathras in Uttar Pradesh and Tiruppur in Tamil Nadu taking the number of such training institutes to 29. For the year 2010-11, CBCRD training institutes have trained 26753 candidates, taking the tally to 125049 unemployed youth since inception. The candidates trained comprised 68% women and 31% SC/ST, with an impressive settlement rate of 67%.

The Bank has co-sponsored 24 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) engaged in training of rural youth for taking up self-employment programmes. During 2010-11, the RUDSET institutes have trained 21459 candidates. The 24 RUDSETIs have, so far trained 2,59,036 unemployed youth, with a settlement rate of 71%.



केनरा बैंक की ग्रामीण चिकित्सालय सेवा योजना -रूरल क्लिनिक सर्विस स्कीम दूर-दराज के क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत, बैंक डाक्टरों को पहचान किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक (चिकित्सालय) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मार्च 2011 में ऐसे चिकित्सालयों की संख्या 544 तक हो चुकी है। 'जलयोग' के नाम से बैंक एक योजना चलाता है, जिसके अंतर्गत पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाता है। अब तक अग्रणी जिलों में 35 परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं।

Canara Bank's Rural Clinic Service Scheme provides basic health care services in remote areas lacking basic medical infrastructure facilities. Under the Scheme, the Bank encourages doctors to set up clinics in identified rural areas. As at March 2011, the total number of such clinics rose to 544. The Bank under 'Jalayoga', a scheme to provide safe drinking water, implemented 35 projects in its lead districts.

भारत में ग्रामीण कारीगरों की कौशल्य को पनपकर उन्हें मुखरित करने का एक उदाहरण

बैंक प्रायोजित एवं सह प्रायोजक ग्रामीण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रशिक्षण की मदद से कई प्रतिभावान ग्रामीण कारीगरों ने अपने कौशल्य को मुखरित करके उसमें अधिकार प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त किये उनमें से एक कामयाबी का किरसा है श्री सदाशिव शिणॉय का जो प्रतिभापार कलाकार हैं जिन्होंने अपनी दीर्घ पारिवारिक परंपरा को बनाये रखने को सुनिश्चित किया। जन्मजात कलाकार होने पर भी उनका कोई एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र नहीं रहा। प्रत्युत उन्होंने बहुविध क्षेत्रों में कला के विस्तृत पटल पर ध्यान केंद्रित किया अपने कौशल्य के शिखरों को छूकर कलाओं में अपनी सत्ता जमाने के लिए प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपने कारकला में सी ई कामत कारीगर संस्थान में दो साल प्रशिक्षण प्राप्त किये।

सी ई कामत कारीगर संस्थान में दो घटनापूर्ण प्रशिक्षण वर्ष पूरा करके आप अपने पारिवारिक कार्यस्थल जाकर कलाकृतियाँ सर्जित करने का कार्य आरंभ किया। काठ और शिल्पकारी में आपकी तूति बोलती है और आपने चार शिल्पकारों और 25 कारीगरों को नियुक्त किया। आपके और आपके कारीगर वृंद द्वारा सर्जित शिल्पों और कलाकृतियों की बहुत सराहना की जाती है और भारत और विदेशों में इनकी बड़ी माँग है। आपसे सर्जित मूर्तियों को देश भर में कई मंदिरों में स्थापित किये गये और आपकी गणेश प्रतिमायें मंगलूर और अमेरिका में काफी लोकप्रिय हैं।

सर्वोत्कृष्ट सृजनात्मक कलाकार होने के नाते धन और पहचान की कोई कमी नहीं रही। आपका कहना है देश की ख्यात कला को बनाये रखने के लिए पर्याप्त प्रेरणा और प्रोत्साहन चाहिए आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, सारी चीजें अपने आप आपके साथ हो जायेंगी-आपका संदेश है।

सुप्रसिद्ध कलाकार और कई पुरस्कारों के ग्रहिता स्व. श्री सुरेद्र शेंणॉय के पुत्र, बंतवाल तालुक के श्री सदाशिव शेंणॉय ने अपने जीवन को कला और उसके कौशल्य को विकसित करने में अंकित कर दिया।

AN EXAMPLE FOR NURTURING AND FINE-TUNING THE SKILLS OF RURAL ARTISANS IN INDIA.

A lot of talented Rural Artisans have found their ways to fine-tune and master their skills with the aid of training imparted by the Bank's sponsored/co-sponsored Rural Training Institutes. One such success story is that of Shri. Sadashiv Shenoy, an artist par excellence who has seen to it that the long tradition of his family, who are renowned artists, is well nurtured. Though a born artist, he did not have a single specific area but concentrated on wide ambit of art in multifarious fields. He spent almost two years at the C E Kamath Institute for Artisans at Karkala as a trainee to further excel his skills and attain mastery over arts.

Completing an eventful training of two years at the C E Kamath Institute for Artisans at Karkala, he went back to his own family work shed and started executing the master pieces. Wood Carving, Sculpture were his area of strength and he employed 4 Master Craftsmen and 25 Artisans at his work shed. The products created by him and his team has wide appreciation and demand in India and abroad. His pieces are decorated in many temples across the Country and the Ganapathy statue is very popular in Mangalore and USA.

Being an artist with excellent creativity and fineness, there is no dearth of money and recognition. This should be enough motivation to sustain the famed art of the nation, he says. Just focus on the job, everything will follow you is his conviction and message.

Son of late Shri. Surendra Shenoy, an artist of eminence and recipient of numerous awards, Shri Sadashiv Shenoy hailing from Bantwal Taluk has dedicated his life towards art and improving the skill.

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए हाई-टैक सुविधाओं यथा कस्टम बिल्ट, सौर-ऊर्जा से युक्त मोबाइल सेल्स वैन (घुमंतु बिक्री बस) दान में दी हैं।

प्राकृतिक विपदाओं से दुष्प्रभावित लोगों की सहायता करते हुए बैंक के सामाजिक कार्य कक्ष ने रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि आयोजित किया। समाज के सुविधाहीन वर्गों को मदद दे रहा है और विभिन्न कार्यक्रम और क्रियाकलाप आयोजित करते हुए छात्रों को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

संसदीय समितियों के दौर

वर्ष 2010-11 के दौरान उद्योग पर संसदीय समिति, कार्मिक, लोक परिवाद, कानून व न्याय संसदीय समिति, सरकारी आश्वासन संसदीय समिति, अधीनस्थ विधान संसदीय समिति और संसदीय राजभाषा समिति ने बैंक का दौरा किया।

The Bank donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Mobile Sales Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

The Bank's Social Action Cell organized Blood Donation camps, Health camps, assisting people affected by natural calamities, assisting challenged section of the society, including encouraging students by conducting various programmes and activities.

Visits by Parliamentary Committees

During 2010-11, Parliamentary Committees on Industry, Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, Parliamentary Committee on Government Assurance, Parliamentary Committee on Subordinate Legislation and Committee of Parliament on Official Language visited the Bank.

संगठन व समर्थन सेवायें

शाखा तंत्र

भारत भर में विस्तृत उपस्थिति

वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार अभियान चलाया। बैंक ने अपने संस्थापक दिवस 19 नवंबर 2010 को देश भर में 100 नई शाखाएं और 100 नए ए.टी.एम. खोले जिनका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने किया। वि.व. 11 में बैंक ने 210 देशी शाखाएं जोड़ी जिससे शाखाओं के कुल संख्या 3257 हुई जिनमें लंदन, लीसेस्टर, होंग कोंग और शांगहाई में एक-एक समुद्रपारीय शाखाएं भी शामिल हैं।

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network

Expanding Pan India Presence

During the year, the Bank undertook a major branch expansion drive across the country. The Bank, on its Founder's Day on 19th November 2010, opened 100 new branches and 100 new ATMs across the country, inaugurated by the Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee. The Bank added 210 domestic branches in FY11, taking the total tally under the branch network to 3257 branches, including 4 overseas branches one each at London, Leicester, Hong Kong and Shanghai.

देशीय शाखा तंत्र की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या	
	31.03.2010	31.03.2011
महानगरीय	727	758
शहरी	744	762
अर्धशहरी	793	922
ग्रामीण	779	811
कुल शाखायें	3043	3253

Composition of domestic branch network

Category	No. of Branches	
	31.03.2010	31.03.2011
Metropolitan	727	758
Urban	744	762
Semi-urban	793	922
Rural	779	811
Total Branches	3043	3253

बैंक की 139 विशेषीकृत शाखायें विभिन्न ग्राहक संवर्गों की विनिर्दिष्ट वित्तीय आवश्यकतायें पूरी कर रही हैं।

The Bank has 139 specialized branches catering to the specific clientele segment.

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2011
1. ल म उ	49
2. समुद्रपारीय	16
3. कृषि वित्त	10
4. सूक्ष्म वित्त शाखायें	19
5. बचत	6
6. अनिवासी भारतीय	7
7. आर्स्ति वसूली प्रबंधन	7
8. प्राइम कॉर्पोरेट	10
9. औद्योगिक वित्त	4
10. स्टॉक विनिमय	3
11. पूंजी बाजार	3
12. महिला बैंकिंग	2
13. उपभोक्ता वित्त	1
14. आवास वित्त	1
15. शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करनेवालों के लिये शाखा	1
कुल	139

Categories of Specialized Branches	31.03.2011
1. SMEs	49
2. Overseas	16
3. Agri-Finance	10
4. Micro Finance Branches	19
5. Savings	6
6. NRIs	7
7. Asset Recovery Management	7
8. Prime Corporate	10
9. Industrial Finance	4
10. Stock Exchange	3
11. Capital Market	3
12. Mahila Banking	2
13. Consumer Finance	1
14. Housing Finance	1
15. Branch for Physically Challenged	1
TOTAL	139

सूचना प्रौद्योगिकी प्रगति

बैंक ने वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाये थे। बैंक ने कोर बैंकिंग कार्य पद्धति के तहत अपनी समस्त शाखाओं और कार्यालयों को प्रावरित किया। 100% सी.बी.एस. के साथ बैंक अब इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट और आर.टी.जी.एस. के जरिए निधियों का अंतरण, एस.एम.एस. अलर्ट, आई.वी.आर.एस. के जरिए पूछताछ आदि जैसी प्रौद्योगिकी बैंकिंग सेवाओं की पेश-कश करता है। बैंक अपने खुद की अनुषंगी मेसर्स केनरा बैंक सेक्यूरिटीज के जरिए ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

यथा मार्च 2011 को 846 केंद्रों में बैंक के 2216 ए टी एम स्थित थे। ये ए.टी.एम. यात्रा टिकट बुक करना, मोबाइल टॉप अप और उपयोगिता बिल भुगतान जैसी मूल्य वृद्धि सेवाएं भी दे सकते हैं।

फिशिंग और फार्मिंग के बढ़ते आक्रमणों की दृष्टि से बैंक ने फिशिंग और मॉलवेर के विरुद्ध 24 X 7 केन्द्रीकृत अनुप्रवर्तन व्यवस्था स्थापित की। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को और सुरक्षित बनाने के लिए ओ.टी.पी.(वन टाइम पासवर्ड) मॉड्यूल, नेट बैंकिंग के जरिए नेफ्ट / आर.टी.जी.एस. लेन देन के लिए खाता संख्या के दो लाइव वालिडेशन और इंटरनेट सर्वर ग्राहक पी.सी. के पारस्परिक अधिप्रमाणन जैसे कई सारे उपाय अपनाए गए। विश्वास बढ़ने की बदौलत इंटरनेट बैंकिंग के लिए सूचीबद्ध ग्राहकों की संख्या 3.86 लाख तक बढ़ी।

Info Tech Progress

The Bank took several initiatives in the InfoTech front during the year. The Bank covered all its branches/offices under Core Banking Solution (CBS). With 100% CBS, the Bank now offers technology banking services, such as, Internet Banking, Funds Transfer through NEFT and RTGS, SMS Alerts, IVRS based enquiry across all its branches. The Bank also offers online trading facility to its clients through its own subsidiary M/s Canara Bank Securities Ltd.

As at March 2011, the Bank had 2216 ATMs spread across 846 centres. These ATMs have also been enabled to offer value added services like Travel ticket booking, Mobile top up and Utility Bill payments.

In view of the increased attacks of phishing and pharming, the Bank has put in place a 24X7 centralized monitoring system of anti phishing and anti malware. To make the Internet Banking facility more secure a slew of measures like implementation of OTP (One Time Password) module, two live validation of account number for NEFT/RTGS transaction through Net Banking and mutual authentication of Internet Server customer PC (CAN SECURE) were introduced. With increased confidence, the number of customers enrolled for Internet Banking has moved up to 3.86 lakhs.

आईएसओ 27001 मानकों का अनुपालन करने के लिए बैंक ने अपनी डेटा केन्द्र संरचना का स्तरोन्नयन किया और ऑरकिल 11 जी वर्शन को डेटा बेस का ऊर्ध्वमुखी अंतरण किया। बैंक में सुचारु रूपायित और सुरक्षित कॉर्पोरेट नेटवर्क है जो समस्त शाखा/कार्यालयों को प्रावरित करता है। स्थानीय प्रोसेसीकरण केन्द्रों (एल.पी.सी.) 31 केन्द्रों तक विस्तारित किया गया वर्ष के दौरान बैंक ने एक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसीकरण कक्ष और तीन एनआराआई केन्द्र भी स्थापित किए।

ग्राहकों के अपने खातों के लिए सरल और सद्यस्संदर्भ के लिए सारी शाखाओं में ग्राहक टर्मिनल उपलब्ध कराया गया इलक्ट्रॉनिक मॉड में सीमा शुल्क भरने और संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैंक ने इलक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मॉड्यूल भी कार्यान्वित किया।

देश के युवा वर्ग से जुड़ने और निर्बाध प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए ट्विटर (<http://twitter.com/canarabanktweet>) में भी बैंक मौजूद है।

मानव शक्ति

यथा मार्च 31, 2011 को बैंक में 43397 कर्मचारी कार्यरत हैं।

	मार्च 2010	मार्च 2011
कर्मचारियों की कुल संख्या	43380	43397
अधिकारी	17338	17649
लिपिक	16285	16178
अधीनस्थ कर्मचारी *	9757	9570

* अंश-कालिक कर्मचारी सहित

बैंक में 40.7% अधिकारी, 37.3% कामगार तथा 22.0% अधीनस्थ कर्मचारी हैं। बैंक में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 10281 है जो बैंक के कुल कर्मचारियों का 23.5% है। वर्ष के दौरान बैंक ने 1089 महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया है और विभिन्न श्रेणियों में 303 महिला कर्मचारियों को पदोन्नत किया है

वर्ष के दौरान बैंक ने 2335 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किया जिनमें 412 अनुसूचित जाति के हैं और 179 अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हैं। यथा मार्च 2011 को बैंक के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 1652 है और उनमें से 169 वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में भर्ती हुए हैं। बैंक के कर्मचारी गण में 870 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं।

The Bank upgraded its Data Centre infrastructure to comply with ISO 27001 standards and did the upward migration of database to Oracle 11G version. The Bank has a well designed and secured corporate network covering all the branches and offices. Local Processing Centres (LPCs) have been extended to 31 Centres. The Bank has also established one Central Pension Processing Cell and 3 NRI Hubs during the year.

A customer terminal has been provided in the branches for easy and ready reference to own accounts of customers. Bank has also implemented Electronic Data Interchange Module for payment of customs duty and fulfilling the related formalities in electronic mode.

To connect with the youth of the country and obtain first hand unrestricted feedback, the Bank has a presence at Twitter (<http://twitter.com/canarabanktweet>).

Manpower Profile

As at March 31, 2011, the Bank had 43397 employees on its rolls.

	March 2010	March 2011
Total No. of Employees	43380	43397
Officers	17338	17649
Clerks	16285	16178
Sub-Staff*	9757	9570

* includes part-time employees (PTEs)

The Bank's employees comprised 40.7% officers, 37.3% Clerks and 22.0% Sub-Staff. Women employees comprising 10281 constituted over 23.5% of the Bank's total staff. The Bank recruited 1089 women employees and promoted 303 women employees under various cadres during the year.

During the year, the Bank recruited 2335 persons in various cadres, out of which 412 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 179 to Scheduled Tribes (STs) categories. The total number of ex-servicemen staff as at the end of March 2011 stood at 1652, out of which 169 were recruited in various cadres during the year. There were 870 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.



अ.जा. और अ.ज.जा के संबंध में आरक्षण नीति

यथा मार्च 2011 को बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 26% है। यथा मार्च 2011 को बैंक में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	3245	1172
लिपिक	2814	894
अधीनस्थ कर्मचारी + अं.का.क	2721	448
कुल	8780	2514

बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में आरक्षण नीति का अनुपालन सख्ती से करता आ रहा है।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन पद आधारित तालिका तंत्र के द्वारा सभी संवर्गों के लिए किया जाता है।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अ.जा. / अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण / छूट / रियायत दी जाती है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व और पदोन्नत-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिकीय और अधिकारी श्रेणियों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन में अ.जा. / अ.ज.जा. / भौ.विकलांग / अल्पसंख्यक वर्ग / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विशिष्ट उल्लेख किया जाता है। भर्तीपूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, नोट बुक, लेखन सामग्री आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जहां कहीं संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी, सरकारी / पिछड़े वर्ग के हॉस्टलों में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
- बैंक के द्वारा प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालय स्तर पर अ.जा. / अ.ज.जा. कक्ष की स्थापना तालिका का रख-रखाव तथा आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए की गयी है।
- प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी तथा अंचल कार्यालय स्तर पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

Reservation Policy in respect of SCs and STs

As at March 2011, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 26% of total staff strength of the Bank. The composition of SC/ST employees in the Bank as at March 2011 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	3245	1172
Clerks	2814	894
Sub-staff + PTEs	2721	448
Total	8780	2514

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. of India guidelines.

- Reservation Policy is implemented through the mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Bank has since switched over to Post Based Rosters for all cadres.
- The Bank has been extending Reservation/Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Govt. guidelines.
- Pre-recruitment and Pre-promotion training is given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Advertisement inviting for the application from the eligible candidates for recruitment to Clerical and Officer cadres, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD / Minority Communities / Ex-service men. Candidates who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview.
- Study materials, note book, stationery are provided free of cost to all the participants. Wherever possible, respective State Governments are also providing the lodging facilities in government / backward class hostels.
- The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and also at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and implementation of other aspects of Reservation Policy.
- Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.



- आगे, अ.जा. / अ.ज.जा. संघों के जरिए या सीधे प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर संपर्क अधिकारी / मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं आवश्यक हो पूछताछ और उचित कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को रिकार्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा गया है और की गई कार्रवाई भी उस रजिस्टर में दर्ज की जाती है।
- उपर्युक्त के अलावा बहुसंख्यक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को आरक्षण नीति के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ चर्चा करने हेतु तिमाही बैठक में आमंत्रित किया जाता है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां तालिका का रख-रखाव होता है और कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।
- बैंक के निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति की समीक्षा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक अंतराल पर करते हैं।
- Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.
- In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.
- The Board of Directors of the Bank also reviewed the progress made in the implementation of Reservation Policy on a half yearly and yearly basis.

प्रशिक्षण / मानव संसाधन विकास

बैंकिंग जैसे सेवा उन्मुख उद्योग के लिए मानव संसाधन मूल आधार जीवन रेखा होती है। बदलते हुए बैंकिंग परिवेश के अनुरूप होने के लिए बैंक में मानव संसाधन नीतियों को पुनः खोजा गया है और बारंबार केंद्रित किए गए हैं। प्रथम पंक्ती के कर्मचारियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए "स्पंदन" विभिन्न विशेष क्षेत्रों में आंतरिक प्रतिभाओं को पनपने के लिए "प्रतिभा" और प्रसिद्ध संस्थाओं के माध्यम से कार्यपालकों में गुणवत्ता लाने और क्वालिटी सर्किल, स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक, मस्तिष्क मंथन सत्र आदि जैसे मानव संसाधन साधन कारगर टीम निर्माण और सामूहिक सर्वोत्कृष्टता के लिए कार्यान्वित किए गए।

आई.आई.एम.एस., आई.एस.बी., एक्स.एल.आर.आई., एन.आई.बी.एम., इत्यादि प्रतिष्ठित विभिन्न संस्थाओं में आवश्यकता आधारित और केंद्रित प्रशिक्षणों के जरिए कार्यदल की क्षमता में संवर्धन करने की बैंक की खोज जारी रहेगी। जोखिम प्रबंधन, राजकोष परिचालन, सू.प्रौ., आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आवश्यकता के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधक स्तर / उच्च प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण के जरिए बैंक अपने अधिकारियों के ज्ञानवर्धन में और उनको नए जोश तथा उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सका है।

Training / Human Resource Development (HRD)

The HR policies of the Bank have been reinvented and refocused time and again to suit to the changing banking scenario. HR interventions like SPANDAN for bringing attitudinal change among front line staff, PRATIBHA for grooming in-house talents in varied specialized areas and executive grooming through reputed institutes and other significant HR tools like Quality Circles, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and fostering collective excellence.

The Bank's quest to enhance the competencies of the workforce will continue through focused and need based trainings at various institutes of repute like IIMs, ISB, XLRI and NIBM. Customised programmes are also being organised to develop expertise in certain niche areas like Risk Management, Treasury Operations and IT.

Specialised trainings to the Senior Management Level / Top Management Level executives are conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the repertoire of knowledge of its officials through this training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.



वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न कामकाजी क्षेत्रों में 26875 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 6937 अनुसूचित जाति और 2022 अनुसूचित जन जाति के हैं।

आगामी वर्षों में उचित प्रतिभा प्रबंधन और पुरस्कार प्रणाली प्रारंभ करने पर बैंक का ध्यान केंद्रित है। सक्षम नेताओं को पहचानने और आनेवाले दिनों में उच्चतर जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए उनको तैयार करने के लिए अदम्य प्रयास किया जाएगा।

संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन

निर्बाध कार्यप्रणाली और प्रभावशाली परिणामों को सहूलियत देने के लिए बैंक ने अपने संगठनात्मक / परिचालनात्मक संरचना में परिवर्तन किए।

वित्तीय वर्ष 11 के दौरान, बैंक की संरचना 3 चरणों, जिसमें प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और शाखाएं शामिल हैं, की बनाने के बाद एम एस एम ई को उधार बढ़ाने, ऋण प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने तथा वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को बढ़ाने के लिए क्रमशः एम एस एम ई विभाग, साख प्रशासन विभाग तथा संव्यवहार बैंकिंग विभाग जैसे 3 कार्यात्मक विभागों को जोड़ा।

ग्राहकोन्मुखता

तत्पर सेवा उपलब्ध कराने, विविध उत्पाद/सेवाएं देने, ग्राहकों की पूछ-ताछ का जवाब व ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के द्वारा बैंक ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप कदम उठाता है। बैंक ने शाखाओं पर ग्राहकों को 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' की प्रतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ग्राहकों द्वारा बार-बार पूछे जानेवाले सवाल संबंधी सूचना सहित सूचनात्मक पुस्तकें सभी शाखाओं को उपलब्ध कराया गया ताकि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान किया जा सके। बैंक द्वारा ग्राहकों को चेक / लिखतों की वसूली, शिकायत निवारण व्यवस्था, क्षतिपूर्ति नीति संबंधी दिशानिर्देश, ग्राहकों के लाभार्थ बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध कराए गए थे। शाखाओं द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट में एक 'संपर्क प्रश्नावली' उपलब्ध कराई गई है। मेसर्स कैपेन इंडिया रिसर्च तथा मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। ग्राहक संबंध प्रबंधन पहल के रूप में एक कॉल सेंटर है। यह कॉल सेंटर ग्राहकों को 6 भाषाओं में अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड, तमिल, तेलुगू और मलयालम में सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल 6.50 लाख से अधिक थे। बैंक ने 95% ग्राहक शिकायत निवारण के साथ प्रतिबद्ध अवधि में सभी ग्राहक शिकायतों का निवारण किया।

The Bank has trained 26875 employees during the year, covering a wide range of functional areas. Out of the trained staff, 6937 personnel belonged to the Scheduled Caste category and 2022 under the Scheduled Tribe category.

Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities.

Changes in the Organizational Setup

The Bank brought out further changes in its organizational/ operational set-up to facilitate smooth functioning and driving results.

After completely moving into a 3 tier structure comprising of Head Office, Circle Offices and Branches, during FY11, the Bank has carved out 3 functional Wings, viz., MSME Wing, Credit Administration Wing and Transaction Banking Wing to expand lending to MSMEs, to have focused credit administration and expand alternative delivery channels respectively.

Customer Orientation

The Bank has taken initiatives to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customers' queries and redressal of customers' complaints. The Bank made arrangements for providing copies of the 'Code of Bank's Commitment to Customers' to customers at branches. An informative booklet containing all the relevant information on 'Frequently Asked Questions by Customers' was made available at all branches towards better Customer Service. The Policy guidelines relating to Collection of Cheques/Instruments, Grievance Redressal Mechanism and Compensation Policy were placed on the Bank's website for use of the customers. In order to assess the quality of customer service rendered by our branches and to get feedback a 'Contact Questionnaire' is made available in the Bank's website. A survey to measure customer satisfaction was conducted by M/s Campaign India Research and Marketing Services Pvt. Ltd. As a part of Customer Relationship Management initiatives, a Call Centre is functioning. The call centre caters to the customers in 6 languages viz., English, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam. The number of calls received by the Call Centre during the year was more than 6.50 lakhs. The Bank redressed all the customer complaints within the stipulated period, with 95% customer complaint redressed.



पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएँ

वर्ष के दौरान ऑन-लाइन आर बी आई ए के लिए तैयार 2057 शाखाओं/इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर बी आई ए) आयोजित की गई। आर बी आई ए के साथ सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा भी आयोजित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के जमाओं का 60% और अग्रिमों का 78% प्रावरित करते हुए 752 शाखाओं/इकाइयों का संगामी / सतत लेखापरीक्षा की गई। जिलानी समिति की सिफारिशों के अनुसार 481 चुनिंदा शाखाओं का तिमाही आधार पर आय/राजस्व लेखापरीक्षा की गई। उपर्युक्त के अलावा 341 शाखाओं की विशेष आय लेखापरीक्षा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 01.04.2010 से शाखाओं/विभागों का ऑन-साइट आर बी आई ए प्रारंभ किया गया।

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और धनशोधन निवारक से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कई उपाय किए गए हैं और सभी शाखाओं में के.वाई.सी. का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

के.वाई.सी. / ए.एम.एल. दिशानिर्देशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

- सभी क्षेत्रों/अंचलों में अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारक / सी.एफ.टी. संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा मॉनीटरिंग करने हेतु, एक कार्यपालक को नोडल अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- बैंकिंग प्रणाली को धन शोधकों से बचाने के लिए शाखाओं को के.वाई.सी. / ए.एम.एल./सी एफ टी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए सूचित किया गया था।
- एन आर ई जी ए जॉब कार्ड/आधार दस्तावेजों को खाता खोलने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इन दस्तावेजों के साथ खोले जाने वाले खातों पर 'छोटे खातों' पर लागू प्रतिबंध लागू हैं।
- नए खाताधारकों तथा परिचयकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन करनेवाले पत्रों का मुद्रण और विमोचन मण्डल/अंचल कार्यालय स्तर पर होता है इस प्रणाली को सभी मण्डल/अंचलों में कार्यान्वित किया गया है।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक का सतर्कता विभाग महा प्रबंधक के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता कार्यरत है जिन्हें समस्त अंचलों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुषंगियों में सेवारत 34 सतर्कता अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है। बैंक की सतर्कता व्यवस्था के कार्यों को 3 प्रकार विभाजित किया गया है यानि प्रतिरोधात्मक, भविष्यसूचक और दण्डात्मक। बैंक का सतर्कता विभाग विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान पद्धतियों

Systems and Procedures

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in 2057 branches/ units programmed for on-site RBIA during the year. Information Security Audit was conducted along with RBIA. Concurrent / Continuous Audit was conducted in 752 identified branches/ units covering 60% of deposits and 78% of advances of the Bank as per RBI guidelines. Income/revenue audit was conducted on quarterly basis in 481 identified branches as per Jilani Committee Recommendations. Apart from the above, 341 branches were subjected to Special Income Audit. On-site RBIA of Circles/Wings was introduced with effect from 01.04.2010 as per the directions of the RBI.

Know Your Customers (KYC)

The Bank took several measures for the effective implementation of Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) guidelines and for ensuring KYC compliance by all branches.

To ensure better compliance of guidelines on KYC / AML following steps have been initiated.

- All Zones/Circles have nominated an Executive as Nodal Compliance Officer for monitoring and ensuring compliance of guidelines on Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML)/Combating of Financing of Terrorism (CFT).
- Branches were advised to strictly adhere to the guidelines on KYC/AML/CFT to prevent abuse of banking system by money launderers using money mules.
- NREGA job card/ Aadhar document has to be accepted as identification document for opening of accounts. Accounts opened exclusively with these documents will have restrictions applicable to 'small accounts'.
- Printing and dispatch of Thanks giving letters to new account holders and introducers are done centrally at Zonal/Circle Office. This system has been implemented at all Zones/Circles.

Vigilance Setup

The Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) in the rank of General Manager, assisted by 34 Vigilance Officers from all Zonal/Circles, RRBs and the Subsidiaries. The functions of the vigilance machinery of the Bank is broadly divided into 3 types viz., Preventive, Predictive and Punitive. Vigilance Wing of the Bank constantly reviews existing systems and procedures



और प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा करते हुए जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, वहाँ-वहाँ अपेक्षित सिफारिशें करता है ताकि धोखाधड़ियों को रोक कर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। बैंक के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह विभाग विभिन्न धोखाधड़ी जागरूकता परिपत्र और अन्य आवधिक प्रकाशन जारी करता है। वर्ष के दौरान विभाग ने सतर्कता और अनुशासनिक विषयों पर व्यापक ग्रंथ प्रकाशित किया जो सतर्कता के सारे पहलुओं के लिए विस्तृत संदर्भ ग्रंथ का काम आता है।

विभाग ने सारे बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किये। इसके अलावा, विभाग ने बैंकों में धोखाधड़ियों, विशेषकर बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी विकास पर गहरा प्रभाव डालने वाले साइबर अपराधों से संबंधित मामलों पर पुलिस विभाग कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया।

विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के मुताबिक 25 अक्टूबर 2010 से 01 नवंबर 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष में "भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता और प्रचार-प्रसार जागृत करने पर ध्यान दिया गया। जबकि, बैंक के सारे अंचलों ने तत्परता के साथ जागरूकता अवधि मनाई। कर्नाटक राज्य के जाने-माने लोकायुक्त माननीय जस्टिस श्री एन संतोष हेगडे का अतिथि भाषण इसकी पराकाष्ठा रहा।

विभाग ने इंटरनेट में नया लिंक भी जोड़ा है जिससे दूरस्थ शाखाओं को सारी सतर्कता संसूचनाओं विशेषकर सी.बी.एस. वातावरण में धोखाधड़ियों की रोक-थाम करने के लिए तत्काल अद्यतन सूचना प्राप्त हो सके।

सतर्कता विभाग की सक्रियता व गतिशीलता की बदौलत सतर्कता मामलों को आरोप पत्र जारी करने की तारीख से उन्हें समाप्त करने में लगने वाली अवधि को 6 महीने से कम करने की दिशा में समय पर कदम उठा सका। प्राप्त समस्त परिवादों को 2 महीनों की कम अवधि में निपटा दिया गया। 'सचेतक तंत्र' को प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणामस्वरूप कई कपट व्यक्तियों को रोका जा सका।

बैंक के सतर्कता प्रबंधन और कारोबार विकास कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करते रहे।

सुरक्षा प्रबंध

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक में सुरक्षा का माहौल आम तौर पर सामान्य रहा। 68 घटनाएं हुई हैं जिसमें ₹ 30 लाख की हानि हुई है। वर्ष के दौरान एक प्रमुख अग्नि संबंधी हानि हुई है जिसमें लगभग ₹ 15.30 लाख की हानि हुई। सभी करेन्सी चेस्टों और चुनिंदा शाखाओं में सी.सी.टी.वी. स्थापित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई। कुछ चयनित कार्यालयों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा साधन प्रारंभ किए गए आर्स्टि हानि और चोट निवारण तथा जीव हानि कम करने के लिए नियमित अंतरालों पर अग्नि सुरक्षा व्यायाम का प्रारंभ तथा अभ्यास किया गया।

in various areas and wherever required recommends changes to strengthen prevention of frauds and eradication of corruption. To educate the employees of the Bank, the Wing brings out various Fraud awareness Circulars and other periodical publications. During the year, the Wing has brought out a Compendium on Vigilance and Disciplinary matters - a comprehensive reference book on all Vigilance aspects.

The Wing has organized Training Programmes and Conferences for the benefit of all CVOs of all Banks. In addition, the Wing has undertaken the task of imparting training to the Police Department Personnel on issues relating to frauds in Banks, particularly on Cyber Crime matters having severe impact on the technological advancements in the Industry.

As per the directions of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness period was observed from 25th October 2010 to 1st November 2010. This year the main focus was on the 'Generation of Awareness and Publicity against Corruption'. While all the Circles of the Bank observed the Awareness Period with alacrity, the culmination of the event was marked by the Guest Lecture rendered by the eminent Lokayukta of Karnataka State, Hon'ble Justice N Santosh Hegde.

The Wing has also introduced a New Link on the intranet, enabling even the remote branches to have an instant updation of all Vigilance Communications, especially on fraud prevention in CBS environment.

The vibrancy and dynamism of the Vigilance Wing has enabled the Bank to take timely steps to improve the turnover time to less than six months, for closure of vigilance cases, from the date of issue of charge sheet. All complaints received are disposed off in less than two months. The 'Whistle Blowing' mechanism has been encouraged, as a result of which, many fraudsters have been brought to book.

The Vigilance Management function has gone hand-in-hand with the business development function of the Bank.

Security Arrangements

The security environment in the Bank remained, by and large, normal during 2010-11. There were 68 incidents of crime during the year involving a loss of ₹30 lakh. There was one major fire incident during the year and loss approximated to ₹ 15.30 lakh. The security arrangements have been reinforced by installation of CCTV in all Currency Chests and identified branches. Modern fire safety devices have been introduced at select offices. Fire safety drills have been introduced and conducted at regular intervals in order to minimize damage to property and prevent injury and loss of life.



प्रवर्धमान परिवेश

वर्ष के दौरान, प्रमुख स्थानों पर खोली गई सभी नई शाखाओं तथा नए परिसर में स्थानांतरित शाखाओं में ग्राहकों की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु उचित आंतरिक सज्जा की गई। जितना संभव था उतनी नई शाखाएं भू तल पर खोली गईं। इसके अलावा, कंप्यूटर वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक द्वारा उचित आंतरिक व्यवस्था की जा रही है और सभी शाखाओं का परिवेश भी सुधारने का प्रस्ताव है। प्रवर्धमान परिवेश को वित्तीय वर्ष 12 के लिए मुख्य कार्यसूची के रूप में लिया गया है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, बैंक ने एक अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केंद्र की स्थापना, सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए, की है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए केनरा बैंक ने अपने सभी 34 क्षेत्रों/अंचलों में जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकृतों को नामित किया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने 3541 सूचना का अधिकार आवेदन, 531 प्रथम अपील तथा 155 द्वितीय अपीलें प्राप्त कीं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड योजना में क्षेत्र ग में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिरुवनंतपुरम और कोयंबतूर, जहाँ बैंक उन समितियों का संयोजक है, को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के क्रमशः प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा बैंक के अंचलों को राजभाषा विभाग, भारत सरकार और संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कई पुरस्कार प्राप्त हुए।

यथा मार्च 2011 को करीब 95% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत 2192 शाखाओं को अधिसूचित किया। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले समस्त कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कराया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए 120 पुनश्चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

Ambience Improvement

All the new branches opened in prime localities and branches shifted to new premises during the year were provided with suitable interior to meet the present day requirements of the customers. New branches were opened in Ground Floor as far as possible. Besides, the Bank is providing better interiors to augment the requirements of computer environment and also proposes to enhance the ambience at all branches. Ambience improvement has been taken as a core agenda for FY12.

Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, the Bank set up an exclusive Right to Information Act outfit to provide information and bring transparency. As per the requirement of the RTI Act, Canara Bank nominated Public Information Officers and Appellate Authorities in all its 34 Zonal/Circle Offices to provide information to the applicants. During the Financial Year 2010-11, Bank received 3541 RTI applications, 531 First Appeals and 155 Second Appeals as per the provisions of RTI Act, 2005.

Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review. The Bank was awarded second prize in Region "C" under Reserve Bank of India Shield Scheme. Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Trivandrum and Coimbatore, where the Bank is the Convenor, were awarded first prize and third prize respectively by the Regional Implementation Office, Department of Official Language, Government of India. Apart from this, many Zones/Circles and branches have received awards from Official Language Department, Government of India and the respective Town Official Language Implementation Committees.

As at March 2011, around 95% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 2192 Branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in Hindi workshops. The Bank has conducted 120 refresher training programmes for such employees during the year.



राजभाषा हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के क्षेत्र में बैंक ने यूनिकोड के प्रयोग को आगे बढ़ाया और दस भारतीय भाषाओं में संव्यवहार चलाने के लिए ए.टी.एम. पर्दों पर प्रावधान करवाया। हिन्दी और अंग्रेजी तथा अन्य 6 प्रधान क्षेत्रीय भाषाओं में टेली बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतया द्विभाषी है। कोर बैंकिंग कार्य पद्धति में हिन्दी का विकल्प देने की पहल की गई। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में एक-एक शाखा में प्रायोगिक तौर पर हिन्दी का विकल्प कामियाबी के साथ लगाया गया। बैंक की द्विभाषी पता पुस्तिका " केनपता " इलक्ट्रॉनिक रूप में समस्त शाखाओं तथा कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई।

बैंक में राजभाषा हिन्दी के प्रभावशाली कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा 'केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना' के नाम से रूपायित पुरस्कार योजना के तहत शाखाओं और कार्यालयों को 148 पुरस्कार प्रदान किए गए और 'राजभाषा पुरस्कार योजना' के तहत 103 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी में नोटिंग करने में कार्यपालकों की मदद करने के लिए "कार्यपालक नोटिंग सहायिका - टेबल टॉप" बनाया गया जिसे हिन्दी दिवस समारोह के दौरान हमारे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा लोकार्पित किया गया। हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक हिन्दी पत्रिका " केनरा ज्योति " प्रकाशित की गई।

संसदीय राजभाषा समिति ने बैंक की कुछ शाखाओं और दिल्ली और कोयंबतूर में बैंक के अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति ने बैंक द्वारा राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की।

खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक ने हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहन तथा समर्थन दिया है और देशभर की खेलकूद गतिविधियों में उदार अंशदान प्रदान किया है, टूर्नामेंट प्रायोजित किया है और प्रतिभायुक्त खिलाड़ियों को विद्यार्थी वेतन प्रदान किया है। बैंक द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती में विशेष रुचि दिखाई गई और वर्तमान में बैंक में 6 क्षेत्र में अर्थात् क्रिकेट, हॉकी, महिला अथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन व टेबल टेनिस में 41 खिलाड़ी कार्यरत हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी - श्री बी के वेकटेश प्रसाद, श्री सुनील जोषी, सुश्री शांता रंगस्वामी, सुश्री कल्पना और सुश्री सुधा शाह (भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच) वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं। प्रसिद्ध शटल खिलाड़ी और भूतपूर्व राष्ट्रीय चैम्पियन और भारतीय बैडमिंटन का पूर्व कोच - श्री यू विमल कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अथलेट - श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा तथा श्रीमती एच एम ज्योति और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी - श्री भरत छेत्री तथा श्री पी षण्मुगम भी बैंक में कार्यरत हैं।

खेलकूद क्षेत्र में केनरा बैंक ने कई श्रेष्ठ उपलब्धियाँ हासिल की हैं और बैंक की क्रिकेट, बॉल बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस टीम कर्नाटकराज्य में अनन्य स्थान पर है।

In the sphere of using Information Technology in Official Language, the Bank has furthered the use of 'Unicode' and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transactions in 10 Indian languages. Telebanking facility has also been provided in Hindi and English and in other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is fully bilingual. Steps have been initiated for providing Hindi option in Core Banking System. In three pilot branches one each in 'A', 'B' & 'C' region, Hindi option was successfully installed. The Bank's bilingual address booklet 'CANPATHA' is made available to all branches and offices in electronic form.

To encourage effective implementation of Official language in Bank, 148 prizes were given to branches and offices under the award scheme formulated by the Bank viz., Canara Bank Rajbhasha Akhay Yojana and 103 employees were awarded under Rajbhasha Puraskar Yojana.

A table top "Karyapalak Noting Sahayika" was brought out to assist Executives to carry out Notings in Hindi and the same was released by our C&MD on the occasion of Hindi Day Function 2010. Annual Hindi Journal "Canarajyoti" was brought out to encourage original writing in Hindi.

The Parliamentary Committee on Official Language had inspected a few branches and the Bank's Zonal/Circle Offices at Delhi and Coimbatore. The Committee lauded the efforts put by the Bank in the field of Official Language implementation.

Promotion of Sports

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and contributed generously to sporting activities all over the country, sponsoring tournaments and providing scholarships to talented sportspersons. The Bank has also shown a keen and abiding interest in recruiting sportspersons and today has on its rolls 41 sports persons in six disciplines viz., Cricket, Hockey, Women's Athletics, Badminton, Ball Badminton and Table Tennis.

International Cricketers Shri B K Venkatesh Prasad, Shri Sunil Joshi, Ms Shantha Rangaswamy, Ms Kalpana and Ms Sudha Shah (Coach of the Indian Women's Cricket Team) are presently in the Bank's fold. Ace Shuttler and former National Champion and former coach of the Indian Badminton Team, Shri U Vimal Kumar, International Athletes Smt. M K Asha, Smt. Suma Gopalakrishna and Smt. H M Jyothi and Hockey Internationals Shri Bharat Chhetri and Shri P Shanmugam are also in the Bank's rolls.

Canara Bank recorded several distinctions in the sporting arena and the Bank's Cricket, Ball Badminton and Table Tennis Teams rank *numero uno* in the State of Karnataka.



वित्तीय सुपर बाज़ार

अनुषंगियां, प्रायोजित संस्थाएं और संयुक्त उद्यम

केनरा बैंक अपने ग्राहकों को "वन स्टॉप बैंकिंग मार्ट" पेश करने के उद्देश्य से गत 1980 दशकों के दौरान अनुषंगियाँ आरंभ करने के द्वारा विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों में पदार्पण किया। आज, विभिन्न क्षेत्रों में आठ अनुषंगियों/प्रायोजित संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों के साथ वित्तीय सुपर बाज़ार के रूप में काम कर रहा है। भारत में एक शक्तिशाली वित्तीय सुपर बाज़ार के रूप में उभरने के लिए इन निकायों की मौलिकताओं को मजबूत करने की दिशा में बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक की सभी अनुषंगियों, प्रायोजित संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा।

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (सीबीआईएल)

भारतीय स्टेट बैंक के साथ केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम सीबीआईएल ने अप्रैल 2004 के दौरान मास्को, रूस में कारोबार की शुरुआत की। कंपनी ने 31 मार्च 2011 को कर के बाद 2.85 मिलियन यूएस डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल) के न्यासी व प्रबंधक सीवीसीएफएल बैंक की पूर्णतया स्वाधिकृत अनुषंगी है। वर्ष के लिए कंपनी ने 2009-10 के ₹0.71 करोड़ के मुकाबले ₹4.08 करोड़ का लाभ प्राप्त किया। 15.06.2010 को इसने ₹500 करोड़ की मूल निधि के साथ अपनी 5 वीं निधि शुरू की। वर्ष 2010-11 हेतु कंपनी ने 100% लाभांश की सिफारिश की है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

सीएफएचएल देश के प्रख्यात वित्तीय निकायों में से एक है, जिसका प्रायोजन केनरा बैंक द्वारा किया जाता है। यथा 31.03.2011 तक सीएफएचएल में बैंक का हिस्सा 42.35% रहा। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹473 करोड़ का ऋण मंजूर किया, संचित वितरण ₹2199 करोड़ रहा। सीएफएचएल ने वित्तीय वर्ष 11 के लिए ₹42.02 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी का लाभांश 25% रहा।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक प्रमुख फैक्ट्रिंग संस्था है। यह कंपनी फैक्टर्स चेइन इंटरनैशनल जो विश्व में फैक्ट्रिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा संगठन है, का सदस्य है। कंपनी ने 31/03/2011 को ₹3998 करोड़ का कुल कारोबार टर्नओवर किया है। कंपनी ने कर के बाद ₹18.25 करोड़ लाभ अर्जित किया और वित्तीय वर्ष 11 के लिए बैंक को 16% लाभांश अदा किया है। कंपनी को अपनी अल्पकालीन ऋण कार्यक्रम के लिए सीआरआईएस आईएल द्वारा 'P1+' रेटिंग प्राप्त हुई

FINANCIAL SUPERMARKET

Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking Mart' for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket' with as many as eight subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures in diversified areas. The Bank has taken significant steps towards strengthening fundamentals of these entities so as to emerge as a strong 'Financial Supermarket' in India. All the subsidiaries/ sponsored entities/ joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the reporting year.

Commercial Bank of India LLC (CBIL)

CBIL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational since April 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of USD 2.85 million as at 31st March 2011.

Canbank Venture Capital Fund Limited (CVCFL)

CVCFL, the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund (CVCF), is a wholly owned subsidiary of the Bank. For the year, the Company posted a profit of ₹4.08 crore as compared to ₹0.71 crore for 2009-10. It launched its 5th Fund with the corpus of ₹500 crore on 15.06.2010. The Company has proposed a 100% dividend for the year 2010-11.

Can Fin Homes Limited (CFHL)

CFHL, a sponsored entity of Canara Bank, is one of the premier housing finance entities in the country. As at 31.03.2011, the Bank's stake in CFHL was 42.35%. The Company disbursed loans amounting to ₹473 crore during the year, taking cumulative disbursement to ₹2199 crore. CFHL posted a net profit of ₹42.02 crore for FY11. The Company proposed a 25% dividend for the year 2010-11.

Canbank Factors Limited (CFL)

Canbank Factors Limited, which is a factoring subsidiary of the Bank, is a member of Factors Chain International. Factors Chain International is an umbrella organization for factoring companies across the world. The Company achieved a total business turnover of ₹3998 crore as at 31.03.2011. The Company earned Profit after Tax of ₹18.25 crore and paid a dividend of 16% for FY11. The Company enjoys the highest rating of "P1+" by CRISIL for its short term debt programme.



केनबैंक कंप्यूटर सर्विसस लिमिटेड (सीसीएसएल)

सीसीएसएल, देश में किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की एक ही सॉफ्टवेयर अनुषंगी है सीसीएसएल मूलतः आईटी और साफ्टवेयर विकास सेवाएं, प्रशिक्षण/परामर्श एवं रेजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंसी सर्विसस में लगा हुआ है। सीसीएसएल "नासकॉम" (NASSCOM) का सदस्य है और विश्व बैंक की परियोजनाओं के लिए साफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करनेवाले के रूप में पंजीकृत है यथा 31/03/2011 कंपनी ने कर पश्चात् ₹1.26 करोड़ लाभ दर्ज किया है। कंपनी द्वारा केनरा बैंक की कॉल सेंटर गतिविधि और केनरा बैंक के 673 एटीएमों के लिए एटीएम आउट सोर्सड सर्विस को सफलता से निभाया जा रहा है।

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (सी बी एस एल)

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पेहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2007 से पूंजी बाजार संबंधित क्रियाकलापों को प्रधानतया स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं का विविधीकरण किया है।

कंपनी द्वारा संस्थागत और खुदरा दोनों ग्राहकों के लिए स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। खुदरे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग काउंटर इसका प्रधान उत्पाद है तथा मुद्रा व्युत्पन्न में विविधीकरण है। कंपनी ने यथा मार्च 2011 को कर-पश्चात् ₹6.39 करोड़ लाभ अंकित किया है तथा 2010-11 के लिए 10% का लाभांश अदा किया गया।

केनबैंक फिनान्शियल सर्विसस लिमिटेड (केनफिना)

डिक्रीकृत खातों के अधीन देयों की वसूली और पट्टेदार किराये की वसूली पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेनों से उत्पन्न हुए कानूनी मामलों के क्रियाकलापों तक केनबैंक फिनान्शियल सर्विसस लिमिटेड ने अपने कार्य को सीमित रखा है। वर्ष के दौरान केनफिना ने कर-पश्चात् ₹7.57 करोड़ लाभ अंकित किया है। बैंक द्वारा निधि समर्थन में प्रदत्त ₹376.45 करोड़ में से, केनफिना ने ₹326.45 करोड़ की चुकौती की है और वित्तीय वर्ष 12 के दौरान बाकी ₹50 करोड़ की संपूर्ण देयता का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएमसी)

केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए मेसर्स केनबैंक इनवेस्टमेंट सर्विसेस लिमिटेड 1993 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबंधन कंपनी के 49% भाग को मेसर्स रोबेको ग्रुप के पक्ष में अंतरित कर दिया है कि वे केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करें। अब इस कंपनी का केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। बैंक के विस्तृत तंत्र के समर्थन के साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय आचरणों को लाकर परस्पर निधि उद्योग के एक अच्छे बाजार हिस्से को हथियाना इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य है। 51% का बहुमत हिस्सा बैंक में रहने के साथ कंपनी के असेट अंडर मेनेजमेंट ₹5593 करोड़ रहा और कॉर्पस निधि ₹4115 करोड़ रहा, जिसका मार्च 2011 को 4.44 लाख निवेशक थे।

Canbank Computer Services Limited (CCSL)

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a public sector bank in the country. CCSL is primarily engaged in IT and Software development services, training/consultancy and registrar and share transfer agency. The Company is a member of the NASSCOM and Registered as a software solution provider for World Bank projects. The Company has posted profit after tax of ₹1.26 crore as on 31.03.2011. The Company has been successfully managing the Call Centre activity and ATM outsourced services for 673 ATMs of Canara Bank.

Canara Bank Securities Limited (CBSL)

Canara Bank Securities Limited (formerly Gilt Securities Trading Corporation Limited) has diversified into Capital Market related activities, mainly stock broking since 2007.

The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product and has diversified into Currency Derivatives. The Company has posted a Profit after Tax of ₹6.39 crore as at March 2011 and paid a dividend of 10% for 2010-11.

Canbank Financial Services Limited (Canfina)

Canbank Financial Services Ltd confined its activities to legal matters arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed Accounts. During the year, Canfina posted a profit after tax of ₹7.57 crore. It has repaid ₹326.45 crore out of the funding support of ₹376.45 crore given by the Bank and proposes to clear the outstanding liability of ₹50 crore during FY12.

Canara Robeco Asset Management Company Limited (CRAMC)

To manage assets of Canbank Mutual Fund M/s Canbank Investment Management Services Limited (CIMS) was established in 1993. In the year 2007, Canara Bank divested 49% stake of Asset Management Company in favour of M/s Robeco Groep N V forming a joint venture, for managing the assets of Canbank Mutual Fund. The Company has since been renamed as Canara Robeco Asset Management Company Limited. The JV aims to capture a worthwhile market share of Mutual Fund industry by bringing best international practices and expertise supported by the vast network of the Bank. With a majority share of 51% held by the Bank, Assets Under Management (AUM) of the Company was ₹5593 crore and Corpus fund was ₹4115 crore, with investors base of 4.44 lakhs as at March 2011.



अब कंपनी 27 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। वर्ष 2010-11 के लिए इसने निवल लाभ ₹6.11 करोड़ दर्ज किया। आईसीआरए, सीएनबीसी टीवी 18, सीआरआईएसआईएल म्यूचुअल फंड पुरस्कार व कारोबार विश्व एम एफ पुरस्कार 2010 द्वारा आय निधि क्षेत्र के तहत आय निधि योजना को सर्वोत्तम निधि योजना पुरस्कार प्रदान किया गया। एनडीटीवी प्रोफिट एम एफ अवार्ड 2010 द्वारा ईक्विटी डाइवर्सिफाइड एंड ईक्विटी टैक्स सेवर योजनाओं को क्रमशः ईक्विटी:लार्ज एंड मिड कैप तथा 'ईक्विटी:टैक्स प्लानिंग' के तहत सर्वोत्तम निधि पुरस्कार प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 10 में कंपनी ने अपना स्थान 32 निधि गृहों में से 26वें स्थान से वित्तीय वर्ष 11 में 42 निधि गृहों में से 16वें स्थान पर पहुँच गया है।

केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एच.एस.बी.सी. बीमा (एशिया पसिफिक) धारण और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। सितंबर 2007 के दौरान कंपनी को निगमित किया गया। कंपनी में 51% प्रधान शेयर धारण के साथ बैंक ने एक अलग संविभाग में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और अपने खुद के घरेलू पहुंच के सुंदर मेल मिलाप के साथ प्रविष्ट किया

कंपनी ने अपना कारोबार परिचालन कई उत्पादों के साथ 16/06/2008 से प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान कंपनी का निवेश ₹2740 करोड़ रहा। कंपनी ने ₹802 करोड़ का वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (ए.पी.ई.) पंजीकृत किया है तथा प्रारंभ से अब तक की कुल प्रीमियम ₹1500 करोड़ पार किया है और 33 महीनों के रिकार्ड समय में यह उपलब्धि अत्यंत तेजी से हासिल की है। भारत में बीमा क्षेत्र में 22 निजी संस्थाओं में से हमारी कंपनी 10 वां स्थान प्राप्त कर चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.)

केनरा बैंक ने 806 शाखाओं के साथ तीन राज्यों में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है नामशः कर्नाटक राज्य में प्रगति ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य में श्रेयस ग्रामीण बैंक और केरल राज्य में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक। यथा मार्च 2011 को ₹148 करोड़ के सम्मिश्रित परिचालनात्मक लाभ और ₹72.49 करोड़ के करोत्तर लाभ के साथ केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ कमा रहे हैं। यथा मार्च 2011 को इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र व्यापार स्तर ₹19860 करोड़ तक रहा जिसमें ₹10698 करोड़ जमाएँ और ₹9162 करोड़ अग्रिम रहे। यथा मार्च 2011 को हमारे सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल एन पी ए अनुपात 2.93% रहा और निवल एन.पी.ए. 1.26% रहा। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 87% होते हैं। यथा मार्च 2011 को कृषि ऋण बकाया ₹6095 करोड़ रहा।

The Company is currently managing 27 Mutual Fund Schemes. It achieved break even during 2009-10 and has posted a net profit of ₹6.11 crore for the year 2010-11. Income Fund Scheme has been awarded Best Fund Award under Income Fund category by ICRA, CNBC TV 18, CRISIL Mutual Fund Awards and Business World MF Awards 2010. Equity Diversified and Equity Tax Saver Schemes received Best Fund Award under 'Equity: Large & Mid Cap' and 'Equity: Tax Planning' respectively by NDTV Profit MF Awards 2010. In FY11, the Company was ranked 16th out of 42 Fund Houses compared to 26th out of 32 Fund Houses in FY10.

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited

An Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with internationally reputed HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce. The Company was incorporated during September 2007. With a majority shareholding of 51% in the Company, the Bank has ventured into niche segment, with international expertise and domestic outreach.

The Company commenced its business operations from 16.06.2008. The Company's investments during the year stood at ₹2740 crore. It has registered an Annualized Premium Equivalent (APE) of ₹802 crore during the year and crossed ₹1500 crore in terms of total premium since inception. The Company became the fastest to achieve this milestone in a record time of 33 months. Out of the 22 private players in the insurance field in India, the Company ranked 10th.

Regional Rural Banks (RRBs)

Canara Bank has sponsored 3 RRBs in three States with a network of 806 branches, viz., Pragathi Gramin Bank in the State of Karnataka, Shreyas Gramin Bank in the State of Uttar Pradesh and South Malabar Gramin Bank in the State of Kerala. All RRBs sponsored by Canara Bank are profit making as at March 2011 with a combined operating profit level at ₹148 crore and profit after tax of ₹72.49 crore. Aggregate business level of these RRBs stood at ₹19860 crore, comprising ₹10698 crore under deposits and ₹9162 crore under advances as at March 2011. Gross NPA ratio of these RRBs was 2.93% and Net NPA ratio was 1.26% as at March 2011. Priority sector advances constituted 87%. Agriculture credit outstanding stood at ₹6095 crore as at March 2011.



नये तकनीकी उत्पाद

वित्तीय वर्ष 11 के दौरान बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कई नये टेक-उत्पाद जैसे केनरा गिफ्ट कार्ड, केनरा कैपस कार्ड, केनरा प्लैटिनम कार्ड, बिल भुगतान के लिए बिल डेस्क, व्यापारी संस्थानों पर बिक्री के स्थान पर नकद आहरण मशीनें, वीज़ा मनी ट्रान्सफर तथा एसबीए सुविधा उपलब्ध कराई। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ने 6 जून 2011 को एक अन्य उत्पाद - मोबाइल बैंकिंग शुरू किया, जिसका विमोचन बेंगलूर में भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने किया।

आईएफआरएस का समामेलन

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के आसान समामेलन के लिए बैंक ने बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने आगे उठाये जाने वाले कदमों के लिए प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया है।

बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें कार्यपालक निदेशक द्वारा परियोजना संचालन समिति की अध्यक्षता की जाती है आईएफआरएस संरचना के आसान संक्रमण, लेखा नीतियों को बनाने तथा समामेलन के लिए समाधान, समानांतर रिपोर्टिंग पर पूर्ण व अच्छे आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने, लेखापरीक्षा तुलन पत्रों के लेखापरीक्षकों की सिफारिश व लेखापरीक्षकों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों निर्धारित करने और बाहरी विश्व को आईएफआरएस समामेलन के प्रभावों के समय पर संप्रेषण की जिम्मेदारी समिति की है।

पुरस्कार / प्रशस्तियाँ

विभिन्न पहलुओं की पहचान के रूप में बैंक को वर्ष के दौरान कई पुरस्कार और प्रशस्तियाँ हासिल हुई। प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों में से कुछ निम्नवत् हैं:

- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत तथा देश में केवीआईसी की ब्याज अनुषंगी पात्रता योजना(आईएसईसी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक के रूप में द्वितीय सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बैंक ने निम्न क्षेत्रों में पब्लिक रिलेशन्स काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा 4 पुरस्कार प्राप्त किये:
 - कॉर्पोरेट फिल्म (टीवी कमर्शियल) के लिए रजत पुरस्कार - अंग्रेजी
 - गृह पत्रिका के लिए कांस्य पुरस्कार - भाषाएँ
 - टेबल कैलेंडर के लिए कांस्य पुरस्कार
 - कॉर्पोरेट विज्ञापन के लिए कांस्य पुरस्कार - एकल - अंग्रेजी

NEW TECHNOLOGY PRODUCTS

The Bank has further enhanced its basket of new tech-products for customer convenience like Canara Gift Cards, Canara Campus Card, Canara Platinum Card, Bills Desk for utility bills payment, Cash withdrawal at Point of Sale (PoS) machines at Merchant Establishments, VISA money transfer and the ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility during FY11. The Bank has launched another new product, viz., Mobile Banking, for the convenience of customers on 6th June 2011, inaugurated by Smt. Shyamala Gopinath, Deputy Governor, RBI at Bangalore.

CONVERGENCE TO IFRS

The Bank has appointed External Consultant for smooth convergence to International Financial Reporting Standards (IFRS). The consultant has submitted the impact study for initiating further steps.

Bank has formed a high level Committee viz., Project Steering Committee headed by Executive Director as Chairman. The Committee is responsible for smooth transition to IFRS framework, framing accounting policies and solution for convergence, ensuring adequate and sound internal control over parallel run reporting, recommending auditors to audit opening Balance sheet and fixing the auditors' role and responsibilities and responsible for timely communication of impact of IFRS convergence to External World.

AWARDS/ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with several awards and accolades during the year. Some prominent awards received are as under:

- The Bank has been conferred with the Second Best Bank Award under National Awards for Excellence in lending to Micro Enterprises for the year 2009-10, by the Ministry of MSME and Outstanding Performer at National level for implementation of Interest Subsidy Eligibility Scheme (ISEC) of KVIC in the country for 2009-10.
- The Bank was conferred 4 awards by the Public Relations Council of India (PRCI), in the following categories
 - Silver Award for Corporate Film (TV Commercial) - English
 - Bronze Award for House Journal/Magazine-Languages
 - Bronze Award for Table Calendar
 - Bronze Award for Corporate Advertisement - Single-English



बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की संयुक्त परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। भा रि बैं के विनियमक अपेक्षाओं, भारत सरकार के निर्देशों और वर्तमान संदर्भ में बैंक की उभरती हुई अपेक्षाओं के आलोक में वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को सुचारु रूप देने के समरस प्रयास किए गए हैं। तदनुसार, अन्यो के साथ-साथ ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन, देश जोखिम, प्रतिपक्षीय बैंक जोखिम, कार्पोरेट गवरनेन्स, संपाश्विक प्रबंधन, स्ट्रेस परीक्षण, अनुपालन कार्य, डिजास्टर रिकवरी और व्यापार निरंतरता योजना, व्यापारिक मार्ग, आई सी ए ए पी, अपने ग्राहक को जानिये, ए एम एल, वसूली और निवेश संबंधी नीतियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2010-11 ने बैंक के निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन देखे।

- 22.06.2010 को श्री खालीद लुक्मन बिलग्रामी, सनदी लेखाकार अंश-कालिक अनधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किये गये
- 19.07.2010 को श्री सुनील गुप्ता ने अंश-कालिक अनधिकारिक निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया
- 27.07.2010 से श्री सनील गुप्ता व श्री पी.वी.मैय्या शेयरधारकों के रूप में चुने गये।
- श्रीमती वाणी जे शर्मा के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक नामिती के रूप में श्री जी पद्मनाभन को नामित किया गया। निदेशक मंडल की निदेशक श्रीमती वाणी जे शर्मा की अवधि 29.07.2010 को समाप्त हुई।
- श्री ए सी महाजन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने 31.07.2010 को अधिवार्षिकी को प्राप्त किया।
- 01.09.2010 को श्री एस रामन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।
- डॉ के पी कृष्णन के स्थान पर भारत सरकार नामित निदेशक के रूप में डॉ थॉमस मैथ्यु को नामित किया गया। निदेशक मंडल की निदेशक डॉ के पी कृष्णन की अवधि 28.10.2010 को समाप्त हुई।
- डॉ योगेन्द्र पति त्रीपाठी की अवधि 22.11.2010 को समाप्त हुई।
- 14.12.2010 को श्री जी वी मणिमारन कामगारों को छोड़कर अन्य कर्मियों के प्रतिनिधि निदेशक नामित किये गये।

VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Know Your Customers (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Recovery and Investments.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2010-11 saw changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

- Shri Khalid Luqman Bilgrami, Chartered Accountant, nominated as Part-time Non-Official Director on 22.06.2010.
- Shri Sunil Gupta resigned as Part-time Non-official Director on 19.07.2010.
- Shri Sunil Gupta and Shri P. V. Maiya were elected as Shareholder Directors with effect from 27.07.2010.
- Shri. G. Padmanabhan nominated as Reserve Bank of India Nominee in place of Smt. Vani J. Sharma. The term of Smt. Vani J. Sharma as Director on the Board of the Bank ended on 29.07.2010.
- Shri. A. C. Mahajan, Chairman and Managing Director, attained superannuation on 31.07.2010.
- Shri. S. Raman appointed as Chairman and Managing Director on 01.09.2010.
- Dr. Thomas Mathew nominated as Government of India Nominee Director in place of Dr K. P. Krishnan. The term of Dr K. P. Krishnan as Director on the Board of the Bank ended on 28.10.2010.
- The term of Dr. Yogendra Pati Tripathi as Director ended on 22.11.2010.
- Shri. G. V. Manimaran nominated as Other than Workmen Representative Director on 14.12.2010.



वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के बोर्ड के नवनियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त ब्योरा

- **एस रामन** बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। आप बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारी हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान, मुंबई के सर्टीफाइड एसोसिएट हैं। आपका बैंक ऑफ इंडिया में 34 वर्षों का अनुभव है और कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और मानव संसाधन विकास समाहित विभिन्न विभागों में काम किया है। आप 1983-1987 तक जर्सी (यूके) में और जून 2005 से अक्टूबर 2008 तक बैंक ऑफ इंडिया के अमेरिकी परिचालनों के मुख्य कार्यपालक रहे। 15 अक्टूबर 2008 को आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। 1 सितम्बर 2010 से आप बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं।
- **डॉ थामस मैथ्यु** बैंक के बोर्ड में भारत सरकार नामिती निदेशक हैं। आप भारतीय प्रशासन सेवा के 1983 बैच के अधिकारी रहे। आप जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातकोत्तर डिग्री और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से सामरिकी अध्ययन में एम फिल डिग्री और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अमेरिकी विदेशी नीति पर डॉक्टरेट उपाधी प्राप्त की हैं। आप रक्षा सेवा और विश्लेषण संस्थान के उप महा निदेशक रहे। वर्तमान में आप वित्तीय मंत्रालय (पूँजी बाज़ार) के संयुक्त सचिव हैं। 29 अक्टूबर 2010 से आप बैंक के निदेशक हैं।
- **जी पद्मनाभन** बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक हैं। आप कला में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टीफिकेट एसोसिएट और कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। आप भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान एवं निपटान पद्धति विभाग, मुंबई के मुख्य महा प्रबंधक हैं। आप 30 जुलाई 2010 से बैंक के निदेशक हैं। बैंक विनियमन व पर्यवेक्षण, भारत में विदेशी विनियम बाज़ार की विनियमन व पर्यवेक्षण और बाज़ार के विनियमन व पर्यवेक्षण में आपका कार्यानुभव है।
- **जी वी मणिमारन** 14 दिसम्बर 2010 से बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक हैं। आप कृषि शास्त्र में स्नातक की डिग्री धारक हैं और भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टीफिकेट एसोसिएट का प्रथम भाग पूरा किया। आप 19 फरवरी 1986 को कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में बैंक में भर्ती हुए और वर्तमान में आई आई टी शाखा, चेन्नई में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
- **खालिद लुकमान बिलग्रामी** बैंक के अंशकालिक अनधिकारी निदेशक हैं। आप सनदी लेखाकार हैं। औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन और परामर्शदात्री में आपका विस्तृत अनुभव है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विविध सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में कार्यरत थे। 22 जून 2010 से आप बैंक के निदेशक हैं।

Brief Profile of the newly appointed Directors of the Board of the Bank during 2010-11

- **S Raman** is the Chairman and Managing Director of the Bank. He holds a Master's Degree in Economics from Nagpur University. He also holds a Diploma in Business Management and is an Associate of the Chartered Institute of Bankers, London. Further, he is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers, Mumbai. He has over 34 years of experience in Bank of India and has had exposure to different segments, including Corporate Banking, International Business and Human Resource Development. He had two overseas assignments at Jersey (UK) from 1983-1987 and was the Chief Executive of Bank of India's US operations from June 2005 to October 2008. He joined the Union Bank of India as Executive Director on October 15, 2008. He is the Chairman and Managing Director of the Bank since September 1, 2010.
- **Dr. Thomas Mathew** is the GOI Nominee Director on the Board of the Bank since October 29, 2010. He is an Officer of the 1983 batch of the Indian Administrative Service. He holds a Master's Degree in International Relations from Jawaharlal Nehru University, New Delhi and an M. Phil in Strategic Studies from the School of International Studies and a Doctorate on US Foreign Policy from Jawaharlal Nehru University. He was the Deputy Director General of the Institute for Defence Service and Analysis. He is currently the Joint Secretary, Ministry of Finance (Capital Markets).
- **G Padmanabhan, M.A, CAIIB, MBA** is the RBI Nominee Director of the Bank since 30.07.2010. He is the Chief General Manager of RBI, currently heading the Department of Payment and Settlement System, of the Bank in Mumbai. Areas of work experience include Bank Regulation & Supervision, Regulation & Supervision of the Foreign Exchange Market in India as also Regulation and Supervision of Markets.
- **G V Manimaran, B.Sc., (Agri), CAIIB Part-I** is the officer employee Director of the Bank since December 14, 2010. He joined the Bank on February 19, 1986 as Agriculture Extension Officer and is currently working in IIT Branch, Chennai as Manager.
- **Khalid Luqman Bilgrami** is a Part-time Non-official Director of the Bank under Chartered Accountant category. He has extensive experience in Management and Consultancy in Industrial Sector and has exposure to diverse socio-economic development projects spanning various Ministries/Departments in Government of India. He has been a Director of the Bank since June 22, 2010.



- **पी वी मय्या** बैंक के बोर्ड के शेयरधारक निदेशक हैं। आप कला (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं और भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफिकेट एसोसिएट धारक हैं। भारतीय स्टेट बैंक में आपका 32 वर्षों का अनुभव है जिसमें उनके विदेशी कार्यालयों में चार वर्षों का अनुभव भी शामिल है। आप भारतीय जहाज रानी साख और निवेश निगम के कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक के बोर्ड में निदेशक रहे। आप आई सी आई सी आई बैंक के संस्थापक अध्यक्ष रहे और सी डी एस एल के प्रथम प्रबंध निदेशक रहे। आप 27 जुलाई 2010 से बैंक के निदेशक हैं।
- **सुनील गुप्ता** बैंक के शेयरधारक निदेशक हैं। आप वाणिज्य शास्त्र में स्नातक डिग्री धारक और सनदी लेखाकार हैं। आप बैंकिंग, वित्त और आयकर विधि में अनुभवी हैं। आप 1986 से पेशेवर सनदी लेखाकार हैं। आगे, 23 नवम्बर 2007 से 19 जुलाई 2010 तक बैंक के बोर्ड के अनधिकारिक अंशकालिक निदेशक रहे। 27 जुलाई 2010 से आप बैंक के निदेशक हैं।

- **PV Maiya** is the Shareholder Director of the Bank since 27.07.2010. He holds a Master's degree in Economics and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He has more than 32 years of experience in State Bank of India, including a four years of experience in their foreign offices. He was the Executive Director of Shipping Credit and Investment Corporation of India, a Director on the Board of Indian Bank. He is the founder Chairman of ICICI Bank and was the first Managing Director of CDSL.
- **Sunil Gupta** is a Share holder Director of the Bank. He holds a Degree in Commerce and is a Chartered Accountant. He has experience in Banking, Finance and Income tax laws. He has been in professional practice as a Chartered Accountant since 1986. Further, he was a Non-official Part-time Director on the Board of the Bank since November 23, 2007 to July 19, 2010. He has been a Share holder Director of the Bank since July 27, 2010.

निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

निदेशक, मार्च 31, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्न की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है। और उनका निरंतर अनुप्रयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं , जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों का निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संस्था होने के आधार पर की है।

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.



धन्यवाद

बैंक के लिए वर्ष 2010-11 अत्यंत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसने अपने कारोबार विकास की गति बनाये रखा, कारोबार के मीलपत्थरों को पार किया और लाभों व लाभप्रदता की गति को बनाये रखा। शेयरधारक, ग्राहक, निवेशकर्ता, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कर्मचारियों और समूची जनता आदि अपने सभी हितधारकों के लाभार्थ बैंक ने कई पहल की हैं।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु बैंक के सभी निदेशक तथा निदेशक मंडल में अपना कार्यकाल पूरा करनेवाले निदेशकों के प्रति, उनके प्रयास हेतु ग्राहकों के प्रति, उनके समर्थन के लिए शेयर धारकों प्रति, उनके अमूल्य मार्गदर्शन व समर्थन हेतु सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति, उनके सहयोग व सद्भावना हेतु देश और विदेश स्थित बैंक के संवाददाताओं के प्रति तथा सर्वोत्कृष्टता की ओर यात्रा में उनके संपूर्ण समर्थन के लिए सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहता है।

एस रामन

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ACKNOWLEDGEMENT

2010-11 was an eventful year for the Bank as it sustained the business growth momentum, surpassed business milestones and maintained growth under profits and profitability. The Bank made several initiatives to maximize rewards for all its stakeholders, viz., shareholders, customers, investors, Government, RBI, employees and the public at large.

The Board sincerely appreciates the significant contribution made by the Directors on the Bank's Board and the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government and the RBI for their valuable guidance and support, to the Bank's correspondents inland and abroad for their co-operation and goodwill and to all the staff members for their full support in the journey towards high growth and collective excellence.

S RAMAN

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक
मंडल की रिपोर्ट
2010-2011

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स में बैंक का दर्शन :

"कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभदायकता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के स्तर में उभर आना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधनतंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वातालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर समाज को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार किया गया।

बैंक के बोर्ड के गणमान्य व्यक्ति, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उन की उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

Report of the Board of Directors on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, Shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970.

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.



3) लेखापरीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा प्रशासित है:

- i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है ।
- ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्न कार्य शामिल हैं:
 - क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना ।
 - ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना तथा
 - ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा , आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता , गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम स्वरूप देने के पहले, बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।
- iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति दीर्घरूपी फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा करती है ।
- iv) यह समिति भा.रि.बैं. की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों /टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है ।
- v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO.4/08.91.20.2010-11 दिनांक 10/11/2010 द्वारा समीक्षा कैलेंडर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा कैलेंडर के लिए बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेंडर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है ।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट " क " एवं " ख " में दिये गये हैं ।

3) Audit Committee :

The formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India.

- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The terms of reference of ACB includes the following:
 - a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
 - b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
 - c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.
- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) पारिश्रमिक समिति :

निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005 - बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

4.1 वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन (बकाया राशि के साथ) विवरण निम्नवत् है :

नाम व पदनाम	राशि (₹)
श्री एस रामन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	8,32,921.00
श्री जगदीश पै के एल कार्यपालक निदेशक	19,11,686.30
श्री एच एस उपेन्द्र कामत कार्यपालक निदेशक	19,01,759.40
श्री ए सी महाजन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31/07/2010 तक)	18,46,628.68

4.2 गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जाती है।

5(1) शेयर धारक/निवेशक परिवाद निवारण समिति:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार शेयरधारक / निवेशक परिवाद समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, शेयर प्रमाण पत्र / धन वापसी आदेश / लाभांश वारंट प्राप्त होना आदि के संबंध में शेयरधारकों / निवेशकों के परिवाद के निवारण का अनुपवर्तन किया जाता है।

4) Remuneration Committee:

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of GOI Letter F.No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007 Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance as per GOI guidelines. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4.1 The details of salary paid (including arrears) to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2010-11 are furnished here under.

Name & Designation	Amount (₹)
Shri S Raman Chairman & Managing Director	8,32,921.00
Shri. Jagdish Pai K L Executive Director	19,11,686.30
Shri H S Upendra Kamath Executive Director	19,01,759.40
Shri. A C Mahajan Chairman & Managing Director (upto 31.07.2010)	18,46,628.68

4.2 Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India.

5(1) Shareholders'/ Investors' Grievances Committee :

The Shareholders'/Investors' Grievances Committee has been constituted in terms of Clause 49 of the Listing Agreement. The Committee monitors the redressal of the Shareholders'/Investors' grievances like transfer of shares, non- receipt of shares certificate/refund order/dividend warrants, etc.

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी :	
प्राप्त परिवादों की संख्या	1354
ऐसे परिवाद जिनके समाधान से शेयरधारकों संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित परिवाद	शून्य

उपर्युक्त परिवाद में से एक भी परिवाद एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

सूचीकरण करार के खंड 47 (क) के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारक/निवेशकों के परिवाद समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट क एवं ख में दिये गये हैं।

(2) अन्य समितियाँ :

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता/निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों/अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट क एवं ख में दिये गये हैं।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुसार बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ स्थापित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति स्थापित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

Shareholder's Grievances Statistics:	
Complaints Received	1354
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending Complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

In terms of Clause 47 (a) of the Listing Agreement, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Shareholders'/Investors' Grievances Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

(2) Other Committees:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

(b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.



चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, तीन उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी साहयता की जाती है।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध क और ख में दिये गये हैं।

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है:

क) तरलता जोखिम प्रबंधन

ख) बाजार जोखिम प्रबंधन

ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन

घ) निधीयन एवं पूँजी आयोजना

ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत स्मर से विचार विमर्श करती है।

6) सामान्य बैठकें :

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
18.06.2008	4 अपरहान	चौडय्या मेमोरियल हाल जी डी पार्क एक्सटेंशन व्यालिकावल, बेंगलूर - 560 003
21.07.2009	4 अपरहान	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
19.07.2010	10 प्रातः	

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, three high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The C&MD or ED of the Bank is the Chairman for all the three Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by C&MD or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

(A) Liquidity risk management

(B) Management of market risk

(C) Trading risk management

(D) Funding and capital Planning

(E) Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

6) General Body Meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
18.06.2008	4 pm	Chowdiah Memorial Hall, G D Park Extension, Vyalikaval, Bangalore-560 003
21.07.2009	4 pm	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore 560 001
19.07.2010	10.00 am	

सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अनुसार क्यू.आई.पी.-मार्ग समाहित विभिन्न विकल्पों के जरिए बैंक की पूंजी बढ़ाने के लिए पिछली वार्षिक आम बैठक (यानि 19/07/2010 को आयोजित बैंक की आठवीं आम बैठक) में एक विशेष प्रस्ताव रखा गया।

आठवीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट ख में दिये गये हैं।

7) प्रकटन :

बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन यथा 31.03.2011 के तुलनपत्र के लेखा पर टिप्पणी अनुसूची 17 में प्रकट किये गये हैं।

बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूँजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और नही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्न हद तक किया गया है:

क्रम	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु अर्ह होंगे।	बैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के अनुसार किया गया है। अतः यह खंड बैंक के लिए लागू नहीं है।
2.	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिकसमिति संबंधी समिति गठित की गई है, जिसका ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

One special resolution was put through in last Annual General Meeting (ie., 8th AGM of the Bank held on 19.07.2010) for raising the capital of the Bank through various options including QIP-route as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and there were no postal ballot exercise.

Details of attendance of Directors at the 8th Annual General Meeting are given in Appendix B.

7) Disclosures:

The related party transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 17 of the Balance Sheet as on 31.03.2011.

The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of non-mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement are as under:

Sl.No.	Non Mandatory Requirement	Status of Implementation
1.	The Board A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office.	The Bank is having a whole time C&MD. Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. Hence this clause is not applicable for the Bank.
2.	Remuneration Committee	Remuneration committee has been constituted as per the guidelines of GOI, as detailed elsewhere in the Annual Report.



3.	शेयर धारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है।
4.	लेखा परीक्षा योग्यतायें	बिना शर्त वाले वित्तीय विवरणों के दायरे की ओर जाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।
5.	बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण	प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करने के जरिए बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उनकी जिम्मेदारियों और आचार संहिता संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ कारोबार संबंधी नमूने की सम्पूर्ण समग्र समीक्षा भी प्रदान की जाती है।
6.	गैर-कार्यपालक बोर्ड सदस्यों की मूल्यांकन पद्धति	निदेशक मंडल का समिश्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार विनियमित किया जाता है, अतः यह खंड हमारे लिए लागू नहीं है।
7.	सचेतक नीति	सचेतक नीति का कार्यान्वयन बैंक में भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है और सूचना देने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3.	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
4.	Audit qualifications	Efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
5.	Training of Board Members	The Board Members are imparted training, by deputing them for training programmes conducted by Reputed Agencies. A complete overview of Business Model along with the Government Guidelines regarding their responsibilities and code of conduct is given to each Member.
6.	Mechanism for evaluating non-executive Board Members	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Hence this clause is not applicable for us.
7.	Whistle Blower Policy	Bank has implemented Whistle Blower policy as per extant GOI Guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

8) संप्रेषण का माध्यम :

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के जरिए देता है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल होते हैं। तिसाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक कार्यनिष्पादन के बारे में शेयरधारकों को संबोधित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पत्र के अलावा अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस सूचनाएं एवं www.canarabank.com. नामक वेबसाइट आदि के जरिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन संबंधी समाचार विज्ञप्तियाँ/प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

8) Means of Communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, Financial Results and other price sensitive informations are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2010	29.04.2010	उदयवाणी	बिजनेस लाईन, बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाईनेन्शियल एक्सप्रेस
30.06.2010	19.07.2010	उदयवाणी और प्रजावाणी	मिण्ट, हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी और हिन्दी), बिजनेस स्टैण्डर्ड, डी.एन.ए., बेंगलूर मिरर, फिनान्शियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैण्डर्ड
30.09.2010	21.10.2010	उदयवाणी और सम्युक्ता कर्नाटका	फिनान्शियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन
31.12.2010	01.02.2011	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड, बिजनेस लाइन और हिन्दुस्तान (हिन्दी)

Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2010	29.04.2010	Udayavani	Business Line, Business Standard & Financial Express
30.06.2010	19.07.2010	Udayavani & Prajavaani	Mint, Hindustan Times (English and Hindi), Business Standard, DNA Bangalore Mirror, Financial Express, The Business Line
30.09.2010	21.10.2010	Udayavani & Samyukta Karnataka	Financial Express, Business Standard, Economic Times and Business Line
31.12.2010	01.02.2011	Udayavani	Business Standard, Business Line, & Hindustan (Hindi)

9) सामान्य शेयरधारकों की सूचना:
वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	2010-2011
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित)	08.07.2011 - 18.07.2011
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	13.07.2011
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	18.07.2011
लाभांश भुगतान की तारीख	18.07.2011
लाभांश वारंटों के प्रेषण की संभावित तारीख	25.07.2011

9) General Shareholders' Information:
Financial Calendar

Financial year	2010-2011
Book closure Date (Both days inclusive)	08.07.2011 - 18.07.2011
Last Date for receipt of proxy forms	13.07.2011
Date of Annual General Meeting	18.07.2011
Dividend Payment Date	18.07.2011
Probable date of despatch of dividend warrants	25.07.2011

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1 द बैंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड*	CANBANK
2 बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
3 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1 The Bangalore Stock Exchange Limited*	CANBANK
2 Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
3 National Stock Exchange of India Limited	CANBK

वर्ष 2010-11 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों (द बैंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को छोड़कर) को निर्धारित देय तिथि के अंदर वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

Annual Listing fee to stock exchanges (except to the Bangalore Stock Exchange Limited) for the year 2010-11 have been paid within the prescribed due date.

*सेबी (ईक्विटी शेयरों का सूची से निकाला जाना) विनियम 2009 के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों को 26/05/2010 से मेसर्स बैंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सूची से निकाल दिया गया है। तथापि, बैंक ने राष्ट्रीय टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई तथा एनएसई में सूची को बनाये रखा है।

* The equity shares of the Bank have been delisted from M/s Bangalore Stock Exchange Limited w.e.f 26.05.2010 as per the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. However, the Bank continues listing on Stock Exchanges having nation wide terminals viz., BSE & NSE.

बाजार मूल्य डाटा:

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2010	433	387	15,98,472	434	386	1,86,38,676
मई	2010	443	386	16,79,620	443	386	1,39,91,431
जून	2010	458	345	14,75,504	457	397	1,07,60,139
जुलाई	2010	515	362	28,88,036	515	445	1,47,66,697
अगस्त	2010	540	474	20,14,948	539	474	1,26,72,222
सितंबर	2010	595	510	14,50,635	596	510	1,35,85,518
अक्टूबर	2010	746	540	39,39,404	747	582	2,65,09,431
नवंबर	2010	844	626	45,69,415	844	626	3,83,25,174
दिसंबर	2010	760	605	19,29,873	760	602	1,88,42,286
जनवरी	2011	672	523	29,81,392	672	524	2,15,44,931
फरवरी	2011	622	522	22,19,143	623	519	2,18,77,560
मार्च	2011	639	591	26,83,542	643	591	2,30,65,625

Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2010	433	387	15,98,472	434	386	1,86,38,676
May	2010	443	386	16,79,620	443	386	1,39,91,431
June	2010	458	345	14,75,504	457	397	1,07,60,139
July	2010	515	362	28,88,036	515	445	1,47,66,697
August	2010	540	474	20,14,948	539	474	1,26,72,222
September	2010	595	510	14,50,635	596	510	1,35,85,518
October	2010	746	540	39,39,404	747	582	2,65,09,431
November	2010	844	626	45,69,415	844	626	3,83,25,174
December	2010	760	605	19,29,873	760	602	1,88,42,286
January	2011	672	523	29,81,392	672	524	2,15,44,931
February	2011	622	522	22,19,143	623	519	2,18,77,560
March	2011	639	591	26,83,542	643	591	2,30,65,625

अन्य प्रकटन :

सेबी ने अपने परिपत्र CIR/CFD/DIL/10/2010 दिनांक 16/12/2010 द्वारा ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 5ए में आशोधन किये। आशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक स्क्र में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी को उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

खण्ड 5ए : बैंक ने 2002-03 के दौरान आई.पी.ओ. जारी करके निवेशकों ₹10/- के अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और विभौतिक दोनों स्क्रों में जारी किये। यथा 31/03/2011 को उपर्युक्त आई.पी.ओ. के परिणामस्वरूप भौतिक स्क्र में जारी किये शेयरों के लिए 2200 शेयरों वाले 4 शेयर प्रमाणपत्र ही हैं जो अदावी रह गये हैं। शेयरधारकों को प्रेषित नहीं किया गया है। प्रक्रियानुसार, बैंक के आर. एण्ड टी एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने 03/05/2011 को इन चारों निवेशकों को अनुस्मारक भेजे हैं। उनसे कोई जवाब नहीं मिला है तो दो और अनुस्मारक भेजे जायेंगे।

परिणाम के आधार पर, अदावी उचित खाता खोलना, शेयरों को वि-भौतिक करना, कॉर्पोरेट लाभ जमा करना, वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड 5ए (एच) के मुताबिक सांख्यिकीय डाटा प्रकट करना आदि कदम उठायेगा।



Other Disclosures :

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.


Clause 5 A - The Bank had gone for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode. As on 31.03.2011, for the shares issued in physical form pursuant to the above said IPO, there are only 4 Share Certificates with 2200 shares, which are unclaimed by the shareholders / pending to be dispatched to the shareholders. As per the procedure, the R & T Agents of the Bank, M/s Karvy Computer share Private Limited, Hyderabad, has sent a reminder to these 4 investors on 03.05.2011. Another two reminders would be sent to these investors, in case there is no reply from them.

Based on the outcome, the Bank shall proceed with Opening of Unclaimed Suspense Account, Demating of Shares, Crediting of Corporate Benefits, Disclosing the Statistical Data as per Clause 5A (h) in the Annual Report etc.,


व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices




CANARA BANK Share Price & NSE-Bank Nifty-Low




CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty high




CANARA BANK Share Price & BSE Sensex Low




CANARA BANK Share Price & BSE Sensex high



CANARA BANK Share Price & BSE-Index-Bankex Low



CANARA BANK Share Price & BSE Bankex High



रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
" कार्वी हाउस "
नं. 46, एवेन्यू IV
स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स
हैदराबाद - 500 034

Registrar and Transfer Agent

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: Canara Bank
"Karvy House",
No.46, Avenue IV
Street No.1, Banjara Hills
HYDERABAD – 500 034

शेयर अंतरण प्रणाली

(क) भौतिक शेयर :

शेयरों के अंतरण / प्रेषण के लिए अंतरण विलेख के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अग्रेषित करना चाहिए ।

(ख) विभौतिक स्म में शेयर :

विभौतिक स्म में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी को सिपुर्दगी अनुदेश देने हैं ।

शेयर धारण का संवितरण

श्रेणी वार (31.03.2011)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	300000000	67.72
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	45931757	10.37
3	म्युचुअल फंड	4903743	1.11
4	कार्पोरेट निकाय	4101867	0.92
5	एन आर आई / ओ सी बी	339316	0.08
6	निवासी व्यक्ति / अ.हि.प/ न्यास आदि	21603092	4.88
7	विदेशी संस्थागत निवेशक	66120225	14.92
8	कुल	443000000	100

प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य ₹ 10/- है

Share Transfer System

a) Physical Shares :

The Original Share Certificates along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transfer / transmission of shares.

b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

Distribution of Shareholding

Category wise (31.03.2011)

Sl No.	Category	# No. of Shares	% of Shareholding
1	Government of India	300000000	67.72
2	Banks & Financial Institutions	45931757	10.37
3	Mutual Funds	4903743	1.11
4	Bodies Corporate	4101867	0.92
5	NRIs/OCBs	339316	0.08
6	Resident Individuals/ HUF /Trust etc.	21603092	4.88
7	Foreign Institutional investors	66120225	14.92
8	T O T A L	443000000	100

Nominal value of each share is ₹ 10/-

मूल्य वार: (31 03 2011)

शेयर धारण का नाममात्र मूल्य (₹)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	108898	93.42	13486042	3.04
5001 से 10000	5888	5.05	4931048	1.11
10001 से 20000	843	0.72	1270538	0.29
20001 से 30000	175	0.15	439524	0.10
30001 से 40000	88	0.08	317918	0.07
40001 से 50000	96	0.08	421872	0.10
50001 से 100000	131	0.11	966827	0.22
100001 व उससे अधिक	454	0.39	421166231	95.07
कुल	116573	100	443000000	100

Value wise: (31.03.2011)

Shareholding Nominal value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	108898	93.42	13486042	3.04
5001 to 10000	5888	5.05	4931048	1.11
10001 to 20000	843	0.72	1270538	0.29
20001 to 30000	175	0.15	439524	0.10
30001 to 40000	88	0.08	317918	0.07
40001 to 50000	96	0.08	421872	0.10
50001 to 100000	131	0.11	966827	0.22
100001 and above	454	0.39	421166231	95.07
TOTAL	116573	100	443000000	100

शेयरों का विभौतिकीकरण और नकदी :

बैंक के शेयरों का खरीद-फरोख्त अनिवार्यतया विभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के विभौतिकीकरण के लिए बैंक मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉसिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और मेसर्स सेंट्रल डिपॉसिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सी.एस.डी.एल.) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आबंटित आई.एस.आई.एन. आई.एन.ई. 476ए 01014 है।

जबकि बैंक के शेयरों का विभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होता है, भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार प्रतिभागी के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के विभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी को भेजना है जो उन्हें आगे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे।

विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2011)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	31962	27.42	7526268	1.70
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	62081	53.25	132685637	29.95
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	22530	19.33	302788095	68.35
कुल	116573	100	443000000	100

जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखते बकाया नहीं हैं।

पत्राचार का पता :

केनरा बैंक
सचिवीय विभाग
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सचिवालय
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बैंगलूर - 560 002
ई-मेल आईडी : hosecretarial@canarabank.com

Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat /Physical Holding (31.03.2011)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	31962	27.42	7526268	1.70
Electronic-NSDL	62081	53.25	132685637	29.95
Electronic-CDSL	22530	19.33	302788095	68.35
T O T A L	116573	100	443000000	100

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments

Address for Correspondence :

CANARA BANK
Secretarial Department
C & MD's Secretariat
Head Office, 112, J C Road
Bangalore - 560 002
E-mail ID: hosecretarial@canarabank.com

पारिशिष्ट क / Appendix A

i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2011)

क्र सं	नाम	प्रकार	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री एस रामन	अ व प्र नि	01.09.2010 - 30.09.2012	6
2.	श्री जगदीश पै के एल	का नि	04.02.2009 - 30.06.2011	2
3.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत	का नि	26.03.2009 - 31.03.2011	5
4.	डॉ थॉमस मेथ्यू	भा स	29.10.2010 को नामित	शून्य
5.	श्री जी पद्मनाभन	भा रि बैं	30.07.2010 को नामित	शून्य
6.	श्री डी डी रस्तगी	अ नि	15.09.2008- 14.09.2011	शून्य
7.	श्री जी वी मणिमारन	गैर का नि	14.12.2010 - 13.12.2013	शून्य
8.	श्री खालिद लक्मान बिलग्रामी	गैर का नि	22.06.2010 - 21.06.2013	1
9.	श्री एस शब्बीर पाशा	गैर का नि	20.02.2009 - 19.02.2012	3
10.	श्री पंकज गोपालजी ठक्कर	गैर का नि	20.02.2009-19.02.2012	1
11.	श्री पी वी मय्या	शे नि	27.07.2010 - 26.07.2013	4
12.	श्री सुनील गुप्ता	शे नि	27.07.2010 - 26.07.2013	4

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2011)

Sl No.	Name	Type	Term Of Office	Membership of other Boards
1.	SHRI S RAMAN	C&MD	01.09.2010-30.09.2012	6
2.	SHRI.JAGDISH PAI K L	ED	04.02.2009-30.06.2011	2
3.	SHRI H S UPENDRA KAMATH	ED	26.03.2009-31.03.2011	5
4.	DR. THOMAS MATHEW	GOI	Nominated on 29.10.2010	NIL
5.	SHRI G PADMANABHAN	RBI	Nominated on 30.07.2010	NIL
6.	SHRI D D RUSTAGI	WD	15.09.2008-14.09.2011	NIL
7.	SHRI G V MANIMARAN	OD	14.12.2010-13.12.2013	NIL
8.	SHRI KHALID LUQMAN BILGRAMI	NED	22.06.2010-21.06.2013	1
9.	SHRI S SHABBEER PASHA	NED	20.02.2009-19.02.2012	3
10.	SHRI PANKAJ GOPALJI THACKER	NED	20.02.2009-19.02.2012	1
11.	SHRI P V MAIYA	SD	27.07.2010 - 26.07.2013	4
12.	SHRI SUNIL GUPTA	SD	27.07.2010 - 26.07.2013	4

ii. 2010-2011 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का ब्योरा

1.	श्री सुनील गुप्ता	गैर का नि	23.11.2007-19.07.2010	त्यागपत्र
2.	श्री पी वी मय्या	शे नि	27.07.2007 - 26.07.2010	27.07.2010 से पुन निर्वाचित
3.	श्रीमती वाणी जे शर्मा	भा रि बैं	27.02.2007-29.07.2010	ला न
4.	श्री ए सी महाजन	अ व प्र नि	01.07.2008-31.07.2010	ला न
5.	डॉ के पी कृष्णन	भा स	10.06.2008-28.10.2010	ला न
6.	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी	गैर का नि	23.11.2007-22.11.2010	ला न

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2010-2011

1.	Shri SUNIL GUPTA	NED	23.11.2007-19.07.2010	Resigned
2.	SHRI P. V. MAIYA	SD	27.07.2007-26.07.2010	Re-elected w.e.f 27.07.2010
3.	SMT VANI J. SHARMA	RBI	27.02.2007-29.07.2010	N.A.
4.	Shri A C MAHAJAN	C&MD	01.07.2008-31.07.2010	N.A.
5.	DR. K.P. KRISHNAN	GOI	10.06.2008-28.10.2010	N.A.
6.	DR. YOGENDRA PATI TRIPATHI	NED	23.11.2007-22.11.2010	N.A.

संकेत / KEY

अ व प्र नि / C&MD	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India Director
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India Director
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर कानि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable



iii. बोर्ड की समितियों का सम्मिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री एस रामन Shri S Raman	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्री जी पद्मनाभन / Shri G Padmanabhan श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran श्री खलिद लकमन बिलग्रामी / Shri Khalid Luqman Bilgrami श्री एस शब्बीर पाशा / Shri S Shabbeer Pasha श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री एस रामन Shri S Raman	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्री एस शब्बीर पाशा / Shri S Shabbeer Pasha श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya श्री सुनील गुप्ता / Shri Sunil Gupta
लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	श्री खलीद लुकमन बिलग्रामी Shri Khalid Luqman Bilgrami	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath डॉ थॉमस मैथ्यू / Dr. Thomas Mathew श्री जी पद्मनाभन / Shri G Padmanabhan श्री सुनील गुप्ता / Shri Sunil Gupta
शेयरधारकों/निवेशकों परिवाद निवारण समिति Shareholders'/ Investors' Grievances Committee	श्री सुनील गुप्ता Shri Sunil Gupta	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्री जी वी मणिमारन / Shri G V Manimaran
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ थामस मैथ्यू Dr. Thomas Mathew	श्री जी पद्मनाभन / Shri G Padmanabhan

परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा बैठक	एस.आई. जी. सी बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पारिश्रमिक समिति	पिछली वार्षिक सामान्य समिति	धारित शेयरों
		उपस्थिति/ उपस्थिति/	आयोजित आयोजित	उपस्थिति/ उपस्थिति/	आयोजित आयोजित	उपस्थिति/ उपस्थिति/	आयोजित आयोजित		
1.	श्री एस रामन	8/8	10/10	--	--	4/4	--	X	शून्य
2.	श्री जगदीश पै के एल	14/14	16/16	9/9	1/2	3/5	--	✓	100
3.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत	14/14	14/16	9/9	2/2	4/5	--	✓	50
4.	डॉ थामस मेथ्यू	2/6	--	1/3	--	--	--	X	शून्य
5.	श्री जी पद्मनाभन	5/9	7/10	4/5	--	1/1	--	X	शून्य
6.	श्री डी डी रस्तोगी	11/14	9/10	--	--	--	--	✓	शून्य
7.	श्री जी वी मणिमारन	5/5	3/3	--	1/1	--	--	X	शून्य
8.	श्री खालीद लुकमान बिलग्रामी	10/14	13/13	6/6	--	--	--	✓	200
9.	श्री एस शब्बीर पाशा	14/14	5/5	1/2	--	3/4	--	✓	100
10.	श्री पंकज गोपालजी ठक्कर	9/14	--	--	--	--	--	✓	शून्य
11.	श्री पी वी मय्या	13/14	13/14	--	--	4/5	1/1	✓	200
12.	श्री सुनील गुप्ता	12/14	9/11	8/9	2/2	2/3	--	✓	500

वर्ष 2010-2011 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा

1.	श्री ए सी महाजन	6/6	5/5	--	--	1/1	--	✓	शून्य
2.	डॉ के पी कृष्णन	6/8	--	4/6	--	--	1/1	X	शून्य
3.	श्रीमती वाणी जे शर्मा	5/5	4/4	4/4	--	1/1	1/1	✓	10
4.	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी	9/9	2/2	--	1/1	1/1	1/1	✓	शून्य
		बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	बैठकों की तारीखें	
		27.04.10	27.04.10	28.04.10	19.10.10	15.06.10	22.05.10	19.07.10	
		28.04.10	24.05.10	24.05.10	14.03.11	17.09.10			
		24.05.10	15.06.10	14.06.10		27.01.11			
		15.06.10	07.07.10	17.07.10		12.02.11			
		17.07.10	31.07.10	04.09.10		14.03.11			
		31.07.10	18.08.10	20.10.10					
		04.09.10	17.09.10	29.12.10					
		20.10.10	28.09.10	31.01.11					
		18.11.10	19.10.10	12.02.11					
		29.12.10	18.11.10						
		20.01.11	13.12.10						
		31.01.11	29.12.10						
		07.03.11	20.01.11						
		24.03.11	12.02.11						
			07.03.11						
			24.03.11						

कुंजी :

शे.नि.प स : शेयरधारक/निवेशक परिवाद समिति की बैठक

ला न : लागू नहीं

Appendix B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SIGC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	REMUNERATION COMMITTEE	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held
1.	SHRI S RAMAN	8/8	10/10	--	--	4/4	--	X	Nil
2.	SHRI JAGDISH PAI K L	14/14	16/16	9/9	1/2	3/5	--	✓	100
3.	SHRI H S UPENDRA KAMATH	14/14	14/16	9/9	2/2	4/5	--	✓	50
4.	DR. THOMAS MATHEW	2/6	--	1/3	--	--	--	X	Nil
5.	SHRI G PADMANABHAN	5/9	7/10	4/5	--	1/1	--	X	Nil
6.	SHRI D D RUSTAGI	11/14	9/10	--	--	--	--	✓	Nil
7.	SHRI G V MANIMARAN	5/5	3/3	--	1/1	--	--	X	Nil
8.	SHRI KHAJD LUQMAN BILGRAMI	10/14	13/13	6/6	--	--	--	✓	200
9.	SHRI S SHABBEER PASHA	14/14	5/5	1/2	--	3/4	--	✓	100
10.	SHRI PANKAJ GOPALJI THAKKER	9/14	--	--	--	--	--	✓	Nil
11.	SHRI P V MAIYA	13/14	13/14	--	--	4/5	1/1	✓	200
12.	SHRI SUNIL GUPTA	12/14	9/11	8/9	2/2	2/3	--	✓	500

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2010-2011

1.	SHRI A C MAHAJAN	6/6	5/5	--	--	1/1	--	✓	Nil
2.	DR. K.PKRISHNAN	6/8	--	4/6	--	--	1/1	X	Nil
3.	SMT VANI J. SHARMA	5/5	4/4	4/4	--	1/1	1/1	✓	10
4.	DR. YOGENDRA PATI TRIPATHI	9/9	2/2	--	1/1	1/1	1/1	✓	Nil
		Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	Dates of Meeting	
		27.04.10	27.04.10	28.04.10	19.10.10	15.06.10	22.05.10	19.07.10	
		28.04.10	24.05.10	24.05.10	14.03.11	17.09.10			
		24.05.10	15.06.10	14.06.10		27.01.11			
		15.06.10	07.07.10	17.07.10		12.02.11			
		17.07.10	31.07.10	04.09.10		14.03.11			
		31.07.10	18.08.10	20.10.10					
		04.09.10	17.09.10	29.12.10					
		20.10.10	28.09.10	31.01.11					
		18.11.10	19.10.10	12.02.11					
		29.12.10	18.11.10						
		20.01.11	13.12.10						
		31.01.11	29.12.10						
		07.03.11	20.01.11						
		24.03.11	12.02.11						
			07.03.11						
			24.03.11						

KEY :

SIGC : Shareholders' / Investors' Grievances Committee Meeting. NA : Not Applicable



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 19.04.2011

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



DECLARATION BY C & MD

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2011**

Place : Bangalore
Date : 19.04.2011

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट संचालन की संहर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के सांस्कृतिक बैंक के सूचीकरण करार के संबद्ध खंड में निर्धारित है

कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों में निर्धारित कॉर्पोरेट संचालन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है

हम निवेदन करते हैं कि शेयरधारकों व निदेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है

हम आगे यह भी निवेदन करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है

कृते एस भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस.एस भंडारी
साझेदार

बैंगलूर
दिनांक : 05.05.2011

म. नं. 11332
एफ आर एन नं. 000560सी

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2011 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination is limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders and Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S Bhandari & Co.,
Chartered Accountants

S S Bhandari
Partner

Bangalore
Date : 05.05.2011

M.No. 11332
FRN No. 000560C



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरण

2010-2011

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

वित्त विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2011 को केनरा बैंक के संलग्न वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2011 का तुलन पत्र जिसमें समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा नीतियाँ और अन्य स्पष्टीकरण जानकारी शामिल हैं। इन वित्त विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2716 शाखाओं और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा में उन 521 शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया। लेखा परीक्षा नहीं की गई शाखायें 0.37% अग्रिम, 1.61% जमा, 0.16% ब्याज आय और 1.20% ब्याज गठित करती हैं।

वित्त विवरणों के लिए प्रबंधन तंत्र का उत्तरदायित्व :

2. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्त विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन तंत्र उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, वस्तुपरक अपकथन से मुक्त वित्त विवरणों को तैयार करने के लिए संबद्ध आंतरिक नियंत्रण, रूप-सज्जा और कार्यान्वयन भी समाहित होते हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्त विवरणों पर हमारा मंतव्य व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा आयोजित करें ताकि वित्त विवरणों के परिप्रेक्ष्य में संगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि वे वस्तुपरक अपकथन मुक्त हैं।

Auditors' Report

To

The President of India

Report on the Financial Statements:

1. We have audited the accompanying financial statements of Canara Bank as at 31st March 2011, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2011, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, significant Accounting Policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 2716 branches audited by Branch Auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the statement of Profit & Loss are the returns from 521 Branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.37 per cent of advances, 1.61 per cent of deposits, 0.16 per cent of interest income and 1.20 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



4. लेखा परीक्षा में वित्त विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ अपनाता होता है । चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के न्याय-निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखा-धड़ी के कारण हो या त्रुटि के, वित्त विवरणों में वस्तुपरक अपकथन का जायजा लेने का जोखिम भी रहता है । इन जोखिमों का जायजा लेने में परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ नियंत्रण को ध्यान में रखता है । लेखा परीक्षा में, प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचित, प्रबंधन तंत्र द्वारा किये गये लेखा अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्त विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है ।
5. हमारा विश्वास है कि लेखा परीक्षा मंतव्य व्यक्त करने के लिए हमने जो लेखा साक्ष्य एकत्रित किया है वे पर्याप्त और समुचित हैं ।

विषय मंतव्य :

6. हमारे मंतव्य को योग्यकारी नहीं ठहराते हुए, हम वित्त विवरणों की अनुसूची 18 के नोट नं.5.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेशन विकल्प फिर से खोले जाने और आनुतोषिक सीमाओं को बढ़ाये जाने पर अपने परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी./बी.पी. बी.सी. द्वारा लेखा मानक (ले.मा.) 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधानों का प्रयोग किये जाने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई छूट के परिणामस्वरूप ₹2026.48 करोड़ तक बैंक के पेशन और आनुतोषिक देयता के आस्थगन का बयान करता है ।

हमारा विचार :

7. हमारा विचार है, जैसे बैंक बहियों में दिखाई देता है, और हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :-
 - (i) लेखा नीतियों और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र संपूर्ण और संगत तुलन पत्र है जिसमें सारे आवश्यक विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि, भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार यथा 31, मार्च 2011 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाया जा सका;
 - (ii) लेखा नीतियाँ और उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा, उसके द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुसार लाभ का सही संतुलन दर्शाता है और;

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter:

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.5.3 to the Schedule 18 of the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of Rs.2026.48 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from the application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, vide its circular No. DBOD. BP. BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

Opinion:

7. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet read together with the Accounting Policies and the Notes thereon, is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2011, in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit & Loss Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित चित्र दर्शाता है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाएँ :

8. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा क्रमशः बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र "क" व "ख" में तैयार किये गये हैं :
9. उपर्युक्त 1 से 5 तक के परिच्छेदों में सूचित लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा अपेक्षित अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. हमने अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक अपने लेखा परीक्षा कार्य के लिए आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख. बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आये हैं, उसके अधिकारों के अंतर्गत ही हैं।
 - ग. हमारी लेखा परीक्षा के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त पाई गई हैं :
10. हमारा मतव्य है कि लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण प्रचलित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं -

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - c. The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एस भण्डारी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं 000560 सी

कृते मनुभाई एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं 106041 डब्ल्यू

For S Bhandari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000560C

For Manubhai & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.106041W

एस एस भंडारी
साझेदार
स सं 011332

हितेश एम पेमल
साझेदार
स सं 106137

S S Bhandari
Partner
Membership No.011332

Hitesh M Pomal
Partner
Membership No. 106137

कृते आर के कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं 0015955

कृते नन्दी हलदर व गांगुली
सनदी लेखाकार
फ पं सं 302017 ई

For R K Kumar & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.001595S

For Nandy Halder & Ganguli
Chartered Accountants
Firm Registration No.302017E

सी आर सुंदराराजन
साझेदार
स सं 025400

पार्था एस चंदा
साझेदार
स सं 056653

C R Sundararajan
Partner
Membership No.025400

Partha S Chanda
Partner
Membership No.056653

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं 006154 एन

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
फ पं सं 0046105

For H K Chaudhry & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.006154N

For K. Venkatachalam Aiyer & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.004610S

मोनीश बावेजा
साझेदार
स सं 087384

के नारायणन
साझेदार
स सं 007024

Monish Baweja
Partner
Membership No.087384

K Narayanan
Partner
Membership No.007024

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
पूँजी और देयतायें / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	443,00,00	410,00,00
आरक्षितियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	19596,81,88	14261,78,34
निक्षेप / DEPOSITS	3	293972,65,37	234651,44,32
उधार / BORROWINGS	4	14261,64,58	8440,55,73
अन्य देयतायें तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	7804,63,94	6977,29,89
जोड़ / TOTAL		336078,75,77	264741,08,28
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22014,79,24	15719,46,42
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	8693,32,28	3933,74,58
निवेश / INVESTMENTS	8	83699,92,10	69676,95,22
ऋण / अग्रिम Loans / ADVANCES	9	212467,16,90	169334,63,06
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	2844,40,49	2859,37,22
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	6359,14,76	3216,91,78
जोड़ / TOTAL		336078,75,77	264741,08,28
आकस्मिक देयतायें / CONTINGENT LIABILITIES	12	129654,29,30	124341,91,61
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		11193,17,68	7491,57,53
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		

एन सेल्वराजन उप महा प्रबंधक	के माणिकम उप महा प्रबंधक	डी एस आनंदमूर्ति महा प्रबंधक	अर्चना एस भार्गव कार्यपालक निदेशक	जगदीश पै के एल कार्यपालक निदेशक
एस रामन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	जी पद्मनाभन निदेशक	देवेन्द्र दास रुस्तगी निदेशक	जी वी मणिमरन निदेशक	खालिद लुकमान बिलग्रामी निदेशक
एस शब्बीर पाशा निदेशक	पंकज गोपालजी ठक्कर निदेशक	पी वी मय्या निदेशक	सुनील गुप्ता निदेशक	

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते मनुभाई एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते आर के कुमार एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते नन्दी हलदर एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते एच के चौधरी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं सनदी लेखाकार
एस एस भण्डारी साझेदार	हितेश एम पोमल साझेदार	सी आर सुंदराराजन साझेदार	पार्थ एस चंदा साझेदार	मोनीष बावेजा साझेदार	के नारायणन साझेदार

बैंगलूर

5 मई 2011

यथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	23064,01,33	18751,96,23
अन्य आय / OTHER INCOME	14	2703,03,37	2857,90,24
जोड़ / TOTAL		25767,04,70	21609,86,47
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	15240,73,57	13071,42,84
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	4419,31,56	3477,62,35
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		2081,10,75	2039,38,24
जोड़ / TOTAL		21741,15,88	18588,43,43
III. वर्ष का निवल लाभ / III. NET PROFIT FOR THE YEAR		4025,88,82	3021,43,04
IV. विनियोजन / IV. APPROPRIATIONS			
निम्नांकितों को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE		1020,00,00	760,00,00
पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVE		45,28,64	70,55,77
निवेश आरक्षित खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		--	145,78,76
राजस्व आरक्षित / REVENUE RESERVE		1693,30,18	865,08,51
विशेष आरक्षित / SPECIAL RESERVE		700,00,00	700,00,00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		487,30,00	410,00,00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		80,00,00	70,00,00
जोड़ / TOTAL		4025,88,82	3021,43,04
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE (Basic & Diluted) (in ₹)		97.83	73.69

N SELVARAJAN Deputy General Manager	K MANICKAM Deputy General Manager	D S ANANDAMURTHY General Manager	ARCHANA S BHARGAVA Executive Director	JAGDISH PAI K L Executive Director
S RAMAN Chairman & Managing Director	G. PADMANABHAN Director	DEVENDER DASS RUSTAGI Director	G V MANIMARAN Director	KHALID LUQMAN BILGRAMI Director
S SHABBEER PASHA Director	PANKAJ GOPALJI THACKER Director	P V MAIYA Director	SUNIL GUPTA Director	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S BHANDARI & Co. Chartered Accountants	For MANUBHAI & Co. Chartered Accountants	For R K KUMAR & Co. Chartered Accountants	For NANDY HALDER & GANGULI Chartered Accountants	For H K CHAUDHRY & Co. Chartered Accountants	For K VENKATACHALAM AIYER & Co. Chartered Accountants
---	---	--	---	---	--

S S BHANDARI Partner	HITESH M POMAL Partner	C R SUNDARARAJAN Partner	PARTHA S CHANDA Partner	MONISH BAWEJA Partner	K NARAYANAN Partner
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

BANGALORE
May 5, 2011

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 1- पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL	3000,00,00	3000,00,00
(चालू वर्ष में प्रति शेयर रु 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर, (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH)		
II. निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त / II. ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर रु 10/- के 30,00,00,000 इक्विटी शेयर		
I) 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	300,00,00	300,00,00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर रु 10/- के 14,30,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में प्रति शेयर रु 10/- के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
II) 14,30,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY OTHERS (11,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each in Previous year)	143,00,00	110,00,00
	443,00,00	410,00,00
अनुसूची 2- आरक्षितियाँ तथा अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE		
(बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	4088,00,00	3328,00,00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1020,00,00	760,00,00
जोड़ / TOTAL	5108,00,00	4088,00,00
II. पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ / a. REVALUATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	2132,67,81	2168,15,82
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	--	--
	2132,67,81	2168,15,82
घटायें : लाभ व हानि को अंतरित / LESS : TRANSFERRED TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	34,32,02	35,48,01
जोड़ / TOTAL	2098,35,79	2132,67,81
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति / b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	13,37,16	55,30,77
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR	3,56,74	--
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	41,93,61
जोड़ / TOTAL	16,93,90	13,37,16

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
ग. अन्य / C. OTHERS		
अथशेष / OPENING BALANCE	1175,26,59	1104,70,82
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	45,28,64	70,55,77
जोड़ / TOTAL	1220,55,23	1175,26,59
III शेयर प्रीमियम / III. SHARE PREMIUM :		
अथशेष / OPENING BALANCE	275,00,00	275,00,00
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	1960,20,00	--
जोड़ / TOTAL	2235,20,00	275,00,00
IV राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / IV. REVENUE AND OTHER RESERVES		
क. राजस्व आरक्षिति / a. REVENUE RESERVE		
अथशेष / OPENING BALANCE	5031,68,02	4166,59,51
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	1693,30,18	865,08,51
जोड़ें: विशेष आरक्षिति से अंतरित / ADD: TRANSFERRED FROM SPECIAL RESERVE	--	--
	6724,98,20	5031,68,02
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	--	--
जोड़ / TOTAL	6724,98,20	5031,68,02
ख. विशेष आरक्षिति / b. SPECIAL RESERVE		
{आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} / {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(viii) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
i) अथशेष / OPENING BALANCE	1400,00,00	700,00,00
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	700,00,00	700,00,00
जोड़ / TOTAL	2100,00,00	1400,00,00
ग. निवेश आरक्षिति खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
अथशेष / OPENING BALANCE	145,78,76	--
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	--	145,78,76
	145,78,76	145,78,76
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	53,00,00	--
जोड़ / TOTAL	92,78,76	145,78,76
जोड़ / TOTAL	19596,81,88	14261,78,34

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 3- जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A. I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	453,79,75	540,93,80
ii. अन्यो से / ii. FROM OTHERS	24046,18,84	17844,93,95
जोड़ / TOTAL	24499,98,59	18385,87,75
II. बचत बैंक जमा / II. SAVINGS BANK DEPOSITS	58617,10,79	49875,42,14
जोड़ / TOTAL	58617,10,79	49875,42,14
III. सावधि जमा / III. TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	10987,92,78	5800,28,67
ii. अन्यो से / ii. FROM OTHERS	199867,63,21	160589,85,76
जोड़ / TOTAL	210855,55,99	166390,14,43
जोड़ / TOTAL (I, II and III)	293972,65,37	234651,44,32
ख. शाखाओं के जमा / B. DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / i. IN INDIA	285132,27,32	228444,64,91
ii. भारत के बाहर / ii. OUTSIDE INDIA	8840,38,05	6206,79,41
जोड़ / TOTAL	293972,65,37	234651,44,32
अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / I. BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थायें तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	988,52,07	666,14,41
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण / IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	7943,55,00	6278,80,00
जोड़ / TOTAL	8932,07,07	6944,94,41
II. भारत के बाहर उधार / II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	4209,87,76	374,98,32
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1119,69,75	1120,63,00
जोड़ / TOTAL	5329,57,51	1495,61,32
जोड़ / TOTAL (I and II)	14261,64,58	8440,55,73

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयतायें और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1143,29,16	1171,80,87
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	239,32,41	67,73,33
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	81,76,74	65,99,21
IV. आस्थगित कर देयतायें / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	141,32,00	32,87,00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	6198,93,63	5638,89,48
जोड़ / TOTAL	7804,63,94	6977,29,89
अनुसूची 6-भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND	718,13,81	617,59,83
(विदेशी मुद्रा नोट सहित / INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / II. BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	21296,65,43	15101,86,59
अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS	--	--
जोड़ / TOTAL	21296,65,43	15101,86,59
जोड़ / TOTAL (I, and II)	22014,79,24	15719,46,42
अनुसूची 7- बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	438,81,43	544,18,47
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	--	--
जोड़ / TOTAL	438,81,43	544,18,47
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	2265,00,00	600,00,00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	550,00,00	350,00,00
जोड़ / TOTAL	2815,00,00	950,00,00
जोड़ (I और II) / TOTAL (i, and ii)	3253,81,43	1494,18,47
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	1101,37,66	222,27,18
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	4338,13,19	2217,28,93
ग. माँग और अल्प सूचना पर धन / c. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	-	--
जोड़ / TOTAL	5439,50,85	2439,56,11
जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)	8693,32,28	3933,74,58

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश : सकल		
I. INVESTMENTS IN INDIA : GROSS:	83407,11,34	69227,81,24
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	198,59,27	113,59,78
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENTS IN INDIA	83208,52,07	69114,21,46
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /		
i. GOVERNMENT SECURITIES	71149,25,62	62780,40,29
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /		
ii. OTHER APPROVED SECURITIES	238,43,76	349,77,15
iii. शेयर / iii. SHARES	1078,00,16	1184,75,12
iv. डिबेंचर और बाण्ड /		
iv. DEBENTURES AND BONDS	2034,55,44	2069,52,73
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम /		
v. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	530,30,11	428,22,32
vi. अन्य / OTHERS	8177,96,98	2301,53,85
जोड़ / TOTAL	83208,52,07	69114,21,46
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	61127,23,94	54516,07,40
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	21830,34,75	14181,81,11
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	250,93,38	416,32,95
जोड़ / TOTAL	83208,52,07	69114,21,46
II. भारत के बाहर निवेश- सकल		
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS:	612,49,26	671,05,28
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	121,09,23	108,31,52
भारत के बाहर निवल निवेश	491,40,03	562,73,76
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	491,40,03	562,73,76
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /		
i. GOVERNMENT SECURITIES		
(स्थानीय प्राधिकरण सहित / INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	—	--
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम		
ii. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	36,57,20	36,57,20
iii. अन्य निवेश / iii. OTHER INVESTMENTS	454,82,83	526,16,56
जोड़ / TOTAL	491,40,03	562,73,76
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	268,14,59	277,31,87
बिक्री के उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	223,25,44	285,41,89
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	--	--
जोड़ / TOTAL	491,40,03	562,73,76
जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)	83699,92,10	69676,95,22

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	7163,22,46	6328,90,62
ii. नकद उधार अधिविकर्ण, माँग पर देय ऋण / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	102556,75,26	79892,24,26
iii. मियादी ऋण / iii. TERM LOANS	102747,19,18	83113,48,18
जोड़ / TOTAL	212467,16,90	169334,63,06
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋण सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	138482,51,21	104661,47,14
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK/GOVT.GUARANTEES	8411,93,31	7908,89,67
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	65572,72,38	56764,26,25
जोड़ / TOTAL	212467,16,90	169334,63,06
ग. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	67999,30,97	56690,92,90
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	33597,47,05	18462,48,18
iii. बैंक / iii. BANKS	1202,54,14	3014,04,66
iv. अन्य / iv. OTHERS	99097,34,42	84189,07,06
जोड़ / TOTAL	201896,66,58	162356,52,80
II. भारत से बाहर अग्रिम / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. Due from Banks	--	--
ii. Due from Others		
क. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल / a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	133,30,63	233,57,34
ख. मियादी और समूहन ऋण / b. TERM / SYNDICATED LOANS	2287,48,30	2661,74,97
ग. अन्य / c. OTHERS	8149,71,39	4082,77,95
जोड़ / TOTAL	10570,50,32	6978,10,26
जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)	212467,16,90	169334,63,06

यथा 31 मार्च 2011 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 10-स्थिर आस्तियाँ / SCHEDULE 10-FIXED ASSETS		
I. परिसर / I. PREMISES		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2872,90,80	2889,55,01
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	8,78,80	19,06,32
	2881,69,60	2908,61,33
/ REVALUATION MADE DURING THE YEAR	--	--
	2881,69,60	2908,61,33
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	3,41	35,70,53
	2881,66,20	2872,90,80
आपकी तारीख पर मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	399,08,37	356,29,76
	2482,57,83	2516,61,04
II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	1587,60,70	1530,67,35
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	162,54,94	101,74,54
	1750,15,64	1632,41,89
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	26,81,37	44,81,19
	1723,34,27	1587,60,70
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1363,70,61	1247,03,52
	359,63,66	340,57,18
III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	83,26,04	83,26,04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	--	--
	83,26,04	83,26,04
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	2,12,00	-
	81,14,04	83,26,04
आपकी तारीख पर मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	71,75,35	71,97,43
	9,38,69	11,28,61
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	7,19,69	9,09,61
	2,19,00	2,19,00
जोड़ (I, II और III) / TOTAL (I, II and III)	2844,40,49	2859,37,22

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)		यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)	
अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. निवेशों पर ब्याज / I. INTEREST ON INVESTMENTS				
- उपचित व देय / ACCRUED AND DUE	11,35,71		12,71,57	
- अदेय / NOT DUE	1263,13,15		954,62,00	
		1274,48,86		967,33,57
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) II. TAX PAID IN ADVANCE/ TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		985,18,84		415,64,78
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS		5,78,47		6,93,26
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ / IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		33,09		33,09
V. अन्य / V. OTHERS		4093,35,50		1826,67,08
जोड़ / TOTAL		6359,14,76		3216,91,78
अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है/ I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		1738,93,23		669,35,28
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं/ II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		—		—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं/ LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		83991,76,04		86670,13,77
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क. भारत में / a. IN INDIA	23914,24,21		22945,03,59	
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	48,01,33		27,72,53	
		23962,25,54		22972,76,12
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ/ ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		17848,56,72		13714,89,44
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है/ OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	—		—	
ख. अन्य / b. OTHERS	2112,77,77		314,77,00	
		2112,77,77		314,77,00
जोड़ / TOTAL		129654,29,30		124341,91,61

यथा 31 मार्च 2011 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

	यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2011 (₹ '000)		यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹ '000)	
अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/विलों पर ब्याज / I. INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS		17051,84,60		13946,43,18
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS		5788,00,71		4577,98,98
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		223,29,95		210,42,18
IV. अन्य / IV. OTHERS		86,07		17,11,89
जोड़ / TOTAL		23064,01,33		18751,96,23
अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		755,82,59		723,91,99
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ- निवल / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENT PROFIT	307,50,05		1034,24,65	
घटाएं : हानि LESS : LOSS	71,18,00	236,32,05	161,82,00	872,42,65
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	--		--	
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS : LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	123,94,44	(123,94,44)	142,91,82	(142,91,82)
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/ BUILDINGS AND OTHER ASSETS	44,65		2,77,79	
घटाएं : हानि LESS : LOSS	--	44,65	--	2,77,79
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ- निवल / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS	2741,59,28		712,18,81	
घटाएं : हानि LESS : LOSS	2360,23,16	381,36,12	496,97,83	215,20,98
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/ COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/ IN INDIA		199,12,14		104,28,40
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		1253,90,26		1082,20,25
जोड़ / TOTAL		2703,03,37		2857,90,24

यथा 31 मार्च 2011 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

	यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	14241,45,86	12284,97,62
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/INTERBANK BORROWINGS	334,41,70	173,13,51
III. अन्य / III. OTHERS	664,86,01	613,31,71
जोड़ / TOTAL	15240,73,57	13071,42,84
अनुसूची 16- परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	2954,83,94	2193,69,99
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	346,27,01	323,25,02
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	37,54,80	35,88,75
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	24,38,15	19,85,97
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण के बाद का निवल) (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	151,36,10	155,13,24
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	65,58	75,17
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	29,78,80	28,75,81
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	28,55,85	18,13,00
IX. डाक, तार, टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	30,82,79	30,70,10
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	117,61,08	122,47,20
XI. बीमा / XI. INSURANCE	232,48,74	190,12,56
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	464,98,72	358,85,54
जोड़ / TOTAL	4419,31,56	3477,62,35



अनुसूची - 17

वित्तीय विवरणों तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

[1] लेखांकन परंपरा

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखा को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचितों को छोड़कर सांविधिक प्रावधान व विद्यमान प्रणालियों के अनुरूप हैं।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण/विदेशी मुद्रा परिवर्तन

2.1 विदेशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 'फेडआई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडआई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ को, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति में लिया जाएगा और निवल आरक्षितियों में हानि को, यदि कोई हो, तो राजस्व में लिया गया।

2.2 देशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, अंतिम हाजिर दर/संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया गया है।

आय व व्यय मदों को लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के ऐसे मूल्यांकन पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लिया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'विक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित', जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में शेयरों का अंतरण, यदि कोई है तो ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया गया है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

[1] Accounting Convention

The accounts are prepared under the Historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1. In respect of Foreign Branches, Assets and Liabilities are translated at the closing spot rate of exchange announced by FEDAI and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average closing rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India. The resultant exchange gains, if any, are taken to Foreign Currency Translation Reserve and loss, if any, net of reserves, is taken to Profit & Loss Account.

2.2. In respect of Domestic Branches, Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

The gain or loss on such evaluation of outstanding Forward Exchange Contracts is taken to Profit & Loss Account.

[3] Investments

3.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading', which is decided at the time of acquisition of securities. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.



निवेशों को छः संवर्गों में प्रकट किया गया है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

- 3.2 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है जो यथानुसार है :

क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया गया है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है। मूल्य में अस्थायी स्वभाव वाले को छोड़कर कोई ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर रखा गया है।

इसी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद पूँजी प्रारक्षति लेखा निवल कर और सांविधिक प्रारक्षति में विनियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के लिए कोई परिशोधन नहीं किया गया। विक्रय में हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस श्रेणी के तहत प्रत्येक प्रतिभूति को बाजार के लिए अंकित है।

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी (डिरिवेटिव) संघ (एफआईएमएडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

राज्य सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वॉई टी एम पद्धति के अनुसार अर्थात् समान अवधि समाप्ति वाली केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादों पर 25 आधार अंक से अधिक अंकित करने के जरिए किया गया है।

गैर एस एल आर प्रतिभूतियों जैसे डिबेंचरों/बांडों (अग्रिम के रूप में रहनेवाले डिबेंचरों/बांडों को छोड़कर) का मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है तो बाजार मूल्य पर किया गया है। यदि उपलब्ध न हो तो एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वॉई टी एम पद्धति के अनुसार अवधि समाप्ति वाली केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के उत्पादों पर साख के आधार पर अतिरिक्त आधार अंक को अंकित करने के जरिए किया गया है।

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

- 3.2. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in RRBs and other Trustee Shares are carried at cost.

Profit on sale of Investments in this category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the Capital Reserve Account net of taxes and Statutory Reserve. No amortisation is effected for securities sold during the year. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

b) AVAILABLE FOR SALE

The individual securities under 'Available For Sale' category are marked to market.

Central Government Securities are valued at market prices as per prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

State Government securities and other approved securities are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.

Non SLR securities such as Debentures / Bonds (other than Debentures / Bonds which are in the nature of advance) are valued at market prices, if available, and if not, are valued applying YTM method by marking it up by additional basis points based on credit rating above the yields of Central Government Securities of equivalent maturity as put out by FIMMDA and the methodology suggested by FIMMDA.



अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाई टी एम दरों/मोचन मूल्य पर जो भी निम्नतर हो, किया गया है।

निर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है।

अनिर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन अद्यतन तुलनपत्र, जो पिछले एक वर्ष से पुराना न हो, से ज्ञात विश्लेषित मूल्य पर किया गया है, अन्यथा शेयरों का रु 1/- प्रति कंपनी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

राजस्व बिलों और वाणिज्यिक बिलों को रखाव लगात पर मूल्यांकित किया गया है।

म्युचुअल फंड इकाईयों का मूल्यांकन क्रमवार बाजार दर या पुनःखरीद मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य की उपलब्धता के आधार पर किया गया है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप्टवार किया गया है और प्रत्येक उप वर्ग के अंतर्गत मूल्य ह्रास/मूल्य वृद्धि का एकत्रीकरण किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के तहत निवल मूल्य वृद्धि की उपेक्षा कर दी गई है जबकि निवल मूल्य ह्रास के लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है।

ग) व्यापार हेतु धारित

भारि बैंक के निर्देशानुसार व्यापार श्रेणी के अंतर्गत रखी प्रत्येक प्रतिभूति का आवधिक मूल्यांकन बाजार मूल्य पर या एफ आई एम एम डी ए द्वारा घोषित मूल्य पर किया गया है। इस वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में मूल्यह्रास यदि हो तो राजस्व के रूप में उपलब्ध कराया गया है और मूल्यवृद्धि, यदि हो तो उसकी उपेक्षा कर दी गई है।

3.3 क्रय के समय प्रतिभूतियों के संबंध में, दलाली, कमीशन आदि जैसी लागत को राजस्व के रूप में प्रभारित किया गया है।

3.4 अभिग्रहण/निपटान की तारीख तक ऋण प्रपत्रों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

3.5 प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी (प्रक/पुक) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रक/पुक द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर पर मूल्यांकित किया गया है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर किया गया है और यदि कोई विक्रय/वसूली की गई है तो निवेश में से घटाया गया है और निवल बही मूल्य दर्शाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर एसएलआर निवेशों में निवेश के लिए लागू मूल्य वर्गीकरण और अन्य मानक, प्रक/पुक द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश के लिए लागू किया गया है।

Preference Shares are valued at YTM rates / redemption values, whichever is lower.

Quoted Shares are valued at market prices.

Unquoted Shares are valued at break up value ascertained from the latest Balance Sheet not earlier than one year or otherwise at Re 1 per Company.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

Units of Mutual Funds are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Securities are valued script wise, and depreciation/appreciation under each sub category is aggregated.

Based on the above valuation, net appreciation if any in each sub category is ignored while the net depreciation is fully provided.

c) HELD FOR TRADING

The individual securities under Held For Trading category are valued periodically as per RBI guidelines, at market prices as available from the trades/quotes or as per prices declared by FIMMDA. In respect of each classification under this category, net depreciation is provided and net appreciation is ignored.

3.3. Costs such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

3.4. Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.5. Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale/realization if any, is reduced from investment and the net book value is shown.

The valuation, classification and other norms applicable to Investment in Non-SLR securities prescribed by RBI is applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.



3.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों को नीचे उल्लिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है :

- [क] प्रतिभूतियाँ/अधिमानी शेयर, जहाँ ब्याज/निर्धारित लाभांश/किस्त (अवधि समाप्ति प्राप्ति सहित) देय हैं और 90 दिनों से अधिक अवधि से अप्रदत्त पड़े हैं ।
- [ख] जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा कंपनी का निवल संपत्ति नकारात्मक है वहाँ प्रति कंपनी ₹1/- मूल्य पर ईक्विटी शेयर को मूल्यांकित किया गया है ।
- [ग] यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से ली गई ऋण सुविधा में कोई अनर्जक अग्रिम है तो उसी जारीकर्ता द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को भी अनर्जक निवेश माना गया ।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है । बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ स्थायी ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं । बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियाँ विकल्प और मुद्रा अदला-बदली हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

- क. व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियाँ बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है ।
- ख. प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियाँ इस प्रकार हैं:
 - i. बाजार के लिए अंकित की गई हैं, जहाँ आधारभूत आस्तियाँ/देयताएं बाजार के लिए अंकित की गयी हैं ।
 - ii. प्रतिरक्षा अदला बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया ।

[5] अग्रिम

- 5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।
- 5.2 अग्रिमों को निवल बट्टे खाते में डालना, अनर्जक आस्तियों के प्रावधान, साख गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनः छूट के रूप में बताया गया है ।
- 5.3 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है, घाटे को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया है । यदि विक्रय एनबीवी मूल्य से उच्चतर मूल्य पर है, प्रावधान, यदि किसी खाते में रखा है, का प्रतिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि जहाँ भी लागू है, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय होने तक धारण किया गया है ।

3.6. Non-Performing Investments (NPI) are identified as stated below, as per the guidelines issued by Reserve Bank of India.

- [a] Securities/Preference Shares where interest / fixed dividend / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- [b] Equity Shares valued at ₹1 per company, where the latest Balance Sheet is not available or the Net worth of the Company is negative.
- [c] If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a non-performing advance, Investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

[4] Derivative Contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Based on Reserve Bank of India guidelines:

- a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivatives used for hedging are
 - i. Marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
 - ii. Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

[5] Advances

- 5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 5.2 Advances are stated net of write off, provision for non-performing assets, claims received from Credit Guarantee institutions and re-discount.
- 5.3 In case of financial assets sold to the Securitization / Reconstruction Company, if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall is debited to the Profit & Loss Account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision held in the account is not reversed but held till redemption of the Security Receipt, wherever applicable.



[6] स्थिर आस्तियाँ

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण वाहन व्यय/आवंटन पत्र/पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और/या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर किया गया है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति' खातों में जमा किया है। बढ़ाए गए मूल्य पर लगाये जानेवाले मूल्यहास का अंतरण पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया गया।

[7] मूल्यहास

- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर प्राक्कलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया है।
- 7.2 पट्टेदारी परिसंपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेदारी अवधि के लिए प्रभारित किया गया है।
- 7.3 पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्यपद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।
- 7.4 अचल / पट्टेदारी आस्तियों में जोड़ पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निपटान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन

स्थिर आस्तियों पर हानियों के अपक्षयन, अगर है तो, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक ए.एस. - 28 के अनुसार लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

[9] राजस्व का परिकलन

- 9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।
- 9.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगाई की हद तक किया जाता है "कालातीत ऋण" खातों के मामलों में वसूलियों को मूलधन में समायोजित किया है।

[6] Fixed Assets

- 6.1. The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment / agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.
- 6.2. Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

[7] Depreciation

- 7.1. Fixed Assets excluding Computers are depreciated under Written Down Value Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation on Computers is charged at 33.33% on Straight-Line Method.
- 7.2. Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- 7.3. Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value Method as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery.
- 7.4. Depreciation on additions to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

[8] Impairment of Assets:

Impairment losses on Fixed Assets, if any, are recognized in Profit & Loss Account in accordance with Accounting Standard AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

[9] Revenue Recognition

- 9.1. Income and expenditure are generally accounted on accrual basis.
- 9.2. In the case of Non-Performing Assets including Investments, income is recognised to the extent of realization, in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. In respect of "Loans Past Due" accounts, recoveries are appropriated first towards principal.



9.3 कमीशन, विनिमय, दलाली, लाभांश तथा लॉकर किराये की उगाही के बाद आय के रूप में गणना की गई है।

9.4 कर वापसी ब्याज का लेखांकन, पारित निर्धारण आदेशों के आधार पर किया गया है।

[10] कर्मचारी लाभ

पेंशन, उपदान, साधिकार छुट्टी तथा चिकित्सा अवकाश के लिये प्रावधान भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार वर्षांत पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। निवल बीमांकक लाभ व हानि को वर्ष के दौरान मान्यता दी गया है।

[11] कराधान

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया गया है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर “आकस्मिक देयताओं” के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं।

वर्ष हेतु कर व्यय में, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। यह आस्थगित कर संपत्तियों, समय भिन्नताओं के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है और यह भिन्नता कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच की भिन्नता है जो किसी एक अवधि में उत्पन्न होती है और तदुपरान्त एक या अधिक अवधि के दौरान प्रतिवर्तन की क्षमता रखती है।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक आस्तियाँ:

बैंक तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई दायित्व हो और उस दायित्व को निभाने के लिए स्रोतों का बहिर्वाह हो और जब दायित्व राशि के उचित प्राक्कलन किया जा सकता हो।

प्रासंगिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी गई क्योंकि उनको मान्यता देने से ऐसी आय को मान्यता देना होगा जो कभी उगाही नहीं जा सके।

12.2 निम्नलिखितों को “प्रावधानों और आकस्मिकताओं” के लिए लेखांकन करने के बाद निवल लाभ की गणना की गई है :

- निवेशों पर मूल्यहास
- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- कुछेक अनुप्रयोज्य अग्रिमों को बड़े खातों में डाला जाना
- मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान
- आकस्मिकताओं को अंतरण

9.3. Commission, Exchange, Brokerage, Dividends and Locker Rent are accounted for as income on receipt basis.

9.4. Interest Income on Tax Refund is accounted based on the assessment orders passed.

[10] Employee Benefits

Provision for Pension, Gratuity, Privilege Leave and Sick Leave is made based on the actuarial valuation at the year-end as per the Accounting Standard -15(Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Net Actuarial gains and losses are recognized during the year.

[11] Taxation

Provision for Income Tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for are included under “Contingent Liabilities”.

Tax expenses for the year comprise of current Tax and Deferred Tax. Deferred Tax recognizes, subject to the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets, timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and when a reasonable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized since this may result in the recognition of Income that may never be realized.

12.2 Net Profit is arrived at after accounting for the following “Provisions and Contingencies”:

- Depreciation on Investments.
- Provision for Income Tax and Wealth Tax.
- Provision for loan losses.
- Write-off of certain Non-Performing Advances / Investments.
- Provision for Standard Assets.
- Other usual and necessary provisions.
- Transfer to contingencies.

अनुसूची 18

अनुसूची 18 - वर्ष 2010-2011 हेतु लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1 निवेश:

यथा 31.03.2011 को "अवधिपूर्वता के लिए धारित" श्रेणी के तहत निवेश का प्रतिशत -सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की माँग और मीयादी देयता का 22.78% था (पिछले वर्ष 24.14%), जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है।

2 अंतर-शाखा लेनदेन:

31.03.2011 तक अंतर-शाखा लेनदेन के अधीन समायोजन के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय को प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टियों को घटाने के अपने प्रायास को जारी रख रहा है।

3 परिसर:

परिसर में ₹193.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹193.32 करोड़) की संपत्तियाँ शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंक के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।

बैंक की कतिपय संपत्तियाँ पुनर्मूल्य राशि पर निर्धारित हैं। पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹2310.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2310.91 करोड़) तथा निवल मूल्यदास ₹2098.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2132.68 करोड़) है।

4 भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार प्रकटीकरण

4.1 पूँजी:

मर्दे	31.03.2011 बासेल II	31.03.2010 बासेल II
i. सीआरएआर (%)	15.38	13.43
ii. सीआरएआर-टायर I पूँजी (%)	10.87	8.54
iii. सीआरएआर-टायर II पूँजी (%)	4.51	4.89
iv. बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत (%)	67.72	73.17
v. आई पी डी आई के ज़रिए प्राप्त रकम (₹करोड़ों में)	749.30	600.00
v. टायर II पूँजी के रूप में उगाही की गयी सहायक ऋण की राशि (₹करोड़ों में)	7473.65	6559.12

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR 2010-2011

1 Investments:

The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2011 was 22.78% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 24.14%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2 Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter Branch transactions up to 31.03.2011 has been done. However, Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

3 Premises:

Premises include certain properties of ₹ 193.02 Crore (Previous year ₹ 193.32 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending execution.

Certain properties of the bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is ₹ 2310.91 Crore (Previous year ₹ 2310.91 Crore) and net of depreciation is ₹ 2098.36 Crore (Previous year ₹ 2132.68 Crore).

4 Disclosure as per RBI Requirements:

4.1 Capital:

Particulars	31.03.2011 Basel II	31.03.2010 Basel II
i. CRAR (%)	15.38	13.43
ii. CRAR - Tier I Capital (%)	10.87	8.54
iii. CRAR - Tier II Capital (%)	4.51	4.89
iv. Percentage of shareholding of the Government of India in the Bank (%)	67.72	73.17
v. Amount raised by issue of IPDI (₹ In Crore)	749.30	600.00
vi. Amount of subordinated debts raised as Tier II Capital (₹ In Crore)	7473.65	6559.12

वर्ष के दौरान, पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से निम्नलिखित लिखतें जारी की हैं।

- योग्यता प्राप्त संस्थागत स्थापन के माध्यम से प्रति शेयर ₹ 594/- के प्रीमियम से ₹ 10/- के अंकित मूल्यवाले 3,30,00,000 ईक्विटी शेयर जिनका समग्र मूल्य ₹ 1993.20 करोड़ है
- निजी स्थापन के स्तर में ₹749.30 करोड़ के (गत वर्ष ₹600.00 करोड़) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत
- ₹1000.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) के अप्परटायर - 2 - श्रृंखला III बंधपत्र

4.2 निवेश:

4.2.1 निवेशों का मूल्य:

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i. निवेश का सकल मूल्य	84019.60	69898.86
क. भारत में	83407.11	69227.81
ख. भारत से बाहर	612.49	671.05
ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान	319.68	221.91
क. भारत में	198.59	113.60
ख. भारत से बाहर	121.09	108.31
iii. निवेश का निवल मूल्य	83699.92	69676.95
क. भारत में	83208.52	69114.21
ख. भारत से बाहर	491.40	562.74

4.2.2 निवेश पर मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i. अथशेष	221.91	541.77
ii. जोड़ें : वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	99.41	49.34
iii. घटायें : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरंकन	1.64	369.20
iv. इति शेष	319.68	221.91

During the year, the Bank has issued following instruments in order to strengthen the Capital Adequacy:

- 3,30,00,000 Equity Shares at face value of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 594/- per share aggregating to ₹ 1993.20 crores through Qualified Institutional Placement (QIP).
- Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of ₹ 749.30 Crores (Previous Year ₹ 600.00 Crores) by way of private placement.
- Upper Tier 2- Series III Bonds of ₹ 1000.00 Crores (Previous Year ₹ Nil)

4.2 Investments:

4.2.1 Value of Investments:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i. Gross Value of Investments	84019.60	69898.86
a. In India	83407.11	69227.81
b. Outside India	612.49	671.05
ii. Provisions for Depreciation	319.68	221.91
a. In India	198.59	113.60
b. Outside India	121.09	108.31
iii. Net Value of Investments	83699.92	69676.95
a. In India	83208.52	69114.21
b. Outside India	491.40	562.74

4.2.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i. Opening balance	221.91	541.77
ii. Add: Provisions made during the year	99.41	49.34
iii. Less: Write off/Write back of excess provisions during the year	1.64	369.20
iv. Closing balance	319.68	221.91

4.2.3 रेपो लेनदेन :

[₹ करोड में]

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया लेनदेन	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2011
रेपो के तहत विक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.19	5044.51	402.20	शून्य
ii) निगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिलोम रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	51.65	4519.17	198.55	शून्य
ii) निगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.2.3 Repo Transactions:

[₹ in Crore]

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2011
Securities sold under repos				
i) Government Securities	10.19	5044.51	402.20	Nil
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repos				
i) Government Securities	51.65	4519.17	198.55	Nil
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	NIL	NIL

4.2.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेश संविभाग

i) गैर-सांविधिक अनुपात निवेश की जारीकर्ता सम्मिश्रण

[₹ करोड में]

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	537.06	148.13	शून्य	शून्य	34.82
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	1468.18	1468.18	185.50	2.50	188.00
(iii)	बैंक	7822.89	7777.44	5.00	शून्य	5.00
(iv)	निजी कार्पोरेट	1297.80	939.78	50.00	9.27	9.27
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	566.87	548.28	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	266.14	196.66	6.07	शून्य	शून्य
(vii)	घटाएं : मूल्यहास के लिए प्रावधान	101.41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	11857.52	11078.47	246.57	11.77	237.09

4.2.4 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non SLR Investments:

[₹ in Crore]

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	537.06	148.13	NIL	NIL	34.82
(ii)	Fls	1468.18	1468.18	185.50	2.50	188.00
(iii)	Banks	7822.89	7777.44	5.00	NIL	5.00
(iv)	Private Corporate	1297.80	939.78	50.00	9.27	9.27
(v)	Subsidiaries/Joint Ventures	566.87	548.28	NIL	NIL	NIL
(vi)	Others	266.14	196.66	6.07	NIL	NIL
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	101.41	NIL	NIL	NIL	Nil
	Total	11857.52	11078.47	246.57	11.77	237.09

कॉलम 5 से 7 केवल डिबेंचर व बॉन्ड प्रतिबिंबित करते हैं।

उपर्युक्त आंकड़ों में ₹36.70 करोड़ का भारत के बाहर के निवेश सम्मिलित है।

Columns 5 to 7 represent Debentures & Bonds only.

The above figures include investments outside India amounting to ₹ 36.70 Crores.

ii) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेश :

[₹ करोड़ में]

व्योरा	31.03.2011	31.03.2010
अथशेष	92.23	125.41
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	0.02	5.47
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	1.40	38.65
इति शेष	90.85	92.23
धारित कुल प्रावधान	90.85	92.23

ii) Non-Performing Non SLR Investments:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Opening balance	92.23	125.41
Additions during the year since 1st April	0.02	5.47
Reductions during the above period	1.40	38.65
Closing balance	90.85	92.23
Total Provisions held	90.85	92.23

4.3 व्युत्पत्ती :

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय :

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन	2663.00	1524.00
ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर होनेवाली क्षति	141.00	117.00
iii. अदला-बदली करने पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	लागू नहीं	
iv. अदला-बदली से होनेवाली साख जोखिम का संकेन्द्रण	विदेशी बैंक, निजी बैंक तथा पी डी	
v. अदला-बदली बही का उचित मूल्य	138.21	92.47

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

[₹ in Crore]

Particulars		31.03.2011	31.03.2010
i.	The notional principal of swap agreements	2663.00	1524.00
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	141.00	117.00
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NA	
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	Foreign Bank, Private Bank & PDs	
v.	The fair value of the swap book	138.21	92.47

4.3.2 व्युत्पन्नी का परिमाणात्मक प्रकटन:

[₹ करोड में]

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
1	व्युत्पन्नी (काल्पनिक मूलधन)				
	- बचाव व्यवस्था	शून्य		2663.00	
	- ट्रेडिंग	शून्य		शून्य	
2	बाजार के लिए अंकित स्थिति [1]				
	- आस्तियाँ (+)	शून्य		141.00	
	- देयताएं (-)	शून्य		(2.79)	
3	ऋण जोखिम [2]	शून्य		164.00	
		राजकोष		लंदन शाखा	
		मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ	मुद्रा व्युत्पन्नियाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव [100* पी वी 1]				
	- बचाव व्युत्पन्नी पर	शून्य	0.0358	शून्य	52.00
	- व्यापार व्युत्पन्नी पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान अवलोकन किया गया अधिकतम और न्यूनतम 100* पी वी 01				
	- बचाव व्यवस्था	शून्य	0.0471/0.0356	शून्य	60/52
	- व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3.2 Quantitative disclosure on derivatives:

[₹ in Crore]

Sl.No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging		NIL		2663.00
	- Trading		NIL		NIL
2	Marked to Market positions[1]				
	- Assets (+)		NIL		141.00
	- Liabilities (-)		NIL		(2.79)
3	Credit Exposure [2]		NIL		164.00
		TREASURY		LONDON BRANCH	
		Currency Derivative	Interest Rate Derivatives	Currency Derivative	Interest Rate Derivatives
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]				
	- on hedging derivatives	NIL	0.0358	NIL	52.00
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	NIL	0.0471/0.0356	NIL	60/52
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

4.3.3 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(ii)	यथा 31 मार्च 2010 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा " ज्यादा प्रभावी " नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा " ज्यादा प्रभावी " नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य

4.3.3 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

S.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument - wise) a) b) c)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument - wise) a) b) c)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise) a) b) c)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument - wise) a) b) c)	Nil

4.3.4 व्युत्पन्नी में जोखिम

एकीकृत कोष - गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / कारोबार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोष जोखिम प्रबंधन मौजूद है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में स्थिर ब्याज दर शून्य, कूपन और अस्थायी ब्याज दरें जैसी विशेषताओं वाली आस्तियाँ निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक के पास टायर II बांड भी हैं और यह पूंजी लागत स्थिर दर पर है और इसमें बहिर्गमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार (एफ आर ए) और ब्याज दर अदला-बदली (आई आर एस) और बिलकुल सादा कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव के उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार (एफ) और ब्याज दर स्कैप अदला-बदली (आई एस) जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप का भी प्रयोग किया जा रहा है। बैंक द्वारा विकल्प बुक प्रारंभ करना बाकी है।

4.3.4 Risk exposure in derivatives:

INTEGRATED TREASURY - Qualitative Disclosures

The Treasury Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.

a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has Tier II bonds hedged for interest rate swaps which do not have exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS, FRAs, etc for the purpose of hedging Foreign Currency liabilities also. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis. Bank is yet to start Option book running.



ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ और प्रमुख नियंत्रण सीमाएँ जैसे स्टॉप लॉस सीमाएँ, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएँ, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति/देयता के संबंध में निगरानी की जाती है।

ग) लेखांकन नीति:

बचाव व्यवस्था आय/व्यय स्थिति:

- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर लेखाकृत किया गया है तथा उसे आय/व्यय माना गया है।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। बैंक एफ आई एम एम डी ए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदली-बदली और अंतर्निहित आस्ति/देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला-बदली को व्यापार अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर अदला-बदली पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

व्यापार स्थिति:

- सामान्य अंतरालों में अदला-बदली स्वैप को बाजार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on an ongoing basis.

c) Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. Bank has used the FIMMDA pricing method i.e. relevant G SEC yield + corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying Assets/Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss/gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid/Received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as expense/income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

4.4 आस्ति गुणवत्ता:

4.4.1 अनर्जक आस्तियाँ * :

[₹ करोड़ में]

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
(i)	निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	1.11	1.06
(ii)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
	क. अथ शेष	2590.31	2167.97
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	3508.37	3266.33
	ग. वर्ष के दौरान कमी	3009.47	2843.99
	घ. इति शेष	3089.21	2590.31
(iii)	निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
	क. प्रारंभिक शेष	1799.70	1507.25
	ख. वर्ष के दौरान संवर्धन	3508.37	3266.33
	ग. वर्ष के दौरान कमी	2960.74	2973.88
	घ. इति शेष	2347.33	1799.70
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क. अथ शेष	786.80	657.79
	ख. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1001.17	1426.17
	ग. बटूटे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	1049.36	1297.16
	घ. इति शेष	738.61	786.80

* प्रबंधन द्वारा संकलित एवं लेखा परीक्षकों के विश्वासानुसार

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets*:

[₹ in Crore]

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.11	1.06
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a. Opening balance	2590.31	2167.97
	b. Additions during the year	3508.37	3266.33
	c. Reductions during the year	3009.47	2843.99
	d. Closing balance	3089.21	2590.31
(iii)	Movement of Net NPAs		
	a. Opening balance	1799.70	1507.25
	b. Additions during the year	3508.37	3266.33
	c. Reductions during the year	2960.74	2973.88
	d. Closing balance	2347.33	1799.70
(iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding Provisions on Standard Assets)		
	a. Opening balance	786.80	657.79
	b. Provisions made during the year	1001.17	1426.17
	c. Write off /(Write back) of excess provision	1049.36	1297.16
	d. Closing balance	738.61	786.80

* As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

4.4.2 अस्थायी प्रावधान :

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
अस्थायी प्रावधान का अथ शेष	70.00	--
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधान	--	70.00
घटाएं : चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि	70.00	--
अस्थायी प्रावधान में इति शेष	शून्य	70.00

4.4.2 Floating Provision:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Opening Balance of the Floating Provision	70.00	--
Add: Amount of Floating Provision made in the year	--	70.00
Less: Amount transferred to Countercyclical Provisioning Buffer as per RBI Guidelines	70.00	--
Closing Balance of the Floating Provision	NIL	70.00

4.4.3 पुनः संरचना के अधीन ऋण आसित का विवरण :

		सीडीआर तंत्र	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	66	769
	पुनःसंरचित राशि	58.28	117.82	524.46
	बकाया राशि	178.28	101.68	418.44
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	1.17	2.36	10.49
पुनःसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	4	9
	पुनःसंरचित राशि	शून्य	4.79	5.92
	बकाया राशि	शून्य	4.77	6.21
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	शून्य	0.10	0.12
पुनःसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	शून्य	7
	पुनःसंरचित राशि	13.55	शून्य	0.12
	बकाया राशि	13.55	शून्य	0.12
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	0.27	शून्य	0.01
पुनःसंरचित कुल अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	2	70	785
	पुनःसंरचित राशि	71.83	122.61	530.50
	बकाया राशि	191.83	106.46	424.76
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	1.44	2.45	10.61

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार और बैंक प्रबंधन द्वारा संकलित तथा प्रमाणीकृत अनुसार उपर्युक्त प्रकटीकरण में छोड़ दिया गया / प्रावधान सम्मिलित है ।

4.4.3 (i) Details of Loan Assets subjected to Restructuring:

[₹ In Crore]

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
STANDARD ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	1	66	769
	Amount restructured	58.28	117.82	524.46
	Amount outstanding	178.28	101.68	418.44
	Sacrifice (Diminution in Fair Value)	1.17	2.36	10.49
SUB- STANDARD ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	NIL	4	9
	Amount restructured	NIL	4.79	5.92
	Amount outstanding	NIL	4.77	6.21
	Sacrifice (Diminution in Fair Value)	NIL	0.10	0.12
DOUBTFUL ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	1	NIL	7
	Amount restructured	13.55	NIL	0.12
	Amount outstanding	13.55	NIL	0.12
	Sacrifice (Diminution in Fair Value)	0.27	NIL	0.01
TOTAL ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	2	70	785
	Amount restructured	71.83	122.61	530.50
	Amount outstanding	191.83	106.46	424.76
	Sacrifice (Diminution in Fair Value)	1.44	2.45	10.61

The above disclosure including sacrifice / provision is as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and is as compiled and certified by the Bank Management.

4.4.4 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय पुनःसंरचना आस्तियों का विवरण :

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i.	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii.	एससी/आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
iv.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
v.	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.4 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i.	No. of accounts	NIL	NIL
ii.	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NA	NA
iii.	Aggregate consideration	NA	NA
iv.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
v.	Aggregate Gain over Net Book Value	NA	NA

4.4.5 खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
2	क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनःसंरचनाकृत खातों की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.5 Details of non-performing financial assets purchased:

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1	a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate consideration	NA	NA
2.	a. Of these, number of accounts restructured during the year	NA	NA
	b. Aggregate outstanding	NA	NA

4.4.6 बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i.	बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii.	समग्र बकाया	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं

4.4.7 मानक आस्ति प्रावधान :

[₹ करोड़ में]

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	785.00	600.33

4.4.8 अग्रिमों में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देश के मुताबिक, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से विक्रीत अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्रों की ₹ 1600/- करोड़ (गत वर्ष ₹ 1000/- करोड़) राशि शामिल है।

4.4.9 जमा, अग्रिम, ऋण जोखिम और एन पी ए का संकेंद्रण

i) जमाओं का संकेंद्रीकरण:

[₹ करोड़ में]

बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियाँ	34647.00
बैंक की कुल जमा राशियों के प्रति बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियों की प्रतिशतता	11.79%

ii) अग्रिमों का संकेंद्रण:

[₹ करोड़ में]

बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	40767.81
बैंक के कुल अग्रिम के प्रति बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम की प्रतिशतता	19.19%

iii) ऋण जोखिमों का संकेंद्रण :

[₹ करोड़ में]

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों की कुल ऋण जोखिम	55026.21
बैंक की उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल ऋण जोखिम के प्रति बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों की ऋण जोखिम की प्रतिशतता	15.69%

4.4.6 Details of non-performing financial assets sold:

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i.	No. of accounts sold	NIL	NIL
ii.	Aggregate outstanding	NA	NA
iii.	Aggregate consideration received	NA	NA

4.4.7 Provisions on Standard Asset:

[₹ in Crore]

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
	Provisions towards Standard Assets	785.00	600.33

4.4.8 Advances include a sum of ₹1600 Crore (Previous year ₹1000 Crore) of Inter Bank Participation Certificate (IBPC) purchased from sponsored Regional Rural Banks as per RBI guidelines.

4.4.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

i) Concentration of Deposits:

[₹ in Crore]

Total Deposits of twenty largest depositors	34647.00
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	11.79%

ii) Concentration of Advances:

[₹ in Crore]

Total Advances to twenty largest borrowers	40767.81
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	19.19%

iii) Concentration of Exposures:

[₹ in Crore]

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	55026.21
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.69%

iv) एन पी ए का संकेंद्रण :

[₹ करोड़ में]

उच्च चार एन पी ए खातों में कुल ऋण जोखिम	287.84
---	--------

v) क्षेत्र-वार एन पी ए

क्रम सं.	क्षेत्र	कुल अग्रिम के प्रति एन पी ए की प्रतिशतता
1	कृषि व संबद्ध क्रियाकलाप	2.24
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़ा)	1.07
3	सेवाएं	शून्य
4	वैयक्तिक ऋण	5.12

vi) एन पी ए का उतार-चढ़ाव

[₹ करोड़ में]

विवरण	रकम
यथा 1 अप्रैल 2010 को सकल एन पी ए (अथशेष)	2590.31
जोड़े - वर्ष के दौरान (नए एन पी ए)	3508.37
उपजोड़ (ए)	6098.68
घटाएं :-	
(i) उन्नयन	889.26
(ii) वसूलियाँ (उन्नयन किये गये खातों से की गई वसूलियाँ छोड़कर)	1624.72
(iii) बट्टे खाते में डाला गया	495.49
उप जोड़ (बी)	3009.47
यथा 31 मार्च 2011 को सकल एन पी ए (इतिशेष) (ए-बी)	3089.21

vii) समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए और राजस्व

[₹ करोड़ में]

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	15603.12
कुल एन पी ए	107.44
कुल राजस्व	318.36

viii) प्रायोजित बाह्य तुलन पत्र एस पी वी

(लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकन हेतु अपेक्षित)

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
देशीय	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

iv) Concentration of NPAs:

[₹ in Crore]

Total Exposure to top four NPA accounts	287.84
---	--------

v) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.24
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	1.07
3	Services	NIL
4	Personal Loans	5.12

vi) Movement of NPAs

[₹ in Crore]

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1st April 2010 (Opening Balance)	2590.31
Additions (Fresh NPAs) during the year	3508.37
Sub-total (A)	6098.68
Less:	
(i) Upgradations	889.26
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1624.72
(iii) Write-offs	495.49
Sub-total (B)	3009.47
Gross NPAs as on 31st March 2011 (closing balance) (A-B)	3089.21

vii) Overseas Assets, NPAs and Revenue

[₹ in Crore]

Particulars	Amount
Total Assets	15603.12
Total NPAs	107.44
Total Revenue	318.36

viii) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

4.5 कारोबार अनुपात :

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	8.13	8.10
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय(%)	0.95	1.23
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	2.15	2.19
iv. आस्तियों पर प्रतिफल(%)	1.42	1.30
v. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलकर) [रु लाखों में]	1228.18	982.58
vi. प्रति कर्मचारी लाभ [रु लाखों में]	9.76	7.35

4.5 Business Ratios:

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i. Interest income as a percentage to Working Funds (%)	8.13	8.10
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.95	1.23
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	2.15	2.19
iv. Return on Assets (%)	1.42	1.30
v. Business (Deposits plus Advances) per employee [Rs. in lacs]	1228.18	982.58
vi. Profit per employee [Rs. in lacs]	9.76	7.35

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन :

(यथा प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वासानुसार)

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वस्म :

[रु करोड़ में]

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	5254.44 (4275.45)	5497.33 (7684.30)	191.96 (0.00)	0.00 (0.00)	780.76 (689.30)	98.11 (650.24)
2 से 07 दिन	11630.01 (8894.81)	7257.80 (6563.84)	419.40 (1626.63)	0.00 (0.00)	1101.39 (1045.95)	1045.14 (780.09)
8 से 14 दिन	7718.09 (4879.68)	8690.65 (8296.41)	474.22 (599.09)	0.00 (0.00)	482.21 (1314.09)	84.90 (1654.70)
15 से 28 दिन	5474.97 (4736.40)	6660.35 (4320.55)	667.29 (1319.18)	1567.58 (84.55)	463.68 (279.14)	645.21 (545.45)
29 दिनों से 3 महीने तक	35321.70 (24640.19)	25999.52 (21337.66)	10374.70 (3511.73)	0.35 (144.50)	2982.92 (3612.56)	3595.94 (2144.83)
3 महीने से 6 महीने तक	21081.21 (27863.57)	19908.20 (16226.76)	1022.78 (1550.04)	835.09 (321.53)	2988.43 (3893.91)	3816.08 (3174.56)
6 महीने से 1 वर्ष तक	69251.15 (49460.92)	32275.38 (24650.96)	960.50 (552.98)	81.79 (291.96)	2881.45 (3449.49)	2322.08 (3480.11)
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	46684.49 (29935.20)	48708.99 (30469.24)	1624.77 (5054.19)	4625.86 (853.09)	1316.80 (740.58)	1024.52 (1067.09)
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	39210.18 (34435.35)	21956.46 (17713.03)	8165.77 (6050.31)	2795.97 (857.61)	2039.53 (642.61)	149.62 (115.30)
5 वर्ष से ऊपर	52346.41 (45529.87)	35512.50 (32071.88)	59798.53 (49412.80)	4355.02 (5887.32)	817.47 (994.98)	3574.64 (1986.79)
कुल	293972.65 (234651.44)	212467.17 (169334.63)	83699.92 (69676.95)	14261.65 (8440.56)	15854.64 (16662.61)	16356.24 (15599.16)

4.6 Asset Liability Management:

(As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors)

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

[₹ in Crore]

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	5254.44 (4275.45)	5497.33 (7684.30)	191.96 (0.00)	0.00 (0.00)	780.76 (689.30)	98.11 (650.24)
2 to 7 days	11630.01 (8894.81)	7257.80 (6563.84)	419.40 (1626.63)	0.00 (0.00)	1101.39 (1045.95)	1045.14 (780.09)
8 to 14 days	7718.09 (4879.68)	8690.65 (8296.41)	474.22 (599.09)	0.00 (0.00)	482.21 (1314.09)	84.90 (1654.70)
15 to 28 days	5474.97 (4736.40)	6660.35 (4320.55)	667.29 (1319.18)	1567.58 (84.55)	463.68 (279.14)	645.21 (545.45)
29 days to 3 months	35321.70 (24640.19)	25999.52 (21337.66)	10374.70 (3511.73)	0.35 (144.50)	2982.92 (3612.56)	3595.94 (2144.83)
3 months to 6 months	21081.21 (27863.57)	19908.20 (16226.76)	1022.78 (1550.04)	835.09 (321.53)	2988.43 (3893.91)	3816.08 (3174.56)
6 months to 1 year	69251.15 (49460.92)	32275.38 (24650.96)	960.50 (552.98)	81.79 (291.96)	2881.45 (3449.49)	2322.08 (3480.11)
1 year to 3 years	46684.49 (29935.20)	48708.99 (30469.24)	1624.77 (5054.19)	4625.86 (853.09)	1316.80 (740.58)	1024.52 (1067.09)
3 years to 5 years	39210.18 (34435.35)	21956.46 (17713.03)	8165.77 (6050.31)	2795.97 (857.61)	2039.53 (642.61)	149.62 (115.30)
Over 5 years	52346.41 (45529.87)	35512.50 (32071.88)	59798.53 (49412.80)	4355.02 (5887.32)	817.47 (994.98)	3574.64 (1986.79)
Total	293972.65 (234651.44)	212467.17 (169334.63)	83699.92 (69676.95)	14261.65 (8440.56)	15854.64 (16662.61)	16356.24 (15599.16)

4.7 संवेदनशील क्षेत्र को उधार :

* यथा प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वासानुसार

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम :

[₹ करोड़ में]

	श्रेणी	31.03.2011	31.03.2010
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	9879.84	12062.46
(i)	आवासीय बंधक	8471.04	10116.50
	- जिनमें से रु 20 लाख तक व्यक्ति विशेष आवास ऋण	6554.62	7385.04
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1398.15	1928.88
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	10.65	17.08
	क. आवासीय	10.65	17.08
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	6570.85	2889.37
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)		
	संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	6570.85	2889.37
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	16450.69	14951.83

4.7 Lending to Sensitive Sector:

(As compiled and certified by the management and relied upon by the auditors)

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

[₹ in Crore]

	Category	31.03.2011	31.03.2010
a)	Direct Exposure	9879.84	12062.46
(i)	Residential Mortgages		
	- lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	8471.04	10116.50
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	6554.62	7385.04
(ii)	Commercial Real Estate		
	- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	1398.15	1928.88
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	10.65	17.08
	a. Residential	10.65	17.08
	b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
b)	Indirect Exposure	6570.85	2889.37
	Fund based and non fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	6570.85	2889.37
	Total Exposure to Real Estate Sector	16450.69	14951.83



4.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम :

[₹ करोड़ में]

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत स्म से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	867.33	897.11
ii.	शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या व्यष्टियों को बेशर्तिया अग्रिम	शून्य	शून्य
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के स्म में लिया गया है	63.85	11.55
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपादिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर/परिवर्तनीय बंधपत्र/परिवर्तनीय वर्तनीय डिबेंचर/ ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती	944.91	39.01
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पक्ष में निर्गत गारंटियाँ	985.50	560.94
vi.	स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर/बंधपत्र/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या कार्पोरेटों को बेशर्तिया स्वीकृत अग्रिम	शून्य	शून्य
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/इस्युओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इस्यु के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें	शून्य	शून्य
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x.	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	402.89	268.40
	पूँजी बाजार में कुल ऋण जोखिम	3264.48	1777.01

4.7.2 Exposure to Capital Market:

[₹ in Crore]

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	867.33	897.11
ii.	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	NIL	NIL
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	63.85	11.55
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	944.91	39.01
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	985.50	560.94
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	NIL	NIL
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	NIL	NIL
viii.	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible -debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix.	Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	402.89	268.40
	Total Exposure to Capital Market	3264.48	1777.01

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश ऋण जोखिम :

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31 मार्च 2011 को किसी भी देश को बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा नहीं हुआ है।

[₹ करोड़ में]

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2011 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2011 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2010 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2010 को धारित प्रावधान
नगण्य	2701.50	शून्य	3136.50	शून्य
कम	12337.17	शून्य	8718.94	शून्य
सामान्य	961.09	शून्य	1250.42	शून्य
अधिक	131.94	शून्य	53.57	शून्य
अत्यधिक	0.69	शून्य	0.88	शून्य
प्रतिबंधित	शून्य	शून्य	0.37	शून्य
ऋण बाह्य	2.68	शून्य	2.58	शून्य
कुल	16135.07	शून्य	13163.26	शून्य

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country for which the Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31st March 2011, the net funded exposure to any country has not exceeded the 1% of the total assets of the Bank.

[₹ in Crore]

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2011	Provision held as at 31.03.2011	Exposure (net) as at 31.03.2010	Provision held as at 31.03.2010
Insignificant	2701.50	NIL	3136.50	NIL
Low	12337.17	NIL	8718.94	NIL
Moderate	961.09	NIL	1250.42	NIL
High	131.94	NIL	53.57	NIL
Very High	0.69	NIL	0.88	NIL
Restricted	NIL	NIL	0.37	NIL
Off-credit	2.68	NIL	2.58	NIL
TOTAL	16135.07	NIL	13163.26	NIL

4.8 एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) तथा समूह उधारकर्ता सीमा जिन्हें बैंक ने पार कर दिया (जीबीएल) का विवरण :

बैंक ने किसी भी समूह खातों और तेल कंपनियों या संरचनात्मक परियोजनाओं के एकल उधार कर्ताओं के मामले में विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा पार नहीं की है तथापि निम्न खातों के मामले में उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित पूंजी निधि के 15% ऋण जोखिम सीमा को पार की गई है।

4.8 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for group accounts and single borrower engaged in infrastructure projects or for Oil Companies. In respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of Capital Funds has been exceeded:

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई कुल राशि	यथा 31.03.2011 को बकाया
1	सिंडिकेट बैंक	3000.00	4000.00	68.81
2	भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लि.	3000.00	3430.00	3348.25
3	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	3000.00	3115.00	803.27

[₹ in Crore]

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure limit	Total amount sanctioned	Outstanding as on 31.03.2011
1	Syndicate Bank	3000.00	4000.00	68.81
2	Bharat Heavy Electricals Ltd	3000.00	3430.00	3348.25
3	Rashtriya Ispat Nigam Ltd	3000.00	3115.00	803.27

4.9 अप्रतिभूत अग्रिम

₹2469.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7797.05 करोड़) का अग्रिम जिसके लिए ऋणभार लार्डसेंस, प्राधिकृत करना आदि अमूर्त प्रतिभूतियों को ऋणभार के रूप में लिया गया है, को अप्रतिभूत माना जाता है। ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

4.9 Unsecured Advances:

Advances amounting to ₹ 2469.84 Crores (Previous Year ₹ 7797.05 Crores) for which charge has been taken over intangible securities such as rights, licenses, authorization etc have been considered as Unsecured. The estimated value of such intangible securities is not ascertained.

4.10 विविध :

4.10.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि :

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
आयकर हेतु प्रावधान (संपत्ति कर सहित)	1000.00	800.00

4.10 Miscellaneous:

4.10.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provision for Income Tax (including Wealth Tax)	1000.00	800.00

4.10.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण

शून्य

4.10.2 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

NIL

4.10.3 बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों एवं कार्यान्वित नही किए अधिनिर्णयों का प्रकटीकरण

क. ग्राहक परिवाद

क्रमा सं.	विवरण	
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित परिवादों की संख्या	243
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त परिवादों की संख्या	3822
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई परिवादों की संख्या	3866
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित परिवादों की संख्या	199

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी किए गए अधिनिर्णय

क्रमा सं.	विवरण	
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	11
(ग)	वर्ष के दौरान किए गए निवारणों की संख्या	10
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1

5 लेखांकन मानदंड:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 लेखांकन मानदंड 5 - निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं ।

5.2 लेखांकन मानदंड 15 - कर्मचारी लाभ

उपदान, पेन्शन साधिकार अवकाश के बीमाकिक अनुमान के लिए दायित्व ओ के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों का निर्धारण किया गया है ।

4.10.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	243
(b)	Number of complaints received during the year	3822
(c)	Number of complaints redressed during the year	3866
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	199

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl. No.	Particulars	
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL
(b)	Number of Awards received during the year	11
(c)	Number of Awards redressed during the year	10
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	1

5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the following information is disclosed:

5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items.

5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) में अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability

I. मूलधन बीमांकिक अनुमान [भारित औसतों के रूप में व्यक्त]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
रियायती दर	8.30%	8.50%	8.30%
वेतन में बढ़ोतरी दर	4.00%	4.00%	4.00%
मूल वेतन में बढ़त दर	शून्य	1.50%	शून्य
हास दर	0.60%	0.60%	0.60%
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%	शून्य
पेंशन में बढ़त दर	शून्य	2.50%	शून्य

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Discount Rate	8.30%	8.50%	8.30%
Salary escalation rate	4.00%	4.00%	4.00%
Rate of Escalation in Basic Pay	NIL	1.50%	NIL
Attrition rate	0.60%	0.60%	0.60%
Expected rate of return on Plan Assets	8.00%	8.00%	NIL
Rate of Escalation in Pension	NIL	2.50%	NIL

II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पी वी ओ) में परिवर्तन - अथ एवं इति शेषों का मिलान

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
वर्षारंभ में पी वी ओ	843.69	3360.28	581.09
ब्याज लागत	62.94	266.59	47.88
मौजूदा सेवा लागत	25.31	84.01	22.52
विगत सेवा लागत - (मान्यता प्राप्त)	135.91	370.72	शून्य
विगत सेवा लागत - (मान्यता प्राप्त)	543.62	1482.86	शून्य
प्रदत्त हितलाभ	(170.73)	(373.14)	(8.32)
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलनकारी आंकड़ा)	(12.08)	1984.06	3.98
वर्षत में पी वी ओ	1428.65	7175.38	647.15

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:

[₹ In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
PVO as at the beginning of the year	843.69	3360.28	581.09
Interest Cost	62.94	266.59	47.88
Current service cost	25.31	84.01	22.52
Past service cost - recognized	135.91	370.72	NIL
Past service cost - unrecognized	543.62	1482.86	NIL
Benefits paid	(170.73)	(373.14)	(8.32)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	(12.08)	1984.06	3.98
PVO as at the end of the year	1428.65	7175.38	647.15

III. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - अथ एवं इति शेषों का मिलान :

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
वर्षारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	781.11	3097.38	शून्य
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	85.41	327.63	शून्य
गत वर्ष बैंक का अंशदान	शून्य	266.84	शून्य
चालू वर्ष बैंक का अंशदान	शून्य	2369.18	शून्य
नये विकल्पकर्ताओं के मामले में कर्मचारी भविष्य निधी से अंतरित	शून्य	1447.51	शून्य
अंशदान	743.73	शून्य	8.32
प्रदत्त लाभ	(170.73)	(373.14)	(8.32)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलनकारी आंकडा)	(10.86)	39.98	शून्य
वर्षांत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1428.65	7175.38	शून्य

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS – RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:

[₹ In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	781.11	3097.38	NIL
Expected return on plan assets	85.41	327.63	NIL
Bank's Contribution Related to Previous Year	NIL	266.84	NIL
Bank's Contribution Related to Current Year	NIL	2369.18	NIL
Amount transferred from SPF in respect of new optees and amount received from retirees - Pension Option	NIL	1447.51	NIL
Contributions	743.73	NIL	8.32
Benefits paid	(170.73)	(373.14)	(8.32)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(10.86)	39.98	NIL
Fair value of plan assets as at the end of the year	1428.65	7175.38	NIL

IV. योजनागत आस्तियों से वास्तविक प्रतिफल

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	85.41	327.63	शून्य
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(10.86)	39.98	शून्य
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	74.55	367.61	शून्य

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS

[₹ in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Expected return on plan assets	85.41	327.63	NIL
Actuarial gain (loss) on plan assets	(10.86)	39.98	NIL
Actual return on plan assets	74.55	367.61	NIL

V. मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) /हानि

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	12.08	(1984.06)	(3.98)
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) /हानि - योजनागत आस्तियाँ	(10.86)	39.98	शून्य
अवधि के लिए कुल (लाभ) / हानि	(1.22)	1944.08	3.98
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) /हानि मान्यता प्राप्त	(1.22)	1944.08	3.98
वर्ष के अंत में बीमांकिक (लाभ)/हानि गैर मान्यता प्राप्त	शून्य	शून्य	शून्य

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED

[₹ In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Actuarial gain / (loss) for the period - Obligation	12.08	(1984.06)	(3.98)
Actuarial gain / (loss) for the period- Plan Assets	(10.86)	39.98	NIL
Total (gain) / loss for the period	(1.22)	1944.08	3.98
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	(1.22)	1944.08	3.98
Unrecognized actuarial (gain)/loss at the end of the year	NIL	NIL	NIL

VI. तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषणों में मान्यता प्राप्त राशि

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1428.65	7175.38	647.15
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1428.65	7175.38	शून्य
अंतर	शून्य	शून्य	647.15
अमान्यता प्राप्त गत सेवा लगात अहित लाभ	(543.62)	(1482.86)	शून्य
तुलना पत्र में मान्यता प्राप्त आस्तियाँ	543.62	1482.86	शून्य
तुलना पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	शून्य	शून्य	647.15

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSES

[₹ In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Present value of the obligation	1428.65	7175.38	647.15
Fair value of plan assets	1428.65	7175.38	NIL
Difference	NIL	NIL	647.15
Unrecognized past service cost - non vested benefits	(543.62)	(1482.86)	NIL
Asset recognized in the balance sheet	543.62	1482.86	NIL
Liability recognized in the balance sheet	NIL	NIL	647.15

VII. लाभ एवं हानि विवरणों में मान्यता प्राप्त व्यय:

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
वर्तमान सेवा लागत	25.31	84.01	22.52
ब्याज लागत	62.94	266.59	47.89
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(85.41)	(327.63)	शून्य
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल (लाभ) / हानि बीमांकिक	(1.22)	1944.08	3.98
भविष्य निधि विकल्पकर्ताओं और सेवानिवृत्तों से संबंधित अंतरण समायोजन	शून्य	(1447.51)	शून्य
विगत सेवा लागत - मान्यता प्राप्त	135.91	370.71	शून्य
लाभ एवं हानि विवरणों में मान्यता प्राप्त व्यय	137.53	890.26	74.38

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:

[₹ in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Current service cost	25.31	84.01	22.52
Interest Cost	62.94	266.59	47.89
Expected return on plan assets	(85.41)	(327.63)	NIL
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(1.22)	1944.08	3.98
Adjustment for transfers pertaining to PF Optees and Retirees	NIL	(1447.51)	NIL
Past service cost – recognized	135.91	370.71	NIL
Expenses recognized in the statement of profit and loss	137.53	890.26	74.38

VIII. तुलनपत्र में चिह्नित देयता में उतार - चढ़ाव:

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
अथ निवल देयता	62.58	262.90	581.10
उपर्युक्त व्यय	137.53	890.26	74.38
वर्ष 2009-10 में बैंक का अंशदान	शून्य	(266.84)	शून्य
वर्ष 2010-11 में बैंक का अंशदान	शून्य	(2369.18)	शून्य
प्रदत्त अंशदान	(743.72)	शून्य	(8.32)
इति निवल देयता	(543.62)	(1482.86)	647.15

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET

[₹ In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Opening net liability	62.58	262.90	581.10
Expense as above	137.53	890.26	74.38
Contribution by the bank for the year 2009-10	NIL	(266.84)	NIL
Contribution by the bank for the year 2010-11	NIL	(2369.18)	NIL
Contribution paid	(743.72)	NIL	(8.32)
Closing net liability	(543.62)	(1482.86)	647.15



IX. मौजूदा अवधि के लिए राशि

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
दायित्व का मौजूदा मूल्य	1428.65	7175.38	647.15
योजनागत आस्तियाँ	1428.65	7175.38	शून्य
अधिशेष (घाटा)	शून्य	शून्य	(647.15)
योजनागत देयताओं पर अनुभवगत समायोजन - (हानि) / लाभ	(721.53)	(4108.14)	(131.69)
योजनागत आस्तियों पर अनुभवगत समायोजन	(10.86)	39.98	शून्य

IX. AMOUNT FOR THE CURRENT PERIOD

[₹ in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Present Value of obligation	1428.65	7175.38	647.15
Plan Assets	1428.65	7175.38	NIL
Surplus (Deficit)	NIL	NIL	(647.15)
Experience adjustments on plan liabilities –(loss)/gain	(721.53)	(4108.14)	(131.69)
Experience adjustments on plan assets –(loss)/gain	(10.86)	39.98	NIL

X. योजनागत आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजनागत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

[₹ करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	साधिकार छुट्टी
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.00%	15.00%	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	16.00%	36.75%	शून्य
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड	38.00%	शून्य	शून्य
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	शून्य	0.03%	शून्य
संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	12.00%	9.62%	शून्य
म्युचुल फंड	1.00%	शून्य	शून्य
बैंक जमा - चालू खाता	शून्य	शून्य	100.00%
अन्य	शून्य	38.60%	शून्य
कुल	100.00%	100.00%	100.00%

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)

[₹ in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
Government of India Securities	33.00%	15.00%	NIL
State Government Securities	16.00%	36.75%	NIL
High Quality Corporate Bonds	38.00%	NIL	NIL
Equity shares of listed companies	NIL	0.03%	NIL
Property	NIL	NIL	NIL
Funds managed by Insurer	12.00%	9.62%	NIL
Mutual Fund	1.00%	NIL	NIL
Bank Deposits-Current Account	NIL	NIL	100.00%
Others	NIL	38.60%	NIL
Total	100.00%	100.00%	100.00%

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान के बारे में उद्यम का सर्वोत्तम अनुमान	90.00	360.00	NIL
XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR			

कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए के संबंध में वर्ष के दौरान संशोधित वेतन के प्रति किये गये प्रावधान में ₹ 300 करोड़ शामिल। देयता संकलन के बाद पेंशन के संबंध में विचार किया जाएगा।

Payments to and Provision for Employees include Rs.300 Crore being the further provision made towards salary revision for the year. In respect of Pension, liability will be considered on crystallization.

5.3 लेखा मानक -15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के अनुसार पेंशन विकल्प के फिर से खोले जाने और आनुतोषिक राशि की सीमा के बढ़ाये जाने के कारण ₹ 3054.27/- करोड़ की पूरी राशि (पेंशन विकल्प के लिए ₹ 2373.12/- करोड़ और आनुतोषक राशि के लिए ₹ 681.15/- करोड़) को लाभ हानि लेखा में प्रभारित करना है। तथापि, यदि परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गनिर्देश के मुताबिक बैंक ने ₹ 890.26 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक लाभ हानि लेखा में नामे किया है जिसमें पेंशन विकल्प के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पूरी देयता और आनुतोषक राशि देयता के ₹ 137.53 करोड़ भी शामिल हैं। पेंशन की ₹ 1482.86 करोड़ और आनुतोषिक के ₹ 543.62 करोड़ की शेष अपरिशोधित राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश के मुताबिक पेश आया जायेगा।

5.3 गत वर्ष तक बैंक ने चिकित्सा छुट्टी के लिए ₹ 167.47 करोड़ का प्रावधान किया है। चिकित्सा छुट्टी नकदीकरण नहीं की जा सकती हैं, बैंक ने चालू वर्ष में साधिकारिक छुट्टी के लिए ₹ 66.05 करोड़ व समायोजन करने के बाद ₹ 101.42 करोड़ का प्रतिलेख कर दिया।

5.3 In terms of the requirements of the Accounting Standard - 15 (Revised) - Employee Benefits, the entire amount of ₹3054.27 Crore (towards Pension ₹2373.12 Crore and towards gratuity ₹681.15 Crore) on account of re-opening of pension option and enhancement in Gratuity limit, is required to be charged to Profit & Loss Account. However, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹890.26 Crore, including entire liability toward retired employees on account of pension and ₹137.53 Crore on account of gratuity liability. The balance unamortized amount of ₹1482.86 Crore towards Pension and ₹543.62 Crore towards Gratuity will be dealt with as per guidelines of Reserve Bank of India.

5.4 The bank had provided for ₹167.47 crore towards Sick Leave up to the previous year. The Sick leave being non-encashable, the bank has written back ₹101.42 crore after adjusting ₹66.05 crore towards provision for privilege leave for the current year as no longer required.

5.5 लेखांकन मानदंड -17 - खंड रिपोर्टिंग :
भाग क - कारोबार खंड:

[₹ करोड में]

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2011	31.03.2010
(क)	खंड राजस्व		
1	कोष परिचालन	6249.48	5477.69
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	6700.99	5646.60
3	थोक बैंकिंग परिचालन	12220.51	10041.64
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित	596.07	443.93
	कुल	25767.05	21609.86
(ख)	खंड परिणाम		
1	कोष परिचालन	869.61	1346.85
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2207.25	1664.16
3	थोक बैंकिंग परिचालन	2652.26	1999.24
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	5729.12	5010.25
(ग)	गैर आबंटित आय / व्यय	377.88	50.56
(घ)	परिचालन लाभ	6107.00	5060.81
(ङ.)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	1081.11	1239.38
(च)	आय कर	1000.00	800.00
(छ)	निवल लाभ	4025.89	3021.43
(ज)	अन्य सूचनाएं		
(i)	खंड आस्तियाँ		
1	कोष परिचालन	108292.57	87199.12
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	60302.30	51555.25
3	थोक बैंकिंग परिचालन	160148.44	121344.65
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित आस्तियाँ	5237.09	2509.39
	कुल	333980.40	262608.41
(ज)	खंड देयताएं		
1	कोष परिचालन	47011.06	39833.45
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	124960.75	123063.48
3	थोक बैंकिंग परिचालन	125895.27	76290.47
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आबंटित देयताएं	18171.86	10881.90
6	पूंजी और आरक्षित निधियाँ	17941.46	12539.11
	कुल	333980.40	262608.41

(* पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर)

5.5 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

[₹ in Crore]

	Business Segment	Year Ended	
		31.03.2011	31.03.2010
(a) Segment Revenue			
1	Treasury Operations	6249.48	5477.69
2	Retail Banking Operations	6700.99	5646.60
3	Wholesale Banking Operations	12220.51	10041.64
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated	596.07	443.93
	Total	25767.05	21609.86
(b) Segment Results			
1	Treasury Operations	869.61	1346.85
2	Retail Banking Operations	2207.25	1664.16
3	Wholesale Banking Operations	2652.26	1999.24
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	5729.12	5010.25
(c)	Unallocated Income/Expenses	377.88	50.56
(d) Operating Profit		6107.00	5060.81
(e)	Provisions and Contingencies	1081.11	1239.38
(f)	Income Tax	1000.00	800.00
(g) Net Profit		4025.89	3021.43
(h) Other Information			
(i) Segment Assets*			
1	Treasury Operations	108292.57	87199.12
2	Retail Banking Operations	60302.30	51555.25
3	Wholesale Banking Operations	160148.44	121344.65
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Assets	5237.09	2509.39
	Total	333980.40	262608.41
(j) Segment Liabilities			
1	Treasury Operations	47011.06	39833.45
2	Retail Banking Operations	124960.75	123063.48
3	Wholesale Banking Operations	125895.27	76290.47
4	Other Banking Operations	0.00	0.00
5	Unallocated Liabilities	18171.86	10881.90
6	Capital and Reserves *	17941.46	12539.11
	Total	333980.40	262608.41

(* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख: भौगोलिक खंड:

[₹ करोड़ में]

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2011	31.03.2010
अ	देशी परिचालन		
	राजस्व	25448.69	21299.71
	आस्तियाँ	318377.28	252609.97
आ	विदेशी परिचालन		
	राजस्व	318.36	310.15
	आस्तियाँ	15603.12	9998.44
इ	कुल		
	राजस्व	25767.05	21609.86
	आस्तियाँ *	333980.40	262608.41

*(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर)

Part B - Geographical Segment:

[₹ in Crore]

	Geographical Segment	Year Ended	
		31.03.2011	31.03.2010
A	Domestic Operations		
	Revenue	25448.69	21299.71
	Assets	318377.28	252609.97
B	International Operations		
	Revenue	318.36	310.15
	Assets	15603.12	9998.44
C	Total		
	Revenue	25767.05	21609.86
	Assets*	333980.40	262608.41

(* Excluding Revaluation Reserve)

5.6 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण - लेखांकन मानदंड -18:

संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - प्रधान
- केनरा बैंक

5.6.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- श्री ए सी महाजन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31.07.2010 तक)
- श्री एस रामन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.09.2010 से)
- श्री जगदीश पै के एल, कार्यपालक निदेशक
- श्री एच एस उपेंद्र कामत, कार्यपालक निदेशक

5.6 Related Party Disclosures – Accounting Standard-18:

Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent –Canara Bank

5.6.1 Key Management Personnel –

- Sri A C Mahajan, Chairman & Managing Director (till 31.07.2010)
- Shri S Raman, Chairman & Managing Director (from 01.09.2010)
- Shri Jagdish Pai. K.L, Executive Director
- Shri H S Upendra Kamath, Executive Director



5.6.2 प्रधान

- i) केनरा बैंक

5.6.3 अनुषंगियाँ -

- i) केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

5.6.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को

5.6.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) सी ए आर ई लिमिटेड
- iv) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - क) प्रगति ग्रामीण बैंक
 - ख) साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक
 - ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक

5.6.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है :

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक - ₹ 64,92,995/-
(पिछले वर्ष : ₹ 71,98,727/-)

5.6.2 Parent-

- i) Canara Bank

5.6.3 Subsidiaries –

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn.Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

5.6.4 Joint Ventures

- i) Commercial Bank of India LLC., Moscow

5.6.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) CARE Ltd
- iv) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
 - a) Pragati Gramin Bank
 - b) South Malabar Gramin Bank
 - c) Shreyas Gramin Bank

5.6.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

Remuneration to Key Management Personnel
₹64, 92,995 /-
(Previous Year: ₹71, 98,727/-)

5.6.7 अनुषंगियों, सहबद्ध एवं संयुक्त उद्यमों के साथ संव्यवहार निम्नवत् है*:

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएँ व संयुक्त उद्यम
उधार - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	34.10
	शून्य	(1.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य	34.10
	शून्य	(1.90)
जमाएं - यथा वर्षांत को बकाया	184.34	2840.20
	(140.33)	(1604.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	184.34	2854.03
	(143.83)	(1604.07)
जमाओं का नियोजन - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	96.99
	शून्य	(97.66)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य	96.99
	शून्य	(97.66)
अग्रिम - यथा वर्षांत को बकाया	761.74	2972.42
	(743.38)	(2788.31)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	761.74	2972.42
	(743.38)	(2788.31)
निवेश - यथा वर्षांत को बकाया	467.12	99.75
	(365.13)	(99.66)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	467.12	99.75
	(365.13)	(99.66)
निधीतर वचनबद्धताये - यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	NIL
	शून्य	(NIL)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य	NIL
	शून्य	(NIL)
पट्टेदारी/किराया खरीद उपभुक्त / प्रावधान यथा वर्षांत को बकाया	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
संदेय कमिशन	शून्य	शून्य
स्थिर आस्तियाँ का क्रय	3.81	शून्य
	(2.99)	शून्य
स्थिर आस्तियाँ का विक्रय	शून्य	शून्य
	(0.04)	शून्य
दत्त ब्याज	6.94	114.13
	(11.62)	(24.56)
प्राप्य ब्याज	45.51	160.11
	(16.43)	(109.49)
सेवा उपलब्ध कराना	53.62	3.31
	(58.91)	(2.40)
सेवाओं के लिए प्रदत्त	68.27	0.01
	(11.33)	(0.01)
प्रबंधन संविदाएं	शून्य	शून्य
	(0.05)	(NIL)

*यथा प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वासानुसार।
कोष्टकों में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित।

5.6.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under* :

[₹ in Crore]

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
Borrowings - Outstanding as at the year end	NIL	34.10
	(NIL)	(1.90)
Maximum outstanding during the year	NIL	34.10
	(NIL)	(1.90)
Deposits- Outstanding as at the year end	184.34	2840.20
	(140.33)	(1604.07)
Maximum outstanding during the year	184.34	2854.03
	(143.83)	(1604.07)
Placement of Deposits - Outstanding as at the year end	NIL	96.99
	(NIL)	(97.66)
Maximum outstanding during the year	NIL	96.99
	(NIL)	(97.66)
Advances- Outstanding as at the year end	761.74	2972.42
	(743.38)	(2788.31)
Maximum outstanding during the year	761.74	2972.42
	(743.38)	(2788.31)
Investments- Outstanding as at the year end	467.12	99.75
	(365.13)	(99.66)
Maximum outstanding during the year	467.12	99.75
	(365.13)	(99.66)
Non Funded Commitments- Outstanding as at the year end	NIL	NIL
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL	NIL
	(NIL)	(NIL)
Leasing / HP Arrangement availed / provided- Outstanding as at the year end	NIL	NIL
	(NIL)	(NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL	NIL
	(NIL)	(NIL)
Commission Payable	NIL	NIL
Purchase of Fixed Assets	3.81	NIL
	(2.99)	(NIL)
Sale of Fixed Assets	NIL	NIL
	(0.04)	(NIL)
Interest paid	6.94	114.13
	(11.62)	(24.56)
Interest received	45.51	160.11
	(16.43)	(109.49)
Rendering of Service	53.62	3.31
	(58.91)	(2.40)
Receiving for Services	68.27	0.01
	(11.33)	(0.01)
Management Contracts	NIL	NIL
	(0.05)	(NIL)

*As compiled and certified by the Management and relied upon by the Auditors.
Figures in brackets relate to previous year.

5.7 प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक - 20

प्रति ईक्विटी शेयर मूल व विकलित अर्जन की गणना लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन के अनुसार की गई है।

[₹ रु में]

क्रम सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
1	मूल एवं विकलित ई पी एस	97.83	73.69

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है :

	विवरण	2010-2011	2009-2010
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ों में)	4025.89	3021.43
ख	अधिभारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या गतवर्ष ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ों में)	41.15	41.00
ग	प्रति शेयर अर्जन (क/ख) (₹)	97.83**	73.69
घ	प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10/-	10/-

** अधि भारित औसत आधार पर परिकलित

5.8 आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं - लेखा मानक - 22

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2011 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है :

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
प्रतिभूतियों पर उपचित परंतु देय न रहनेवाला ब्याज	शून्य	शून्य	419.86	319.75
छुट्टी नकदीकरण	254.44	254.44	शून्य	शून्य
स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास	35.58	30.10	शून्य	शून्य
एफ डी आर पर ब्याज हेतु प्रावधान	शून्य	26.06	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	11.47	23.72
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	290.02	310.60	431.33	343.47

5.7 Earnings Per Share – Accounting Standard-20:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

[Amount in ₹]

SI No.	Particulars	2010-2011	2009-2010
1	Basic and Diluted EPS	97.83	73.69

The Computation of EPS is given below.

S.No.	Particulars	2010-2011	2009-2010
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (Rs. in Crore)	4025.89	3021.43
B	Weighted Average Number of Equity Shares Previous Year Number of Equity Shares (in Crore)	41.15	41.00
C	Earnings per Share (A/B) (Rs.)	97.83**	73.69
D	Nominal Value per Share (Rs.)	10/-	10/-

** Computed on Weighted Average Basis.

5.8 Deferred Tax Assets and Liabilities - Accounting Standard-22:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2011 as under:

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

[₹ करोड़ में]

[₹ in Crore]

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	419.86	319.75
Leave Encashment	254.44	254.44	NIL	NIL
Depreciation on Fixed Assets	35.58	30.10	NIL	NIL
Provision for interest on FDR	NIL	26.06	NIL	NIL
Others	NIL	NIL	11.47	23.72
Deferred Tax Asset/ Liability	290.02	310.60	431.33	343.47

5.9 संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग - लेखांकन मानक-27

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) ₹31.53 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है।

ले.मा 27 की अपेक्षानुसार संयुक्त नियंत्रित संस्था में बैंक के हित (@ 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन अधोलिखित किया गया है :

5.9 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures - Accounting Standard 27

Investments include ₹31.53 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी - आस्तियों, देयताओं, आय- व्यय के विवरण

विवरण	31.3.2011 को समाप्त विद्यमान वर्ष	31.3.2011 को समाप्त विद्यमान वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.3.2010 को समाप्त गत वर्ष	31.3.2010 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में	अमरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में
समग्र पूँजी व आरक्षित निधियाँ	29157	130.03	52.01	25346	113.80	45.52
समग्र देयताएं	44335	197.71	79.08	45086	202.43	80.97
समग्र आस्तियाँ	73492	327.74	131.10	70432	316.23	126.49
समग्र आय	5879	26.79	10.72	5348	25.39	10.16
समग्र व्यय	3032	13.82	5.53	3197	15.18	6.07
लाभ	2847	12.97	5.19	2151	10.21	4.08

Commercial Bank of India LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31.03.2011	Current year ended 31.03.2011	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31.03.2010	Previous year ended 31.03.2010	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	Rs. in Crore	Rs. in Crore	In '000 US Dollars	Rs. in Crore	Rs. in Crore
Aggregate Capital and Reserves	29157	130.03	52.01	25346	113.80	45.52
Aggregate Liabilities	44335	197.71	79.08	45086	202.43	80.97
Aggregate Assets	73492	327.74	131.10	70432	316.23	126.49
Aggregate Income	5879	26.79	10.72	5348	25.39	10.16
Aggregate Expenditure	3032	13.82	5.53	3197	15.18	6.07
Profit	2847	12.97	5.19	2151	10.21	4.08

उक्त आँकड़े निम्नानुसार परिवर्तित किये जाते हैं :

आस्तियाँ तथा देयताएं @ तत्स्थान दर 31.03.2011 यूएस डी 1 = ₹ 44.595 और 31.03.2010 यूएस डी 1 = ₹ 44.90

आय तथा व्यय @ औसत दर 31.03.2011 यूएस डी 1 = ₹ 45.5706 और 31.03.2010 यूएस डी 1 = ₹ 47.4725

उपर्युक्त आँकड़े 31.03.2011 तथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के उन खातों से लिया गया है जो लेखा परीक्षित नहीं हैं ।

5.10 आस्तियों की क्षति - लेखा प्रणाली मानक 28

प्रबंधन की राय में, 31 03 2011 तक विस्तारित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति नहीं है जिसकी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निर्बंधन में निर्धारण की जरूरत है ।

5.11 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्योरा :

[₹ करोड़ में]

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	184.32	91.82
अशोध्य और संदिग्ध ऋण	1001.18	1426.17
कराधान (आस्थगित कर का निवल)	1000.00	800.00
निवेश मूल्यहास / एन पी आई प्रावधान	42.61	(328.66)
अन्य / आकस्मिक व्यय (निवल)	(147.00)	50.05
कुल	2081.11	2039.38

The above figures have been translated at:

Assets and liabilities: @ spot rate: 31/03/2011 USD 1= ₹ 44.595 and 31/03/2010 USD 1= ₹ 44.90

Income & Expenditure: @ Average rate: 31/03/2011 USD 1= ₹ 45.5706 and 31/03/2010 USD 1= ₹ 47.4725

The above figures are as per unaudited accounts of the joint venture for the year ended 31/03/2011 & 31/03/2010.

5.10 Impairment of Assets – Accounting Standard 28

In the opinion of the Management, there is no impairment of its Fixed Asset to any material extent as at 31.03.2011 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

5.11 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

[₹ in Crore]

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provision for Standard Assets	184.32	91.82
Bad and Doubtful Debts	1001.18	1426.17
Taxation (Net of Deferred Tax)	1000.00	800.00
Investment Depreciation / NPI Provision	42.61	(328.66)
Others / Contingencies (Net)	(147.00)	50.05
TOTAL	2081.11	2039.38

6. लेखांकन मानदंड 29 के अनुरूप प्रावधान - आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान:

[₹ करोड़ में]

विवरण	यथा 01.04.2010 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	यथा 31.03.2011 को समापन
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	67.61	शून्य	67.61	शून्य

6. Provisions in accordance with Accounting Standard 29 – Provision for Contingencies:

[₹ in Crore]

Particulars	Opening as on 01.04.2010	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2011
Provision for Contingencies	67.61	NIL	67.61	NIL

7. चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना:

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹ 3100.04 करोड़ के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2011 को उक्त पत्रों की संचित स्थिति ₹1281.13 करोड़ है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये:-

- चीन बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन, चीन (शांघई शाखा के लिए 2008-09 के दौरान)
- यू ए ई सेंट्रल बैंक 2009-10 के दौरान प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह के लिए
- बहरेन का सेंट्रल बैंक 2009-10 के दौरान बहरेन में प्रस्तावित शाखा के लिए

खोली गई / प्रस्तावित हमारी शाखाओं / कार्यालयों के संबंध में उपर्युक्त पत्र जारी किये गये।

यू ए ई सेंट्रल बैंक तथा बहरेन सेंट्रल बैंक को जारी किये गये चुकौती आश्वासन पत्रों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है, उन प्रस्तावित केंद्रों पर हमारी शाखा / कार्यालय अभी तक नहीं खोलें गये

7. Issuance of Letters of Comfort:

Bank has issued Letters of Comfort to the tune of ₹3100.04 Crores during the financial year. The cumulative Positions of LOC's outstanding as on 31.03.2011 is ₹1281.13 Crores. Apart from these, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators:

- China Banking Regulatory Commission, China (during 2008-09 for Shanghai Branch)
- Central Bank of the UAE (during 2009-10 for Representative Office, Sharjah)
- Central Bank of Bahrain (during 2009-10 for the proposed Branch at Bahrain)

The above have been issued in respect of our Branch/ Offices opened/proposed.

There is no financial impact on LOCs issued favouring Central Bank of UAE and Central Bank of Bahrain, as branch/office at these proposed centres are yet to be opened.

शांघाई शाखा, चीन की कुल देयताएं यू एस डी 65.34 मि (₹292.38 करोड़) जिसमें निम्नांकित शामिल हैं :

पूँजी : यू एस डी 28.86 मि
(₹ 128.70 करोड़)

हमारे कोष से उधार : यू एस डी 35.46 मि
(₹ 158.13 करोड़)

अन्य देयताएं : यू एस डी 1.02 मि
(₹ 4.55 करोड़)

35.46 मि अ.डा. (₹ 158.13 करोड़) में से 15 मि अ.डा. (₹ 66.89 करोड़) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से उधार लिया है और शेष कोश, मुंबई से हैं ।

अन्य देयताओं में अ.डा 0.44 के ग्राहक जमा शामिल है ।

अतः शाखा की कुल ऋण बाध्यता अ.डा. 15.44 (₹ 68.85 करोड़) ।

8. यथा 31.03.2011 को प्रावधान प्रावरण अनुपात 72.99% है ।

9. आरक्षितियों से आहरित :

भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों के मुताबिक सांविधिक आरक्षिती व कर के निवेश लेखा समंजन से ₹ 53 करोड़ की राशि आहरित की गई और निवेशों के मूल्यहास के प्रति समायोजित किया गया ।

10. बैंक द्वारा बैंक अश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय :

[₹ करोड़ में]

क्र.सं.	आय का प्रकार	31.03.2011	31.03.2010
1	जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय	47.26	56.27
2	जीवनेतर बीमा पॉलिसियों का विक्रय	10.77	8.30
3	परस्पर निधि उत्पाद का विक्रय	3.11	3.23
4	अन्य	शून्य	शून्य
	कुल	61.14	67.80

The liability position of Shanghai Branch, China is USD 65.34 Mn (Rs. 291.38 Crores) consisting of –

Capital : USD 28.86 Mn
(₹128.70 Crore)

Borrowings from our Treasury : USD 35.46 Mn
(₹158.13 Crore)

Other Liabilities : USD 1.02 Mn
(₹4.55 Crore)

Out of the borrowings of USD 35.46 Mn (₹ 158.13 Crores), an amount of USD 15 Mn (₹ 66.89 crores) has been borrowed from Standard Chartered Bank and the balance is borrowings from Treasury, Mumbai.

The other liabilities includes customers deposits of USD 0.44 Mn.

Hence, the total debt obligation of the branch is USD 15.44 Mn.

The branch has made a provision of USD 74,146 towards discharge of tax liabilities.

Hence, the total likely financial impact is to the extent of USD 15.44 Mn (₹ 68.85 crores)

8. Provision Coverage Ratio is 72.99% as on 31.3.2011.

9. Draw down from Reserves:

A sum of ₹53 Crore has been withdrawn from Investment Reserve Account net off of Statutory Reserve & tax and adjusted against depreciation on Investments as per Reserve Bank of India guidelines.

10. Fees/Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

[₹ in Crore]

Sl.No.	Nature of Income	31.03.2011	31.03.2010
1	For selling Life Insurance Policies	47.26	56.27
2	For selling Non Life Insurance Policies	10.77	8.30
3	For selling Mutual Funds Products	3.11	3.23
4	Others	NIL	NIL
	TOTAL	61.14	67.80

11 जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनः क्रमबद्ध / पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं ।

11. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

एन सेल्वराजन
उप महा प्रबंधक

के माणिकम
उप महा प्रबंधक

डी एस आनंदमूर्ति
महा प्रबंधक

अर्चना एस भार्गव
कार्यपालक निदेशक

जगदीश पै के एल
कार्यपालक निदेशक

एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

जी पद्मनाभन
निदेशक

देवेन्द्र दास रस्तगी
निदेशक

जी वी मणिमारन
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

एस शब्बीर पाशा
निदेशक

पंकज गोपालजी ठक्कर
निदेशक

पी वी मैय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एस एस भंडारी
साझेदार

कृते मनुभाई एण्ड कं
सनदी लेखाकार
हितेश एम पोमल
साझेदार

कृते आर के कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
सी आर सुंदरराजन
साझेदार

कृते नन्दी हलधर व गंगूली
सनदी लेखाकार
पार्थ एस चंदा
साझेदार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

मोनीश बावेजा
साझेदार

के नारायणन
साझेदार

बेंगलूरु

05 मई 2011

N SELVARAJAN
Deputy General Manager

K MANICKAM
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY
General Manager

ARCHANA S BHARGAVA
Executive Director

JAGDISH PAI K L
Executive Director

S RAMAN
Chairman & Managing Director

G PADMANABHAN
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

S SHABBEER PASHA
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S BHANDARI & Co.
Chartered Accountants

For MANUBHAI & Co.
Chartered Accountants

For R K KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For NANDY HALDER & GANGULI
Chartered Accountants

S S BHANDARI
Partner

HITESH M POMAL
Partner

C R SUNDARARAJAN
Partner

PARTHA S CHANDA
Partner

For H K CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants

For K. VENKATACHALAM AIYER & CO.
Chartered Accountants

MONISH BAWEJA
Partner

K NARAYANAN
Partner

BANGALORE
May 05, 2011



बासेल II (स्तंभ 3) मार्च 2011 प्रकटन

तालिका 1 - अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

गुणात्मक प्रकटन :

क. बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है : **केनरा बैंक**

ख. समूह के अंतर्गत निकायों के संक्षिप्त विवरण सहित लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार पर अंतरों से संबंधित स्मररेखा

(i) जो पूर्णतः समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में अनुषंगियाँ, उदाहरण. ए.एस.21)

1. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. (धारण 100% - वित्तीय निकाय)
2. केनबैंक फिनान्शियल सर्विसस लि. (धारण 100% - वित्तीय निकाय)
3. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज के नाम से) (धारण 100% - स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी)
4. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (70% धारण - वित्तीय निकाय)
5. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसस लि. (69.14% धारण - अन्य)
6. केनरा रेबेको आरिस्ट प्रबंधन कंपनी लि. (धारण 51% - म्यूचुअल फंड की एएम सी)
7. केनरा एच एस बी सी ओ बी सी लाइफ इंशूरेन्स कंपनी लि (धारण 51% - वित्तीय निकाय)

(ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम हैं, उदाहरण. ए.एस.27)

1. कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया (धारण 40% - भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम)

(iii) जिनके संबंध में कटौती की गयी है (असोसियेट - 30% से अधिक धारण)

1. केनफिन होम्स लि. (धारण 42.35%)
2. प्रगति ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)
3. साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)
4. श्रेयस ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)

(iv) जिनका न समेकन हुआ है और न ही कटौती की गयी है (उदाहरण जहां निवेश जोखिम भारित है)

कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड, जिसमें केनरा बैंक का 30% धारण है, का वित्तीय समेकन कंपनी के कार्यरत न होने के कारण नहीं किया गया है।

Pillar 3 (BASEL II) Disclosures March 2011

TABLE DF 1 - SCOPE OF APPLICATION

QUALITATIVE DISCLOSURES:

a. The name of the Bank to which the framework applies: **CANARA BANK**

b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

(i) That are fully consolidated (viz., subsidiaries as in consolidated accounting, e.g. AS 21)

1. Canbank Venture Capital Fund Ltd. (Holding 100% - Financial Entity)
2. Canbank Financial Services Ltd. (Holding 100% - Financial Entity)
3. Canara Bank Securities Ltd [formerly known as Gilt Securities Trading Ltd.] (Holding 100% - Stock Broking Company)
4. Canbank Factors Ltd. (70% Holding Financial Entity)
5. Canara Bank Computer Services Ltd (69.14% Holding - Others)
6. Canara Robeco Asset Management Co., Ltd. (Holding 51% - AMC of Mutual Fund)
7. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% - Financial Entity)

(ii) That are pro-rata consolidated (viz. Joint ventures in consolidated accounting, e.g. AS 27)

1. Commercial Bank of India - (Holding 40% - Joint Venture with SBI)

(iii) That are given a deduction treatment; (Associates - Holding above 30%)

1. Canfin Homes Ltd. (Holding 42.35%)
2. Pragathi Gramin Bank (RRB - Holding 35%)
3. South Malabar Gramin Bank (RRB - Holding 35%)
4. Shreyas Gramin Bank (RRB - Holding 35%)

(iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk weighted)

The financials of Commonwealth Trust (India) Ltd., an associate, in which Canara Bank has 30% holding, is not consolidated as the company is defunct.

परिमाण्वात्मक प्रकटन :

- ग) सभी अनुषंगियों में पूंजी अपर्याप्तता की समग्र राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है अर्थात् जिनकी कटौती हुई है और उन अनुषंगियों के नाम
शून्य
- घ) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (उदाहरण चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत हैं, उनका नाम, जहाँ निगमित किया गया है, उस देश का नाम या निवास, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो इन निकायों में मतदान अधिकार का अनुपात
शून्य

तालिका 2 डी एफ - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन :

हमारे बैंक की टायर I पूंजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षितियाँ और नवोन्मेषकारी सतत बॉण्ड शामिल हैं

बैंक द्वारा नवोन्मेषकारी बॉण्ड (टायर I) और टायर II पूंजी में शामिल करने हेतु योग्य अन्य बॉण्ड भी जारी किये गये बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें (आई पी डी आई)- टायर I

विवरण	स्थान	जारी तिथि	सतत व मांग विकल्प	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला I	भारत में	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
श्रृंखला II	भारत में	21.08.2009	21.08.2019	9.10 %	600.00
श्रृंखला III	भारत में	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	749.30
कुल					1589.60

A) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) - Tier I

Particulars	Place	Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	₹ in Crore
Series I	In India	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
Series II	In India	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	600.00
Series III	In India	03.08.2010	03.08.2020	9.05%	749.30
TOTAL					1589.60

ख) उच्चतर टायर II बॉण्ड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
श्रृंखला II	भारत में	23.03.2007	22.03.2022	10.00%	500.00
श्रृंखला III	भारत में	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	1000.00
कुल					2000.00
वि मु बॉण्ड	भारत से बाहर	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250 मि.यू.एस \$

QUANTITATIVE DISCLOSURES:

- (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.
NIL
- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities.
NIL

TABLE DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

QUALITATIVE DISCLOSURES

Our Bank's Tier I Capital comprises of Equity Shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

The Bank has issued Innovative Bonds (Tier I) and also other Bonds eligible for inclusion in Tier 2 Capital. Details of the Bonds are as under:

B) Upper Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ in Crore
Series I	In India	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
Series II	In India	23.03.2007	22.03.2022	10.00%	500.00
Series III	In India	29.09.2010	28.09.2025	8.62%	1000.00
Total					2000.00
FC BONDS	Out side India	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250mn US \$

ग) निम्नतर टायर II बॉन्ड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	₹ करोड़ों में
श्रृंखला IV विकल्प II	भारत में	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
श्रृंखला IV	भारत में	22.03.2003	22.04.2012	7.25%	340.00
श्रृंखला V	भारत में	31.12.2003	30.04.2011	5.80%	250.00
श्रृंखला VI	भारत में	30.09.2001	31.05.2014	6.75%	263.50
श्रृंखला VII	भारत में	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
श्रृंखला VIII	भारत में	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
श्रृंखला IX	भारत में	01.03.2006	05.01.2015	8.15%	425.00
श्रृंखला IX क	भारत में	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
श्रृंखला X	भारत में	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
श्रृंखला XI	भारत में	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
श्रृंखला XII	भारत में	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00
कुल					4353.95

C) Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	₹ In Crore
Series IV Opt II	In India	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
Series IV A	In India	22.03.2003	22.04.2012	7.25%	340.00
Series V	In India	31.12.2003	30.04.2011	5.80%	250.00
Series VI	In India	30.09.2001	31.05.2014	6.75%	263.50
Series VII	In India	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
Series VIII	In India	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
Series IX	In India	01.03.2006	05.01.2015	8.15%	425.00
Series IX A	In India	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
Series X	In India	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
Series XI	In India	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
Series XII	In India	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00
Total					4353.95



आईपीडीआई के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतें - श्रृंखला II जारी की है इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण लक्षण हैं :

- ये बिना किसी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के सतत स्वभावी हैं
- ये लिखतें, माँग वचन पत्र(बॉण्ड) की प्रकृति में गैर जमानती अपरिवर्तनीय गौण सतत बॉण्ड हैं
- इन लिखतों का क्रिसिल (सी आर आई एस आई एल) (ए ए ए) (नकारात्मक रु परेखा) और "बीडब्ल्यू आरएएए" ब्रिकवर्क रेटिंग दी है
- इन लिखतों पर सालाना मीयादी ब्याज दर संदेय है
- ब्याज संचित नहीं होगा
- जारी तारीख से 10 वर्ष बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ बैंक इन के लिए क्रय-विक्रय विकल्प दे सकता है
- 10 वर्ष के समाप्त होने पर बैंक स्टेप-अप विकल्प (लिखत के पूरे जीवनकाल में एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है) कर सकता है जो 50 बेसिस प्वाइंट्स से अधिक नहीं होगा
- ये ऋण लिखतें लॉक-इन खण्ड के अधीन होंगी, जिस के अनुसार या इस प्रकार ब्याज अदा करने से बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे
- सतत स्वभावी होने के कारण, पूंजी पर्याप्ता के लिए ये लिखतें प्रगत्यात्मक बढ़ते के अधीन नहीं होंगी
- ये पूंजी पर्याप्ता भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं

The main features of IPDI are as follows:

The Bank has issued Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) - Series III during the current financial year. The important features of these debt instruments are:

- The debt instruments are perpetual in nature without any specific maturity period.
- The instruments are Unsecured Non Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated "AAA (Stable)" from CRISIL and BWR AAA from Brickwork Ratings.
- Fixed rate of interest is payable on the debt instruments, annually.
- The interest shall not be cumulative.
- The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
- The Bank has step up option (shall be exercised only once during the whole life of the instrument) at the end of 10 years which shall be not more than 50 basis points.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
- These debt instruments are not subjected to a progressive discount for capital adequacy purposes since these are perpetual in nature.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).



उच्चतर टायर II बॉण्डों के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं:

बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उच्चतर टायर II बॉण्ड जारी किये इन ग्रहण लिखतों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- लिखतें वचन पत्रों (बॉण्डों) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अधीनस्थ अपरिवर्तनीय हैं।
- इन ऋण लिखतों को क्रिसिल द्वारा ए ए ए (स्थिर) और ब्रिक वर्क रेटिंग द्वारा बी डब्ल्यू आर ए ए ए रेटिंग दिया गया है।
- जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ बैंक के पास माँग विकल्प है।
- 10 वर्ष की समाप्ति पर बैंक को स्टेप अप विकल्प है जो 50 आधार अंकों से अधिक नहीं हो।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बट्टा प्राप्त है। ऐसी बट्टा प्राप्त राशियाँ पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- अवधि के समाप्त हो जाने से या बैंक क्रय-विक्रय विकल्प करता है तो जारी करने के 10 वर्षों के बाद बंध पत्र का अंकित मूल्य सम मूल्य पर छुड़ाया जा सकता है। इनके छुड़ाये जाने की तारीख के बाद बाण्ड पर ब्याज या अन्यथा कोई राशि अदा नहीं की जाएगी। ये लिखतें रोधात्मक खण्डों से मुक्त हैं और धारक के पहल किये जाने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना इन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता है।
- इन ऋण लिखतों में बंद-खण्ड है जिसके अनुसार (क) बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो या (ख) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सी आर ए आर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से पतित हो जाता हो या कम रह जाता हो तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर 1 पूंजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।
- लिखतें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध की गई हैं।

निम्नतर टायर II बॉण्डों के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं:

- इन बाण्डों की अवधि 5 से 10 वर्ष की है
- ये लिखतें पूर्ण रूप से प्रदत्त, अप्रतिभूत और अन्य लेनदारों के दावों के प्रति गौण, प्रतिबंधित खंडों से मुक्त और धारक के प्रस्ताव पर या भा. रि. बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं हैं

The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

The bank has issued Upper Tier II Bonds - Series III during the current financial Year. The important features of these debt instruments are:

- The instruments are unsecured Redeemable Subordinated Non-Convertible in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated "AAA (stable)" from CRISIL and BWR AAA from Brick Work Ratings.
- The bank has call option after 10 years from the date of issue with the RBI's approval.
- The bank has step up option at the end of 10 years that shall not be more than 50 basis points.
- The instruments are subjected to a progressive discount @ 20% per year during the last 5 years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purpose.
- The face value of the Bond is redeemable at par, on expiry of the tenor or after 10 years from issue if the bank exercises call option. The Bond will not carry obligation, for interest or otherwise, after the date of redemption. The instruments are free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without consent of the Reserve Bank of India.
- The debt instrument shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratio (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- The instruments are listed on National Stock Exchange of India Ltd (NSE).

The main features of Lower Tier II bonds are as follows:

- The Bonds have a tenor ranging from 5 to 10 years.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.



- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बट्टा प्राप्त है ऐसी बट्टा प्राप्त राशियाँ पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूँजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर I पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।

- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last 5 years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital and subordinate to the claims of all other creditors.

परिमाणात्मक प्रकटन :

[₹ करोड़ों में]

मर्दे	राशि	
	31.03.2011	31.03.2010
(क) टायर I पूँजी की राशि जिसमें निम्न प्रकटन है :		
• प्रदत्त शेयर पूँजी	443.00	410.00
• आरक्षितियाँ	17388.73	11969.94
• नवोन्मेषी लिखतें	1589.60	840.30
• अन्य पूँजी लिखतें		-
उप योग	19421.33	13220.24
साख व निवेशों सहित टायर I पूँजी से कटौती की गयी राशियाँ	282.32	349.91
कुल टायर I पूँजी	19139.01	12870.33
(ख) टायर 2 पूँजी की कुल राशि (टायर 2 पूँजी से निवल कटौती)	7955.70	7362.25
(ग) उच्चतर टायर 2 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र ऋण पूँजी लिखतें		
• कुल बकाया राशि	3119.70	2120.63
• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	1000.00	शून्य
• पूँजी निधियों के स्तर में गणना के लिए पात्र राशि	3119.70	2120.63
(घ) निम्नतर टायर 2 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र गौण ऋण		
• कुल बकाया राशि	4353.95	4438.50
• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि		-
• पूँजी निधियों के स्तर में गणना के लिए पात्र राशि	3296.28	3767.07
(ङ) पूँजी से अन्य कटौतियाँ, अगर कोई हों	शून्य	शून्य
(च) कुल पात्र पूँजी - टायर 1 + टायर 2 (क + ख - ङ)	27094.71	20232.58

QUANTITATIVE DISCLOSURES

[₹ in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2011	31.03.2010
(a) The amount of Tier I Capital, with separate disclosure of :		
• Paid-up share capital	443.00	410.00
• Reserves	17388.73	11969.94
• Innovative instruments	1589.60	840.30
• Other capital instruments	-	-
Sub-total	19421.33	13220.24
Less amounts deducted from Tier I capital, including goodwill and investments.	282.32	349.91
Total Tier I capital	19139.01	12870.33
(b) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	7955.70	7362.25
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital		
• Total amount outstanding	3119.70	2120.63
• Of which amount raised during the current year	1000.00	NIL
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	3119.70	2120.63
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital.		
• Total amount outstanding	4353.95	4438.50
• Of which amount raised during the current year	--	--
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	3296.28	3767.07
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL	NIL
(f) Total eligible capital - Tier I + Tier II (a+b-e)	27094.71	20232.58

तालिका 3 डी एफ - पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन :

पूँजी के इष्टतमीकरण पर ही नहीं बल्कि लाभ के अधिकतमीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने बेस जोखिम प्रबंधन रचना सुस्थिर कायम की है ताकि, उपलब्ध पूँजी के सहारे अधिकतम लाभ या प्रतिफल उपलब्ध हो। बैंक बासल II ढाँचे के अनुस्र, विश्व भर में स्वीकृत टोस जोखिम प्रबंधन पद्धति का मानक मान रहा है जिससे स्रोतों का अधिक कारगर इक्विटीय एवं विवेकपूर्ण आबंटन हो

बैंक की पूँजी आयोजना प्रक्रिया में निम्नों की समीक्षा की जाती है:

- बैंक की वर्तमान पूँजी आवश्यकता
- कारोबारी रणनीति तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार लक्षित तथा बनाये रखनेलायक पूँजी

TABLE DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus not only on Capital optimization, but also on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel II framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.



पूँजी आवश्यकता और पूँजी इष्टतमीकरणों का पूँजी योजना समिति जिसके सदस्य उच्च कार्यपालकगण हैं, अवधिकतया अनुप्रवर्तन करती है। अग्रिमों में अनुमानित वृद्धि, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और बासल II का प्रभाव आदि पर विचार करते हुए पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संचलन का तिमाहीवार संवेदनशील विश्लेषण किया जाता है। यह समिति पूँजी के इष्टतमीकरण के लिए परिदृश्य विश्लेषण को समुचित रूप से दृष्टि में रखकर ब्याज के वृद्धि और पूँजी संरचना के पुनर्नियोजन की सुर में पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखती है।

आईसीएपी नीति में निर्धारित अनुसार, 3 वर्ष की मध्यमावधि समस्तर में बैंक के सी आर ए आर को 12% से अधिक अनुमानित किया गया है।

Capital need and capital optimization are monitored periodically by the Capital Planning Committee comprising Top Executives. Sensitivity analysis is conducted quarterly on the movement of Capital Adequacy ratio, considering the projected growth in advances, investments in Subsidiaries/ joint Ventures and the impact of Basel II framework etc. Committee takes into consideration various options available for capital augmentation in tune with business growth and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

CRAR of the Bank is projected to be well above the 12% in the medium term horizon of 3 years, as prescribed in the ICAAP document

परिमाणात्मक प्रकटन

[₹ करोड़ों में]

मर्दे	राशि	
	31.03.2011	31.03.2010
(क) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकतायें		
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	13976.56	12197.58
• प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम	शून्य	शून्य
(ख) बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकतायें		
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		
• ब्याज दर जोखिम.	445.45	293.27
• विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	6.75	6.75
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	211.57	222.23
(ग) परिचालनात्मक जोखिम की पूँजी आवश्यकतायें		
- आधार संकेतक दृष्टिकोण	971.92	836.27
(घ) बैंक के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	15.38	13.43
• टायर I सी आर ए आर (%)	10.87	8.54
(ङ) समेकित समूह के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	15.16	13.32
• टायर I सी आर ए आर (%)	10.71	8.47
(च) महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह के तहत नहीं हैं, के लिए कुल और टायर I सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
• टायर I सी आर ए आर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं

QUANTITATIVE DISCLOSURES

[₹ in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2011	31.03.2010
(a) Capital requirements for Credit Risk		
• Portfolios subject to Standardized Approach	13976.56	12197.58
• Securitization Exposures	NIL	NIL
(b) Capital requirements for Market Risk		
- Standardized Duration Approach		
• Interest Rate Risk	445.45	293.27
• Foreign Exchange Risk (including gold)	6.75	6.75
• Equity Position Risk	211.57	222.23
(c) Capital requirements for Operational Risk		
- Basic Indicator Approach	971.92	836.27
(d) Total and Tier I CRAR for the Bank		
• Total CRAR (%)	15.38	13.43
• Tier I CRAR (%)	10.87	8.54
(e) Total and Tier I CRAR for the Consolidated Group		
• Total CRAR (%)	15.16	13.32
• Tier I CRAR (%)	10.71	8.47
(f) Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which are not under consolidated group		
• Total CRAR (%)	NA	NA
• Tier I CRAR (%)	NA	NA

तालिका 4 डी एफ - ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

बैंक की निधियाँ जोखिम को संभालने में संयमन और जोखिम तथा प्रतिफल में होशियारी के साथ स्वस्थ संतुलन रखती हैं। जोखिम प्रबंधन के अहम लक्ष्य हैं स्वीकार्य मानदंडों के अंदर एवं विनियामक प्राधिकारों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टैक धारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शेयर धारकों के लिए मूल्य अधिकतम बनाना, बैंक के जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सूत्र हैं; विनियामक एवं विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन, जोखिम और प्रतिफल में संतुलन कायम करना, जोखिम क्रिया कलापों की आजादी सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन और व्यापारिक

TABLE DF 4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank's policies assume moderate risk appetite and healthy balance between risk and return. The primary risk management goals are to maximize value for share holders within acceptable parameters and adequately addressing the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a strong



लक्ष्यों का मेल-मिलाप। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शक्तिशाली संगठनात्मक संस्कृति एवं ठोस परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के पथ पर चलती है जिस में नैगम मूल्य, रुख-रवैये, सक्षमतायें, व्यापारिक होनहारी, उपकरणों का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावशाली आंतरिक प्रतिवेदन एवं प्रासंगिक योजनाओं का समावेश होता है।

- क्षेत्रवार संतुलित गुणात्मक के साथ-साथ ही परिमाणात्मक ऋण वृद्धि जिसमें जोखिमों का अधिकतम विविधिकरण हो, सुनिश्चित करना
- ऋण जोखिमों, वर्गीकरण और संविभागों के संबंध में समय - समय पर जारी विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- ऋण जोखिमों में निहित विविध प्रकार के जोखिमों का पर्याप्त स्तर से मूल्यनिर्धारण
- सभी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का एकीकृत सिस्टम का निर्माण करना जिसके तहत ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

सामरिकियाँ और प्रक्रियायें :

ऋण जोखिम प्रबंधन के उपर्युक्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए बैंक ऋण जोखिम की पहचान, मापन, संवर्ग एवं समुच्चयन तकनीकियाँ, अनुप्रवर्तनों और रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण / प्रशमन तकनीकियाँ तथा समस्यात्मक ऋणों/उधारों के प्रबंधन के लिए अनेकानेक पद्धतियाँ निर्धारित करता है। बैंक ने लक्ष्य विपणियाँ, जोखिम स्वीकार्यता मानक, ऋण अनुमोदन प्राधिकार और ऋण मौलीकरण/अनुरक्षण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया है

इन सामरिकियों को ऋण जोखिम प्रशमन के लिए विभिन्न उपायों को दृष्टि में रखकर स्थापित किया गया है जिन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा लक्ष्य विपणियों की पहचान, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों और जोखिम संभालने में बैंक की क्षमता, केंद्रक जोखिम और रेटिंग के आधार पर मूल्यन का स्वीकार्य स्तर समाहित हैं

बैंक समय समय पर आर्थिक माँग और क्षेत्र के कार्य निष्पादन के आधार पर उधार के लिए संभाव्य और उत्पादी क्षेत्रों की पहचान करता है। बैंक के उद्योगों/क्षेत्रों के मूल्यांकन प्रचलित आर्थिक परिदृश्य आदि को ध्यान में रख जिन क्षेत्रों में वृद्धि संभावित नहीं हैं उनमें ऋण निवेश को सीमित रखता है।

organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately pricing various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

Strategies and processes:

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination / maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, minimizing concentration Risk, and pricing based on rating.

Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors based on the prevailing economic scenario prospects etc.



ऋण से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर निर्मित हैं और ये आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन हैं

ऋण प्रस्तावों पर समुचित स्तर से ध्यान दिये जाने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर बैंक की व्यापक ऋण जोखिम पहचान प्रक्रिया है

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन :

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नलिखित है -

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- साख जोखिम प्रबंधन विभाग में साख नीति अनुभाग, साख सांख्यिकी अनुभाग और साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग होते हैं साख जोखिम प्रबंधन अनुभाग में तीन कामकाजी डेस्क हैं साख जोखिम प्रबंधन डेस्क, साख जोखिम रेटिंग डेस्क और उद्योग अनुसंधान डेस्क
- अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन और ऋण समीक्षा अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन सिस्टम का कार्यक्षेत्र और प्रकृति :

बैंक की समुचित जोखिम मापन और अनुप्रवर्तन प्रक्रिया है जोखिम का मापन, बैंक द्वारा स्थापित ऋण जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से संपन्न होता है इन जोखिमों में से प्रत्येक के तहत मानदंडों की पहचान के साथ-साथ उन्हें भारत स्कोर निर्धारित करने के लिए और 8 के पैमाने में उनकी रेटिंग के लिए बैंक में सुव्यवस्थित स्तर से निर्धारित दिशानिर्देश हैं

पूँजी परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यताप्राप्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ई सी ए आई) द्वारा दी गई रेटिंग के प्रयोग / मापन के संबंध में जोखिम भारांक निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा नीति स्थापित की गई है

ऋण जोखिम मापन के लिए समस्त ऋण संविभाग के लिए बैंक ने 'मानकीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है।

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

The structure and organization of the Credit Risk Management Function:

Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Management Officer)
- Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- The Credit Risk Management Department comprises of Credit Policy Section, Credit Statistics Section and Credit Risk Management Section. The Credit Risk Management Section has three functional desks, the Credit Risk Management Desk, Credit Risk Rating Desk and Industry Research Desk.
- Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices.

The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has well laid down guidelines for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of 8.

The Bank also has a policy in place on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on standardized approach for capital computation.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for entire credit portfolio for credit risk measurement.



ऋण जोखिम की समीक्षा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से ऋण संविभाग की निगरानी, विश्लेषण करने के लिए सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली की अपेक्षाओं के लिए एक प्रभावी ऋण डाटा संग्रह स्थापित करने, जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यूए) के परिकलन, ऋण संबंधी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए तथा सिस्टम समर्थन प्राप्त करने हेतु बैंक ने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अर्थात् सी डी सी आर एम (ऋण जोखिम प्रबंधन पर व्यापक डाटा एवं सिस्टम आर्किटेक्चर) का सूत्रपात किया है

बचाव व्यवस्था (हेजिंग) और / या जोखिम प्रशमन और बचाव व्यवस्था / प्रशामक की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए रणनीति और प्रक्रियाएं :

ऋण मंजूर करते समय बैंक मुख्यतः उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण को अदा करने की क्षमता पर निर्भर होता है चुकौती के स्रोत के स्तर में या उधारकर्ता की ऋणपात्रता के मूल्यांकन के विकल्प के रूप में संपादिकों या गारंटियों पर बैंक अत्यधिक निर्भर नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ऋण के लिए पात्र के रूप में मूल्यांकित किया गया है, को केवल इस आधार पर ही ऋण अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है कि उनके पास पर्याप्त संपादिक नहीं है।

अपने ऋण जोखिम निवेश का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने ऋण मूल्यांकित और अनुमोदन नीतियाँ और प्रक्रियायें अपनाई है जिनकी अन्य कामकाजी विभागों से परामर्श करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। ऋण मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया को स्थूलतः ऋण मौलिकीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निपटान में विभाजित किया गया है।

कार्पोरेट वित्तीयन और परियोजना वित्तीयन ऋण, विशिष्ट रूप से स्थिर आस्तियों, सामान्यतया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों जैसे विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की गिरवी की प्रतिभूति भी लेता है और जहाँ कहीं संगत हो कार्पोरेट गारंटियाँ और वैयक्तिक गारंटियाँ प्राप्त की जाती हैं। कार्यशील पूँजी ऋण चालू आस्तियों, जिनमें स्टॉक और प्राप्य राशियाँ निहित हैं, पर विशिष्ट रूप से प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

संपादिकों पर बैंक के प्रभार की कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

The Bank has embarked upon a software solution viz. CDCRM (Comprehensive Data and System Architecture on Credit Risk Management), to get system support for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Banks' credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.



किसी विशिष्ट उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता के अनुमानों के आलोक में और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता को देखते हुए किसी विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में संविभाग विविधिकरण को सुनिश्चित करना और कुल वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों और विशिष्ट रूप से विभिन्न उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के विशिष्ट जोखिमों की निगरानी करता है। औद्योगिक कार्यकलापों को ऋण जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं जो उस उद्योग के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, के अधीन हैं। बैंक के एकल और समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम के साथ ही बड़े जोखिम निगरानी की जाती है और उसे समय - समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए अनुसार विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के भीतर नियंत्रित किया जाता है।

ऋण मौलिकीकरण ऋण मूलस्तर से होता है जिसकी शाखा तंत्र और अंचल कार्यालय भरपूर मदद करते हैं। गहरा मूल्यांकन, समुचित जागरूकता और निर्धारण के आरंभ किये जाने के पहले ही पहचान और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक संकलित अंश होती है जो मंजूरी पूर्व अभियान के रूप में उधारकर्ता के अधिदेशात्मक ऋण जोखिम को रेटिंग किये जाने से शुरू होती है। उधारकर्ता के साथ लगा हुआ ऋण जोखिम का माप-तोल, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, नकद प्रवाह, क्रिया-कलाप, वर्तमान वैयक्तिक व्यवहार, गत व्यवहार, प्रबंधन क्षमतायें, सहयोगी व्यापार निकायों के साथ अनुभव, सुविधाओं का स्वभाव आदि का मूल्यांकन करता है। अब बैंक ने चुनिंदा शहरों में आवास और व्यक्तिगत ऋणों के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसीकरण केंद्र सुस्थापित किया ताकि ऋण आसान हो जायें, कम समय लगे और विशेषीकृत ध्यान केंद्रित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन विभाग से अलग कर दिये जाने के बाद अब बैंक में ऋण प्रबंधन की नितांत पृथक व्यवस्था है। इस से ऋणों की मंजूरी उपरांत अनुप्रवर्तन पर अधिक महत्व दिया जा सकता है और ऋण समीक्षा तंत्र संबंधी नीतियों में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

ऋण की प्रभावी समीक्षा के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की है :

- पहचान करने, विश्लेषण करने और समय पर कार्रवाई करने और सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली
- प्रत्येक मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऋणों की समीक्षा उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is monitored and restricted within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like, borrowers financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The Bank has in place centralized processing centres for Housing and personal loans at select cities to ease credit dispensation turnaround time and ensure specialized attention.

The Bank has an exclusive set up for Credit monitoring functions. This ensures greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Banks' policies on loan review mechanism.

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority



- उधार खातों की मध्यावधि समीक्षा की जाती है
- निगरानी उपाय जैसे ऋण निगरानी फॉर्मेट, तिमाही सूचना प्रणाली, अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक लेखा-परीक्षा, विशेष निगरानी सूची खाते आदि
- अनुप्रवर्तन कार्यों के प्रभारी के रूप में शाखा स्तर पर ऋण अनुप्रवर्तन अधिकारी

कालातीत और अनर्जक ऋण : आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों को अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित करता है, जहाँ :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय ब्याज और/या मूलधन की किस्त
- अधिविकर्ष / नकद उधार के मामले में खाता "क्रम बाह्य" हो जाता है। बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकारों से लगातार अधिक रहने लगता है तो खाते को "क्रम बाह्य" माना जाता है। परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकारों से कम हो, लेकिन यथा तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई जमा नहीं हो या उसी अवधि के दौरान नामे डाले गये ब्याज को संतुष्ट करने के लिए कोई जमा नहीं हो तो इन खातों को "क्रम बाह्य" मानना चाहिए
- क्रीत व भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया रह जाता है
- कृषि अग्रिमों, ब्याज और /या मूलधन की किस्त के मामले में जो 2 फसल मौसम (अल्पावधि फसल के संबंध में) और 1 फसल मौसम (दीर्घावधि फसल के संबंध में) से अतिदेय हो
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो
- किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज जो उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं गया हो

- Mid Term Review of borrowal accounts beyond a certain level of exposure.
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format, Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits, Special Watch List Accounts, etc.
- Credit Monitoring Officers at branches in charge of monitoring functions.

Loans Past due and Impaired: As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops)
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

परिमाणात्मक प्रकटन:

(क) कुल सकल ऋण जोखिम

[₹ करोड़ में]

समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित ऋण जोखिम		गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
कुल सकल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम नियंत्रण तकनीक के प्रभावों उदाहरणार्थ संपार्श्विक और समायोजन (नेटिंग) को ध्यान में रखे बिना प्रयोज्य लेखांकन प्रणाली के अनुसार प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) का लेखांकन करने के बाद)	212467.16	169334.63	127915.35	123672.57

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A) TOTAL GROSS CREDIT EXPOSURES

[₹ in Crore]

Overall Credit Exposure	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Total Gross Credit Exposures (after accounting offsets in accordance with the applicable accounting regime and without taking into account the effects of credit risk mitigation techniques, e.g. collateral and netting)	212467.16	169334.63	127915.35	123672.57

(ख) ऋण जोखिमों का भौगोलिक संवितरण:

[₹ करोड़ में]

ऋण जोखिम	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
देशी परिचालन	201896.67	162356.53	121221.09	120243.01
विदेशी परिचालन	10570.50	6978.10	6694.28	3429.55

(B) GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF EXPOSURES

[₹ in Crore]

Exposures	Fund Based		Non-fund Based	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Domestic operations	201896.67	162356.53	121221.09	120243.01
Overseas operations	10570.50	6978.10	6694.28	3429.55



परिमाणात्मक प्रकटन: (क)कुल सकल ऋण जोखिम

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित बकाया		एनबीएफ बकाया	
		31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
2.1	खनन और उत्खनन	1316	1099	279	161
2.2	खाद्य प्रसंस्करण	4014	3078	195	187
	2.2.1 चीनी	122	179	25	22
	2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	189	118	6	0
	2.2.3 चाय	2419	1826	68	30
	2.2.4 अन्य	445	356	34	37
2.3	पेय व तंबाकू	10471	8546	620	184
2.4	वस्त्र	4690	3908	102	81
	2.4.1 ऊनी वस्त्र	145	97	2	1
	2.4.2 पटसन वस्त्र	5636	4541	516	102
	2.4.3 अन्य वस्त्र	765	642	18	18
2.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	266	197	80	28
2.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	1775	1245	27	27
2.7	कागज व कागज के उत्पाद	4326	8625	723	722
2.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	3535	1919	217	162
2.9	रसायन और रसायन उत्पाद	125	141	31	8
	2.9.1 उर्वरक	1365	888	92	76
	2.9.2 औषधि व फार्मस्यूटिकल्स	1070	0	0	0
	2.9.3 पेट्रोकेमिकल्स	975	890	94	78
	2.9.4 अन्य	1089	771	52	41
2.10	रबड़, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	771	509	41	14
2.11	शीशा और शीशे का सामान	67	35	2	1
2.12	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	1339	1232	11	18
2.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	13696	10084	2045	3652
	2.13.1 लोहा और इस्पात	11482	7019	1829	3511
	2.13.2 अन्य धातु और धातु उत्पाद	2214	3065	216	141
2.14	सभी इंजिनियरिंग	6500	5221	4808	3717
	2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक	615	437	947	292
	2.14.2 अन्य	5885	4784	3862	3425
2.15	वाहन, वाहन के पुर्जे और यातायात के उपकरण	2025	1441	111	101
2.16	रत्न और आभूषण	1906	1035	1341	117
2.17	निर्माण	3920	2574	2160	3617
2.18	मूल भूत संरचना	48163	32741	6023	3576
	2.18.1 बिजली	28236	19099	4086	2248
	2.18.2 दूरसंचार	9310	3374	1122	666
	2.18.3 सड़क व पत्तन	7261	6737	784	637
	2.18.4 अन्य संरचना	3356	3531	31	25
2.19	अन्य उद्योग	12664	6663	1100	1099
	उद्योग (छोटा, लघु और बड़े पैमाने का कुल)	118281	87504	19846	17465

(C) INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

[₹ in Crore]

Sl. No.	Industry	Fund Based Outstanding		Non-Fund Based Outstanding	
		31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
2.1	Mining and Quarrying	1316	1099	279	161
2.2	Food Processing	4014	3078	195	187
	2.2.1 Sugar	1284	955	96	135
	2.2.2 Edible Oils and Vanaspati	122	179	25	22
	2.2.3 Tea	189	118	6	0
	2.2.4 Others	2419	1826	68	30
2.3	Beverage & Tobacco	445	356	34	37
2.4	Textiles	10471	8546	620	184
	2.4.1 Cotton Textiles	4690	3908	102	81
	2.4.2 Jute Textiles	145	97	2	1
	2.4.3 Other Textiles	5636	4541	516	102
2.5	Leather & Leather Products	765	642	18	18
2.6	Wood and Wood Products	266	197	80	28
2.7	Paper & Paper Products	1775	1245	27	27
2.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	4326	8625	723	722
2.9	Chemicals and Chemical Products	3535	1919	217	162
	2.9.1 Fertilizer	125	141	31	8
	2.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	1365	888	92	76
	2.9.3 Petro Chemicals	1070	0	0	0
	2.9.4 Others	975	890	94	78
2.10	Rubber, Plastic & their Products	1089	771	52	41
2.11	Glass and Glassware	67	35	2	1
2.12	Cement and Cement Products	1339	1232	11	18
2.13	Basic Metal and Metal Products	13696	10084	2045	3652
	2.13.1 Iron and Steel	11482	7019	1829	3511
	2.13.2 Other Metal and Metal Products	2214	3065	216	141
2.14	All Engineering	6500	5221	4808	3717
	2.14.1 Electronics	615	437	947	292
	2.14.2 Others	5885	4784	3862	3425
2.15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	2025	1441	111	101
2.16	Gems & Jewellery	1906	1035	1341	117
2.17	Construction	3920	2574	2160	3617
2.18	Infrastructure	48163	32741	6023	3576
	2.18.1 Power	28236	19099	4086	2248
	2.18.2 Telecommunications	9310	3374	1122	666
	2.18.3 Roads & Ports	7261	6737	784	637
	2.18.4 Other Infrastructure	3356	3531	31	25
2.19	Other Industries	12664	6663	1100	1099
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	118281	87504	19846	17465

(घ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक अवधि पूर्णता पृथक विवरण

(गत वर्ष के आंकड़े प्रत्येक आंकड़े के तहत कोष्ठकों में प्रकट किये जायेंगे)

[₹ करोड़ में]

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्ति
0 से 1 दिन	5497.33 (7684.30)	191.96 (0.00)	780.76 (689.30)
2 से 7 दिन	7257.80 (6563.84)	419.40 (1626.63)	1101.39 (1045.95)
8 से 14 दिन	8690.65 (8296.41)	474.22 (599.09)	482.21 (1314.09)
15 से 28 दिन	6660.35 (4320.55)	667.29 (1319.18)	463.68 (279.14)
29 दिन से 3 महीने तक	25999.52 (21337.66)	10374.70 (3511.73)	2982.92 (3612.56)
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	19908.20 (16226.76)	1022.78 (1550.04)	2988.43 (3893.91)
6 महीने से अधिक व 1 साल तक	32275.38 (24650.96)	960.50 (552.98)	2881.45 (3449.49)
1 साल से अधिक व 3 साल तक	48708.99 (30469.24)	1624.77 (5054.19)	1316.80 (740.58)
3 साल से अधिक व 5 साल तक	21956.46 (17713.03)	8165.77 (6050.31)	2039.53 (642.61)
5 साल से अधिक कुल	35512.50 (32071.88)	59798.53 (49412.80)	817.47 (994.98)
जोड़	212467.17 (169334.63)	83699.92 (69676.95)	15854.64 (16662.61)

(प्रत्येक आंकड़े के नीचे कोष्ठकों में पिछले साल के आंकड़े दिये गये हैं)

(D) RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

(The figures of the previous year shall be disclosed in the bracket under each figure)

[₹ in Crore]

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	5497.33 (7684.30)	191.96 (0.00)	780.76 (689.30)
2 to 7 days	7257.80 (6563.84)	419.40 (1626.63)	1101.39 (1045.95)
8 to 14 days	8690.65 (8296.41)	474.22 (599.09)	482.21 (1314.09)
15 to 28 days	6660.35 (4320.55)	667.29 (1319.18)	463.68 (279.14)
29 days to 3 months	25999.52 (21337.66)	10374.70 (3511.73)	2982.92 (3612.56)
Over 3 months & upto 6 months	19908.20 (16226.76)	1022.78 (1550.04)	2988.43 (3893.91)
Over 6 months & upto 1 year	32275.38 (24650.96)	960.50 (552.98)	2881.45 (3449.49)
Over 1 year & upto 3 years	48708.99 (30469.24)	1624.77 (5054.19)	1316.80 (740.58)
Over 3 year & upto 5 years	21956.46 (17713.03)	8165.77 (6050.31)	2039.53 (642.61)
Over 5 years	35512.50 (32071.88)	59798.53 (49412.80)	817.47 (994.98)
Total	212467.17 (169334.63)	83699.92 (69676.95)	15854.64 (16662.61)

(The figures of the previous year disclosed in the brackets under each figure)



ड) अनर्जक आस्तियाँ :

[₹ करोड़ में]

मर्दे	राशि	
	31.03.2011	31.03.2010
क) सकल एन पी ए	3089.21	2590.31
• अपमानक	1585.94	1953.59
• संदिग्ध 1	1149.72	627.39
• संदिग्ध 2	327.27	--
• संदिग्ध 3	--	--
• हानि	26.28	9.33
ख) कुल अनर्जक आस्तियाँ	2347.33	1799.70
ग) अनर्जक आस्तियाँ अनुपात		
• सकल अनर्जक आस्तियाँ से सकल अग्रिम (%)	1.45	1.52
• निवल अनर्जक आस्तियाँ से निवल अग्रिम (%)	1.11	1.06
घ) एन पी ए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
• अथ शेष	2590.31	2167.97
• संवर्धन	3508.37	3266.33
• कमी	3009.47	2843.99
• इति शेष	3089.21	2590.31
ड) इति शेष एन पी ए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
• अथ शेष	786.80	657.79
• वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1001.17	1426.17
• बट्टे खाते में डालना	1049.36	1297.16
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--	--
• इति शेष	738.61	786.80
च) अनर्जक निवेश संबंधी राशि	107.64	199.79
छ) अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान संबंधी राशि	107.64	199.47
ज) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
• प्रारंभिक शेष	119.11	541.77
• अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	0.02	49.34
• बट्टे खाते में डालना	0.00	369.20
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	11.49	--
• इति शेष	107.64	221.91

E) NON-PERFORMING ASSETS:

[₹ in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2011	31.03.2010
a) Gross NPAs	3089.21	2590.31
• Sub-Standard	1585.94	1953.59
• Doubtful 1	1149.72	627.39
• Doubtful 2	327.27	--
• Doubtful 3	--	--
• Loss	26.28	9.33
b) Net NPAs	2347.33	1799.70
c) NPA Ratios		
• Gross NPAs to Gross advances (%)	1.45	1.52
• Net NPAs to Net advances (%)	1.11	1.06
d) Movement of NPAs (gross)		
• Opening balance	2590.31	2167.97
• Additions	3508.37	3266.33
• Reductions	3009.47	2843.99
• Closing balance	3089.21	2590.31
e) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	786.80	657.79
• Provisions made during the year	1001.17	1426.17
• Write-off	1049.36	1297.16
• Write back of excess provisions	--	--
• Closing balance	738.61	786.80
f) Amount of Non-performing investments	107.64	199.79
g) Amount of provisions held for Non-performing investments	107.64	199.47
h) Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening balance	119.11	541.77
• Provisions made during the period	0.02	49.34
• Write-off	0.00	369.20
• Write back of excess provisions	11.49	--
• Closing balance	107.64	221.91



तालिका 5 डी एफ - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों का प्रकटीकरण :

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए :

- **इस्तेमाल की गयी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम :** बैंक ने निम्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है। देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ - क्रिसिल, केयर, फिच इंडिया और इकरा। अंतर्देशीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ - स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, मुडीज, फिच। बैंक इनमें तीन देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल, केयर व इकरा के साथ सभी प्रकार की ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए सहमति ज्ञापन में प्रविष्ट हुआ

- **ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए एजेंसियों से सहायता ली गई है:** सभी प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए सभी उपर्युक्त एजेंसियों का सहारा लिया गया है

बैंकिंग बहियों में सार्वजनिक निर्गम संबंधी रेटिंग को तुलनीय आस्ति में अंतरण करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया संबंधी विवरण:

- बैंक उन्हीं रेटिंग का उपयोग करता है जो बाजार में मिलते हैं और जिन्हें पूछा जाता है तथा बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थाओं के रूप में जाना-जानेवाले मान्यता प्राप्त बाहरी ऋण मूल्यांकन एजेंसिया (ईसीएआई) जिनकी समीक्षा करती हैं
- उधारकर्ता की ऋण जोखिम भारिता को पहचानने हेतु बैंक द्वारा, जहां कहीं लागू है, सुविधा रेटिंग या बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक बैंक ऋण को विशिष्ट स्तर से रेटिंग नहीं किया गया है, तब तक बैंक इस प्रकार के रेटिंग का इस्तेमाल करता है
- बैंक द्वारा एक ही उधारकर्ता के किसी एक ऋण जोखिम के लिए एक ई सी ए आई का और दूसरे ऋण जोखिम के लिए दूसरे ई सी ए आई का प्रयोग नहीं किया जाता, जब तक कि संबंधित ऋण जोखिम का रेटिंग किसी एक चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा ही किया गया है आगे, किसी कार्पोरेट समूह के भीतर प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित रेटिंग का, उसी समूह के किसी अन्य संस्था के जोखिम भार के निर्धारण के लिए बैंक प्रयोग नहीं करता है
- नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं को दीर्घावधी ऋण जोखिम के स्तर में माना जाता है और तदनुसार ऐसे ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार का निर्धारण के लिए दीर्घावधी रेटिंग का प्रयोग किया जाता है
- ई सी ए आई द्वारा निर्धारित रेटिंग का मापन / लागू करते समय बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शित होता है

TABLE DF 5 - DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

QUALITATIVE DISCLOSURES :

(A) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- **Name of the credit rating agencies used:** The Bank has approved following credit rating agencies. Domestic credit rating agencies: CRISIL, CARE, FITCH India & ICRA. International Credit Rating Agencies: Standard & Poor, Moody's, FITCH. The Bank has also entered into Memorandum of Understanding (MOU) with 3 of these Domestic Credit Rating Agencies viz. CRISIL, CARE & ICRA for rating the corporate exposures.

- **Types of exposure for which each agency is used:** All the above agencies are approved for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Wherever available, the Bank uses Facility Rating or Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAIs, the Bank is guided by regulatory guidelines/Bank's Board approved Policy.

- जहाँ ऋण जोखिम / उधारकर्ताओं का चुनिंदा ई सी ए आई से एक से अधिक रेटिंग प्राप्त हों, वहाँ बैंक जोखिम भारिता के परिकलन के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है :
- चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा दो रेटिंग दिये जाने पर जो विभिन्न जोखिम भार के साथ जुड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है
- जहाँ चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है, जो विभिन्न जोखिम भार से जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में 2 निम्नतम रेटिंग की अनुरूपी रेटिंग को लिया जाता है और उन में से उच्चतम जोखिम भार को लागू किया जाता है
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
- If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
- If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

परिमाणात्मक प्रकटन:

जोखिम प्रशामकों यानि संपार्श्विक की गणना के बाद मानकीकृत दृष्टिकोण में प्रधान जोखिम वर्गों में बैंक की बकाया राशियाँ (श्रेणीकृत - अश्रेणीकृत)

[₹ करोड में]

विवरण	राशि			
	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
100% से कम जोखिम भार	137186.18	105895.97	103981.81	99290.92
100% जोखिम भार	56461.18	45501.91	20982.26	21639.79
100% से ज्यादा जोखिम भार	18819.82	17936.75	2951.28	2204.65
कम किया गया (जोखिम प्रशामक)	33116.76	22395.13	4800.01	3249.32

QUANTITATIVE DISCLOSURES :

AMOUNT OF THE BANK'S OUTSTANDINGS (RATED AND UNRATED) IN MAJOR RISK BUCKETS - UNDER STANDARDIZED APPROACH, AFTER FACTORING RISK MITIGANTS (I.E. COLLATERALS):

[₹ in Crore]

Particulars	Amount			
	Fund Based		Non-fund Based	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Below 100% Risk Weight	137186.18	105895.97	103981.81	99290.92
100% Risk Weight	56461.18	45501.91	20982.26	21639.79
More than 100% Risk Weight	18819.82	17936.75	2951.28	2204.65
Deducted (Risk Mitigants)	33116.76	22395.13	4800.01	3249.32



तालिका डी एफ 6 - ऋण जोखिम कम करना - मानकीकृत दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटन

संपाश्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया : सही स्तर में लिये गये और प्रबंधन किये गये संपाश्विक और गारंटियां निम्न के लिए सहायक होंगे:

- प्रत्याशित नकद प्रवाह में अपर्याप्तता या किसी अन्यथा ऋण सुविधा की चुकौती के संबंध में उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर चुकौती का दूसरा स्रोत प्रदान करते हुए जोखिम को कम करना।
- चूक होने पर चुकौती के स्रोत पर नियंत्रण पाना।
- उधारकर्ता की गिरती चुकौती क्षमता पर शीघ्र चेतावनी देना और
- जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाना और पर्याप्त स्तर से अवशिष्ट जोखिमों का निवारण करना।

बैंक की संपाश्विक प्रबंधन प्रक्रिया और आचरण में, सुरक्षा और संपाश्विक मूल्य की सुरक्षा व संरक्षण, संपाश्विक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन/नियमित निरीक्षण सहित संपूर्ण क्रियाविधि प्रावर्तित हैं।

मूल्यांकन : बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों को प्रतिभूत करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियाँ बैंक द्वारा नामित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता आदि बैंक की नीति संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित की गयी है।

बैंक द्वारा लिये गये संपाश्विकों के प्रमुख प्रकार संबंधी विवरण: जोखिम कम करने हेतु बैंक द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त प्रमुख संपाश्विक प्रकारों में वस्तु सूची, बही ऋण, संयंत्र और मशीनरी, भूमि और मकान, स्वर्ण आभूषण, वित्तीय संपाश्विक (अर्थात् बैंक जमाएं, डाक विभाग द्वारा प्रत्यक्ष स्तर से जारी सरकारी प्रतिभूतियां, बैंक द्वारा अनुमोदित सीमित कंपनियों के इक्विटी शेयर, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि), विभिन्न प्रकार की चल व अचल संपत्तियाँ /आस्तियाँ आदि शामिल हैं।

गारंटीकर्ता प्रतिपक्ष और उनकी ऋण - पात्रता के प्रमुख प्रकार : बैंक सरकारी, बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक 'ईसीजीसी तथा सीजीटीएम एसई सहित सरकारी कंपनियों की गारंटियाँ प्राप्त/ स्वीकार करता है। इसके अलावा, ऋण जोखिम को कम करने की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक वैयक्तिक या कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करता है।

TABLE DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH

QUALITATIVE DISCLOSURES:

Policies and processes for collateral valuation and management: Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

Valuation: Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines.

Description of the main types of collateral taken by the Bank: The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Inventories of stocks in trade, Book debts, Plant & Machineries, Land & Building, Gold Jewellery, Financial Collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities issued directly/ by postal departments, equity shares of limited companies approved by the Bank, Life Insurance Policies, Units of Mutual Funds etc.), different categories of moveable & immoveable assets / properties etc.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness: Bank obtains/ accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European community as well as Multilateral Development Banks, ECGC and CGTMSE).

जिसको गारंटीकर्ता के ऊपर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यह शत-रहित तथा अविकल्पी है गारंटीकर्ता की ऋण-पात्रता, सामान्यतः उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति से संबद्ध या प्रभावित नहीं होता है। राज्य / के द्रीय सरकार द्वारा दी गयी गारंटी को भी बैंक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक प्रावरित सुविधा की पूरी तरह से चुकौती या निपटान या उन्मोचित नहीं हो जाता है।

नई पूँजी पर्याप्तता स्मरेखा के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम प्रशमन (बासेल II मानक): नई पूँजी पर्याप्तता स्मरेखा (बासेल-II मानक) के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने नकद, बैंक की निजी जमाएं, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को ऋण जोखिम प्रशमन के रूप में मान्यता दी है।

प्रशमन हेतु उठाये गये उपायों के अंतर्गत जोखिम केंद्रीकरण संबंधी सूचना: ऋण जोखिम के प्रबंधन और संपार्श्विक के जोखिम केंद्रीकरण सहित संपार्श्विक प्रबंधन के प्रभावी मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने हेतु बैंक द्वारा एक डाटा वेयर हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

परिमाण्वात्मक प्रकटन :

[₹ करोड़ों में]

क्र. सं.	ब्योरा	राशि	
		31.03.2011	31.03.2010
1.	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये मार्जिन लागू करने के बाद, पात्र वित्तीय संपार्श्विक के द्वारा प्रावरित कुल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रति कटौती लागू करने के पश्चात्)	21999.82	15912.59
2.	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये गारंटियाँ/ऋण व्युत्पन्नियों से (जहाँ भारिबैं द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत) प्रावरित कुल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रति कटौती लागू करने के पश्चात्)	24151.16	16536.24

Besides this, Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of Credit Risk which can be translated into a direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms): The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

Information about risk concentration within the mitigation taken: The Bank is in the process of putting in place a data warehouse for a robust Management Information System to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:

[₹ in Crore]

SI No	Particulars	Amount	
		31.03.2011	31.03.2010
1.	Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	21999.82	15912.59
2.	The total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives 9 whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio.	24151.16	16536.24

तालिका -डी एफ 7 - प्रतिभूतिकरण :मानकीकृत दृष्टिकोण:

गुणात्मक प्रकटन

वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान बैंक ने किसी प्रकार के ऋण जोखिम का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है

परिमाणात्मक प्रकटन :

बैंकिंग बही

क्रम	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
शून्य			

व्यापार बही

क्रम	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
शून्य			

वर्ष 2004-05 के दौरान बैंक ने ₹14.31 करोड़ के 6 एन पी ए खातों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी इंडिया लिमिटेड (ए आर सी आई एल) को बेच दिया और ₹14.31 करोड़ हेतु एस आर प्राप्त किया यथा 31.03.2011 को बैंक द्वारा ₹6.07 करोड़ बही-मूल्य की प्रतिभूति आय का धारण करता है, जिसके लिये पूर्ण स्तर से प्रावधान किया गया है।

तालिका डी एफ 8 - व्यापार बही में बाजार जोखिम-मानकीकृत आशोधित अवधि दृष्टिकोण :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

रणनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ : बाजार जोखिम प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य बैंक की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाते हुए तथा सभी प्रकार की बाजार जोखिम घटनाओं के घाटे में कमी करते हुए बैंक के शेयरधारक के मूल्य में संवृद्धि दर्ज करना है

- जहाँ एक ओर व्यापक नेतृत्व एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वही हमारी कारोबारी इकाईयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे जोखिम उठाने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए रणनीतियाँ तय कर सकें।
- समस्त मुद्दों अथवा पहले से तयशुदा गंभीर क्रिसम के मामलों को (तथ्यात्मक, आवधिकता, प्रकृति) जोखिम प्रबंधन अनुभाग भेज दिया जाता है, वहाँ इन मामलों को समुचित स्तर से निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्संबंधी कार्रवाई तय की जाती है। कारोबारी इकाईयों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

TABLE DF 7- SECURITISATION - STANDARDIZED APPROACH

QUALITATIVE DISCLOSURES :

The Bank has not securitised any exposure during the financial year 2010-2011.

QUANTITATIVE DISCLOSURES :

BANKING BOOK

SI No	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
NIL			

TRADING BOOK

SI No	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
NIL			

During the year 2004-05, the Bank had sold 6 NPA accounts amounting to ₹14.31 crore to Asset Reconstruction Company India Limited (ARCIL) and had received SR for ₹14.31 crore. As on 31.03.2011, the Bank holds Security Receipts at a Book Value of ₹6.07 crore of which is provision of ₹4.61 crore has been made as per the valuation of securities.

TABLE DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK- STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH

QUALITATIVE DISCLOSURES:

Strategies and processes: The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.



इस प्रक्रिया का उद्देश्य है

- बाजार जोखिम गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव बाजार जोखिम प्रबंधन की कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करना ।
- बाजार जोखिम से संबद्ध सभी संबंधित विधायी प्रावधानों एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- बाजार जोखिम को पहचानने, मापने, उसका प्रबंधन करने, उसकी देखरेख करने, नियंत्रण तथा समीक्षा करने संबंधी नीतियों एवं कार्यविधियों में गुणवत्ता का निरंतर स्तर से नियमित विकास करना ।
- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम कारकों के लिए ऋण सीमा का ढाँचा और संबंधित सचेतक स्थापित करना
- मजबूत रिपोर्टिंग ढाँचा स्थापित करते हुए प्रभावी संवीक्षा मशीनरी एवं कार्यविधि तैयार करना
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र और नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया करना

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन :

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र का ढाँचा इस प्रकार है :-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आरिस्ट देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)
- बाजार जोखिम प्रबंधन समिति
- महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग प्र.का.
 - एकीकृत अंतर्मुख कार्यालय
 - आरिस्ट देयता प्रबंधन अनुभाग

जोखिम रिपोर्टिंग तथा/अथवा इनकी मापन पद्धति की संभावनाएँ एवं प्रकृति :-

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न ऋण सीमाओं का निर्धारण किया है, जैसे एक दिवसीय सीमा, अंतरदिवसीय सीमा, समग्र अंतर सीमा, स्टाप लॉस सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूँजी बाजार ऋण सीमा, उत्पादवार ऋण सीमा, जारीकर्तावार ऋण सीमा इत्यादि
- बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमाओं की संवीक्षा करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग पद्धति सुस्थापित की गई है
- जोखिम प्रबंधन अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बाजार के लिए अंकित किये जाने वाली दरों को स्वतंत्र स्तर से सत्यापित किया जाता है
- बैंक की रणनीतियों के अनुसार कार्यनिष्पादन तथा जोखिम की जाँच करने, कारोबारी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग किया जाता है

The process aims to

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risk activities.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.
- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

The structure and organization of the relevant risk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee
- General Manager-R M Wing (Chief Risk Management officer)-Head Office
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing HO
 - Integrated Mid Office
 - Asset Liability Management Section

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.



- यह रिपोर्टिंग पद्धति समय सीमा, स्वचालन के समय समुचित विशुद्धता, पोर्टफोलियो में जोखिम की संभावनाओं को उजागर करना सुनिश्चित करती है और इसमें तत्संबंधी लिखित विवरण भी होते हैं
- रिपोर्ट लचीली होती हैं तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाती है
- डीलिंग रूम की गतिविधियाँ केन्द्रीकृत की गई हैं तथा वास्तविक समय के आधार पर अंतरदिवसीय ऋणों की देखरेख करने की व्यवस्था स्थापित की गई है
- रिपोर्टिंग प्रारूपों एवं इसकी आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय जोखिम संवीक्षा, उसके मापन एवं जोखिम को हल्का करने के लिए पर्याप्त है **बचाव व्यवस्था तथा/अथवा तत्संबंधी जोखिम कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्थापकों/प्रशामकों को प्रभावी बनाए रखने संबंधी संवीक्षा की रणनीति एवं प्रक्रियाएँ** : बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित किया गया है जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, काउंटर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा आसित देयता प्रबंधन नीति। इन नीतियों को बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम निर्धारण, इनकी पहचान तथा उपाय व रोकथाम, जोखिम ऋण सीमाएँ एवं कारकों, जोखिम संवीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिए एक आधारभूत ढाँचा तैयार करती है।

बैंक ने विभिन्न मापदण्डों जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन इत्यादि के आधार पर देशीय जोखिम रेटिंग के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है जिससे विभिन्न देशों को ऋण सीमा का आबंटन करते समय उनकी जोखिम श्रेणी का ध्यान रखा जा सकता है

काउंटरपार्टी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी तय करने के लिए एक अंक तालिका मॉडल विकसित किया है काउंटरपार्टियों द्वारा अंकतालिका मॉडल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हासिल किए गए अंकों के मद्देनजर विभिन्न ऋण सीमाएँ तय की जाती हैं

तरलता जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आकस्मिक निधि योजना बनाते हुए संक्रमण काल में तरलता की स्थिति को सामान्य ही रखा जा सके प्रत्येक समय सीमा के तहत बट्टा के स्तरों को भी शामिल किया गया है तथा इसके टूटते ते ही यह आने वाले तरलता-संकट का संदेश देने लगता है

- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The detailed risk reports enhance the decision-making process.
- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the various risk limits.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure that they suffice for risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank. **Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:** Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Counterparty Bank Risk Management Policy, Investment Policy, Liquidity Risk Management Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of Foreign banks under Counterparty Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity Risk Management Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

**तालिका डी एफ 8 - व्यापारिक बहीखाते में
बाजार जोखिम-मानकीकृत आशोधित
अवधिक दृष्टिकोण गुणात्मक प्रकटीकरण**
परिमाणात्मक प्रकटीकरण

[₹ करोड़ों में]

क्र. सं.	विवरण	पूँजी आवश्यकता की रकम	
		31.03.2011	31.03.2010
(क)	ब्याज दर जोखिम	445.45	293.27
(ख)	इक्विटी स्थिति संबंधी जोखिम	211.57	222.23
(ग)	विदेशी विनिमय जोखिम	6.75	6.75

तालिका डी एफ 09 - परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएं : बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और सृढ़ परिचालनात्मक कार्यविधियाँ हैं जिनमें कार्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, सक्षमातायें, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिकता आयोजना शामिल हैं। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये नितियाँ निर्धारित हैं

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठनात्मक ढांचा :

बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नवत् है

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक, (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- प्र का के कार्यात्मक विभागों में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) विशेषज्ञ
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी) प्र का
- जोखिम अधिकारी -अंचलों/राजकोष व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन विभाग में नामित कार्यपालक
- अंचलों/अं प्र में जोखिम प्रबंधन और साख समीक्षा अनुभाग
- शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अधिकारी (आरएमओ)

**TABLE DF 8 - MARKET RISK IN TRADING
BOOK-STANDARDIZED MODIFIED
DURATION APPROACH**
QUANTITATIVE DISCLOSURES

[₹ in Crore]

SL NO	PARTICULARS	AMOUNT OF CAPITAL REQUIREMENT	
		31.03.2011	31.03.2010
(a)	Interest Rate Risk	445.45	293.27
(b)	Equity Position Risk	211.57	222.23
(c)	Foreign Exchange Risk	6.75	6.75

TABLE DF 9 - OPERATIONAL RISK

QUALITATIVE DISCLOSURES:

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function:

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- GM of Risk Management Wing, HO (Chief Risk Management Officer)
- ORM Specialists in functional Wings, HO
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Risk Officers - The nominated Executive at Circles/Treasury Wing
- Risk Management and Credit Review Sections at Circles/ID
- Risk Management Officers (R.M.O) at Branches/Offices.



जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र और प्रकृति और/या मापन पद्धतियाँ :

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम हानि संभावनाएँ/घटनाएँ और बाहरी घटनाएँ शामिल हैं विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़े का उपयोग, भा. रि. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त 7 हानि घटना प्रकार और 8 कारोबार प्रकार की जोखिम मैट्रिक्स की तैयारी के लिये किया जाता है

बचाव व्यवस्था और/या जोखिम को कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्था/ प्रशामक के निरंतर रूप से प्रभावी होने पर निगरानी की रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ : बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित निम्नांकित नीतियाँ लागू की हैं

- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति: इस नीति में परिचालनात्मक जोखिम की शर्तें, परिचालनात्मक जोखिम संरचना, परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मापन और निगरानी शामिल हैं
- आउट सोर्सिंग नीति: इस नीति में भारत में या अन्य किसी स्थान में स्थित सेवा प्रदानकर्ता के साथ बैंक द्वारा ली गयी वित्तीय सेवाओं सहित सभी प्रकार की आउट सोर्सिंग व्यवस्थाएँ शामिल हैं इस नीति में ऐसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं जो प्रबंधन के मूल कार्य हैं जिनको आउट सोर्स करने की अनुमति नहीं है
- परिचालनात्मक जोखिमों के लिये बीमा प्रावरण की नीति : इस नीति में एक निवारक उपाय के रूप में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन में बीमा की भूमिका, बीमा पालिसी नीति के लक्ष्य और लाभ, बीमा पालिसियां लेते समय मूल्यांकन आदि शामिल हैं
- कारोबार प्रकार नीति: भा.रि. बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार कारोबार प्रकार नीति निर्धारित की गयी है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है
- विधिक जोखिम प्रबंधन नीति: बैंक ने विधिक जोखिम नीति निर्धारित की है जिसमें लक्ष्य, मूल्यांकन, प्रकृति, विधिक जोखिम का नियंत्रण करना आदि शामिल हैं

परिचालनात्मक जोखिम पूँजी मूल्यांकन: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिये पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक ने मूल संकेतमक दृष्टिकोण अपनाया है

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of 7 loss event types and 8 business lines recognized by the RBI.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: The Bank has put in place the following policies pertaining to Operational Risk Management.

- Operational Risk Management Policy: The Policy covers the terms of Operational Risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of Operational Risk.
- Outsourcing Policy: The Policy covers all types of outsourcing arrangements including financial services entered into by the Bank with a service provider located in India or elsewhere. The Policy also covers the activities, which are part of core function of the management and are not permitted to be outsourced.
- Policy on Insurance Cover for Operational Risks: The Policy covers role of insurance in operational risk management as a mitigation measure, objectives and advantages of insurance policy, evaluation while taking insurance policies etc.
- Business line Policy: Based on RBI guidelines, Business line Policy is put in place, which is being reviewed annually.
- Legal Risk Management Policy: The Bank has put in place Legal Risk Management Policy, which covers objectives, assessment, nature, mitigation of Legal Risk etc.

Operational Risk capital assessment: The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.



तालिका डी एफ 10- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटीकरण : ब्याज दरों का अवविनियमन, विनियम दर पद्धति का उदारीकरण, बांडों के लिये गौण बाजार का विकास, वित्तीय व्यवस्था को और गहरा और व्यापक बनाया जाने के साथ बैंकों को ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विनियम दर जोखिम आदि का सामना करना पड़ रहा है। आरिस्त देयता प्रबंधन विभिन्न जोखिमों के मापन, निगरानी और प्रबंधन हेतु एक व्यापक और सक्रिय स्मरेखा प्रदर्शित करता है। आ दे प्र का मूल उद्देश्य बैंक की समूची जोखिम-वहन क्षमता के अन्दर अधिकतम निवल ब्याज आय हासिल करना होता है।

लचीलापन और या प्रभाव को अनुमानित करने के लिये तरलता और ब्याज दर संरचना में परिवर्तन करते हुये विभिन्न दबाव परीक्षण किये जाते हैं आरिस्तियाँ और देयतायें संबंधी ब्याज दरों और मूल जोखिम में समानान्तर अंतरण के द्वारा वह जोखिम पर उपार्जन का मूल्यांकन करता है। ब्याज दरों में परिवर्तन और ईक्विटी के साथ उसके समनु रूपी सह संबंध के द्वारा अवधि अंतरण विश्लेषण और परिवर्तित अवधि के जरिये ईक्विटी का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है

तरलता पर दबाव स्तरो की जांच हेतु व्यावहारिक अध्ययनों के प्रकटीकरणों से काफी बढ़कर दबाव परिस्थितियों के अनुमान के द्वारा दबाव परीक्षण किये जाते हैं जिन में ऋणों के पूर्व भूगतान और जमा की परिपक्वतापूर्व समालप्त जैसे अंतःस्थापित विकल्प शामिल हैं निरंतर और मौसमी झुकाव के अध्ययन के लिये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर व्यवहारात्मक अध्ययन भी किये जाते हैं ताकि और सही प्रवाहों का परिकलन किया जा सके

लागत-लाभ, नये कारोबार, वित्तीय समावेशन जैसे व्यङ्गित पहलुओं और दोनों वैश्विक और देशी -समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण पर और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद दोनों आरिस्तियों और देयताओं की ब्याज दरों के निर्धारण पर आरिस्त देयता प्रबंधन समिति निर्णय लेती है

रण नीतियाँ और प्रक्रियायें : विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण करते हुये पहले ही दबाव परीक्षण करने के द्वारा जोखिम को कम करने की रण नीति अपनायी जाती है ताकि सत्य-प्रतीयमान घटना के लिये और यदि संभव हो तो उसे कम किये जाने हेतु तैयार जोखिम को कम करने की प्रक्रिया आरिस्त देयता संरचना के मिश्रण में परिवर्तन, अवधि अंतरण को अलन्वति के नजदीक लाना, ब्याज दरों में परिवर्तन आदि के द्वारा शुरूकी जाती है

TABLE DF 10 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

QUALITATIVE DISCLOSURES:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to Interest Rates Risk, Liquidity Risk, Exchange Rate Risk etc., Asset Liability Management outlays a comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is maximizing the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various Stress Tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk. The Market Value of Equity is determined by means of Duration Gap Analysis and Modified Duration by varying interest rates and its corresponding correlation to equity.

The Stress Tests on liquidity are carried out by assuming stress conditions wherein Embedded Options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the Behavioral Studies to test the stress levels. Behavioral Studies are also being conducted on various parameters to study the secular and seasonal trends to arrive at more accurate flows.

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

Strategies and processes: The strategy adopted for mitigating the risk is by conducting Stress Tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition; bringing the duration gap closer to unity, change in interest rates etc.



संगत जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठन:

आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग, महा प्रबंधक जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है और संरचनागत तरलता

और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण और अल्पावधि गतिक तरलता विवरण के साथ विभिन्न विषयों/शीर्षकों पर आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्टें पाक्षिक आधार पर आस्ति देयता प्रबंधन समिति को और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मण्डल को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक और प्रक्रियात्मक विभागों के महा प्रबंधक उसके सदस्य होते हैं।

जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र और प्रकृति और/या मापन पद्धतियाँ

तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण बैंक की तरलता लिस्थिति और ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करते हैं। निदेशक मण्डल के अनुमोदन सहित बड़ा स्तर निर्धारित किया जाता है जिसके अन्दर बैंक को अपना परिचालन सीमित रखना पड़ सकता है सीमाओं में होनेवाली किसी भंग की रिपोर्ट आस्ति देयता प्रबंधन समिति को की जाती है जो बदले में किये जाने वाले अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के बारे में निर्देश देती है।

बचाव व्यवस्था और/या जोखिम को कम करने के लिये नीतियाँ और बचाव व्यवस्था उपशमक के निरंतर स्तर से प्रभावी होने पर निगरानी के लिये रणनीतियाँ और प्रक्रियायें तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम को नियंत्रित करने पर आस्ति देयता प्रबंधन समिति की बैठक में उपशमक उपाय शुरू किये जाते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति को प्रस्तुत पाक्षिक विवरण अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर तरलता और ब्याज दर संरचना प्रदर्शित करते हैं विभिन्न समय अंतरालों के अंतर्गत अंतर स्थिति तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम को अंकित करता है विस्तार से अंतरण स्थिति के अध्ययन के बाद आस्ति देयता प्रबंधन समिति तरलता और ब्याज दर जोखिमों को कम करने के लिये असंतुलनों को कम करने की रणनीतियाँ तय करती है।

The structure and organization of the relevant risk management function:

The ALM section reports to the General Manager of RM Wing and ALM reports on various subjects/topics along with the Structural Liquidity and

Interest Rate Sensitivity Statement and short term dynamic liquidity statement is presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors on a quarterly basis. The statement of Structural Liquidity is prepared on a daily basis. The structural liquidity statements as on the first and third Wednesday of every month is submitted to the Reserve Bank of India and also placed to the ALCO. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank/Executive Directors and has GMs of functional Wings as its members.

The scope and nature of risk reporting and /or measurement systems:

The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest Rate Risk of the Bank. With the approval of the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO, which in turn directs remedial measures to be initiated.

Policies for hedging and or/mitigating risk and strategies and process for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to reduce the Liquidity and Interest Rate Risks.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

यथा 31.03.2011 ईक्विटी के प्रभावपरक अर्जन और आर्थिक मूल्य पर काल्पनिक ब्याज दर का प्रभाव अर्जन पर जोखिम

[₹ करोड़ों में]

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए पुनर्मूल्यनिर्धारण	
	31.03.2011	31.03.2010
0.25%	16.52	15.99
0.50%	33.05	31.97
0.75%	49.57	47.96
1.00%	66.10	63.94

QUANTITATIVE DISCLOSURES :

The Impact on Earnings and Economic value of Equity for notional interest rate shocks as at 31.03.2011

EARNINGS AT RISK

[₹ in Crore]

Change in interest rate	Repricing at 1 year	
	31.03.2011	31.03.2010
0.25%	16.52	15.99
0.50%	33.05	31.97
0.75%	49.57	47.96
1.00%	66.10	63.94

ईक्विटी के आर्थिक मूल्य

	31.03.2011	31.03.2010
200 आधार अंक दर संबंधी आघात हेतु ईक्विटी मूल्य में गिरावट।	9.34	19.27%

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

	31.03.2011	31.03.2010
For a 200 bps rate shock, the drop in equity value	9.34	19.27%

न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा

भा रि बैंक द्वारा जारी पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश में यथा 31.03.2011 बैंक द्वारा रखरखाव किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम पूँजी के स्तर में निम्न राशियों में से अधिकतम राशि निर्धारित की गयी है

क. ऋण, बाजार व परिचालन संबंधी जोखिमों के लिए बासेल II के अनुसार न्यूनतम पूँजी

ख. ऋण व बाजार संबंधी जोखिमों के लिए बासेल I के अनुसार न्यूनतम 80% पूँजी

बासल I मानक के अनुसार यथा 31.03.2011 को बैंक द्वारा रखरखाव किये जाने के लिए अपेक्षित 80% पूँजी आवश्यकता ₹14966.60 करोड़ या बासल II मानक के अनुसार ₹15852.28 करोड़ है

तथापि, बैंक द्वारा यथा 31.03.2011 को रखरखाव की गयी वास्तविक पूँजी (टायर I व टायर II) ₹27094.71 करोड़ है, जो विवेकसम्मत न्यूनतम सहमति सीमा से अधिक है

Prudential Floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New Capital Adequacy framework issued by RBI, stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank as on 31.03.2011.

- Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational risks.
- 80% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on 31-03-2011 is 80% of the capital requirement under Basel I Norms i.e. ₹14966.60 crore or capital requirement as per Basel II Norms i.e. ₹15852.28 crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier I and Tier II) maintained by the Bank as on 31-03-2011 is ₹27094.71 crore which is above the prudential floor limit.

यथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ करोड में/₹ in Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2011	31.03.2010
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ/NET PROFIT AFTER TAX	4025.89	3021.43
के लिए समायोजन/ADJUSTMENTS FOR :		
कर पर प्रावधान / PROVISION FOR TAX	1000.00	800.00
मूल्यहास/DEPRECIATION	151.36	155.13
निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि/LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS	70.94	142.92
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/PROVISION FOR NPAs	1001.18	1426.17
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/PROVISION FOR STANDARD ASSETS	184.32	91.82
टायर I व टायर II बांडों पर ब्याज/INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	661.72	579.85
आस्मिकताएं व अन्यो के लिए प्रावधान/PROVISION FOR CONTINGENCIES AND OTHERS	147.05	50.05
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि/PROFIT / LOSS ON SALE OF FIXED ASSETS	-0.45	-2.78
अनुषंगियों, जेवी, आदि में निवेश से आय/INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES, JVS, ETC	-199.12	-104.28
उप कुल/SUB TOTAL	3017.01	3138.88
के लिए समायोजन/ADJUSTMENTS FOR:		
विवेश में बढ/घट/INCREASE/ DECREASE IN INVESTMENTS	-14044.84	-11984.22
अग्रिमों में बढत/घट INCREASE/ DECREASE IN ADVANCES	-44130.15	-32583.34
ऊधारों में बढ/घट/INCREASE/ DECREASE IN BORROWINGS	4071.79	-4894.85
जमाओं में बढ/घट/INCREASE/ DECREASE IN DEPOSITS	59321.21	47758.94
अन्य आस्तियों में बढ/घट/INCREASE/ DECREASE IN OTHER ASSETS	-1836.91	1976.07
अन्य देयताओं व प्रावधानों में बढ/घट/INCREASE/ DECREASE IN OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	-591.34	-605.78
	2789.77	-333.18
घटायें: प्रदत्त अग्रिम कर/LESS: ADVANCE TAX PAID	-1305.32	-1132.74
रिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क)/CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	8527.34	4694.39
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों और/या जे वी में निवेश से आय/INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND/OR JVS	199.12	104.28
अनुषंगियों, जेवी आदि में निवेश/INVESTMENT IN JVS, SUBSIDIARIES, ETC	-102.08	-58.75
अचल आस्तियों की बिक्री/खरीद से निवल तरवाह/बहीवा/NET INFLOW/ OUTFLOW FROM SALE/ PURCHASE OF FIXED ASSETS	-170.27	-117.75
निवेशक गतिविधियों से सर्जित नकद (ख)/CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-73.22	-72.21
वित्त गतिविधियों से नकद प्रवाह/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
प्रदत्त लाभांश व डी डी टी/DIVIDEND AND DDT PAID	-480.00	-383.37
प्रदत्त शेयर पूंजी में बढत/INCREASE IN PAID UP SHARE CAPITAL	33.00	0.00
नये इश्यू से प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम/SECURITIES PREMIUM RECEIVED ON NEW ISSUE	1960.20	0.00
टायर I व II बांडों पर ब्याज भुगतान/PAYMENT OF INTEREST ON TIER I AND TIER II BONDS	-661.72	-579.85

अपर टायर II बांडों से धनागम/PROCEEDS FROM ISSUE OF UPPER TIER II BONDS	1000.00	0.00
सतत बांडों से प्राप्त धनागम/PROCEEDS FROM ISSUE OF PERPETUAL BONDS	749.30	0.00
अधिनस्थ ऋण समाहित बांडों के मोचन पर भुगतान/PAYMENT ON REDEMPTION OF BONDS INCLUDING SUB-ORDINATED DEBTS	0.00	-665.54
वित्त गतिविधियों से सृजित नकद (ग)/CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	2600.78	-1628.75
नकद और नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल बढ/घट/NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	11054.91	2993.43
अथ नकद व नकद समतुल्य/OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	19653.21	16659.78
इति नकद व नकद समतुल्य/CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	30708.12	19653.21
नकद व नकद समतुल्य के घटक /COMPONENTS OF CASH & CASH EQUIVALENTS		
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष/CASH & BALANCE WITH RBI	22014.79	15719.46
अल्प नोटिस व माँग पर व बैंकों के साथ शेष/Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	8693.32	3933.75
Total	30708.12	19653.21

नोट Notes:

मौजुदा नकद, आर बी आई व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन नकद व नकद समतुल्य में होते हैं/Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

एन सेल्वराजन

उप महा प्रबंधक

एस रामन

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

एस शब्बीर पाशा

निदेशक

के माणिकम

उप महा प्रबंधक

जी पद्मनाभन

निदेशक

पंकज गोपालजी ठक्कर

निदेशक

डी एस आनंदमूर्ति

महा प्रबंधक

देवेन्दर दास रस्तगी

निदेशक

पी वी मैय्या

निदेशक

अर्चना एस भार्गव

कार्यपालक निदेशक

जी वी मणिमरान

निदेशक

सुनील गुप्ता

निदेशक

जगदीश पै के एल

कार्यपालक निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी

निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
एस एस भण्डारी
साझेदार

कृते मनुभाई एण्ड कं
सनदी लेखाकार
हितेश एम पमल
साझेदार

कृते आर के कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार
सी आर सुंदराराजन
साझेदार

कृते नन्दी हलदर एण्ड कं
सनदी लेखाकार
पार्थ एस चंदा
साझेदार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार
मोनिश बावेजा
साझेदार

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
के नारायणन
साझेदार

बैंगलूर

5 मई 2011

N SELVARAJAN

Deputy General Manager

K MANICKAM

Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY

General Manager

ARCHANA S BHARGAVA

Executive Director

JAGDISH PAI K L

Executive Director

S RAMAN

Chairman & Managing Director

G PADMANABHAN

Director

DEVENDER DASS RUSTAGI

Director

G V MANIMARAN

Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI

Director

S SHABBEER PASHA

Director

PANKAJ GOPALJI THACKER

Director

P V MAIYA

Director

SUNIL GUPTA

Director

AS PER REPORT OF EVEN DATE

For S BHANDARI & CO.
Chartered Accountants

For MANUBHAI & CO.
Chartered Accountants

For R K KUMAR & CO.
Chartered Accountants

For NANDY HALDER & GANGULI
Chartered Accountants

For H K CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & CO.
Chartered Accountants

S S BHANDARI
Partner

HITESH M POMAL
Partner

C R SUNDARARAJAN
Partner

PARTHA S CHANDA
Partner

MONISH BAWEJA
Partner

K NARAYANAN
Partner

Bangalore
May 5, 2011



समेकित

तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा

तथा नकद प्रवाह विवरण

2010-2011

CONSOLIDATED

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT

AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK



समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक

हमने केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (समूह) के यथा 31 मार्च 2011 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ जोड़े गए उस तारीख को समाप्त वर्ष की समेकित लाभ व हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है।

ये वित्तीय विवरण समूह के प्रबंधन का दायित्व है और उन्हें अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्त सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारी लेखा परीक्षा आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। इन मानकों की अपेक्षा यह है कि हम इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजना तैयार करके लेखा परीक्षा आयोजित करें कि ये वित्तीय विवरण विषयपरक गलत वक्तव्यों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों 6 में निहित राशियों और प्रकटनों को समर्थक साक्ष्य, परीक्षण के तौर पर परखना शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मतव्य का उचित आधार उपलब्ध कराती है।

हमने 7 अनुषंगियों और 5 सहयोगियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 22582.26 करोड़ की कुल आस्तियों, ₹ 1797.20 करोड़ के कुल राजस्वों और तब समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1211.01 करोड़ रुके निवल नकद प्रवाह प्रतिबिंबित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्त सूचना की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य निकायों के मामले में शामिल की गई राशियों से जहाँ तक संबंध है, हमारा विचार है कि वे अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर नितांत निर्भर है।

हमने संयुक्त उद्यम निकाय के आलेखा परीक्षित विवरणों पर विश्वास किया है, जिनके वित्तीय विवरणों ने यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 327.74 करोड़ रुकी कुल आस्तियाँ, ₹ 26.79 करोड़ रुके कुल राजस्व और तब समाप्त वर्ष के लिए ₹ 31.32 करोड़ रुके निवल नकद प्रवाह प्रतिबिंबित करते हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (ले मा) 21, "समेकित वित्त विवरण", लेखा मानक (ले मा) 23, "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेशों का लेखा" और लेखा मानक (ले. मा) 27, "संयुक्त उद्यमों में हितों का वित्त रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Canara Bank

We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates, and Joint Venture (the Group) as at 31st March 2011, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto.

These financial statements are the responsibility of the management of the Group and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We did not audit the financial statements of 7 Subsidiaries and 5 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹22582.26 Crore as at 31st March 2011, total revenues of ₹1797.20 Crore and net cash flows of ₹1211.01 Crore for the year then ended. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.

We have also relied on the un-audited financial statements of the joint venture entity, whose financial statements reflect total assets of ₹327.74 Crore as at 31st March 2011, total revenues of ₹26.79 Crore and net negative cash flows of ₹31.32 Crore for the year then ended.

We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the management of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard – 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard – 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard – 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.



हमारे विचार को योग्यकारी नहीं ठहराते हुए, हम वित्त विवरणों की अनुसूची 19 के नोट नं.8 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेश विकल्प फिर से खोले जाने और आनुतोषिक सीमाओं को बढ़ाये जाने पर अपने परिपत्र सं. डी.बी.ओ.डी./बी.पी. बी.सी. द्वारा लेखा मानक (ले.मा.) 15, कर्मचारी लाभ के प्रावधानों का प्रयोग किये जाने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2026.48 करोड़ तक बैंक के पेंशन और आनुतोषिक देयता के आस्थगन का बयान करता है।

केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण व्यष्टि लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करके लेखा नीतियों व लेखा टिप्पणियों के साथ पठित, हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुस्र निम्नों का सही और उचित आभास देते हैं :

- यथा 31 मार्च 2011 **समूह** के व्यवहारों का समेकित तुलन पत्र ;
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **समूह** के समेकित लाभ का समेकित लाभ हानि लेखा; और
- उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **समूह** के नकद प्रवाह का समेकित नकद प्रवाह विवरण।

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.8 to the Schedule 19 of the Consolidated Financial Statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Parent Bank to the extent of ₹2026.48 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from the application of the provisions of Accounting Standard – 15 – “Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers”, vide its circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.

On the basis of the information and explanations given to us and on the consideration of the audit reports on individual audited financial statements of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates and Joint Venture, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of **the Group** as at 31st March, 2011;
- In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated Profit of **the Group** for the year ended on that date; and
- In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of **the Group** for the year ended on that date.

कृते एस भंडारी & कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.000560 सी

पी डी बैड
साझेदार
सदस्यता सं. 072625

कृते आर.के.कुमार & कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.001595 एस

सी आर सुंदरराजन
साझेदार
सदस्यता सं. 025400

कृते एच के चौधरी & कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.006154 एस

इंदरजीत सोनि
साझेदार
सदस्यता सं. 088694

कृते मनुभाई & कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.106041 डब्ल्यू

हितेश एम पोमल
साझेदार
सदस्यता सं. 106137

कृते नंदी हालदर व गांगुली
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.302017 ई

पार्था एस चंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 056653

कृते वेंकटाचलम अय्यर & कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.004610 एस

के नारायणन
साझेदार
सदस्यता सं. 007024

For S Bhandari & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.000560C

P D Baid
Partner
Membership No. 072625

For R K Kumar & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.001595S

C R Sundararajan
Partner
Membership No.025400

For H K Chaudhry & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.006154N

Inderjit Soni
Partner
Membership No.088694

For Manubhai & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.106041W

Hitesh M Pomal
Partner
Membership No. 106137

For Nandy Halder & Ganguli
Chartered Accountants
Firm Registration No.302017E

Partha S Chanda
Partner
Membership No.056653

For K. Venkatachalam Aiyer & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.004610S

K Narayanan
Partner
Membership No.007024

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
पूँजी और देयतायें / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	443,00,00	410,00,00
आरक्षितियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	19959,16,07	14612,37,68
गौण ब्याज / MINORITY INTEREST	2A	149,16,24	136,36,49
जमा / DEPOSITS	3	293793,91,97	234517,77,48
उधार / BORROWINGS	4	14295,00,29	8473,78,33
अन्य देयतायें तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	10659,39,64	8374,37,20
जोड़ / TOTAL		339299,64,21	266524,67,18
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22032,11,20	15732,59,07
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	8739,54,29	3990,33,77
निवेश / INVESTMENTS	8	86563,30,70	71120,47,61
ऋण व अग्रिम / LOANS AND ADVANCES	9	212647,38,16	169463,86,16
स्थिर आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	2884,51,35	2931,58,54
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	6432,78,51	3285,82,03
जोड़ / TOTAL		339299,64,21	266524,67,18
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	129654,29,30	124344,55,22
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		11193,17,68	7491,57,53
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		

के पद्मानाभन मण्डल प्रबंधक	के माणिकम उप महा प्रबंधक	डी एस आनंदमूर्ति महा प्रबंधक	अर्चना एस भार्गव कार्यपालक निदेशक	जगदीश पै के एल कार्यपालक निदेशक
एस रामन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	जी पद्मानाभन निदेशक	देवेन्द्र दास रुस्तगी निदेशक	जी वी मणिमार्जन निदेशक	खालिद लुकमान बिलग्रामी निदेशक
एस शब्बीर पाशा निदेशक	पंकज गोपालजी ठक्कर निदेशक	पी वी मय्या निदेशक	सुनील गुप्ता निदेशक	

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते मनुभाई एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते आर के कुमार एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते नन्दी हलदर एण्ड गांगुली कं सनदी लेखाकार	कृते एच के चौधरी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं सनदी लेखाकार
पी डी बैड साझेदार	हितेश एम पोमल साझेदार	सी आर सुंदराराजन साझेदार	पार्थ एस चंदा साझेदार	इंदरजीत सोनी साझेदार	के नारायणन साझेदार

बैंगलूर
मई 26, 2011

यथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	23124,11,14	18755,84,03
अन्य आय / OTHER INCOME	14	2668,48,79	2932,05,31
जोड़ / TOTAL		25792,59,93	21687,89,34
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	15243,69,58	13080,79,88
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	4560,24,16	3726,40,87
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES		2111,17,37	2066,72,56
जोड़ / TOTAL		21915,11,11	18873,93,31
SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	71,77,66	74,98,58
CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		3949,26,48	2888,94,61
LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		(84,92,19)	(110,75,62)
CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		4034,18,67	2999,70,23
III. विनियोजन / III. APPROPRIATIONS			
को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षिती / STATUTORY RESERVE		1022,80,00	760,07,50
पूंजी आरक्षिती / CAPITAL RESERVE		45,45,76	70,55,76
निवेश आरक्षिती खाता / INVESTMENT RESERVE		--	145,78,76
राजस्व आरक्षिती / REVENUE RESERVE			
विशेष आरक्षिती / SPECIAL RESERVE		700,00,00	700,00,00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		487,30,00	410,00,00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		81,25,28	71,24,50
समेकित तुलन पत्र तक आगे ले जाया गया शेष / BALANCE CARRIED OVER TO CONSOLIDATED BALANCE SHEET		1697,37,63	842,03,71
जोड़ / Total		4034,18,67	2999,70,23
लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE (Basic & Diluted) (in ₹)		98.01	73.16

K PADMANABHAN
DIVISIONAL MANAGER

K MANICKAM
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY
General Manager

ARCHANA S BHARGAVA
Executive Director

JAGDISH PAI K L
Executive Director

S RAMAN
Chairman & Managing Director

G PADMANABHAN
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

S SHABBEER PASHA
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For S BHANDARI & Co.
Chartered Accountants

For MANUBHAI & Co.
Chartered Accountants

For R K KUMAR & Co.
Chartered Accountants

For NANDY HALDER & GANGULI Co.
Chartered Accountants

For H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants

P D BAID
Partner

HITESH M POMAL
Partner

C R SUNDARARAJAN
Partner

PARTHA S CHANDA
Partner

INDERJIT SONI
Partner

K NARAYANAN
Partner

BANGALORE
MAY 26, 2011

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 1- पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (चालू वर्ष में प्रति शेयर रु10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर, पिछले वर्ष में प्रति शेयर रु10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH) निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:		
i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर रु. 10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर i) 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS 10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT	3000,00,00	3000,00,00
ii) अन्यो द्वारा धारित प्रति शेयर रु 10/- के 14,30,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में प्रति शेयर रु10/- के 11,00,00,000 ईक्विटी शेयर) ii) 14,30,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY OTHERS (11,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each in previous year)	300,00,00	300,00,00
	143,00,00	110,00,00
जोड़ / TOTAL	443,00,00	410,00,00
अनुसूची 2- आरक्षितियाँ तथा अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
सांविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE	5144,01,00	4121,21,00
पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVES	1220,89,13	1175,43,47
समेकन पर पूँजी अरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVES ON CONSOLIDATION	1,76,04	1,76,04
शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM	2362,33,51	402,13,51
अन्य आरक्षितियाँ / OTHERS RESERVES:		
विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति / FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE	15,27,98	12,71,95
पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति / REVALUATION RESERVE	2099,43,60	2131,40,26
निवेश आरक्षिति / INVESTMENT RESERVE	94,57,14	147,22,08
विशेष आरक्षिति / SPECIAL RESERVE		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) अनुसार (IN TERMS OF SEC 36 (1) (viii) OF THE INCOME TAX ACT 1961)	2100,00,00	1400,00,00
राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ / REVENUE AND OTHER RESERVES	6920,87,67	5220,49,37
जोड़ / TOTAL	19959,16,07	14612,37,68
अनुसूची 2क- गौण ब्याज SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
उस दिन का गौण ब्याज जब मूल-अनुषंगी संबंध अस्तित्व में आया MINORITY INTEREST AT THE DATE ON WHICH THE PARENT SUBSIDIARY RELATIONSHIP CAME INTO EXISTENCE	110,15,12	110,15,12
उत्तरवर्ती वृद्धि / (कमी) SUBSEQUENT INCREASE/(DECREASE)	39,01,12	26,21,37
तुलन पत्र की तिथि को गौण ब्याज MINORITY INTEREST ON THE DATE OF BALANCE SHEET	149,16,24	136,36,49

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 3- जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क. I. माँग जमा / A. I. DEMAND DEPOSITS		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	453,79,75	540,93,80
ii. अन्यो से / ii. FROM OTHERS	23999,22,67	17710,68,11
जोड़ / TOTAL	24453,02,42	18251,61,91
II. बचत बैंक जमा / II. SAVINGS BANK DEPOSITS		
बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	58617,10,79	49875,42,14
जोड़ / TOTAL	58617,10,79	49875,42,14
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	10987,92,78	5800,28,66
ii. अन्यो से / ii. FROM OTHERS	199735,85,98	160590,44,77
जोड़ / TOTAL	210723,78,76	166390,73,43
जोड़ (I, II और III) TOTAL (I, II and III)	293793,91,97	234517,77,48
ख./B. i. भारत में जमा / i. DEPOSITS IN INDIA	284948,54,99	228302,72,45
ii. भारत के बाहर / ii. DEPOSITS OUTSIDE INDIA	8845,36,98	6215,05,03
जोड़ (i और ii) / TOTAL (i AND ii)	293793,91,97	234517,77,48
अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / I. BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	--
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थायें तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	988,52,07	666,14,41
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और अधीनस्थ ऋण / IPDI AND SUB-ORDINATED DEBTS)	7943,55,00	6278,80,00
जोड़ / TOTAL	8932,07,07	6944,94,41
II. भारत से बाहर उधार / II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	4243,23,47	408,20,92
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (अधीनस्थ ऋण / SUB-ORDINATED DEBTS)	1119,69,75	1120,63,00
जोड़ / TOTAL	5362,93,22	1528,83,92
जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)	14295,00,29	8473,78,33
उपर्युक्त (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार SECURED BORROWINGS INCLUDED IN (I) AND (II) ABOVE	NIL	NIL

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयतायें और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1143,36,12	1171,80,87
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	239,32,41	67,73,33
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	82,07,96	66,19,21
IV. आस्थगित कर देयतायें (निवल) / IV. DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	133,70,30	26,81,18
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	9060,92,85	7041,82,61
जोड़ / TOTAL	10659,39,64	8374,37,20
अनुसूची 6-भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. उपलब्ध नकद / I. CASH IN HAND	735,45,77	630,72,48
(विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों के साथ / INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / II. BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i. चालू खाते में / i. IN CURRENT ACCOUNT	21296,65,43	15101,86,59
ii. अन्य खातों में / ii. IN OTHER ACCOUNTS	--	--
जोड़ (i और ii) / TOTAL (i and ii)	21296,65,43	15101,86,59
जोड़ (I और II) / TOTAL (I AND II)	22032,11,20	15732,59,07
अनुसूची 7- बैंक में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर धन SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCES WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	458,49,98	439,96,14
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	2,33,37	123,99,01
जोड़ / TOTAL	460,83,35	563,95,15
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	2265,00,00	600,00,00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	550,00,00	350,00,00
जोड़ / TOTAL	2815,00,00	950,00,00
जोड़ (i और ii) / TOTAL (i and ii)	3275,83,35	1513,95,15
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
i. चालू खाते में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	1103,80,44	230,03,59
ii. अन्य जमा खातों में / ii. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	4356,86,18	2245,12,72
iii. माँग और अल्प सूचना पर धन / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	3,04,32	1,22,31
जोड़ / TOTAL	5463,70,94	2476,38,62
जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)	8739,54,29	3990,33,77

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I भारत में निवेश / INVESTMENTS IN INDIA IN		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES	71429,52,40	64100,23,06
ii. अनुमोदित अन्य प्रतिभूतियाँ / OTHER APPROVED SECURITIES	306,52,78	349,77,15
iii. शेयर / SHARES	2736,61,27	1185,03,11
iv. डिबेंचर्स और बाण्ड / DEBENTURES AND BONDS	2380,14,92	2069,52,73
v. सहवर्द्धों में निवेश / INVESTMENT IN ASSOCIATES	571,38,43	501,98,30
vi. अन्य / OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP etc.)	8600,89,70	2325,66,13
जोड़ / TOTAL	86025,09,50	70532,20,48
II भारत से बाहर निवेश / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA IN		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / GOVERNMENT SECURITIES (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	36,64,46	32,71,59
ii. अन्य निवेश / OTHERS (Bonds etc.)	501,56,74	555,55,54
जोड़ / TOTAL	538,21,20	588,27,13
महा जोड़ (I और II) GRAND TOTAL (I AND II)	86563,30,70	71120,47,61
III भारत में निवेश / INVESTMENTS IN INDIA		
i. निवेश का सकल मूल्य / GROSS VALUE OF INVESTMENTS	86238,17,96	70660,27,27
ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान / AGGREGATE OF PROVISIONS FOR DEPRECIATION	213,08,46	128,06,79
iii. निवल निवेश / NET INVESTMENT	86025,09,50	70532,20,48
IV भारत से बाहर निवेश / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i. निवेशों का सकल मूल्य / GROSS VALUE OF INVESTMENTS	659,62,36	697,16,66
ii. मूल्यहास के लिए कुल प्रवधान / AGGREGATE OF PROVISIONS FOR DEPRECIATION	121,41,16	108,89,53
iii. निवल निवेश / NET INVESTMENT	538,21,20	588,27,13

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	8084,28,73	7213,96,42
ii. माँग पर देय नकद ऋण, अधिविकार्ष और उधार / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	102556,75,26	79109,82,94
iii. सावधि ऋण / iii. TERM LOANS	102006,34,17	83140,06,80
जोड़ / TOTAL	212647,38,16	169463,86,16
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (/ इन में बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं) / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (INCLUDES ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	138495,66,23	104673,75,56
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	8411,93,31	7908,89,67
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	65739,78,62	56881,20,93
जोड़ / TOTAL	212647,38,16	169463,86,16
ग. I. भारत में अग्रिम / C. I. ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	67999,30,97	56690,92,90
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	33597,47,05	18462,48,18
iii. बैंक / iii. BANKS	1202,54,14	3014,04,66
iv. अन्य / iv. OTHERS	99255,23,79	84330,77,84
जोड़ / TOTAL	202054,55,95	162498,23,58
II. भारत से बाहर अग्रिम / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks	8,91,90	14,36,80
ii. अन्यो से देय / Due from others		
क. खरीदे तथा भुनाए गये बिल / a. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	133,30,63	233,57,34
ख. समूहन ऋण / b. SYNDICATED LOANS	2287,48,30	2661,74,97
ग. अन्य / c. OTHERS	8163,11,38	4055,93,47
जोड़ (i और ii) / TOTAL (i and ii)	10592,82,21	6965,62,58
जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)	212647,38,16	169463,86,16

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
स्थिरआस्तियाँ SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I परिसर / PREMISES		
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत के अनुसार / AT COST AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR	2887,19,70	2832,98,37
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	8,79,98	19,36,81
	2895,99,68	2852,35,18
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	5,58,49	38,58,16
	2890,41,19	2813,77,02
आज की तारीख पर मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	403,66,23	289,87,56
	2486,74,96	2523,89,46
I क/आ निर्माणधीन परिसर / PREMISES UNDER CONSTRUCTION	--	--
II अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित) / OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
(पिछले वर्ष के 31 मार्च को) लागत के अनुसार/AT COST (AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR)	1683,65,58	1607,62,69
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	184,92,35	122,30,04
	1868,57,93	1729,92,73
वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	27,44,53	46,51,86
	1841,13,40	1683,40,87
आज की तारीख पर मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	1446,58,90	1294,58,14
	394,54,50	388,82,73
II क/आ पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत के अनुसार / AT COST AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR	99,99,17	109,99,35
वर्ष के दौरान समायोजन सहित परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR INCLUDING ADJUSTMENTS	--	--
	99,99,17	109,99,35
वर्ष के दौरान प्रावधानों सहित कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR INCLUDING PROVISIONS	2,12,00	--
	97,87,17	109,99,35
आज की तारीख पर मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	87,41,60	97,63,86
	10,45,57	12,35,49
घटाएं:-पट्टादायी अंतिम समायोजन / LESS:- LEASE TERMINAL ADJUSTMENT	8,26,57	10,16,49
	2,19,00	2,19,00
III. पूँजी कार्य प्रगति में / III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	1,02,89	16,67,35
जोड़ (I, Iक, II, IIक और III) / TOTAL (I, IA, II, IIA AND III)	2884,51,35	2931,58,54

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 As at 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / I. INTEREST ACCURED	1285,07,52	974,37,15
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)		
II. TAX PAID IN ADVANCE/ TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	998,64,10	429,40,88
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	5,99,96	7,12,72
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ		
IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33,09	33,09
V. अन्य / V. OTHERS	4142,73,84	1874,58,19
जोड़ / TOTAL	6432,78,51	3285,82,03
अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	1738,93,23	669,97,55
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयता		
II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	--	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	83991,76,04	86670,13,77
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ /IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	23914,24,21	22945,03,59
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	48,01,33	27,72,54
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ		
V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	17848,56,72	13716,07,08
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है		
VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	2112,77,77	315,60,69
जोड़ / TOTAL	129654,29,30	124344,55,22

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011**

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/विलों पर ब्याज / बट्टे / I. INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	17093,94,04	13931,70,94
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS	5802,77,92	4594,61,09
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA AND OTHER INTER BANK FUNDS	223,95,86	210,86,91
IV. अन्य / IV. OTHERS	3,43,32	18,65,09
जोड़ / TOTAL	23124,11,14	18755,84,03
अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	724,44,05	813,19,31
II. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) / II. PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS		
लाभ / Profit	5,91,07	3,71,53
घटाएं : हानी / Less: Loss	1,39,79	28,91
III. विनिमय लेन-देन पर लाभ- (निवल) / III. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS (NET)		
लाभ / Profit	2741,97,17	712,72,56
घटाएं : हानी / Less: Loss	2360,23,16	496,97,83
IV. निवेशों की विक्री पर लाभ (निवल)/ IV. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS (NET)		
लाभ / Profit	309,34,93	1039,58,73
घटाएं : हानी / Less: Loss	71,18,00	161,82,00
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / V. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS		
घटाएं : निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानी / Less: Loss on revaluation of investments	123,95,29	142,92,67
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC.		
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME		
जोड़ / TOTAL	2668,48,79	2932,05,31
अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	14234,56,14	12272,25,72
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	334,41,70	173,13,51
III. अन्य / III. OTHERS	674,71,74	635,40,65
जोड़ / TOTAL	15243,69,58	13080,79,88

यथा 31 मार्च 2011 को समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

विवरण Particulars	यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (₹ '000)	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹ '000)
अनुसूची 16- परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISION FOR EMPLOYEES	3082,08,80	2282,49,31
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	371,63,59	349,25,19
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	43,53,19	40,58,39
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	71,38,60	49,42,15
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से अंतरण के बाद का निवल) (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	187,24,49	180,68,41
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	73,46	98,95
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	30,20,45	29,09,05
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	33,12,13	23,59,60
IX. डाक, तार टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	32,54,30	32,38,50
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	146,83,46	149,20,66
XI. बीमा / XI. INSURANCE	232,55,49	190,20,15
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	328,36,20	398,50,51
जोड़ / TOTAL	4560,24,16	3726,40,87
अनुसूची 17- आय का शेयर / सहबद्धों में हानि SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / LOSS IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / I. CANFIN HOMES LTD	17,79,38	16,58,12
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इण्डिया लिमिटेड / II. COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--	--
III. केयर लिमिटेड / III. CREDIT ANALYSIS & RESEARCH LTD.	21,35,94	20,60,20
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / IV. REGIONAL RURAL BANKS		
क) प्रगति बैंक / a. PRAGATHI GRAMIN BANK	18,50,39	19,23,42
ख) साउथ मलबार ग्रामीण बैंक / b. SOUTH MALABAR GRAMIN BANK	4,31,40	5,16,97
ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक / c. SHREYAS GRAMIN BANK	9,80,55	37,80,26
जोड़ / TOTAL	71,77,66	74,98,58



अनुसूची-18

यथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा तैयार करने का आधार

लेखा ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर संबंधित सांविधिक/नियामक अपेक्षाओं, लेखा मानकों और साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यम (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21-समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप तैयार किये गये हैं। बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण एक रूढ़ि लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़े गये। अनुषंगियों के वित्त विवरण प्रधान संस्था की रिपोर्टिंग तारीख को ही तैयार किये गये हैं।

2.2 अनुषंगी निकायों (संपूर्ण स्वामित्व वाले निकायों को छोड़कर) में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत और अधिग्रहण तारीख के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अनुषंगियों में इक्विटी के प्रधान के अंश के बीच के अंतर को साख/पूँजी आरक्षिती के स्तर में मान्यता दी गई। अनुषंगियों के अधिग्रहणोत्तर लाभ/हानि में प्रधान के हिस्से को राजस्व आरक्षिती में समायोजित किया गया है।

2.3 अनुषंगियों के परिचालनों के निवल परिणामों और आस्तियों में गौण हित प्रधान के स्वामित्व में नहीं रहने वाले लाभ/हानि और निवल आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.4 संयुक्त उद्यम निकाय के मामले में समनुपातिक समेकन पद्धति में परिकलित बैंक के हित को अस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसे मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में हित की रिपोर्टिंग के अनुसार समूह से संबंध रखने तक अंतरासमूह शेषों/लेन देनों को हटाने के बाद दर पंक्ति-पंक्ति आधार जोड़ा गया है।

SCHEDULE-18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

1. Basis of Preparation of Accounts

The accounts are prepared under the Historical cost convention and conform in all material respects to the related Statutory / Regulatory Requirements, Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles and prevailing practices, except as otherwise stated.

2. Consolidation procedure

2.1 Consolidated financial statements of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (the Group) have been prepared on the basis of their financial statements and in accordance with Accounting Standard – 21 - "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards. The financial statements of the bank and its subsidiaries have been combined on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / loss and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

2.2 The difference between the cost to the Parent of its investment in the subsidiary entities (other than wholly owned) and the parent's portion of the equity in such subsidiaries with reference to the date of acquisition is recognized in the financial statements as Goodwill / Capital Reserve. The parent's share of post acquisition profits/losses of the subsidiaries is adjusted in revenue reserves.

2.3 Minority interests in the net results of operations and the net assets of the subsidiaries, represent that part of the Profit/Loss and the net assets not owned by the parent.

2.4 In respect of Joint Venture Entity, the share of the Bank's Interest computed under Proportionate Consolidation Method is combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra group balances / transactions to the extent it pertains to the Group as per Accounting Standard-27- "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards.



2.5 यथा समेकन तिथि को सहबद्ध संस्थाओं में दीर्घावधि निवेश को ईक्विटी पद्धति को मूल्यांकित किया गया है और निवेश की वहन राशि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 23 सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों का लेखा के अनुसूच सहबद्ध संस्थाओं की निवल आस्तियों में केनरा बैंक (निवेशक) में अधिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए तदुपरांत समायोजित किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को लाभ व हानि समेकित विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा अंतरण/विदेशी मुद्रा परिवर्तन

3.1 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के अनुसूच एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, 'फेडार्ड' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनियम दर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडार्ड' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनियम लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में जमा/नामे किया जाता है।

3.2 देशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11-"विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" के अनुसूच और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वायदा विनियम संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, अंतिम हाजिर दर/संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया जाता है।

लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

बकाया वायदा विनियम संविदाओं के मूल्यांकन पर होनेवाले लाभ या हानि को राजस्व में लिया गया है।

4. व्युत्पन्न संविदाएं

मूल बैंक ब्याज दर की अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का काम करता है। मूल बैंक की ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ स्मूथे ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं। मूल बैंक की मुद्रा व्युत्पन्नियाँ विकल्प और मुद्रा अदला-बदली हैं।

2.5 Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associate in accordance with Accounting Standard - 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated statement of Profit & Loss.

3. Foreign Currency Translation/Conversion of Foreign currencies

3.1 In respect of Foreign Branches, Assets and Liabilities are translated at the closing spot rate of exchange announced by FEDAI and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average closing rate published by FEDAI, in accordance with Accounting Standard - 11 - "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards and as per the guidelines of Reserve Bank of India. The resultant exchange gains / losses are credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.2 In respect of Domestic Branches, Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with Accounting Standard - 11 - "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards and as per the guidelines of Reserve Bank of India.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

The gain or loss on such evaluation of outstanding Forward Exchange Contracts is taken to Profit & Loss Account.

4. Derivative Contracts

The Parent Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Parent Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Parent Bank are Options and Currency Swaps.

Based on Reserve Bank of India guidelines



क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास की पहचान की गई है जबकि मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की गई है।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियों इस प्रकार हैं

- बाजार के लिए अंकित जहाँ आधारभूत आस्तियाँ/देयताएं बाजार के लिए अंकित की गई हैं।
- प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए आय/व्यय का उपचय आधार पर लेखांकन किया गया है।

5. निवेश

निवेशों को सांविधिक/नियंत्रक मानकों के अनुसूच वर्गीकृत और मूल्यांकित किया गया है।

6. अग्रिम

फैक्टर ऋण सहित अग्रिम नियंत्रक प्राधिकार द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार प्रावधानों का निवल है।

7. स्थिर परिआस्तियाँ

जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियाँ को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। स्थिर आस्तियाँ में पट्टे पर दी गई परिआस्तियाँ शामिल हैं।

8. मूल्यहास

8.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को आस्तियाँ सित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उ पयोज्य जीवन पर प्राक्कलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया गया है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है। स्थिर/पट्टेदारी परिसंपत्तियों के जुड़ने पर मूल्यहास को अधिग्रहण तारीख का लिहाज किये बिना पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। विक्रय/निपटान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।

8.2 घरेलु अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर किया गया। पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक/द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानिक कानून के अनुसार किया गया है।

a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

b. Derivatives used for hedging are

- marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
- Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

5. Investments

Investments are classified and valued as per applicable statutory / regulatory norms.

6. Advances

Advances including factored debts are net of provisions made in accordance with the prudential norms prescribed by the regulatory authorities.

7. Fixed Assets

Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. Fixed assets include assets given on lease.

8. Depreciation

8.1 Fixed Assets of the Parent excluding computer are depreciated under Written Down Value method as per the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation is charged on computers at 33.33% on straight-line method. Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value method as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery. Depreciation on addition to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

8.2 Fixed assets of the domestic subsidiaries are depreciated as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 1956. In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 1956 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary/secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed assets of the foreign entities is charged as per the local laws.



9. राजस्व मान्यता

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है। नियंत्रक प्राधिकार के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगाही की हद तक किया गया है।

9.2 कमीशन, विनियम, दलाली, लाभांश तथा लॉकर किराया, प्रोसेसीकरण प्रभार और अन्य सेवा प्रभारों का लेखा प्राप्त आधार पर आय के स्म में किया गया है।

10. कर्मचारी हित

पेंशन, उपदान, साधिकार छुट्टी के लिए प्रावधान इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया के लेखा मानक 15 (संशोधित)- "कर्मचारियों के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन" के अनुसार वर्षांत पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। निवल बीमांकक लाभ व हानि का परिकलन वर्ष के दौरान किया गया है।

11. कराधान

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया जाता है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर 'आकस्मिक देयताओं' के तहत शामिल हैं। वर्ष के कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर आस्ति पर विवेकपूर्ण विचार करने के पश्चात, आस्थगित कर समय के अंतर जो कि कर योग्य आय एवं लेखांकित आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न होती है एवं जो एक या अधिक अवधियों में पुनः लौट सकती है, की पहचान की जाती है।

9. Revenue Recognition

9.1 Income is generally accounted on accrual basis. In the case of Non-Performing Assets including Investments, income is recognized to the extent of realization in accordance with norms prescribed by regulatory authorities.

9.2 Commission, Exchange, Brokerage, Dividends, locker rents, processing charges and other service charges are accounted on receipt basis.

10. Employee Benefits

Provision for Pension, Gratuity and Privilege Leave is made based on the Actuarial Valuation at the year-end as per the Accounting Standard - 15 (Revised) – "Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards. Net Actuarial gains and losses are recognized during the year.

11. Taxation

Provision for Income Tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for are included under "Contingent Liabilities".

Tax expenses for the year comprise of current Tax and Deferred Tax. Deferred Tax recognizes, subject to the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets, timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.



अनुसूची - 19 / SCHEDULE 19

यथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011

1. मूल लेखा के साथ समेकित किए गए अनुषंगियों का लेखा विवरण निम्नांकित हैं :

अनुषंगी का नाम	निगमिति देश	स्वामित्व हित की प्रतिशतता (%)
केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100 %
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसस लि.	भारत	100 %
गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.	भारत	100 %
केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70 %
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसस लि.	भारत	69.14 %
केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कं. लि.	भारत	51%
केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इनश्योरेंस कं. लि.	भारत	51%

1. The subsidiaries whose audited accounts have been consolidated along with the Parent are as under:

Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%)
Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100%
Canbank Financial Services Ltd	India	100%
Canara Bank Securities Ltd	India	100%
Canbank Factors Ltd	India	70%
Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%
Canara Robecco Asset Management Company Ltd	India	51%
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company India Ltd	India	51%



2. इक्विटी पद्धति के अधीन निवेश के मूल्यांकन हेतु निम्नांकित सहबद्ध संस्थाओं पर विचार किया गया :

सहबद्ध संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	स्वामित्व हित की प्रतिशतता (%)
केनफिन होम्स लि	भारत	42.35%
साख विश्लेषण व अनुसंधान लि	भारत	23.67%
प्रगति ग्रामीण बैंक	भारत	35%
साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक	भारत	35%
श्रेयस ग्रामीण बैंक	भारत	35%

हमारे सहबद्ध कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लि जिसमें केनरा बैंक का 30% धारण है, के संबंध में इक्विटी पद्धति नहीं अपनायी गयी क्योंकि कथित अनुषंगी कंपनी निष्क्रिय है और उसके वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

2. Associates considered for valuation of Investments under the Equity Method are as under:

Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%)
Canfin Homes Ltd.	India	42.35%
Credit Analysis & Research Ltd	India	23.67%
Pragathi Gramin Bank	India	35%
South Malabar Gramin Bank	India	35%
Shreyas Gramin Bank	India	35%

Equity Method is not adopted in respect of Commonwealth Trust (India) Ltd, an associate, in which Canara Bank has 30% holding, as the said subsidiary company is defunct and its financial statements are not available.

3. (क) रूस में निगमित कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर समनुपातिक पद्धति के अनुसार किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

(ख) लेखा मानक - 27 की आवश्यकता के अनुसार भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान/लेखा मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में साझेदारों के 40% हित के लिए आस्तियों की राशि, देयताएं, आय व व्यय निम्नवत हैं:-

3. (a) In respect of Commercial Bank of India LLC., a Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on unaudited accounts for the year ended 31st March 2011. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

(b) As required by Accounting Standard - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards, the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses related to the Parent's interest of 40% in Commercial Bank of India LLC, a Joint Venture entity is as under:-



(क) तुलन पत्र

(₹ '000)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	35,67,60	35,92,00
आरक्षितियाँ तथा अधिशेष	16,33,43	9,60,14
जमा	4,98,93	8,25,62
उधार	73,58,18	72,28,90
अन्य देयताएं व प्रावधान	51,37	42,92
कुल	131,09,51	126,49,58
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	20,69	11,49
बैंकों में शेष तथा माँग पर अल्पसूचना पर धन	24,20,44	36,82,70
निवेश	83,38,37	62,10,57
अग्रिम	22,31,89	26,58,62
अचल आस्तियाँ	25,15	20,29
अन्य आस्तियाँ	72,97	65,91
कुल	131,09,51	126,49,58
आकस्मिक देयताएं	NIL	2,01,33

(ख) लाभ और हानि खाता

(₹ '000)

विवरण	2010-11	2009-10
आय		
अर्जित ब्याज	9,65,19	9,59,13
अन्य आय	1,06,45	56,40
कुल	10,71,64	10,15,53
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	1,33,25	1,82,48
परिचालन व्यय	2,73,42	2,74,96
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,46,01	1,49,64
कुल	5,52,68	6,07,08
लाभ	5,18,96	4,08,45

4. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूँजी आरक्षितियाँ / (साख) का अलग विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ों में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2011	31.03.2010
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	1.52	1.52
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	0.24	0.24
निवल पूँजी आरक्षितियाँ	1.76	1.76

A. Balance Sheet

(₹ '000)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Capital & Liabilities		
Capital	35,67,60	35,92,00
Reserve & Surplus	16,33,43	9,60,14
Deposits	4,98,93	8,25,62
Borrowings	73,58,18	72,28,90
Other Liabilities and Provisions	51,37	42,92
TOTAL	131,09,51	126,49,58
Assets		
Cash & Balance with RBI	20,69	11,49
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	24,20,44	36,82,70
Investments	83,38,37	62,10,57
Advances	22,31,89	26,58,62
Fixed Assets	25,15	20,29
Other Assets	72,97	65,91
TOTAL	131,09,51	126,49,58
Contingent Liabilities	NIL	2,01,33

B. Profit & Loss Account

(₹ '000)

Particulars	2010-11	2009-10
Income		
Interest Earned	9,65,19	9,59,13
Other Income	1,06,45	56,40
TOTAL	10,71,64	10,15,53
Expenditure		
Interest Expended	1,33,25	1,82,48
Operating Expenses	2,73,42	2,74,96
Provision and Contingencies	1,46,01	1,49,64
TOTAL	5,52,68	6,07,08
PROFIT	5,18,96	4,08,45

4. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2011	31.03.2010
Canbank Factors Limited	1.52	1.52
Canbank Computer Services Ltd	0.24	0.24
Net Capital Reserve	1.76	1.76



5. अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण

31.03.2011 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से मूल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। तथापि, मूल बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान, निकासी और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

6. स्थिर आस्तियाँ

मूल बैंक की कुछ संपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर निर्धारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹ 2310.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2310.91 करोड़) तथा पुनर्मूल्यांकन राशि में निवल ह्रास ₹ 2098.36 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 2132.68 करोड़)।

7. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खरब हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में नहीं लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए और गैर बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान में परिवर्तित करने के लिए समय को 31.01.2013 तक बढ़ा दिया है। उपक्रम को समेकन के उद्देश्य के लिये क्रियाशील इकाई के रूप में माना गया है।

8. कर्मचारी हित

लेखा मानक -15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के अनुसार पेंशन विकल्प के धिर से खोले जाने और आनुतोषिक राशि की सीमा के बढ़ाये जाने के कारण ₹ 3054.20/- करोड़ की पूरी राशि (पेंशन विकल्प के लिए ₹ 2373.12/- करोड़ और आनुतोषक राशि के लिए ₹ 681.15/- करोड़) को लाभ हानि लेखा में प्रभारित करना है। तथापि, यदि परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गनिर्देश के मुताबिक बैंक ने ₹ 890.26 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक लाभ हानि लेखा में नामे किया है जिसमें पेंशन विकल्प के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूरी देयता और आनुतोषक राशि देयता के कारण ₹ 137.53 करोड़ भी शामिल हैं। पेंशन की रु 1482.86 करोड़ और आनुतोषिक के ₹ 543.62 करोड़ की शेष अपरिशोधित राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश के मुताबिक पेश आया जायेगा।

5. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Parent Bank for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions upto 31.03.2011 has been done. However, Parent Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

In some of the subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc are subject to confirmation.

6. Fixed Assets

Certain properties of the Parent Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is ₹2310.91 Crore (Previous year ₹2310.91 Crore) and net of depreciation is ₹2098.36 Crore (Previous year ₹2132.68 Crore).

7. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, CANFINA, a wholly owned subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Reserve Bank of India has further extended the time till 31.01.2013 to comply with instructions to dispose all the financial assets of CANFINA and to convert the same into Non Banking Non Financial Company or to wind up the Company. The entity is treated as a going concern for the purpose of consolidation.

8. Employee Benefits:

In terms of the requirements of the Accounting Standard – 15 (Revised) – “Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers” issued by the Institute of Chartered Accountants of India / National Advisory Committee on Accounting Standards, the entire amount of ₹3054.27 Crore (towards Pension ₹2373.12 Crore and towards Gratuity ₹681.15 Crore) on account of re-opening of Pension option and enhancement in Gratuity limit, is required to be charged to Profit & Loss Account. However, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018 /2010-11 dated 09.02.2011, the Parent Bank has debited Profit & Loss Account a sum of ₹890.26 Crore, including entire liability towards retired employees on account of pension and ₹137.53 Crore on account of gratuity liability. The balance unamortized amount of ₹1482.86 Crore towards Pension and ₹543.62 Crore towards Gratuity will be dealt with as per guidelines of Reserve Bank of India.



पिछले वर्ष मूल बैंक ने चिकित्सा छुट्टी के लिए रु 167.47 करोड़ उपलब्ध कराया था। बीमारी छुट्टी में अनकदी है, मूल बैंक ने चालू वर्ष के लिए विशेष छुट्टी के प्रावधान में रु 66.05 करोड़ राशि को डालने के बाद मूल बैंक ने रु 101.42 करोड़ वापस किया।

9 संबंधित पार्टियों का प्रकटन

9.1 संबंधित पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध-मूल-केनरा बैंक

क) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- श्री एसी महाजन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (31.07.2010 तक)
- श्री एस रामन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.09.2010 से)
- श्री जगदीश पै के एल, कार्यपालक निदेशक
- श्री एच एस उपेन्द्र कामत, कार्यपालक निदेशक

ख) मूल-

- केनरा बैंक

ग) अनुषंगियाँ-

- केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
- केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम

- कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, मास्को

ड) सहबद्ध संस्थाएं

- केनफिन होम्स लिमिटेड
- क्रेडिट एनालिसिस एन्ड रिसर्च लि.
- कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- मूल बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - प्रगति ग्रामीण बैंक
 - साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक
 - श्रेयस ग्रामीण बैंक

9.2 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक ₹ 64,92,995/- (पिछला वर्ष ₹ 71,98,727/-)

The Parent Bank had provided ₹167.47 crore towards Sick Leave upto the previous year. The Sick Leave being non-encashable, the Parent Bank has written back ₹101.42 Crore after adjusting ₹66.05 Crore towards provision for Privilege Leave for the current year, as no longer required.

9. Related Party Disclosure:

9.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent – Canara Bank

a) Key Management Personnel –

- Shri A C Mahajan, Chairman & Managing Director (till 31.07.2010)
- Shri S Raman, Chairman & Managing Director (from 01.09.2010)
- Shri Jagdish Pai. K.L, Executive Director
- Shri HS Upendra Kamath, Executive Director

b) Parent-

- Canara Bank

c) Subsidiaries –

- Canbank Venture Capital Fund Ltd
- Canbank Financial Services Ltd
- Canara Bank Securities Ltd
- Canbank Factors Ltd
- Canbank Computer Services Ltd
- Canara Robecco Asset Management Company Ltd
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

d) Joint Ventures

- Commercial Bank of India LLC., Moscow

e) Associates –

- Canfin Homes Ltd
- Credit Analysis and Research Ltd
- Commonwealth Trust (India) Ltd
- Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank
 - Pragati Gramin Bank
 - South Malabar Gramin Bank
 - Shreyas Gramin Bank

9.2 Remuneration to Key Management Personnel ₹ 64,92,995/- (Previous Year: ₹ 71,98,727/-)



9.3 अनुषंगियों, सहबद्ध तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:

[₹ करोड़ में]

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम
उधार -		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	34.10 (1.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	34.10 (1.90)
जमाएं -		
यथा वर्षांत को बकाया	184.34 (140.33)	2840.20 (1604.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	184.34 (143.83)	2854.03 (1604.07)
जमाओं का नियोजन -		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	96.99 (97.66)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	96.99 (97.66)
अग्रिम -		
यथा वर्षांत को बकाया	761.74 (743.38)	2972.42 (2788.31)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	761.74 (743.38)	2972.42 (2788.31)
निवेश -		
यथा वर्षांत को बकाया	467.12 (365.13)	99.75 (99.66)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	467.12 (365.13)	99.75 (99.66)
निधीतर आधारित प्रतिबद्धताएं -		
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
पट्टे/एच पी प्रबंधन उपयोग/उपलब्ध		
वर्ष के अंत तक बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
स्थिर आसित की खरीद	3.81 (2.99)	शून्य (शून्य)
स्थिर आसित की बिक्री	शून्य (0.04)	शून्य (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	6.94 (11.62)	114.13 (24.56)
प्राप्त ब्याज	45.51 (16.43)	160.11 (109.49)
सेवा उपलब्ध कराना	53.62 (58.91)	3.31 (2.40)
सेवा प्राप्त करना	68.27 (11.33)	0.01 (0.01)
प्रबंधन संविदाएं	शून्य (0.05)	शून्य (NIL)

कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित ।

9.3 Transactions with Subsidiaries, Associates & Joint Venture are as under:

[₹ in Crore]

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
Borrowings -		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	34.10 (1.90)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	34.10 (1.90)
Deposits-		
Outstanding as at the year end	184.34 (140.33)	2840.20 (1604.07)
Maximum outstanding during the year	184.34 (143.83)	2854.03 (1604.07)
Placement of Deposits -		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	96.99 (97.66)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	96.99 (97.66)
Advances-		
Outstanding as at the year end	761.74 (743.38)	2972.42 (2788.31)
Maximum outstanding during the year	761.74 (743.38)	2972.42 (2788.31)
Investments-		
Outstanding as at the year end	467.12 (365.13)	99.75 (99.66)
Maximum outstanding during the year	467.12 (365.13)	99.75 (99.66)
Non Funded Commitments-		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Leasing/HP Arrangement availed / provided-		
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (NIL)
Purchase of Fixed Assets	3.81 (2.99)	NIL (NIL)
Sale of Fixed Assets	NIL (0.04)	NIL (NIL)
Interest paid	6.94 (11.62)	114.13 (24.56)
Interest received	45.51 (16.43)	160.11 (109.49)
Rendering of Service	53.62 (58.91)	3.31 (2.40)
Receiving of Services	68.27 (11.33)	0.01 (0.01)
Management Contracts	NIL (0.05)	NIL (NIL)

Figures in brackets relate to previous year.



10.1 प्रति शेयर अर्जन :

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
1	मूल और तरलित ई पी एस (₹)	98.01	73.16

10.1 Earnings Per Share:

S.N.	Particulars	2010-2011	2009-2010
1	Basic and Diluted EPS (₹)	98.01	73.16

10.2 प्रति शेयर अर्जन का परिकलन :

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2009-2010
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (₹)	4034 करोड़	2999 करोड़
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (₹)	41.15 करोड़	--
ग	शेयरों की संख्या (पिछले वर्ष)	--	41 करोड़
घ	प्रति शेयर मूल तरलित अर्जन (क/ख) (₹)	98.01*	73.16
ङ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10/-	10/-

*भारित औसत आधार पर परिकलित

10.2 Computation of EPS:

S.N.	Particulars	2010-2011	2009-2010
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹)	4034 Crore	2999 Crore
B	Weighted Average Number of Equity Shares (₹)	41.15 Crore	--
C	No. of Shares (Previous Year)	--	41 Crore
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	98.01*	73.16
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

*Computed on Weighted Average Basis

11. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं :

यथा 31.03.2011 को निवल आस्थगित कर देयता ₹ 133.68 करोड़ थी (31.03.2010 तक ₹ 26.81 करोड़)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :
[₹ करोड़ों में]

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
उपचित ब्याज परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	419.86	319.75
छुट्टी नकदीकरण/उपादान	254.48	254.48	शून्य	शून्य
स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास	35.63	30.14	1.39	0.23
एफडीआर पर ब्याज का प्रावधान	शून्य	26.06	शून्य	शून्य
अन्य	8.97	6.25	11.51	23.76
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	299.08	316.93	432.76	343.74

11. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net DTL computed as on 31.03.2011 amounted to ₹133.68 Crore (₹26.81 Crore as on 31.03.2010). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-
[₹ in Crore]

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	419.86	319.75
Leave Encashment /Gratuity	254.48	254.48	NIL	NIL
Depreciation on Fixed Assets	35.63	30.14	1.39	0.23
Provision for Interest on FDR	NIL	26.06	NIL	NIL
Others	8.97	6.25	11.51	23.76
Deferred Tax Asset/Liability	299.08	316.93	432.76	343.74



12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग
भाग- क कारोबार खण्ड

[₹ करोड़ में]

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2011	31.03.2010
I खण्ड राजस्व		
क राजकोषीय परिचालन	6249.48	5477.69
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	6700.99	5646.60
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	12066.66	9947.23
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आबंटित	775.48	616.37
कुल	25792.60	21687.89
II खण्ड परिणाम		
क राजकोषीय परिचालन	869.61	1346.85
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	2207.25	1664.16
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	2646.59	1992.06
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आबंटित	-112.67	-172.95
कुल	5610.78	4830.12
III गैर आबंटित आय/व्यय	377.88	50.56
IV परिचालन लाभ	5988.66	4880.68
V प्रावधान और आवश्यकताएं	1090.82	1249.40
VI आय कर	1020.35	817.32
VII असाधारण मद	0.00	0.00
VIII अवधि के लिए निवल लाभ	3877.49	2813.96
IX सहबद्ध में अर्जन का हिस्सा	71.78	74.98
X गौण ब्याज (निवल हानि)	-84.92	-110.76
XI समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ	4034.19	2999.70
अन्य सूचना		
XII खण्ड आस्तियाँ		
क राजकोषीय परिचालन	107788.87	86797.42
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	60302.30	51555.25
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	159385.27	120562.20
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आबंटित	9723.77	5478.40
कुल	337200.21	264393.27
XIII खण्ड देयताएं		
क राजकोषीय परिचालन	47011.06	39833.45
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	124960.75	123063.48
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	125710.93	76147.96
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ गैर आबंटित	21214.75	12457.41
च पूँजी और आरक्षितियाँ*	18302.72	12890.97
कुल	337200.20	264393.27

(* ₹2099.43 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर।)

12. Consolidated Segment Reporting
Part A-Business Segment

[₹ in Crore]

PARTICULARS	Year Ended	
	31.03.2011	31.03.2010
I Segment Revenue		
a Treasury Operations	6249.48	5477.69
b Retail Banking Operations	6700.99	5646.60
c Wholesale Banking Operations	12066.66	9947.23
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated	775.48	616.37
Total	25792.60	21687.89
II Segment Results		
a Treasury Operations	869.61	1346.85
b Retail Banking Operations	2207.25	1664.16
c Wholesale Banking Operations	2646.59	1992.06
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated	-112.67	-172.95
Total	5610.78	4830.12
III Unallocated Income/(Expenses)	377.88	50.56
IV Operating Profit	5988.66	4880.68
V Provisions and Contingencies	1090.82	1249.40
VI Income Tax	1020.35	817.32
VII Extraordinary Items	0.00	0.00
VIII Net Profit for the Period	3877.49	2813.96
IX Add: Share of Earnings in Associates	71.78	74.98
X Less: Minority Interest (Net Loss)	-84.92	-110.76
XI Consolidated Profit for the Year attributable to the Group	4034.19	2999.70
Other Information		
XII SEGMENT ASSETS*		
a Treasury Operations	107788.87	86797.42
b Retail Banking Operations	60302.30	51555.25
c Wholesale Banking Operations	159385.27	120562.20
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated Assets	9723.77	5478.40
Total	337200.21	264393.27
XIII SEGMENT LIABILITIES		
a Treasury Operations	47011.06	39833.45
b Retail Banking Operations	124960.75	123063.48
c Wholesale Banking Operations	125710.93	76147.96
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated Liabilities	21214.75	12457.41
f Capital and Reserves *	18302.72	12890.97
Total	337200.21	264393.27

(* Excluding Revaluation Reserve of ₹2099.43 Crore)



भाग- ख भौगोलिक खण्ड:

[₹ करोड़ में]

भौगोलिक खण्ड	समाप्त वर्ष	
	31.03.2011	31.03.2010
क घरेलू परिचालन		
राजस्व	25463.52	21367.58
आस्तियां	321466.08	254266.29
ख अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		
राजस्व	329.08	320.31
आस्तियां	15734.13	10126.98
ग कुल		
राजस्व	25792.60	21687.89
आस्तियां*	337200.21	264393.27

(* ₹2099.43 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर।)

13. अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम, विद्यमान कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लेखांकन नीतियों का अविरत पालन कर रहा है, जो तत्संबंधी कारोबार आवश्यकताओं के कारण कुछ मामलों में मूल बैंक से भिन्न होती हैं। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों में इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

14. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षितियां ₹ 19959.16 करोड़ जिनमें से ₹19596.82 करोड़ मूल संस्था के हैं और अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के ₹ 362.34 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष ₹ 14612.38 करोड़ जिसमें से ₹ 14261.78 करोड़ मूल तथा शेष ₹ 350.60 करोड़ व अनुषंगियां संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संस्थाओं के थे)

15. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरण का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

Part B – Geographical Segment:

[₹ in Crore]

Particulars	Year Ended	
	31.03.2011	31.03.2010
a Domestic Operations		
Revenue	25463.52	21367.58
Assets	321466.08	254266.29
b International Operations		
Revenue	329.08	320.31
Assets	15734.13	10126.98
c Total		
Revenue	25792.60	21687.89
Assets*	337200.21	264393.27

(* Excluding Revaluation Reserve of ₹2099.43 Crore)

13. The Subsidiaries and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent Bank in a few cases because of respective business requirements. However, it will not have any material impact on the Consolidated Financial Statements.

14. The consolidated Reserves of the group after reckoning parent's share of accumulated profit / loss of subsidiaries, joint venture and associates amount to Rs.19959.16 Crore of which Rs.19596.82 Crore relate to the parent and the balance Rs.362.34 Crore relates to the Subsidiaries, Joint Venture and Associates (Previous year Rs.14612.38 Crore of which Rs.14261.78 Crore relate to the parent and the balance Rs.350.60 Crore relates to the Subsidiaries, Joint Venture and Associates).

15. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the parent and subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India.



16. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

16. Previous Year's figures have been regrouped, rearranged and restated, wherever considered necessary.

के पद्मनाभन
मंडल प्रबंधक

के माणिकम
उप महा प्रबंधक

डी एस आनंदमूर्ति
महा प्रबंधक

अर्चना एस भार्गव
कार्यपालक निदेशक

जगदीश पै के एल
कार्यपालक निदेशक

एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

जी पद्मनाभन
निदेशक

देवेन्द्र दास रस्तगी
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

खालिद लुक्मन बिलग्रामी
निदेशक

एस शब्बीर पाशा
निदेशक

पंकज गोपालजी ठक्कर
निदेशक

पी वी मैय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भंडारी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते मनुभाई एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते आर के कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते नन्दी हलदर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

पी डी बैड
साझेदार

हितेश एम पोमल
साझेदार

सी आर सुंदराराजन
साझेदार

पार्थ एस चंदा
साझेदार

इंदरजीत सोनी
साझेदार

के नारायणन
साझेदार

बेंगलूर
26 मई 2011

K PADMANABHAN
Divisional Manager

K MANICKAM
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY
General Manager

ARCHANA S BHARGAVA
Executive Director

JAGDISH PAI K L
Executive Director

S RAMAN
Chairman & Managing Director

G PADMANABHAN
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

S SHABBEER PASHA
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER REPORT OF EVEN DATE

For S BHANDARI & CO.
Chartered Accountants

For MANUBHAI & CO.
Chartered Accountants

For R K KUMAR & CO.
Chartered Accountants

For NANDY HALDER & GANGULI
Chartered Accountants

For H K CHAUDHRY & CO.
Chartered Accountants

For K VENKATACHALAM AIYER & CO.
Chartered Accountants

P D BAID
Partner

HITESH M POMAL
Partner

C R SUNDARARAJAN
Partner

PARTHA S CHANDA
Partner

INDERJITH SONI
Partner

K NARAYANAN
Partner

Bangalore
May 26, 2011



संमेलित नकद प्रवाह विवरण 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹. '000)

विवरण / Particulars	31.03.2011	31.03.2010
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net profit after Tax	4034,18,67	2999,70,23
निम्नों के लिए समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	1020,35,29	817,32,42
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं / Other Provisions and Contingencies	1090,82,08	1249,40,14
मल्यहास / Depreciation	187,24,49	180,68,41
निवेशों की पुनर्मूल्यन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	123,95,29	142,92,67
टायर I व टायर II पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	661,71,53	489,93,10
निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि / Profit / loss on sale of Investments	-238,16,93	-877,76,73
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि / Profit / loss on sale of Fixed Assets	-4,51,27	-3,42,62
अनुषंगियों, सहबद्धों और संयुक्त वेंचरों से आय Income from Investment in Subsidiaries, Associates and Joint Venture	-195,83,11	-98,34,63
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान / Provision for Proposed Dividend	-578,24,28	-483,48,50
उप कुल / Sub total	6101,51,76	4416,94,49
निम्नों के लिए समायोजन / Adjustments for:		
जमाओ में बढत/(घट) / Increase/Decrease in Deposits	59276,14,49	47761,30,81
उधारों में बढत/घट / Increase/Decrease in Borrowings	5071,91,96	-5946,50,11
निवेशों में बढत/घट / Increase/Decrease in Investments	-15311,86,26	-11888,08,08
अग्रिमों में बढत/घट / Increase/Decrease in Advances	-43183,52,00	-31103,33,57
अन्य आस्तियों में बढत/घट / Increase/Decrease in Other assets	-1321,69,87	655,27,13
अन्य बढत/घट / Increase/Decrease in Other liabilities and provisions	194,09,82	748,86,32
उप कुल / Sub total	10826,59,90	4644,46,99
घटाएं: अग्रिम प्रदत्त कर / Less: Advance Tax paid	1344,02,09	1070,63,47
परिचालन गतिविधियों से सर्जित नकद (क) / Cash generated from Operating Activities (A)	9482,57,81	3573,83,52
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
सहबद्धों में निवेशों में बढत/घट / Increase/ Decrease in Investments in Associates	-69,40,13	-72,15,17
अनुषंगियों, सहबद्धों व संयुक्त वेंचरों में निवेश से आय / Income from Investment in Subsidiaries, Associates and Joint Venture	195,83,11	98,34,63
अचल आस्तियों में बढत/घट / Increase/ Decrease in Fixed Assets	-167,62,69	-138,89,89
अन्य आरक्षित में बढत/घट / Increase/ Decrease in Other Reserve	3,00,55	-6,27,74
निवेशक गतिविधियों से नकद प्रवाह (ख) / Cash generated from Investing activities (B)	-38,19,16	-118,98,17
वित्त गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities		
शेयर पूंजी / Share Capital	33,00,00	--
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1960,20,00	2,13,51
अधीनस्थ बांडों का पुनर्भुगतान / Repayment Subordinated Bonds	749,30,00	455,09,22
टायर I व II बांडों का ब्याज भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	-661,71,53	-489,93,10
उन पर दत्त कर सहित दत्त लाभांश / Dividends Paid including Tax Paid thereon	-478,46,10	-383,75,00
अनुषंगियों द्वारा दत्त लाभांश कर / Dividends Tax paid by Subsidiaries	-54,40	-2,12
वित्त गतिविधियों से सर्जित नकद (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	1601,77,97	-416,47,49



विनिमय उतार चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह / Cash Flow on account of Exchange Fluctuation		
विदेशी संयुक्त वेंचर आरक्षितियाँ / Reserves of Foreign Joint Venture	2,56,03	-42,58,82
विनिमय उतार चढ़ाव के कारण सर्जित नकद (घ) / Cash generated on account of Exchange Fluctuation (D)	2,56,03	-42,58,82
नकद और नकद समतुल्य (ए +बी +सी +डी) में निवल बढ़त / घट / Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	11048,72,65	2995,79,04
अथ नकद व नकद समतुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	19722,92,84	16727,13,80
इति नकद व नकद समतुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	30771,65,49	19722,92,84
नकद व नकद समतुल्य के घटक / COMPONENTS OF CASH & CASH EQUIVALENTS		
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद व शेष / CASH & BALANCE WITH RBI	22032,11,20	15732,59,07
अल्प नोटिस व माँग पर व बैंकों के साथ शेष / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	8739,54,29	3990,33,77
Total	30771,65,49	19722,92,84

नोट Notes:

मौजूदा नकद, आर बी आई व अन्य बैंकों में शेष और माँग और अल्प नोटिस पर धन नकद व नकद समतुल्य में होते हैं / Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

के पद्मानाभन
मंडल प्रबंधक

के माणिकम
उप महा प्रबंधक

डी एस आनंदमूर्ति
महा प्रबंधक

अर्चना एस भार्गव
कार्यपालक निदेशक

जगदीश पै के एल
कार्यपालक निदेशक

एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

जी पद्मानाभन
निदेशक

देवेन्द्र दास रस्तगी
निदेशक

जी वी मणिमरान
निदेशक

खालिद लुकमान बिलग्रामी
निदेशक

एस शब्बीर पाशा
निदेशक

पंकज गोपालजी ठक्कर
निदेशक

पी वी मैय्या
निदेशक

सुनील गुप्ता
निदेशक

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते मनुभाई एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते आर के कुमार एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते नन्दी हलदर एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते एच के चौधरी एण्ड कं
सनदी लेखाकार

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

पी डी बैड
साझेदार

हितेश एम पोमल
साझेदार

सी आर सुंदराराजन
साझेदार

पार्थ एस चंदा
साझेदार

इन्द्रजीत सोनी
साझेदार

के नारायणन
साझेदार

बेंगलूर

26 मई 2011

K PADMANABHAN
Divisional Manager

K MANICKAM
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY
General Manager

ARCHANA S BHARGAVA
Executive Director

JAGDISH PAI K L
Executive Director

S RAMAN
Chairman & Managing Director

G PADMANABHAN
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI
Director

G V MANIMARAN
Director

KHALID LUQMAN BILGRAMI
Director

S SHABBEER PASHA
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER
Director

P V MAIYA
Director

SUNIL GUPTA
Director

AS PER REPORT OF EVEN DATE

FOR S BHANDARI & CO.
Chartered Accountants
P D BAID
Partner

FOR MANUBHAI & CO.
Chartered Accountants
HITESH M POMAL
Partner

FOR R K KUMAR & CO.
Chartered Accountants
C R SUNDARARAJAN
Partner

FOR NANDY HALDER & GANGULI
Chartered Accountants
PARTHA S CHANDA
Partner

For H K CHAUDHRY & Co.
Chartered Accountants
INDERJIT SONI
Partner

For K VENKATACHALAM AIYER & Co.
Chartered Accountants
K NARAYANAN
Partner

Bangalore
May 26, 2011



प्रधान कार्यालय, बेंगलूर-560 002
Head Office, Bangalore- 560 002

प्रिय शेयरधारक,

हमारे बैंक के सम्मान्य शेयरधारक के स्तर में आपसे बात करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। आप जैसे लोगों के ही संबल और सहायता के सहारे हमारा (आपका) बैंक मजबूती के साथ दिनोदिन स्थिर स्तर से संवर्धित होता आ रहा है।

आप कृपया इस बात से अवगत हैं कि खरीद-फरोख्त करने या बंधक रखने के लिए शेयरों का डी-मैट स्तर में होना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, डी-मैट रूप में शेयरों का खरीद-फरोख्त करने के लिए निक्षेपागार प्रतिभाग के पास डी-मैट खाता होना भी ज़रूरी होता है। निक्षेपागार के रूप में हम आपका निक्षेपागार सेवायें भी सप्रसन्न उपलब्ध करायेंगे।

हमारे रिकार्डों में यह देखा गया है कि आपके पास बैंक के शेयर अब भी भौतिक स्तर में हैं। अतः डी-मैट खाता खोलने के लिए हमारी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु हम पुनः इस अवसर का सदुपयोग करेंगे। निक्षेपागार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नामोद्दिष्ट शाखाओं की सूची आपकी जानकारी के लिए इसके साथ जोड़ी गई है। आपका मूल्यवान डी-मैट खाता खोलने के लिए आप इनमें से किसी भी शाखा में पदार्पण कर सकते हैं।

उतना ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निवेश पर प्रतिफल प्राप्त करना। घोषित लाभांश का समय पर जमा होने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युतानी समाशोधन सेवा का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं जिससे आपकी लाभांश राशि के सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने में मदद मिलती है। यदि आपने कथित सेवाओं का विकल्प नहीं दिया है तो आप विद्युतानी समाशोधन सेवा अध्यादेश दे सकते हैं जिससे डी-मैट खाता खोलने के लिए, साथ ही निक्षेपागार प्रतिभागी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

हमेशा उत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हुए धन्यवाद ...

आपका,

एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Dear Shareholder,

It gives us immense pleasure to reach you as our esteemed Shareholder of our Bank. It is with the support and help of people like you, (y)our bank has been growing steadily day by day with strong basics.

You are kindly aware that holding of shares in DEMAT form is a must for trading or pledging the same. Further, it is necessary to have a DEMAT Account with any of the Depository Participant (DP) for trading the shares in the DEMAT form. We, as one of the Depository Participants, are glad to extend the Depository Services also.

It is observed from our records that you are still holding the bank's shares in physical form. Hence, we once again take this opportunity to extend to you our services for opening the Demat Account. A List of Designated Branches for Depository Services is attached for your information. You may approach any of these Branches for the purpose of opening of your valuable Demat Account.

Equally important aspect is that receiving the returns on your investment. For ensuring the timely credit of the dividends declared, we request you to use Electronic Clearing Service (ECS) which indeed helps you to get the dividend amount credited to your bank account directly without any hassles. In case you have not opted for the said service, you may avail the services of ECS Mandate, which is extended simultaneously by the Depository Participant while opening the Demat Account.

Thanking you and assuring you of our best services always...

Yours sincerely,

S RAMAN
Chairman & Managing Director



निकेपागार सेवाओं के लिए नामोद्दिष्ट शाखाओं की सूची

क्र. सं.	नामोद्दिष्ट शाखा का नाम
1	आगरा - एम जी रोड
2	अलीगढ़
3	आश्रम रोड, अहमदाबाद
4	अहमदाबाद - पालडी
5	बेंगलूर - डी.पी.
6	बेंगलूर - इंदिरानगर
7	बेंगलूर - विजयनगर
8	भोपाल - अरेरा कॉलोनी
9	कालीकट - वेस्ट हिल
10	कालीकट - पालक्काड
11	चंडीगढ़ 17-सी
12	चेन्नई - डी पी
13	चेन्नई - तेनमपेट
14	कोयंबतूर - आर एस पुरम
15	कोयंबतूर - ईरोड
16	दिल्ली - डी पी
17	दिल्ली - हाऊज़ खास
18	दिल्ली - आर के पुरम
19	एरणाकुलम - ब्रॉडवे
20	गुवाहाटी - दिसपुर
21	गोवा - मङ्गांव
22	हासन मेडन
23	हुबली - ट्राफिक आइलैंड
24	हैदराबाद - नारायणगुडा
25	जयपुर - अरविंद मार्ग मुख्य
26	जालंधर - बी.एम.सी. चौक
27	कोट्टयम के.के. रोड मुख्य

क्र. सं.	नामोद्दिष्ट शाखा का नाम
28	कोलकाता डी.पी.
29	कर्नूल
30	लखनऊ - इंदिरानगर
31	मदुरै - ग्रेण्ड सेंट्रल
32	मंगलूर - हम्पन्नकट्टा
33	मुंबई डी पी
34	मुंबई - घाटकोपर (प)
35	मुंबई - एस.एस.बी.
36	मुंबई - विले पार्ले
37	मुंबई - बोरिविली (प)
38	मुंबई - दोम्बीविली (पू)
39	मुंबई - चेम्बूर
40	मुंबई - प्रभादेवी
41	मुंबई - उल्लास नगर III
42	मैसूर - जयलक्ष्मीपुरम
43	नागपुर - इटवारी
44	पटना - बुद्धमार्ग
45	पटना - बोरिंग रोड
46	पुणे - कैप
47	राजकोट - मुख्य
48	राँची - दारौंडा
49	सूरत - नानपुरा
50	तिरुवनंतपुरम - कैट
51	तिरुच्ची - तिल्लैनगर
52	उडुपी - मारुति वीथिका
53	वडोदरा - अलकापुरी
54	विशाखपट्टणम - दाबा गार्डन

LIST OF DESIGNATED BRANCHES FOR DEPOSITORY SERVICES

Sl. No.	Name of the Designated Branch
1	Agra -M G Road
2	Aligarh
3	Ashram Road, Ahmedabad
4	Ahmedabad – Paldi
5	Bangalore- DP
6	Bangalore - Indiranagar
7	Bangalore-Vijayanagar
8	Bhopal- Arera Colony
9	Calicut -West Hill
10	Calicut- Palakkad
11	Chandigarh 17-C
12	Chennai- DP
13	Chennai -Teynampet
14	Coimbatore - R S Puram
15	Coimbatore - Erode
16	Delhi - DP
17	Delhi - Hauz Khas
18	Delhi- R K Puram
19	Ernakulam -Broadway
20	Guwahati -Dispur
21	Goa- Margoa
22	Hassan Main
23	Hubli -Traffic Island
24	Hyderabad- Narayanaguda
25	Jaipur- Arvindmarg
26	Jalandhar- BMC Chowk
27	Kottayam-KK Road Main

Sl. No.	Name of the Designated Branch
28	Kolkata DP
29	Kurnool
30	Lucknow- Indiranagar
31	Madurai- Grand Central
32	Mangalore- Hampanakatta
33	Mumbai DP
34	Mumbai- Ghatkopar(w)
35	Mumbai -SSB
36	Mumbai- Vile Parle
37	Mumbai- Boriveli (W)
38	Mumbai - Dombiveli (E)
39	Mumbai - Chembur
40	Mumbai- Prabhadevi
41	Mumbai – Ullas nagar III
42	Mysore – Jayalakshmiapuram
43	Nagpur- Itwari
44	Patna-Budhmarg
45	Patna-Boring Road
46	Pune- Camp
47	Rajkot-Main
48	Ranchi-Daronda
49	Surat-Nanpura
50	Trivandrum- Cant
51	Trichy-Thillai Nagar
52	Udupi - Maruthi Veethika
53	Vadodara-Alkapuri
54	Visakhapatnam - Daba Gardens



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

उपस्थिति पर्ची

(नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक) : 18.07.2011

(कृपया हाजिरी पर्चा भरकर उसे बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर दे दें)

दिनांक :	समय :
स्थान : बैंगलूर	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजी पन्ना (विभौतिकृत न हो तो)	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी. (विभौतिकृत हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	



- यहाँ से फाड़ें



प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

प्रवेश पास

(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम											
शेयरों की संख्या											
पंजीकृत फोलियो (विभौतिकीकृत न हो तो)	<div>डीपीआईडी सं</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>										
	<div>ग्राहक आईडी सं</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>										
	(विभौतिकृत हो तो)										
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम											
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर											

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेरधारकों / शेरधारक के प्राक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुसूच उपर्युक्त उपस्थिति पर्वी, प्रवेश पास के साथ दिखाएं । शेरधारक / प्रोक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमन्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पॉन कार्ड / पार पत्र / डाइविंग लाइसेंस, आदि अपने साथ रखें । किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डुप्लिकेट उपस्थिति पर्वी जारी नहीं की जाएगी ।



HO: # 112, J C Road, Bangalore- 560 002

ATTENDANCE SLIP
(NINTH ANNUAL GENERAL MEETING) : 18.07.2011

(Please fill in the Attendance Slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Date:		Time :	
Place: Bangalore			
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			



Cut here



HO: # 112, J C Road, Bangalore- 560 002

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder											
Number of shares											
Regd. Folio (if not dematerialised)		DPID No.									
		Client ID No.									
		(if dematerialized)									
Name of the Proxy/Representative present											
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative											

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**



(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर-560 002

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 18.07.2011

फॉर्म "ख"

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को सोमवार, 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे चौडय्या मेमोरियल हाल,
जी. डी. पार्क एक्स्टेंशन, वैयालिकावल, बेंगलूर -560 003 में होने वाले केनरा बैंक के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य
किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2011 _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फोलियो सं / _____

ग्राहक आई डी शेयरों की सं _____

कृपया 15 पैसे
का राजस्व
स्टाम्प चिपकाएं

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता : _____

.....
प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि ,
क) एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
ख) संयुक्त धारकों के मामले में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
ग) एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ द्वितीय वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के चार दिन के पूर्व अर्थात्, बुधवार 13 जुलाई, 2011 के समापन समय के पहले महा प्रबंधक, केनरा बैंक के सचिवालय प्रभाग, चौथा तल, आ व वि विभाग, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर में जमा किया जाए ।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामा का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक सृजित करना होगा ।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म बी में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो ।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता ।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है ।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो ।



(A Government of India Undertaking)
HO : # 112, J C ROAD BANGALORE - 560 002

Ninth Annual General Meeting – 18.07.2011

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Monday the 18th July 2011 at 4.00 p.m. at Chowdaiah Memorial Hall, G.D. Park Extension, Vyalikaval, Bangalore-560 003 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011

Regd. Folio No./Client ID: _____

No. of Shares _____

Signature of Proxy _____

Name & Address: _____

Please affix
15 Paise
Revenue Stamp

Signature of the first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, 4th Floor, Head Office 112, J C Road Bangalore – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday the 13th July, 2011.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.